10th July, 1998

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहव लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 10 जुलाई, 1998/19 आषाढ़, 1920 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
19	19	संसदीस कार्य	संसदीय कार्य
99	16	(क) से (ख)	(क) और (ख)
156	10	कर्नाटन	कर्नाटक
156	13	मेघालय	मेघालय
169	2, 6,	पत्तर	पत्तन
189	1	(ख)	(ख) और (ग)
192	17	क्या ग	क्या गत
194	20	कोई सरकार	कोई प्रस्ताव सरकार
213	26	(क)	(क) से (च)
226	20	कार्यकारण	कार्यकरण
228	नीचे से 11	दशोर्न	दर्शाने

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 19, शुक्रवार, 10 जुलाई, 1998/19 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 342 से 344	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 345 से 361	24-50
अतारांकित प्रश्न संख्या 3450 से 3642	50-225
निर्यात पर कम ब्याज दर के बारे में दिनांक 12 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2510 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	226
सभा पटल पर रखे गये पत्र	226-231
राज्य सभा से संदेश	231
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन	231-232
खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	232
पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति	
चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन	232
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
पचपनवां, छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन	233
डाक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	233-246
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) इंजीनियरिंग कालेजों को स्वायत्ता दिये जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामानन्द सिंह	262
(दो) बरेली होते हुए दिल्ली और लखनऊ के बीच शताब्दी एक्सप्रैस शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजवीर सिंह	263
(तीन) उत्तर प्रदेश में उन्नाव तथा कानपुर के बीच गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता	
श्री देवी बक्स सिंह	263
(चार) कोलार जिले में सभी तालाबों से गाद निकालने के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री के०एच० मुनियप्पा	263-264

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(पांच) उड़ीसा के गजपति जिले में वैझाल नाला लघु सिंचाई परियोजना को वन संबंधी स्वीकृति शीघ्र दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमति जयन्ती पटनायक 264

(छह) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 1998-99 के लिए तत्काल धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री कोनिजेटी रोसैया 264-265

(सात) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के आधुनिकीकरण का उत्तरदायित्व भारतीय इस्पात प्राधिकरण को सौंपे जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय 265

(आठ) बान्द्रा (पश्चिम रेलवे) और कुर्ला (मध्य रेलवे) के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार 265

(नौ) मुम्बई में नई जल निकास प्रणाली के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 266

अनुदानों की मांगें (सामान्य) — 1998-99

कृषि मंत्रालय

श्री बलराम जाखड़ 266-272

मंत्री द्वारा वक्तव्य

डाक कर्मचारियों की हड़ताल

श्रीमती सुषमा स्वराज 272-279

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — *पुर: स्थापित*

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 327 में संशोधन)

श्री सुशील कुमार शिंदे 279

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 171 में संशोधन)

श्री के०सी० कोंडय्या 280

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 51 क में संशोधन)

श्री के०सी० कोंडय्या 280

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए अनुच्छेद 150 क का अंत:स्थापन)

श्री के०सी० कोंडय्या 280

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 80 में संशोधन)

श्री के०सी० कोंडय्या 281

(छह) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ का विस्तार) संशोधन विधेयक
(अनुसूची में संशोधन)

श्री सत्यपाल जैन 281

विषय कॉलम

(सात) महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का उत्सादन विधेयक,

श्री सुशील कुमार शिंदे 282

(आठ) भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक,

श्री सुशील कुमार शिंदे 282

(नौ) भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक

श्रीमती जयंती पटनायक 282

(दस) महिला कल्याण विधेयक

श्रीमती जयंती पटनायक 283

(ग्यारह) यौन उत्पीड़न निवारण विधेयक

श्रीमती जयंती पटनायक 283

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए अध्याय पांच-क का अंत:स्थापन आदि)

श्रीमती जयंती पटनायक 283

(तेरह) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक
(पूरे नाम में संशोधन आदि)

श्री पी०एस० गढ़वी 284

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 51 क में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा 284

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 239 क क में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा 284

(सोलह) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक
(धारा 3 में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा 285

(सत्रह) बालक परिसंकटमय रोजगार उत्सादन विधेयक

श्री सुशील कुमार शिंदे 285

(अठारह) आयकर (संशोधन) विधेयक
(धारा 10 में संशोधन)

श्री सत्यपाल जैन 286

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक — *वापस लिया गया*
(नए अनुच्छेद 51 ख का अंत:स्थापन)

श्री मोहन सिंह

विचार करने का प्रस्ताव

श्री सी०पी० राधाकृष्णन 286–287

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम 287–290

श्री वीरेन्द्र सिंह 290–292

श्री पी०एस० गढ़वी 292–293

विषय	कॉलम
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	293-295
श्री रामदास आठवले	295-298
प्रो० सैफुद्दीन सोज	298-300
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	301-302
श्री पारसनाथ यादव	302
श्री चमन लाल गुप्त	303-304
श्री शैलेन्द्र कुमार	304
श्री श्रीराम चौहान	304-306
श्री के०एस० राव	306-307
श्री रवि प्रकाश वर्मा	307-308
वैद्य विष्णु दत्त	308-309
श्री पी०सी० चाक्को	309-313
श्री छत्रपाल सिंह	313
डा० एम० तम्बी दुरई	314-317
श्री मोहन सिंह	317-318
(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक – *विचाराधीन* (अनुच्छेद 15 में संशोधन आदि)	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री जी०एम० बनातवाला	318-320
सभा के कार्य के बारे में घोषणा	321-322

लोक सभा

शुक्रवार, 10 जुलाई, 1998/19 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*,]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बेरोजगार युवाओं को ऋण

\+

*342 श्री जयसिंह जी चौहान :

श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अपना उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने के लिये प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण लेने हेतु राज्य-वार कितने शिक्षत बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया था;

(ख) इनमें से ऐसे कितने आवेदन-पत्र मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ग) ऐसे आवेदन-पत्रों की जांच करने में सरकार को कितना समय लगा;

(घ) क्या बेरोजगार युवा ऐसे ऋण समय पर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे है; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और ऐसे आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षो अर्थात 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत प्रत्येक वर्ष ऋणों के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगार शिक्षित युवकों की संख्या, राज्य-वार ब्यौरे और बैंकों के पास प्रत्येक वर्ष के अंत में लंबित आवेदनों की संख्या अनुबंध-I, II और III में दी गई हैं

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, 25,000/ रु० तक के ऋणों की मंजूरी संबंधी आवेदनों का निपटान बैंकों को एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर करना चाहिए और 25,000/ रु० से अधिक के आवेदनों का निपटान 8 से 9 सप्ताह के भीतर करना चाहिए।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया हैं कि ऋण आवेदनों को निपटान करने वाली बैंक शाखाएं निर्धारित मानदंडों और योजना के मूल्यांकन के आधार पर ऋण प्रदान करने का निर्णय लेती हैं। बैंकों द्वारा ऋण आवेदनों को लौटाने के साथ-साथ कारणों में, अन्य बातों के साथ साथ ये कारण शामिल हैं : (I) योजना के तहत उधारकर्ता की आय निर्धारित सीमा से अधिक होना, (II) उधारकर्ता पहले ही अन्य योजनाओं से सहायता प्राप्त कर रहा हो, (III) उधारकर्ता पहले से ही लाभकारी रूप से नियोजित हो, (IV) उधारकर्ता अन्य बैंकों का चूककर्ता हो, (V) परियोजना अर्थक्षम/बैंक को स्वीकार्य न हो। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत में आवेदन पत्रों का इकट्ठा होना भी शाखा स्तर पर आवेदनों के लंबित रहने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के मार्गनिर्देशों में यह प्रावधान हैं कि कृतिक बल समिति (टास्क फोर्स कमेटी) को निर्धारित लक्ष्य के 150% के बराबर आवेदन प्रायोजित करना चाहिए ताकि बैंक, उन्हें प्रायोजित आवेदनों के एक हिस्से को नामंजूर करने के बाद भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंकों से यह भी कहा हैं कि उन्हें कृतिक बल समिति द्वारा प्रायोजित आवेदनों को नामंजूर करने के विशिष्ट कारणों का भी उल्लेख करना चाहिए।

ऋणों की मंजूरी और संवितरण में विलम्ब की समस्या से निपटने के लिए बैंकों से कहा गया हैं कि बैंकों के जिला स्तरीय समन्वयकों को प्रमुख अनियमितताओं के मामलों की जांच करनी चाहिए। रिपोर्टों और पुनरीक्षा और साथ ही उचित स्तरों पर कार्रवाई की सिफारिश के लिए जिला स्तरीय प्रधान मंत्री रोजगार योजना समिति और कृतिक बल समिति को भेजना चाहिए।

अनुबंध-I

कार्यक्रम वर्ष 1995-96 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	मंजूर आवेदनों की कुल सं०	लंबित आवेदन की सं०
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	31308	43181	27299	2478
अरूणाचल प्रदेश	289	296	250	1
असम	7628	9165	6382	991
बिहार	21297	35753	15165	3061
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5150	15165	4132	2031
गोवा	620	684	481	20
गुजरात	9953	18300	9950	681
हरियाणा	7757	15109	7512	504
हिमाचल प्रदेश	2402	4209	2362	37

1	2	3	4	5
जम्मू एवं कश्मीर	1695	2413	1343	103
कर्नाटक	16376	25492	13787	987
केरल	13978	27550	11120	746
मध्य प्रदेश	29877	59247	29398	2463
महाराष्ट्र	44269	62977	36855	5979
मणिपुर	3989	2738	1024	1541
मेघालय	497	531	477	3
मिजोरम	250	350	225	-
नागालैंड	284	302	272	6
उड़ीसा	7483	19214	7287	509
पंजाब	14831	26521	14137	2577
राजस्थान	10310	19653	9263	844
सिक्किम	201	226	151	27
तमिलनाडु	21041	31734	16253	3064
त्रिपुरा	2030	2830	1777	683
उत्तर प्रदेश	34357	72199	31118	1669
पश्चिम बंगाल	39691	41281	17724	7251
अंडमान एवं निकोबार	97	139	81	19
चंडीगढ़	142	293	155	18
दादर एवं नगर हवेली	189	276	188	14
दमन एवं दीव	35	81	44	-
लक्षद्वीप	-	-	-	-
पाडिचेरी	404	721	361	112
विर्निदष्ट नहीं	180	228	72	-
अखिल भारत	328610	538858	266645	38419

अनुबंध-II

कार्यक्रम वर्ष 1996-97 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	मंजूर आवेदनों की कुल सं०	लंबित आवेदन की सं०
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	31900	33574	20004	5127
अरूणाचल प्रदेश	450	349	162	182
असम	15000	8548	4857	2107
बिहार	22150	37375	14068	9249
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4550	5102	920	1075
गोवा	550	675	419	47
गुजरात	8500	15895	7904	1437
हरियाणा	7200	12623	5871	1002
हिमाचल प्रदेश	2100	3349	1686	524
जम्मू एवं कश्मीर	3500	1448	608	358
कर्नाटक	17700	25352	13512	2915
केरल	15000	18678	9000	3214
मध्य प्रदेश	27050	62137	25972	10455
महाराष्ट्र	35900	56459	29379	10835
मणिपुर	3000	2268	1566	254
मेघालय	825	407	283	105
मिजोरम	375	175	35	121
नागालैंड	450	235	145	83
उड़ीसा	8250	12114	4202	5762
पंजाब	8600	17127	7543	2394
राजस्थान	10400	21444	9609	1888
सिक्किम	200	210	87	81
तमिलनाडु	21800	28335	11941	4175
त्रिपुरा	1950	2226	875	563
उत्तर प्रदेश	35813	65808	28260	7086
पश्चिम बंगाल	22900	20106	5438	7952
अंडमान एवं निकोबार	100	84	34	23
चंडीगढ़	150	209	111	26
दादर एवं नगर हवेली	150	133	73	17
दमन एवं दीव	100	44	23	8
लक्षद्वीप	50	64	23	29
पाडिचेरी	500	610	250	87
विर्निदष्ट नहीं	9119	-	3630	2670
अखिल भारत	307163	462282	208588	81851

अनुबंध-III

कार्यक्रम वर्ष 1997-98 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	मंजूर आवेदनों की कुल सं०	लंबित आवेदन की सं०
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	34200	36512	23610	5983
अरूणाचल प्रदेश	300	175	122	53
असम	13400	11772	6732	4012
बिहार	21500	33025	12814	5590
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4700	4812	981	481
गोवा	600	456	311	12
गुजरात	12600	17801	9807	1253
हरियाणा	6300	10853	6090	198
हिमाचल प्रदेश	2300	3756	2301	167
जम्मू एवं कश्मीर	3500	4485	2386	851
कर्नाटक	22000	28667	15053	5004
केरल	16000	15780	8453	1607
मध्य प्रदेश	31500	57998	28994	4643
महाराष्ट्र	42600	65616	36243	6714
मणिपुर	1300	593	162	367
मेघालय	550	455	258	81
मिजोरम	400	49	11	8
नागालैंड	450	273	95	173
उड़ीसा	9250	13629	6738	3251
पंजाब	9000	16993	9082	1987
राजस्थान	14300	22470	11787	2010
सिक्किम	100	105	62	14
तमिलनाडु	27700	32582	15360	3744
त्रिपुरा	1300	2039	417	887
उत्तर प्रदेश	45200	70506	34780	4613
पश्चिम बंगाल	23000	13190	3851	3693
अंडमान एवं निकोबार	100	104	48	40
चंडीगढ़	200	272	164	20
दादर एवं नगर हवेली	50	111	75	2
दमन एवं दीव	50	44	31	6
लक्षद्वीप	50	125	75	12
पाण्डिचेरी	500	763	403	21
विर्निदिष्ट नहीं	8495	3272	2986	
अखिल भारत	345000	474506	240268	60483

[हिन्दी]

श्री जयसिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रारंभ से आज तक मुहैया कराये गये ऋणों का राज्यवार, विशेषकर गुजरात का ब्यौरा क्या है। क्या उक्त अवधि के दौरान इस योजना में उचित शिक्षित बेरोजगारों को ही ऋण मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष निगरानी समिति गठित की गई थी? यदि हां, तो इस दिशा में तत्संबंधी गठित निगरानी समिति की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, तथा भविष्य में सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : अनुबंध I, II और III में हमने वर्ष-वार और राज्य-वार आवेदकों की संख्या और स्वीकृत आवेदनों की संख्या और धनराशि के बारे में भी *(व्यवधान)* मैं आपको सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के बारे में बताऊंगा। आप विशेषकर गुजरात की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। वर्ष 1997-98 का निर्धारित लक्ष्य 12600 हैं। 17,801 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह निर्धारित लक्ष्य से 150 प्रतिशत कम है। प्राप्त आवेदनों की संख्या कम से कम 150 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य तक होनी चाहिए। स्वीकृत आवेदनों की संख्या केवल 9807 हैं। यह प्राप्त आवेदनों का लगभग 50 प्रतिशत है। लम्बित आवेदनों की संख्या 1253 हैं। धनराशि आबंटन आकड़ों के राज्यवार आकड़ों के बारे में कहना चाहता हूं कि उसके लिए अलग सूचना की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जयसिंह चौहान : प्रधान मंत्री योजना के तहत बैंक टास्क फोर्स द्वारा चयनित बेरोजगारो में से छंटनी कर जितने बेरोजगारों को ऋण प्रदान करना स्वीकार करते हैं उन सभी बेरोजगारों को जिला उद्योग केन्द्र संबंधित उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रशिक्षण सरकारी खर्चे पर दिलाता हैं और इन प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकार करने के बाद भी उन्हें ऋण नहीं दिये जाने के क्या औचित्य और कारण हैं? इस प्रकार सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले देश के बेरोजगार युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने एवं सरकारी रुपयों के दुरुपयोग के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार है। क्या इस दिशा में सरकार द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये गये है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में सरकार द्वारा इस दिशा में उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव हैं अथवा नहीं, यही मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार युवा वर्ग की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही हैं। प्रधान मंत्री रोजगार योजना सन 1990 में शुरू की गई थी। एक कार्य बल हैं जो लाभार्थियों का चयन करता हैं जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक इसके अध्यक्ष हैं प्रमुख बैंक और दो अन्य बैंकों, जिला रोजगार अधिकारी और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के प्रतिनिधियों को उनके साथ सहयोजित किया गया हैं। वे आई.टी.आई. से आये हुए विद्यार्थियों को कुछ प्रशिक्षण देते है। ऐसे विद्यार्थी और डिप्लोमा धारी इसके लिए आवेदन करते है। जो लोग शिक्षित हैं और जिनके पास तकनीकी योग्ताएं है उन्हें भी ऋण दिया जाता हैं।

यहां तक कि जिन विद्यार्थियों के पास दसवीं अथवा 10+2 की योग्ताएं हैं वे भी इसके लिए आवेदन करते हैं यह ऐसी योजना है जिसके लिए 1,00,000 रुपये तक की धनराशि ऋण दी जाती हैं *(व्यवधान)* इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता हैं।

यदि माननीय सदस्य कोई विशेष मामला भेजते हैं जहां युवा वर्ग को इसके अधिकारों से वंचित किया गया हो, यहां तक कि चाहे उन्होंनें प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, हम निश्चित रूप से इसका ध्यान रखेंगे इस पर बैंकों से बात की जाएगी कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें ऋण दें।

श्री मुरली देवरा : महोदय क्या मंत्री महोदय ने इसका एक कारण यह बताया हैं कि इस योजना के अन्तर्गत ऋणकर्ता की आय निर्धारित सीमा से अधिक होती हैं। इस सीमा से संबंधित सीमा की कुछ शिकायतें हैं कि यह अर्द्ध सीमा बहुत कम है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे वर्तमान, सीमा को बढ़ाने पर विचार करेगें।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : किस की सीमा?

श्री मुरली देवरा : ऋणी की सीमा यह कि ऋणी की आय इतनी होनी चाहिए। वह बहुत ही कम हैं।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : एक लाख?

श्री मुरली देवरा : अभिकतम नहीं हैं। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। आय एक लाख रुपए नहीं हो सकती *(व्यवधान)*

मैं उत्तर पढ़ रहा हूँ :

बैंक द्वारा ऋण आवेदनों को लौटाने के साथ-साथ कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ ये कारण शामिल हैं (1) योजना के तहत उधारकर्ता की आय निर्धारित सीमा से अधिक होना;

मैं आय सीमा के बारे में बात कर रहा हूँ जो उधारकर्ता को ऋण प्राप्त करने की पात्र बनाती है।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : यह 24,000 रुपये वार्षिक है। यह केवल लघु उद्योग विभाग ही है। नकि बैंक जिन्होंने यह सीमा रखी है। विभाग को सदस्य की भावनाओं से अवगत करा दिया जायेगा।

श्री मुरली देवरा : क्या आप उसे बढ़ायेंगे अथवा नहीं? *(व्यवधान)* क्या आप मेरा प्रश्न समझ रहे है? मैं ऋण की राशि के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि आय की वार्षिक सीमा के बारे में बात कर रहा हूँ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : लाभार्थी के परिवार के लिए सीमा अथवा उसकी आय की सीमा 24000 रुपए प्रति वर्ष है। माननीय सदस्य यह जानते हैं योजना का प्रशासन लघु उद्योग विभाग करता हैं जिसे मेरे साथी देख रहे हैं। हम बैंक से संबंधित कार्य को देख रहे है।

श्री मुरली देवरा : दिशा-निर्देश आपके मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : श्री मुरली देवरा ने सीमा के बारे में बात की हैं। मैं तो केवल सभा को यह बताना चाहता हूँ कि यह अति निर्धन लोगों के लिए है। यह कुछ ज्यादा नहीं हैं। इस ऋण की धनराशि किसी परियोजना के लिए एक लाख रुपये तक ही सीमित हैं। जैसा कि हमारे सर्वेक्षणों में दिखाया गया है, इस योजना से अधिकतम आय लगभग 2000 रुपये प्रति माह है। इसका अभिप्राय यह हैं कि यह उस सीमा से मिलती हैं जो हमने निर्धारित की है यह बड़ा ही गम्भीर सुझाव है जो इस योजना की प्रकृित के अनुरूप नहीं हो सकता हैं। हमने सुझाव नोट कर लिया है। हम इसे उद्योग मंत्रालय को भेज देंगे जो कि इसे देख रही हैं।

डा० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्योंकि रुपए का मूल्य कम हो गया हैं इसलिए आप इसे बढ़ा सकते है।

श्री पी०एस० गढ़वी : महोदय मैं दिए जाने वाले रोजगार के लिए निर्धारित लक्ष्य की जानकारी चाहता हूँ। वर्तमान लक्ष्य वास्तविक बेरोजगार युवाओं की संख्या की अपेक्षा काफी कम है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस लक्ष्य को बढाने की कोई योजना है।

उदाहरणत: गुजरात राज्य में वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के अंतर्गत रोजगार देने का लक्ष्य लगभग 8,500 था। परन्तु बेरोजगार युवाओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए यह योजना अपर्याप्त है। यह योजना उस प्रयोजन को पूरा नहीं करती जिसके लिए यह योजना बनाई गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस संख्या को बढ़ाया जा सकता हैं या नहीं।

दूसरी बात बैंकों द्वारा ऋण के आवेदनों को नगण्य कारणों पर रद्द कर दिया गया है जैसे कि "प्रस्तावित योजना व्यवहार्य नहीं हैं अथवा गैर-बैंककारी हैं"। बेरोजगार युवक 20,000 रुपये के ऋण के लिए आते हैं। इसमें योजना के व्यवहार्य होने या गैर-बैंककारी होने का प्रश्न कहां से आ जाता है? आवेदनों को ऐसे ही कारणों से रद्द करा जाता हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसी स्थिति में कोई सुधार कर रही है अथवा नहीं।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, लक्ष्यों के संबंध में प्रायोजकों में एकरूपता होनी चाहिए। आवेदनों को नगण्य कारणों से रद्द करने के प्रश्न पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह योजना अति निर्धन व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी। परन्तु यदि दो अलग-अलग मामलों में नगण्य कारणों से रदद कर दिया गया है, तो उचित होगा कि मैं ऐसे मामलों की जांच करवाऊं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत के गरीब लोगों की बेरोजगारी को खत्म करने के संबंध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके परिचालन से कुछ नयी समस्याएं, कुछ नई बातें आई हैं। मैं सुझाव के तौर पर कहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सिलसिले में एक सांसदों और अधिकारियों की बैठक बुलाकर जो दिक्कतें उत्पन्न हुई है, उनके बारे में कुछ गंभीरतापूर्वक विचार कर नियमों में परिवर्तन करें और अपने आदेश को बदले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिएं। अनेक सदस्य इस प्रश्न पर अपने-अपने पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : उसी के साथ में सवाल करना चाहता हूं कि जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से जब किसी बेरोजगार के लिए ऋण स्वीकृत हो जाता हैं जिसमें बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं लेकिन जब प्रार्थी की दरख्वास्त बैंक में जाती हैं तो बैंक अपनी तरफ से उसका ऋण निर्गत करने में काफी विलम्ब लगाता है। क्या माननीय मंत्री जी बैंकों को इस बात का निर्देश देंगे कि यदि अभ्यर्थी का चयन चयन-समिति कर ले तो उसको ऋण देना एक निश्चित अवधि के भीतर, जैसे एक महीने के भीतर लाजमी कर दिया जाए। उसी के साथ कृषको के बारे में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की हैं कि जिनके ऊपर बैंकों का कृषि संबंधी ऋण बकाया होगा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसी तरह से जो बेरोजगार नौजवान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत देनदार हैं, वसूली के नाम पर उनकी भी गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा कोई निर्देश देने का वचन आप देगें ऐसा मैं आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, समय सीमा के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि ऋणों की मंजूरी के लिए एक निश्चित समय सीमा है। 25,000 रु० तक की ऋण धनराशि के लिए समय सीमा एक पखवाड़े की है।

श्री मोहन सिंह : उस तरह से नहीं होता हैं ˙˙ *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष जी, बिना घूस दिए उन्हें रुपया नहीं मिलता है, उन्हें रुपया लेने के लिए घूस देनी पड़ती है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : गरीब लोगों को ऋण नहीं मिल रहा है (व्यवधान)

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि ऐसा कोई भी मामला हो जिसमें ऋण की मंजूरी देने में असाधारण विलम्ब हुआ हो तो वे मुझे उन मामलों की जानकारी दे सकते हैं।

श्री मोहन सिंह : ऐसे अनेक मामले हैं। वे रोज हमारे पास आ रहे हैं ˙˙ *(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, मैं माननीय सदस्यो की भावनाओं को महसूस करता हूं *(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों की बातों से इन्कार नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपसे यह आशा की जाती है कि आप इसका उत्तर दें।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : जी हां, महोदय मैं उत्तर दे रहा हूं। महोदय, ऋणों की मंजूरी के लिए समय सीमा है। 25,000 रु० तक के ऋण को एक पखवाड़े के भीतर मंजूरी देनी होती है। यदि कहीं पर कोई असाधारण विलम्ब हुआ हैं तो उसे ठीक किया जाना चाहिए और उसे ठीक किया जाएगा।

श्री कोनिजेटी रोसैया : कुछेक राज्यों ने प्रधान मंत्री रोजगार (पीएमआर वाई) की नकल पर नाम बदलकर कमोवेश इसी तरह की योजनाएं चला रहे हैं। उदाहरणार्थ, एक योजना मुख्य मंत्री युवा रोजगार कार्यक्रम या कुछ इसी तरह की है। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि पी०एम०आर०वाई के अंतर्गत दी जाने वाली निधियों का प्रयोग राज्यों द्वारा इन नयी नामों वाली योजनाओं के लिए किया जा रहा है। अथवा वे बिल्कुल पृथक योजनाएं है? मेरा सन्देह यह हैं कि ग्रामीण विकास निधियों को आंध्र प्रदेश में जन्म भूमि नायक जैसे कार्यक्रमों पर खर्च किया जा रहा हैं। इसी तरह, पी०एम०आर०वाई निधियों को भी मुख्य मंत्री रोजगार आश्वासन योजना पर खर्च किया जा रहा हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह एक पृथक योजना है?

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : पी०एम०आर०वाई योजना विशिष्ट रूप से बेरोजगार युवकों के लिए शुरू की गई थी ˙˙ *(व्यवधान)* सिर्फ नाम बदलकर पी०एम०आर०वाई योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों को दूसरी योजनाओं पर खर्च नहीं किया जा सकता। प्रधान मंत्री रोजगार योजना खासतौर से बेरोजगार युवकों के लिए शुरू की गई थी। माननीय सदस्य को भ्रम हो रहा हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रोसैया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इन योजनाओं को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के साथ मिलकर भ्रमित न हों। प्रधान मंत्री रोजगार योजना एक विशेष योजना है जिसका राज्य की निधियों अथवा राज्य की योजनाओं से कोई सरोकार नहीं हैं। राज्य की योजनाओं का वित्तपोषण मुख्यतया राज्यों द्वारा किया जाता हैं जबकि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के मामले में निधियों का आबंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं। दोनों के बीच स्पष्ट भेद हैं। प्रधान मंत्री रोजगार योजना का पैसा किसी भी अन्य योजना पर नहीं खर्च किया जा सकता।

श्री कोनिजेटी रोसैया : मुझे अपनी बात का उत्तर नहीं मिला *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। मंत्री जी द्वारा उत्तर में बताया गया हैं कि ऋणों की मंजूरी और संवितरण में विलम्ब की समस्या से निपटने के लिए बैंकों से कहा गया है कि बैंकों के जिला स्तरीय समन्वयकों को प्रमुख अनियमितताओं के मामलों की जांच करनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि ऐसे कितने राज्य हैं जहां अनियमितताएं हुई हैं। वहां ऐसे कितने मामले मिले हैं? क्या उन मामलों की जांच कराई गई हैं, यदि हां तो प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऐसे कितने युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : इन योजनाओं के अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा निर्धारित हैं। उदाहरण के लिए 25,000 रु० तक के ऋण के लिए समय सीमा एक पखवाड़े की है और 25,000 रु० से अधिक तक के ऋण के लिए समय सीमा आठ से नौ सप्ताह की है। मैं नहीं कहता कि विलम्ब बिल्कुल नहीं होता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 550 ऐसे मामले हैं जिसमें विलम्ब की अथवा अन्य शिकायतें हैं। हमें निगरानी करने की आवश्यकता हैं। हम इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि स्थिति में सुधार किया जा सके।

[हिन्दी]

डा० शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जो ऋण स्वीकृत होता हैं, उसके लिये पहले प्रावधान यह था कि यदि 100 व्यक्तियों को ऋण देना हो तो 200 व्यक्तियों का सिलेक्शन किया जाता था। मैं और जगह की तो बात नहीं करता परन्तु अपने क्षेत्र मधुबनी में यदि 100 लोगों को ऋण देना हैं तो 200 लोगों के नाम स्वीकृत किये जाते थे तथा बैंकों को भेज दिए जाते थे। अब यह बैंको के मैनेजर पर डिपेंड करता था कि जो उनको खुश कर दे, उसे ऋण स्वीकृत कर दिया जाता था। अब यह संख्या घटाकर 150 कर दी गई हैं यानि यदि 100 लोंगों को ऋण देना हो तो 150 लोगों के नाम रिकमेंड किये जाते हैं मैं मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह प्रावधान समाप्त किया जाये। यदि 100 लोगों को ऋण देना हो तो केवल 100 लोगों के नाम चयनित किये जायें। मैंने लोगों से पूछा तो मुझे बताया गया कि आपके पदाधिकारी टारगेट पूरा करने के लिये ज्यादा नाम दे देते है। मेरा सुझाव हैं कि एक वेटिंग लिस्ट बना दी जाये · · *(व्यवधान)* मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप टारगेट बदलेंगे। अगर 100 लोगो को ऋण देना हो तो 100 लोगो के नाम ही स्वीकृत करके बैंक में भेजें। मेरा आग्राह हैं कि सिन्हा साहब इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दें क्योंकि पहले दिये गये उत्तर सदन की समझ में नहीं आ रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जब से योजना शुरू हुई, तब से उपलब्धि के आंकड़े हमारे पास है। उसके अनुसार 1995-96 में 81.14 परसैंट, 1996-97 में 67.90 परसैंट और 1997-98 में 69.64 परसैंट उपलब्धि हुई।

डा० शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल दूसरा हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं आपका सवाल समझता हूं। आप एक मिनट धीरज रखिए। माननीय सदस्य का यह सुझाव हैं कि यदि 100 लोगों को ऋण देना हैं तो 100 लोगों की एप्लीकेशन्स ली जाएं।

डा० शकील अहमद : आप उतने ही स्वीकृत करें।

श्री यशवंत सिन्हा : जो स्वीकृत होती हैं, उनको थोड़ा ऊपर करके इसलिए रखा जाता है कि कुछ ऋण की दरख्वास्तें कई कारणों से रिजैक्ट हो जाती हैं। इसकी गाइडलाइन्स बनी हुई हैं।

डा० शकील अहमद : मैं सिलैक्शन के बाद की बात कर रहा हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : एप्लीकेशन रिसीव करते समय इस सुझाव को मानना सम्भव नहीं है। *(व्यवधान)*

डा० शकील अहमद : अगर 100 लोंगों को ऋण देना हैं तो 150 लोगों की सूची बैंक में भेज दी जाती है। · · *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा नहीं हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री यशवंत सिन्हा : हमारा आधिक संख्या में भेजना इसलिए आवश्यक हैं कि हम लोगों के पास ऐसे केसिज आए है, जहां खुद बैनिफिशियरी ने बाद में ऋण लेने से मना कर दिया।

डा० शकील अहमद : आप वेटिंग लिस्ट बना दीजिए। (व्यवधान) आप यह चीज बैंक मैनेजर पर छोड़ देते है।· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को बीच में टोकना अच्छी बात नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : मैं यह सुझाव मानने के पक्ष में नहीं हूं। *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चार्च करायी जाए। · · *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं जब सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं फिर आप क्यों आधे घंटे की चर्चा मांग रहे हैं? · · *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करना चाहते हैं। · · *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि समय अनुमति देगा तो मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं

\+
***343. श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्ग में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इन समस्याओं के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने आधारभूत सुविधाओं के संबंध में कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या हैं; और

(च) देश में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए सरकार द्वारा स्वदेशी और विदेशी निवेशकों के लिए क्या भूमिका निर्धारित की गई हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) (क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) यथेष्ठ और उच्च स्तरीय आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता तीव्र समग्र विकास हेतु जरूरी समर्थकारी वातावरण मुहैया कराती है। सुदृढ़ आधारभूत सुविधाओं की बढ़ती हुई आवश्यकता को समझते हुए और स्तरीय आधारभूत संरचना की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार सरकारी निवेश के सम्पूरक के रूप में पत्तनों, सड़कों, विद्युत, दूर-संचार, शहरी बुनियादी ढांचा आदि में आधारभूत संरचनात्मक सेवाओं के और अधिक गैर सरकारी प्रावधान को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ तैयार करने की दिशा में प्रयासरत हैं। बड़ी संख्या में कर प्रोत्साहनों और अन्य रियायतों की घोषणा की गई है और आधारभूत संरचनात्मक सेवाओं में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए विनियमों और कार्य प्रणालियों को काफी अधिक सरल बनाया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने आधारभूत ढांचा क्षेत्र में विद्यमान कानूनी ढांचे की पुनरीक्षा करने, आधारभूत ढांचा सम्बन्धी परियोजनाओं के वित्तपोषणा में सरकारी-निजी भागिदारियों को सुसाध्य बनाने और दीर्घावधिक बचतों को आधारभूत ढांचा निवेश का माध्यम बनाने के लिए पूंजी बाजार के विकास हेतु सिफारिशें करने के लिए अक्टूबर, 1994 में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के वाणिज्यिकीकरण सम्बन्धी विशेषज्ञ दल का गठन किया। विशेषज्ञ दल ने जून, 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आधारभूत संरचना में विशाल निवेशों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और सरकारी निवेश के संपूरण के लिए निजी भागीदारी की आवश्यकता जताई गई हैं। विशेषज्ञ दल ने शहरी आधारभूत संरचना, औद्योगिक पार्कों, विद्युत, पत्तन, सड़कों और दूरसंचार जैसे चुनिन्दा प्रमुख क्षेत्रों में नीतिगत सुधार सुझाए है।

(ङ) विशेषज्ञ दल की कुछ सिफारिशें पहले ही अमल में लाई जा चुकी हैं। इनमें आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी का गठन, शेयरधारकों के कब्जे में लाभाशों पर कर की समाप्ति, अंत: बैंक ऋणों पर नकदी प्रारक्षित अनुपात और सांविधिक नकदी अनुपात की समाप्ति, विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऋण बाजार में भागीदारी की अनुमति, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और प्रमुख पत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना शामिल है। राष्ट्रपति ने 2 जुलाई, 1998 को बिजली विनियामक आयोग विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(च) भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों की भागीदारी को विभिन्न उपायों द्वारा प्रोत्साहित किया गया हैं जिन में अब तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए अनुमति प्रदान करना, कोयला, लिग्नाइट और पैट्रोलियम उत्पादों को लाइसेंस मुक्त करना और खनन सेवाओं, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन गैर-परम्परागत ऊर्जा व भूमि तथा जल परिवहन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 74 प्रतिशत तक स्वत: विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति देना शामिल है। आधारभूत संरचना के दायरे के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जा रही हैं तथा विद्युत, तेल उत्खनन और सड़क निर्माण में निर्माण-प्रचालन-स्थानान्तरण आधार पर शत प्रतिशत विदेशी इक्विटी अनुमेय है। इस के अतिरिक्त, आधारभूत परियोजनाएं करावकाश और रियायती शुल्क जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों का लाभ उठाने की पात्र है।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर जो विवरण रखा है, उसमें बताया है कि 1994 में जो विशेष कार्य योजना बनी थी, उसने जून 1996 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के तहत मैं जानना चाहूंगा कि उसने जिन-जिन मुद्दों पर सुझाव दिए, क्या वे अभी कागज पर है या कार्य रूप में लाने के लिए अमल में लाए जा रहे है ? आपने स्वीकार किया हैं कि वे कार्य रूप में परिवर्तित किए जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्हें कार्य रूप में परिवर्तित किया जा रहा हैं या कागज में है ? दूसरा, विशेष कार्य दल ने कितनें सुझाव दिए?

दूसरा, क्या उसके लिए कोई सीमा निर्धारित की गई हैं कि जो सुझाव हैं, इतनी अवधि तक उनको पूरा किया जा सकता है?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, सवाल के खंड ई में हमने साफ शब्दों में कहा हैं कि क्या-क्या काम हम लोगों ने किये है, जो माननीय सदस्य के पास उपलब्ध हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जो समिति ने 1996 में सुझाव दिये, उसमें अनेक सिफारिशों पर कार्रवाई पिछली सरकार और इस सरकार के द्वारा की जा चुकी हैं। हम लोगों ने कंपनीज को, प्रोमोटर्स की ऐक्सटर्नल कौमर्शियल बॉरोइंग्ज के बारे में यह कहा हैं—

[अनुवाद]

प्रतिस्थापित संयुक्त उद्यमों में 50 मिलियन डालर की साम्य है। विदेशी व्यावसयिक ऋणों को आधारभूत सरंचना के क्षेत्रों में रुपये में व्यय के उपयोग की अनुमति दी गई। आधारभूत सरंचना विकास वित्त कम्पनी ने अपनी साम्य पूंजी सुदृढ़ की हैं। भारतीय दूर-संचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूंजी-आधार में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पथकर और अन्य संबंधित विषयों की घोषण की गई है। प्रमुख पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण भी स्थापित किया गया हैं। हाल ही में पारित विद्युत नियामक आयोग विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

[हिन्दी]

इसलिए ऐसा नहीं है और हम लोगों ने, जितनी सिफारिशें आई थी, उन पर गंभीरता से विचार करके कार्रवाई की है।

श्री हरिकेवल प्रसाद : मंत्री जी ने कहा हैं कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उसके तहत निवेश के लिए प्रोत्साहित किया हैं। मैं जानना चाहता हूं कि परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका सहित अनेक देशों ने जो प्रतिबंध लगाया हैं, उसके लिए आपने क्या ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे यह निवेश होगा?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंधों का प्रश्न है, सारा सदन जानता है कि प्रतिबंध सिर्फ

अमेरिका ने लगाए हैं, दूसरे किसी देश ने इस देश के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए है और अमेरिका में प्रतिबंधों पर क्या हो रहा हैं, इससे भी सदन परिचित हैं। मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहूंगा कि एक भी इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इस देश में लगने वाला है, वह इन प्रतिबंधों के असर से पीछे नहीं छूटेगा। हर इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करके हम इस देश में दिखाएंगे। *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष जी, हम प्रश्न नहीं पूछ रहे है। हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्वश्चन अवर हैं। इसमें सिर्फ प्रश्न पूछना है।

श्री लालू प्रसाद : अभी तक सीट का अलॉटमेंट कि कौन कहां बैठेगा, मालूम नहीं हुआ है। तीन महीने हो गए हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्वश्चन अवर हैं। आप बैठिये।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आधारभूत सुविधाएं वह होती हैं जो किसी देश के विकास के लिए आवश्यक होती हैं और नागरिकों की सुविधाओं के लिए अत्यावश्यक होती है। जब कभी आधारभूत सुविधाओं की मांग की जाती हैं तो सरकार का उत्तर होता है कि पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, जबकि बैंकों के ऋण उद्योगपति लौटा नहीं रहे है। उत्पादन शुल्क कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बकाया है, आयकर भी लोग नहीं दे रहे है। अगर आकलन किया जाए तो यह बकाया राशि कई करोड़ रुपये में होगी। भ्रष्टाचार के कारण भी हमारा राजस्व जितना हम चाहते है, उतना नही मिल पा रहा है।

मान्यवर, मै आपसे जानना चाहूंगा कि आधारभूत सुविधा क्या हैं? जब आप बेरोजगारों की बात करते है, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश से बेरोजगारी कैसे दूर होगी। क्या आपके विचार में बेरोजगारों और गरीबों को दूर करने की मंशा है या गरीबी को दूर करने की मंशा है? जब बैंक ऋण देता हैं, अभी सवाल उठा हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रसाद, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : अध्यक्ष महोदय मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजाम क्या हुआ है, मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, असल में कठिनाई यह हैं कि सदस्य महोदय ने आज के क्वैश्चन नंबर-दो, दोनों को मिलाकर सवाल किया है। सवाल नंबर-एक हो चुका हैं। उसके बावजूद भी मै उनको सूचित करना चाहूंगा कि सरकार निरंतर प्रयास कर रही हैं कि जितना राजस्व हमें विभिन्न करों के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए, वह हमें प्राप्त हो और उसके लिए जैसा मैंने कहा जो उचित कदम हमें उठाने हैं वे उचित कदम हम उठा रहे है। लेकिन सरकार तो खर्च करती ही हैं, उसके अलावा हमने निजी क्षेत्र को भी यह सुविधा दी हुई हैं कि विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वे आयें और अपनी-अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करें। हालांकि इस देश की जो आधारभूत ढांचे की आवश्यकता हैं उसकी तुलना में प्रति वर्ष जो साधन हम लगाते रहे हैं वे पूरे नहीं है, फिर भी निरंतर हमारा प्रयास यह हैं कि उन साधनों को इकठ्ठा करके सही ढंग से सही आधारभूत ढांचा बनाने का हम प्रयास करें, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : उसके उचित मानक क्या हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि वे सरकार की इस मंशा की पुष्टि कर रहे हैं कि यह आधारभूत संरचना संबंधी रिपोर्टों की पूर्ण रूप से हिमायती हैं और वह इन्हें लागू करने के लिए गंभीर है।

मैं उनको इस समिति की कुछ और सिफारिशें लागू करने के लिए वित्त विधेयक में अनेक कदम उठाये जाने के लिए भी बधाई देता हूँ। परन्तु मैं उनका ध्यान इस वित्त विधयेक की धारा 10 (23छ) में प्रस्तावित एक संशोधन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। क्या उनका ध्यान उस ओर गया हैं? क्या उन्हें इस संशोधन से उठे विवाद की जानकारी हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि इनके जो परिणाम निकल रहे हैं वे साधारण नहीं हैं, परन्तु ये परिणाम अत्यन्त विनाशकारी हैं। परन्तु उन्हें सत्ता पक्ष--और विपक्ष में बैठे अपने मित्रों से यह पूछना चाहिए जो उन्हें यह बतायेंगे कि अच्छी तरह विचार किए बगैर प्रस्तुत किये गए संशोधन के अनचाहे अंजामों के प्रति उद्योग किस प्रकार से खिलाफ हैं। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री सभा को और अपने दोनों ओर बैठे साथियों को यह आश्वासन दें कि उन्हें इस विवाद की जानकारी हैं और वे स्वीकृति हेतु वित्त विधेयक को पेश करते समय इसका समाधान करेंगें।

श्री यशवन्त सिन्हा : बजट में विशेषकर आधारभूत संचरना के क्षेत्र में हमारे द्वारा किये गये प्रयासों पर माननीय सदस्य द्वारा मुझे दी गई बधाई के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस प्रश्न से थोड़ा आगे चलकर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आधारभूत संरचना में संवर्धन के लिए हमने वित्त विधेयक में कुछ प्रयास तो किये ही है साथ ही इस बजट में आधारभूत संरचना के लिए आबंटन में 35 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई हैं और मुझे पूरा विश्वास हैं कि माननीय सदस्य को इसकी जानकारी हैं। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में यह 2.7 प्रतिशत था और हमने इसे इस वर्ष के बजट अनुमान में बढ़ाकर 35.1 प्रतिशत कर दिया हैं। पिछले वर्ष इस मद में काफी कम व्यय हुआ।

माननीय सदस्य और मेरे दोनों ओर बैठे मित्रों ने धारा 10 (23) (छ) की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया हैं। इस ओर अन्य लोगों ने भी मेरा ध्यान खींचा हैं। मैं उन अभ्यावेदनों पर विचार कर रहा हूँ और वित्त विधेयक की चर्चा के समय मैं उनके उत्तर दूँगा।

श्री पी० चिदम्बरम : संशोधन।

श्री हन्नान मोल्लाह : वर्ष 1991 से सभी सरकारें विदेशी तथा स्वदेशी दोनों प्रकार के गैर--सरकारी निवेशकों को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रही है।

उन्हें अनेक कानूनी लाभ भी दिए गए हैं फिर भी इस क्षेत्र में किया गया निवेश बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है। मैं वास्तव में यह जानना

चाहता हूँ कि मंजूरी के लिए कितनी और कितनी धनराशि की परियोजनाओं का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है।

दूसरी बात यह हैं कि हमारे आधारभूत संरचना के शीघ्र निर्माण में लागतवृद्धि एक प्रमुख समस्या है। निर्धारित समय के भीतर निर्माण–कार्य पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं? प्रनश्च निर्धारित समय में परियोजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए। अत: ये दो प्रश्न है।

माननीय मंत्री ने अमेरिकी, प्रतिबंध का उल्लेख किया है। परन्तु जापान ने कुछ आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए धनराशि देने से इंकार किया हैं। मै यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी।

श्री यशवन्त सिन्हा : सर्वप्रथम मैं प्रश्न के अतिंम भाग की चर्चा करना चाहूंगा। जापान के ओ.आई.सी.एफ की सूची में हमारा अलग प्रश्न है और इस प्रश्न पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं की मंजूरी भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों से लेनी पड़ती है और ये मंत्रालय अपनी–अपनी मंजूरी देते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होगें हमने हाल ही मैं एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया है। उदाहरण के लिए 15,00 करोड़ रुपये तक की विदेशी भागीदारी सहित विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है। अत: ऐसे प्रयास तथा शक्ति का इस प्रकार से विकेन्द्रीकरण अनवरन किया जा रहा हैं ताकि निर्णय लेने में देर न हो।

अब मैं उनके प्रश्न के अगले भाग पर आता हूँ। हमारा यह अनुभव रहा हैं कि निर्णय लेने में हम इतना अधिक समय लगा देते हैं कि मंजूरी के दौरान ही बड़ी परियोजना की परियोजना लागत काफी बढ़ चुकी होती है। अत: हम समय पर परियोजनाओं की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को लगातार सरल बना रहे हैं। महोदय, सभा को विश्वास में लेते हुए मैं कथित फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा। मेरे मित्र, माननीय विद्युत मंत्री ने यह बार–बार कहा हैं कि फास्ट ट्रैक परियोंजनाएं शर्मनाक स्थिति हैं क्योंकि वह पांच वर्षो से लम्बित है। महोदया, आपके माध्यम से मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि हाल ही में मैंने राज्य सरकारों आई.पी.पी. और अनेक संबद्ध मंत्रियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर एक बैठक आयोजित की थी। हम सभी ने एक साथ बैठकर लम्बित मामलों को सुलझाने तथा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक शीघ्र शुरू करने को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यह पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि हम सभी विद्युत परियोजनाओं को इस महीने के अंत तक मंजूरी और काउंटर गारंटी प्रदान करेंगे इस प्रकार हम अपना कार्य कर रहे है। हमारे पास हर बार ऐसा मामला आता है जिसमें समय ज्यादा लग जाता हैं अथवा उसकी लागत ज्यादा हो जाती हैं और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए ओर दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जाए ताकि परियोजना में कम से कम विलम्ब हो।

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, इनकी पॉलिसी और नीतियों की वजह से देश के उद्योगों की दो सालों से बहुत बुरी हालत हो गई है। देश में दो सालों में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं लगा और जो लगे हुए हैं, वे भी बंद होने के कगार पर खड़े हैं। उनकी बहुत बुरी हालत हैं। क्यों हैं? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत बुरी हैं।
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा न करें।

(व्यवधान)

श्री भजनलाल : मैं जानता हूं, हमने किया है। तुमने नाश किया, हमने काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में बिजली की हालत, सड़कों की हालत और उसके अलावा आप दुनिया में कही जाये, चाहे यू.एस.ए. है, यू.के. है, वहां की अपनी इंडस्ट्री को प्रोटैक्ट करने के लिए एण्टी डंम्पिग ड्यूटी लगाई जाती है, जो हमारे देश में नहीं हैं। उसके बगैर जो स्वदेशी का नारा सरकार लगाती रहती है कि यहां स्वदेशी अपनाना चाहिए, आज इनका स्वदेशी कहां गया? *(व्यवधान)* बाहर की कम्पनियों को प्रोत्साहन देकर देश की जितनी कम्पनियां है, उनकी इतनी बुरी हालत हो गई हैं कि उन पर रहम आता है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप देश के अन्दर एण्टी डंम्पिग ड्यूटी लगाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, बिजली के बारे में, सड़को के बारे में जो एक ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। आप जानते है कि इस देश की गाड़ी के दो चक्के हैं, एक उद्योग और एक कृषि। कृषि के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं कि क्या एण्टी डंम्पिग ड्यूटी लागू करेगे और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, सिर्फ सप्लीमेंटरी पूछिये।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया हैं और मेरे जो माननीय मित्र और पूर्वाधिकारी, जो वित्त मंत्रालय में मंत्री थे, चिदम्बरम जी, वे शायद इस बात को कहने में हिचकते, क्योंकि इनके समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी, लेकिन मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि भजन लाल जी ने जिस गर्दिश की ओर इशारा किया हैं, आज जो उद्योगों की ओर आधारभूत ढ़ाचे की हालत हैं, उसकी नींव कांग्रेस शासन के अन्तिम वर्ष में रखी गई थी। इनकी नीतियों के चलते जो आर्थिक मंदी आई, उसका दौर शुरू हुआ, वह श्री चिदम्बरम के दो साल के कार्यकाल में अपनी गिरफ्त और बहुत मजबूत करती गई। आज इसीलिए सरकार ने इस साल के बजट में ऐसे अनेक प्रावधान किये है, जिनसे उद्योगों को और विशेषकर आधारभूत ढ़ाचे को गति मिल सके। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से यह गति इस देश की अर्थव्यवस्था को प्रदान करेंगे।

भजन लाल जी ने चूंकि यह प्रश्न उठाया, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि वे बहुत वरिष्ठ है, इस देश के वे कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके है, एण्टी डंम्पिग का सवाल हालांकि इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एण्टी डंम्पिग के प्रावधान है और हाल के दिनों के कई ऐसे उदाहरण है, जहां एण्टी डंम्पिग लगाई गई है। जब भी हम महसूस करते हैं कि हमारे देश में जो आयात हो रहा हैं, वह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम पर हो रहा हैं तो हम एण्टी डंम्पिग ड्यूटी उसपर लगाते है।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, भाषण नहीं, मैं उनसे सिर्फ प्रश्न कर रहा हूं।

महोदय, आधारभूत संरचना बिजली, पानी और सड़कों के निर्माण के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नई सरकार ने ऐसी नीति बनाई है, जिसमें जहां कोयला उत्पादन करने वाले जो राज्य है, जहां कोलपिट हैं, उस स्थान पर सरकार ने कोई इरादा पावर प्लांट पिटहैड पर लगाने का किया है? इससे कोयले का उत्पादन होगा और नेशनल ग्रिड से बिजली हम दूसरे राज्यों को दे सकते है। इस बिन्दु पर क्या कोई सोच हुआ कि नहीं? दूसरा, इसी से सम्बन्धित हैं मंत्री जी हजारीबाग से आते है।

झरिया, धनबाद और रानीगंज में बरसों से फायर इनसाइड हो रही हैं, आग लगी हुई है। देश की कीमती प्रोपर्टी कोयला जल रहा है। इसी तरह से मिथेन भी जल रही हैं। जो प्योर कुकिंग गैस हैं। जब आप इरादा बनाकर राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि आप पावर प्लांट लगाइए, क्या सरकार विदेशी कम्पनीज को वहां पावर प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित करेगी.

अध्यक्ष महोदय : लालू जी आप भाषण दे रहे हैं, सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री लालू प्रसाद : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मंत्री जी का मार्गदर्शन कर रहा हूं।

संसदीस कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): लालू जी, यह आम सभा नहीं है, लोक सभा है।

श्री लालू प्रसाद : मुझे मालूम है, मैं आपसे पहले 1972 से यहां आया हूं। केन्द्र में जो फारेन इंवैस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड हैं, यह एक प्रकार का फांसीघर है। यहां से कोई प्रोजेक्ट क्लियर नही होता और राज्य इस कारण पंगु बने हुए हैं। फारेन इंवैस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड को खत्म करके राज्यों को प्रमोट करने के लिए आपने कौन सा सुलभ तरीका अपनाया हैं और झरिया, धनबाद और रानीगंज में जो आग लगी हुई है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए आप क्या कर रहे है?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, लालू जी ने अपने सप्लीमेंटरी प्रश्न 'क' में बहुत बुद्धिमानी की बात कही है, सदन को इसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या कोल पिटहैड पर पावर प्लांट लगाने की बात सरकार सोच रही है या नहीं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में गम्भीरता से सोच रही हैं और हम यह नीति तय कर चुके है;

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने पहले ही इसकी सिफारिश कर दी है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : ठीक है, उन्होंने भी रिकमंड किया है, बहुत सारे अक्लमंद एक तरह से सोचते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : तो क्या आप लालू जी को अपनी कैटेगरी में मानते है?

श्री यशवंत सिन्हा : लालू जी को मैं बहुत अक्लमंद मानता हूं, उन्होंने बहुत सयाने सुझाव दिए हैं।

श्री लालू प्रसाद : पहले अक्ल नहीं थी, अब लोगों से सीख ली है।

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : इसलिए राबड़ी देवी को बिहार का मुख्य मंत्री बनाया हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : इन्होंने यह भी कहा कि वे मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं उनके मार्गदर्शन में चलता रहा हूं और आगे भी चलता रहूंगा। सिर्फ मुख्य मंत्री अपनी पत्नी को नहीं बनाऊंगा। *(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारी नीति हैं और इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए बजट में हम लोगों ने तरह–तरह के उपाय किए है, जिसमें वह उपाय भी हैं कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बकाया एन.टी.पी.सी. और कोल इंडिया पर है, उसके लिए किसी तरह से दस हजार करोड़ रुपये का फायदा उठाकर, मार्केट से ऋण लेकर इन उपक्रमों को इस योग्य बनाएं के वे जल्दी से जल्दी इस तरह की योजनाएं लगा सकें, वह हम करने जा रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि झरिया, रानीगंज और धनबाद इत्यादि स्थानों पर आग लगी हुई हैं। मुझे याद पड़ता हैं कि इसी सदन में कोयला राज्य मंत्री ने इसी प्रश्न के ऊपर वृहद चर्चा की थी। यह मामला कोयला मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, लालू जी को इसका पूरा ज्ञान है कि वहां क्या हो रहा है,उस पर चिंता प्रकट हो चुकी हैं। जो कुछ करना है, वह हम कर रहे है। मिथेन जल रही है, वह आज से नहीं, तीन महीने से नहीं, बल्कि बरसों से जल रही हैं। उसके ऊपर नियंत्रण पाना आवश्यक है। उसके लिए आवश्यक कदम वर्तमान सरकार उठाएगी।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों को आयकर में छूट

***344. श्री सी० गोपाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन समिति के माध्यम से कितने स्वैच्छिक संगठनों को आयकर से छूट प्राप्त हुई;

(ख) उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे संगठनों द्वारा धनराशि के उपयोग की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा तंत्र अपनाया गया है;

(घ) क्या स्वैच्छिक संगठनों के चयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के किसी अधिकारी को राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन समिति में शामिल किया गया हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनम) : (क) वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन समिति की सिफारिशों पर अनुमोदित किए गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या 100 है।

(ख) उनके राज्य-वार ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :-

राज्य	संख्या
असम	2
आन्ध्र प्रदेश	5
बिहार	1
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	4
गुजरात	30
केरल	1
कर्नाटक	7
मणिपुर	3
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	26
नागालैंड	2
राजस्थान	2
तमिलनाडु	7
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	6
	100

(ग) अनुमोदित सस्थानों को अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में पृथक लेखा परीक्षित लेखे रखने होते हैं और राष्ट्रीय समिति को हर छ: मास के पश्चात स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। सचिवालय के अधिकारी कुछ मामलों में मौके पर भी जांच करते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सी० गोपाल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1997-98 के दौरान सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण प्रोत्साहन संबंधी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 100 स्वैच्छिक संगठनों को केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने एक विस्तृत राज्यवार विवरण दिया है। हम पाते हैं कि गुजरात तथा महाराष्ट्र में क्रमश: 30 तथा 26 स्वैच्छिक संगठन है। अन्य राज्यों में मंजूरी प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कम है तथा कतिपम राज्यों में ऐसा कोई संगठन नहीं है। ये स्वैच्छिक संगठन गरीब व्यक्तियों विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब व्यक्तियों की सेवा कर रहे हैं। अत: महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन संगठनों की राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर मुक्त किया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह राष्ट्रीय समिति क्या है। इसका गठन किस प्रकार किया जाता हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं तथा क्या इसका कोई सभापति भी होता हैं।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, इस समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से किया जाता हैं। इसमें 14 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति सार्वजानिक जीवन से जुड़े प्रख्यात व्यक्तियों में से की जाती हैं तथा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायतमूर्ति श्री आर.एस. पाठक इस समिति के सभापति हैं। यदि आप चाहें तो मैं अन्य सदस्यों के नाम भी पढ़ सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह आवश्यक नहीं हैं।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : जहां तक महाराष्ट्र और गुजरात में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या अधिक होने का प्रश्न है, इसका कारण यह हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक धन हैं। वहाँ करदाताओं की संख्या अधिक है और स्वैच्छा से भी अधिक संख्या में लोग धन देते है। लेकिन अन्य राज्य गरीब हैं। इसका यही उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल, कृपया यह ध्यान रखें कि यह प्रश्न स्वैच्छिक संगठनों को आयकर घूस दिए जाने से संबंधित हैं।

श्री सी० गोपाल : जी हाँ, महोदय।

महोदय, लोग स्वैच्छा से आते हैं और इन संस्थानों को चला रहे है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन 100 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कितनी धनराशि जमा करायी गई हैं तथा इन्हें आयकर के रूप में कितनी धनराशि की छूट दी गई हैं।

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, परियोजनाओं की कुल लागत 1,94,495 करोड़ रुपए है तथा 31 मार्च 1998 तक 172 करोड़ रुपए की धनराशि चन्दा स्वरूप प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

श्री मोती लाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1997-98 में आपने जिन राज्यों का अभी उल्लेख किया है, उनमें सौ ऐसे आर्गेनाइजेशस हैं जिन्हें इंकम टैक्स की छूट दी गई है। 1997-98 से संबंधित अन्य जो राज्य इसमें नहीं है, वे कौन से राज्य थे जिनके आवेदनों को आपने मंजूर नहीं किया?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन : महोदय, मुझे इसके लिए अलग से नोटिस की आवश्यकता हैं लेकिन समिति द्वारा 578 संगठनों की सिफारिश की गई है।

श्री मोती लाल वोरा : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कई राज्यों का उल्लेख करते हुए 100 संगठनों की सूची दी है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि कितने राज्यों को इस सूची में शामिल किया गया हैं और इन पर क्यों विचार नहीं किया गया हैं

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, हमें वर्ष 1997-98 में कुल 166 आवेदन प्राप्त हुए थे, इसमें से राष्ट्रीय समिति द्वारा 116 आवेदनों की वित्त मंत्रालय की मंजूरी हेतु सिफारिश की गई तथा इसमें से कुछ धनराशि आबंटित की गई। अत: 50 आवेदनों की सिफारिश नहीं की गई।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वयंसेवी संगठनों को संबंधित समिति द्वारा जो धन आंबटित होता हैं वे स्वयंसेवी संगठन क्या काम करती है, मैं समझता हूं कि उसकी जानकारी वित्त मंत्रालय को जरूर दी जाती होगी। मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर, भदोही में "बचपन बचाओ" आंदोलन वाले लोग दुनिया के दूसरे देशों में कालीन उद्योग को नष्ट करने का दुष्प्रचार करते हैं। वे "बचपन बचाओ" आंदोलन के नाम पर स्वयं सेवी संगठन बना कर वित्त मंत्रालय से भी पैसा लेते हैं और दुनिया के दूसरे देशों से भी पैसा लेते हैं। *(व्यवधान)* महोदय, मैं ठीक कह रहा हूं, यह इससे संबंधित सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि उस स्वयं सेवी संगठन को दूसरे देशों से कितना पैसा मिलता है और अपने देश से उन्हें जो पैसा मिलता हैं उसका सदपुयोग होता है या नहीं?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, सरकार को सारी जानकारी हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्कीम के तहत, व्यवस्था के तहत हम पैसा नहीं देते। बहुत सारे चेरिटेबल ट्रस्ट्स हैं या दूसरे संगठन हैं, जिनमें पब्लिक सैकट अंडर टैकिंग्स भी हैं, जो सामाजिक कार्य करना चाहते हैं और उस कार्य को करने के लिए या तो वे स्वयं अपना धन लगाते हैं या दूसरों से पैसा इकट्ठा करके, उस धन को काम में लगाते हैं। इंकम टैक्स एक्ट के तहत व्यवस्था केवल इतनी है कि वे जो धन इस काम में लगाते है। उस पर हम इंकम टैक्स की छूट देते है। अभी हमारे राज्य मंत्री जी ने उसका आंकड़ा आपको दिया है। हमने एक कमेटी बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसके अध्यक्ष है तथा अनेक गणमान्य लोग उसके सदस्य हैं, उस कमेटी का उद्देश्य यह है कि वह पूरी छानबीन करे और किसी गलत संस्था को कोई भी इस प्रकार की छूट न दें। वह जो सिफारिश करती है और वित्त मंत्रालय में हम उस पर विचार करके निर्णय लेते हैं। इसलिए इस व्यवस्था के तहत किसी प्रकार के धन के दुरूपयोग की संभावना नगण्य है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने जानकारी चाही थी कि उनको विदेशी धन कितना मिलता हैं? साथ ही साथ जिस समिति के बारे में आपने कहा, उस समिति में रहने वाले लोगों के संबंधी ही ऐसे स्वयंसेवी संगठन चलाते हैं, क्या इसकी जानकारी आपको हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : इसमें उन लोगों से संबंधित भी जो इस समिति से सदस्य हैं बहुत कठोर नियम बने हुए है। जहां तक विदेशी धन का सवाल हैं, हम सब जानते हैं कि उसके लिए अलग से कानून हैं जिसकी निगरानी गृह मंत्रालय करता है और गृह मंत्रालय उन सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के ऊपर नजर रखता है जो विदेशी धन के आधार पर अपना कार्य चलाती हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) **:** सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में आपको क्या कहना हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : सामूहिक जिम्मेदारी से मैं इंकार नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्रालय उस पर पूरी नजर रखता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

***345. प्रो० चमन लाल गुप्त :**
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग को पुरानी हो गई प्रौद्योगिकियों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे वस्त्र उद्योग के समग्र कार्यकरण और भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का हैं;

(घ) यदि हां, तो उन एजेन्सियों के नाम क्या हैं, जो ऋण प्रदान करती हैं; और

(ङ) क्या जम्मू–कश्मीर में कठुवा को वस्त्र नगर घोषित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) जी हां। जबकि कताई क्षेत्र में स्वतः आधुनिकीकरण के लिए कुल मिलाकर के कदम उठाए हैं, फिर भी बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्र प्रौद्योगिकीय रूप से पीछे हैं। मिश्रित मिलें ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हैं। बुनाई, प्रसंस्करण तथा परिष्करण क्षेत्रों को आधुनिकीकरण की कमी से घाटा हो रहा हैं। जबकि भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर प्रौद्योगिकीय उन्नयन की कमी के कारण उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन हैं, फिर भी यह सही हैं कि भारत हाल ही के वर्षों में वस्त्रों और क्लोदिंग के क्षेत्र में विश्वव्यापी बाजार में अपने अशंदान को 3% से अधिक नहीं बढ़ा पाया हैं।

(ग) और (घ) वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकीय उन्नयन द्वारा आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए एक प्रस्ताव बनाया जा रहा हैं। इसका अभीष्ट उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना हैं ताकि इसे अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। ऐसा प्रस्ताव हैं कि वस्त्र उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों को ब्याज प्रोत्साहन के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाए। पात्र एकक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों से ऐसे ऋण प्राप्त कर पायेंगे। वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए इस संबंध में प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे है।

(ङ) वस्त्र मंत्रालय में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता

***346. श्री भर्तृहरि मेहताब :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर उड़ीसा सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों/परियोजनाओं का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दी गई सहायता का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार उड़ीसा में पर्यटन संबंधी मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु जापानी सहायता प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उस पर कार्यवाही की गई हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

क्र० सं०	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों रुपयों में)
1	असम	14	288.88
2.	अरूणाचल प्रदेश	9	271.00
3.	मणिपुर	5	186.11
4.	मेघालय	5	85.70
5.	मिजोरम	6	142.45
6.	नागालैण्ड	4	116.90
7.	त्रिपुरा	8	126.68
8.	बिहार	11	233.07
9.	सिक्किम	10	65.20
10.	उड़ीसा	28	557.05
11.	पश्चिम बंगाल	6	157.76
12.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	60.00

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान उड़ीसा को प्रदान की गई परियोजना-वार सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:-

क्र० सं०	परियोजना	(लाखों रुपयों में) स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	बारी, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी स्मारक-व पर्यटक परिसर	49.99
2.	हरीशंकर, बोलंगीर, उड़ीसा में पर्यटक केन्द्र	20.00
3.	खेरीगर रोड़ में पर्यटक केन्द्र	20.00
4.	बालासोर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	40.00
5.	बेलशांडी में पर्यटक केन्द्र	20.00
6.	रत्नागिरि में पर्यटक स्वागत केन्द्र	75.00
7.	जयपुर में सार्वजनिक जन सुविधाएं	13.03
8.	नन्दन कानन में सार्वजनिक जनसुविधाएं	15.00
9.	धौलगिरि में सार्वजनिक जनसुविधाएं	15.00
10.	कालीजन द्वीपसमूह में सार्वजनिक जनसुविधाएं	13.76
11.	गोपालपुर ऑनसी पर सार्वजनिक जनसुविधाएं	13.12
12.	ललितगिरि में पर्यटक स्वागत केन्द्र	25.00
13.	महेन्द्रगिरि में पर्यटक स्वागत केन्द्र	25.00
14.	रानीपुर झरियाल में पर्यटक केन्द्र	20.00
15.	उदयगिरि में पर्यटक स्वागत केन्द्र	25.00
16.	बारीपदा में पर्यटक स्वागत केन्द्र	40.00
17.	खुर्दाफोर्ट का ऐतिहासिक पार्क के रूप में विकास	33.33
18.	खिंचिंग में क्विकेवरी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	3.30
19.	विनोद बिहारी मंदिर का सौन्दर्यीकरण तथा रघुनाथपुर में मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण	10.00
20.	उड़ीसा, केन्द्रपाड़ा में पट्टामौंदी स्थित चन्द्रमौली मंदिर का सौन्दर्यीकरण	10.00
21.	बेलार नुआगांव में ग्रामेश्वर महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	3.30
22.	डेराबिस में जगन्नाथ मंदिर का सौन्दर्यीकरण	16.60
23.	दधिवामन मंदिर का सौन्दर्यीकरण तथा ओरेश्वर में मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण	3.30
24.	केन्द्रपाड़ा में बलदेव जी के मंदिर का सौन्दर्यीकरण	16.66
25.	चांदीखोल में महाविनायक मंदिर का सौन्दर्यीकरण	16.66
26.	रथ यात्रा	4.00
27.	समुद्रतट उत्सव	5.00
28.	कोणाक नृत्य उत्सव।	5.00
	जोड़	557.05

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना प्रस्ताव, सहायता हेतु विदेशी आर्थिक सहयोग कोष को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, परियोजना के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष कोई सहायता देने को सहमत नहीं हुआ हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक द्वारा प्रतिबंधों को वापस लेना

***347. श्री पंकज चौधरी :**

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने पहले से लगाए गए प्रतिबंधों को वापस ले लिया है और भारत को मानवीय आधार पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) इस ऋण से किन-किन परियोजनाओं को शुरू किए जाने की सम्भावना हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) विश्व बैंक ने उसके द्वारा प्रतिबंधों को लगाने अथवा हटाने के सम्बंध में भारत सरकार को सूचित नहीं किया हैं। तथापि, अनेक कार्यकारी निदेशकों से प्राप्त अनुरोधों के प्रत्युत्तर में विश्व बैंक ने 26 मई तथा 2 जून, 1998 को भारत में प्रस्तावित पांच कार्य-प्रचालनों, पर विचार को स्थगित कर दिया है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में किए जाने वाले विचार-विमर्श को 26 मई और 2 जून, 1998 को आस्थगित कर दिया गया था।

(I) पावर ग्रिड II परियोजना (450 मिलियन अमरीकी डालर)

(II) नवीकरणीय ऊर्जा II परियोजना (130 मिलियन अमरीकी डालर)

(III) हरियाणा राज्य राजमार्ग परियोजना (275 मिलियन अमरीकी डालर)

(IV) उ० प्र० नानाविध कृषि सहायता परियोजना (130 मिलियन अमरीकी डालर)

(V) उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना (76.4 मिलियन अमरीकी डालर)

बाद में, उक्त पांच परियोजनाओं में से क्रम सं० (IV) और (V) में अंकित परियोजनाओं को 1 जुलाई, 1998 को अनुमोदित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक ने समय-सारणी के अनुसार निम्नलिखित ऋणों को भी अनुमोदित किया हैं:-

(I) आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्सरचना परियोजना (543.2 मिलियन अमरीकी डालर)—25 जुलाई, 1998 को

(II) महिला तथा बाल विकास परियोजना (300 मिलियन अमरीकी डालर)—1 जुलाई, 1998 को

(घ) उक्त समस्त अनुमोदित परियोजनाओं से सम्बद्ध कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होने की आशा हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के रोजगार सृजन कार्यक्रम

***348. श्री रामटहल चौधरी :**
श्री पी.आर किन्डिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के रोजगार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों को शामिल करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत और जिलों को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विशेषकर मेघालय में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गैर-सरकारी संगठनों/शिल्पकार सहकारी समितियों आदि को कितनी धनराशि जारी की गई?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) रोजगार सृजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जिलों का चयन, जिलों के पिछड़ेपन, संस्थानों की उपलब्धता और खादी तथा ग्रामोद्योगों को विकसित किए जाने हेतु आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता हैं।

(ङ) वित्तीय वर्ष 1997—98 के दौरान, के. वी. आई. सी. द्वारा अपने बजटीय स्त्रोतों से 348.11 करोड़ रुपये तथा के.वी.आई.सी. को बैंक के संघों द्वारा स्वीकृत क्रेडिट लाइन के अधीन 71.14 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। इसकी तुलना के. वी. आई. सी. के बजटीय स्त्रोत में से मेघालय को 77 लाख रुपये की राशि वितरित की गयी।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तार के लिए चुने गये 71 जिलों की सूची।

1. आन्ध्र प्रदेश
   1. करनूल
   2. अदिलाबाद
   3. महबूबनगर
   4. प्रकाशम
   5. करीमनगर
   6. पूर्वी गोदावरी
   7. श्री काकुलाम
2. अरूणाचल प्रदेश
   8. चाँगलाँग
3. असम
   9. मारीगांव
   10. लखीमपुर

4. बिहार

11. सहरसा

12. गोड्डा

13. मधुबनी

14. गया

5. गुजरात

15. बनासकांठा

16. पंचमहल

17. कच्छ

6. हिमाचल प्रदेश

18. चम्बा

19. कुल्लु तथा मनाली

7. हरियाणा

20. रिवाड़ी-अम्बाला

8. जम्मू एंड कश्मीर

21. अनंतनाग

22. जम्मू

9. कर्नाटक

23. कोलार

24. रायचुर

25. धारवाड़

26. चित्रादुर्ग

10. केरल

27. अल्लेप्पी

28. पथानभाथिट्टा

29. त्रिसुर

30. कोजीकोड-व्यानाडा

11. मध्य प्रदेश

31. सर्गुजा

32. भिण्ड

33. गुना

34. रायपुर

35. झाबुआ-धार

36. बेतुल

12. महाराष्ट्र

37. चन्द्रपुर

38. यावतमल

39. रायगढ़ रत्नगिरी

40. बीड़

41. नांदेढ़

13. मणिपुर

42. इम्फाल

14. मेघालय

43. पूर्वी गारो हिल्स
पश्चिमी गारो हिल्स
दक्षिणी गारो हिल्स

15. मिजोरम

44. लुंगलाई एंड कोहिमा

16. नागालैड

45. दिमापुर एंड कोहिमा

17. उड़ीसा

46. कालाहांडी

47. फुलबानी-कोरापुर

48. धेनकनाल-केन्द्रपाड़ा

18. पंजाब

49. होशियारपुर

19. राजस्थान

50. दोसा

51. टोंक

52. उदयपुर

53. जयपुर

20. त्रिपुरा

54. त्रिपुरा (पश्चिम)

21. तमिलनाडु

55. रामानाथपुरम

56. तिरूनोवेली

57. धरमपुरी

58. उत्तरी आरकोट

59. दक्षिण आरकोट

22. उत्तर प्रदेश

60. माऊ बेलिया

61. अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़

62. चमेली एंड उत्तरकाशी

63. मथुरा

64. शाहजहांपुर

65. झांसी

66. जौनपुर

23. पश्चिमी बंगाल

67. वीरभूमि

68. उत्तरी 24 परगना एंड दक्षिण 24 परगना

69. माल्दा

70. नादिया

24. सिक्किम

71. सिक्किम

[अनुवाद]

भारत-जापान सहयोग

*349. **श्री एस०एस० ओवेसी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-जापान आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की व्यापक समीक्षा की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) जापान से सहायता प्राप्त प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं और 1997-98 के दौरान उनके अंतर्गत की गई प्रगति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जापान द्वारा हाल में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से ये परियोजनाएं प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक ये परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1997-98 के दौरान, जापान सरकार ने भारत को इन रूपों में सरकारी विकास सहायता मुहैया कराई (I) आसान शर्तों के ऋण और (II) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार चल रही प्रमुख परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता।

(घ) और (ङ) जापान सरकार ने हाल ही में नई परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान अनुपलभ्य बना दिए हैं। इन उपायों का दिए जा रहे ऋणों और अनुदानों से किए जाने वाले संवितरण पर प्रभाव नहीं पड़ा है। सरकार इस संबंध में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रही है।

विवरण

ओ.ई.सी.एफ. ऋण

क्रमसं०	आई.डी.पी.स०	परियोजना का नाम	केन्द्र/राज्य	ऋण राशि मिलियन येन में	1997-98 के दौरान किए गए संवितरण मिलियन येन में
1	2	3	4	5	6
1.	आई.डी.पी.-40	तीस्ता नहर एच.ई.पी.	प० बंगाल	8025	467.1
2.	आई.डी.पी.-42	असम गैस टर्बाइन परियोजना	केन्द्र	30000	338.2
3.	आई.डी.पी.-43	श्री सायलम लैफ्ट बैंक विद्युत केन्द्र चरण-1	आंध्र प्रदेश	26101	3677.5
4.	आई.डी.पी.-52	रायचूर ताप विद्युत केन्द्र-I विस्तार परियोजना	कर्नाटक	23142	221.9
5.	आई.डी.पी.-53	घाटघर पम्प्ड स्टौरेज परि.	महाराष्ट्र	11414	209.9
6.	आई.डी.पी.-54	पर्यटन आधारढांचा विकास परियोजना	केन्द्र/उ.प्र./बिहार	9244	277.4
7.	आई.डी.पी.-56	ऊपरी कोलाब सिंचाई परि.	उड़ीसा	3769	377.8
8.	आई.डी.पी.-57	ऊपरी इंद्रावती सिंचाई परि.	उड़ीसा	3744	565.5
9.	आई.डी.पी.-59	मैसूर कागज मिल आधुनिकीकरण और पुन: सुधार परियोजना	कर्नाटक	2381	1183.5

1	2	3	4	5	6
10.	आई.डी.पी.—62	बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन-II	तमिलनाडु	11450	577.4
11.	आई.डी.पी.—63	गंधार गैस आधारित सम्मिलित चक्रीय विद्युत परियोजना	केन्द्र	13046	58.3
12.	आई.डी.पी.65	अन्पारा विद्युत पारेषण प्रणाली परियोजना	उत्तर प्रदेश	19318	5087.2
13.	आई.डी.पी.66	विद्युत प्रणाली सुधार और लघु जल परियोजना	केन्द्र	24379	901.1
14.	आई.डी.पी.72	तीस्ता नहर एच.ई.पी.-II	प० बंगाल	6222	1012.2
15.	आई.डी.पी.73	इंदिरा गांधी वनरोपण	राजस्थान	7869	584.5
16.	आई.डी.पी.74	स्वास्थ्य गुणवत्ता नियंत्रण	केन्द्र	7964	156.2
17.	आई.डी.पी.79	शहरी नगर जलापूर्ति परि.	केन्द्र	6788	602.5
18.	आई.डी.पी.80	अरावली की पहाड़ियों में वनरोपण परियोजना	राजस्थान	8095	1213.8
19.	आई.डी.पी.81	राष्ट्रीय राजमार्ग-2 सुधार परि.	केन्द्र	4855	984.1
20.	आई.डी.पी.82	अंजता एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना	केन्द्र महाराष्ट्र	3745	441.7
21.	आई.डी.पी.84	यमुना कार्ययोजना परियोजना	केन्द्र	17773	1741.6
22.	आई.डी.पी.85	श्री सायलम विद्युत पारेषण प्रणाली	आंध्र प्रदेश	3806	160.7
23.	आई.डी.पी.86	गंधार गैस आधारित सम्मिलित चक्रीय विद्युत परियोजना	केन्द्र	19538	602.7
24.	आई.डी.पी.87	उद्योग मंडल अमोनिया संयंत्र पुन: स्थापन परियोजना	केन्द्र	24482	250.6
25.	आई.डी.पी.88	अन्पारा "बी" ताप विद्युत परियोजना चरण-5	उत्तर प्रदेश	17638	2861.5
26.	आई.डी.पी.89	बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना	प० बंगाल	27069	12646.3
27.	आई.डी.पी.90	फरीदाबाद ताप विद्युत केन्द्र परियोजना	केन्द्र	23536	2991.3
28.	आई.डी.पी.91	नैनी के निकट यमुना नदी पर पुल	केन्द्र	10037	99.6
29.	आई.डी.पी.92	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 की चार लेनें बनाना	केन्द्र	11360	0
30.	आई.डी.पी.94	श्रीसायलम लैफ्ट बैंक विद्युत परि-II	आंध्र प्रदेश	22567	4814.7
31.	आई.डी.पी.95	श्रीसायलम विद्युत पारेषण प्रणाली परि-II	आंध्र प्रदेश	9546	328.5
32.	आई.डी.पी.96	असम गैस टर्बाइन विद्युत केन्द्र पारेषण परियोजना-II	केन्द्र	15821	1643.5
33.	आई.डी.पी.97	बक्रेश्वर ताप विद्युत यूनिट 3 विस्तार परियोजना	प० बंगाल	8559	2325.5

1	2	3	4	5	6
34.	आई.डी.पी.98	पुरूलिया पम्प्ड स्टोरेज परि.	प० बंगाल	20520	485.4
35.	आई.डी.पी.99	कोठगुडम "ए" ताप विद्युत केन्द्र पुनः सुधार परियोजना	आंध्र प्रदेश	5092	132.3
36.	आई.डी.पी.100	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 सुधार परियोजना-II	केन्द्र	5836	0
37.	आई.डी.पी.101	राष्ट्रीय राजमार्ग 24 सुधार परियोजना	केन्द्र	4827	0
38.	आई.डी.पी.102	मद्रास मल-निर्यास पुनःसुधार और कार्यात्मक सुधार परियोजना	तमिलनाडु	17098	214.8
39.	आई.डी.पी.103	भोपाल झील संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना	मध्य प्रदेश	7055	340.8
40.	आई.डी.पी.104	राजस्थान वानिकी विकास परि.	राजस्थान	4219	866.8
41.	आई.डी.पी.105	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परि.	प०बंगाल	1525	113
42.	आई.डी.पी.106	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्र	3000	177.8
43.	आई.डी.पी.107	एन.एच.पी.सी. धौलीगंगा एच.ई.पी.	केन्द्र	5664	838.4
44.	आई.डी.पी.108	अनपारा विद्युत पारेषण परियोजना	उत्तर प्रदेश	12020	3416.5
45.	आई.डी.पी.109	बंगलौर जलापूर्ति	कर्नाटक	28452	239.5
46.	आई.डी.पी.110	शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता सुधार कार्यक्रम	केन्द्र	8670	406
47.	आई.डी.पी.111	अट्टापाडी बंजरभूमि विकास	केरल	5112	21.9
48.	आई.डी.पी.112	गुजरात वानिकी परियोजना	गुजरात	15760	3454.6
49.	आई.डी.पी.113	कुरनूल कुड्डपा नहर आधुनिकीकरण परियोजना	आ. प्रदेश	16049	0
50.	आई.डी.पी.115	पिपावाव शिप-ब्रेकिंग विकास परियोजना	गुजरात	7046	1771
51.	आई.डी.पी.116	उत्तरी भारत पारेषण प्रणाली परियोजना	केन्द्र	8497	0
52.	आई.डी.पी.117	प० बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	प० बंगाल	11087	63.3
53.	आई.डी.पी.118	उनिआम जल विद्युत केन्द्र नवीकरण परि.	मेघालय	1700	0
54.	आई.डी.पी.119	तुरियाल-पन-बिजली विद्युत केन्द्र परि.	केन्द्र	10695	0
55.	आई.डी.पी.120	सिंहाद्रि ताप विद्युत केन्द्र परि.	केन्द्र	19817	0
56.	आई.डी.पी.121	दिल्ली सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली परि.	केन्द्र	14760	0
57.	आई.डी.पी.122	कलकत्ता परिवाहन आधारढ़ांचा विकास परि.	प० बंगाल	10679	221.3
58.	आई.डी.पी.123	केरल जलापूर्ति परियोजना	केरल	11997	0
59.	आई.डी.पी.124	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना	कर्नाटक	15968	899.2
60.	आई.डी.पी.125	तमिलनाडु वनरोपण परियोजना	तमिलनाडु	13324	1072

1	2	3	4	5	6
61.	आई.डी.पी.126	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	13222	0
62.	आई.डी.पी.127	सिंहाद्रि और विजाग पारेषण प्रणाली परि.	आंध्र प्रदेश	10629	0
63.	आई.डी.पी.128	श्रीसायलम लैफ्ट बैंक विद्युत केन्द्र-III परि.	आंध्र प्रदेश	14499	688.9
64.	आई.डी.पी.129	धौलीगंगा पन-बिजली-II परियोजना	एम.ओ.पी.	16316	0
65.	आई.डी.पी.130	बकरेश्वर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना-II	प० बंगाल	34151	4.4
66.	आई.डी.पी.131	टूटीकोरिन पत्तन तलमार्जन परियोजना	एम.ओ.एस.टी.	7003	0
67.	आई.डी.पी.132	पंजाब वनरोपण परियोजना	पंजाब	6193	63.3
68.	आई.डी.पी.133	मध्य प्रदेश रेशम-उत्पादन परियोजना	मध्य प्रदेश	2212	0
69.	आई.डी.पी.134	मणिपुर रेशम-उत्पादन परियोजना	मणिपुर	3962	0
70.	आई.डी.पी.135	रेंगाली सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	7760	141.5
71.	आई.डी.पी.136 कार्यक्रम	एस.आई.डी.बी.आई. लघु उद्योग विकास	केन्द्र	30000	20020
		अनुदान-सहायता			
1.	निजामुद्दीन पुल का निर्माण		केन्द्र	2778	1682.7
2.	कलावती सरन बाल अस्पताल		केन्द्र	1217	333.7
3.	पोलियो मिलिटिस उन्मूलन		केन्द्र	768	554.1
4.	तारामंडल की स्थापना		तमिलनाडु	50	50
5.	खाद्य उत्पादन की वृद्धि		केन्द्र	500	498.8
6.	बाल स्वास्थ्य संस्था और बाल अस्पताल मद्रास		तमिलनाडु	667	652.2
7.	मत्स्य पत्तनों के लिए तलमार्जन का निर्माण		केन्द्र	1248	0
8.	भारतीय संग्रहालय कलकत्ता		प०बंगाल	50	0
9.	खाद्य उत्पादन की वृद्धि		आंध्र प्रदेश	300	0

यूरोपीय संघ द्वारा पाटनरोधी शुल्क

*350. **श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए कतिपय भारतीय कंपनियों और औद्योगिक क्षेत्रों को जानबूझकर अपना लक्ष्य बनाया हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय उत्पादों और कंपनियों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यूरोपीय संघ में दायर कानूनी मामलों में बचाव को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) और (ख) यूरोपीय संघ द्वारा स्टेनलैस स्टील, ब्राइट बार्स, स्टेनलैस स्टील फास्टनर्स, अन्ब्लीच्ड कॉटन फैब्रिक्स, सिंथेटिक फाइबर रोप्स, पोटेशियम पर्मेंगनेट, कॉटन टाइप बैड लिनन और पॉलीलेफिन की बोरियों और थैलों के कथित पाटन के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू की गई है। इन मामलों में पाटनरोधी शुल्क लगाने की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार को यूरोपीय संघ द्वारा की जा रही जांच की पूरी जानकारी है और इन कानूनी मामलों में बचाव की स्थिति को मजबूत करने के सभी संभव उपाय कर रही है। इन उपायों में शामिल हैं:-

कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, प्रभावित भारतीय उद्योग को मार्गदर्शन देना और ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास के जरिए समुचित अनुवर्ती कार्रवाई करना।

विवरण

यूरोपीय संघ द्वारा पाटनरोधी शुल्क

क्र. सं.	संबंधित उत्पाद	शुरू करने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	स्टेनलैस स्टील ब्राइट बार्स	30.8.97	भारतीय निर्यातकों के खिलाफ 10.4% से 17.9% तक अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने का प्रस्ताव है।
2.	अनब्लीच्ड कॉटन	11.7.97	भारत के विभिन्न निर्यातकों के विरुद्ध 2.9% से 16.9% तक अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है।
3.	सिंथेटिक फाइबर	01.07.97	मै० गरवारे वॉल रौप्स के निर्यात के विरुद्ध 53% की दर से और अन्य निर्यातकों के विरुद्ध 82% की दर से अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है।
4.	पोटेशियम पर्मेग्नेट	26.4.97	यूरोपीय संघ ने भारत से किए जाने वाले आयात पर न्यूनतम प्रति टन 1475 ई सीयू आयात कीमत की शर्त लगा दी है।
5.	स्टेनलैस स्टील फास्टनर्स	3.12.96	भारतीय निर्यातकों पर 4.9% 1997 से प्रभावी 47.9% से 133.5% तक के निश्चित शुल्क लगाए हैं।
6.	कॉटन टाइप बेडलिनेन	13.9.96	पूर्ववर्ती मामले को समाप्त करने के बाद 9.7.96 को नया मामला शुरू किया गया। भारतीय निर्यातकों पर नवम्बर, 1997 से 2.7% से 24.7% तक का निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया।
7.	पोलियोलेफिन बोरियां और थैले	अप्रैल, 95	भारतीय निर्यातकों पर 10.10.97 से प्रभावी शून्य से 3.6% तक का निश्चित शुल्क लगाया गया।

कताई मिलों की शेयर पूंजी प्रदान करना

***351. डा० उल्हास वासुदेव पाटील :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों को केन्द्र सरकार से शेयर पूंजी उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार को इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कितनी शेयर पूंजी उपलब्ध कराई गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) भारत सरकार आधुनिकीकरण, नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना एवं विस्तार के लिए हथकरघा बुनकरों तथा सूत उत्पादकों द्वारा आयोजित सहकारी कताई मिलों के शेयर पूंजी हिस्से के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋण सहायता प्रदान करती है। हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों के लिए ऋण सहायता की योजना 1 अप्रैल, 1998 से प्रभावी रूप से बंद कर दी गई है।

(ख) 31 मार्च, 1998 तक प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार द्वारा एन.सी.डी.सी. के माध्यम से 50 हथकरघा सहकारी कताई मिलों तथा 46 सूत उत्पादक सहकारी कताई की मिलों में शेयर पूंजी हिस्से के लिए राज्य सरकारों को ऋण के रूप में क्रमशः 85 करोड़ रुपये तथा 134 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

विकास दर में गिरावट

***352. श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधव राव सिन्धिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वर्षो तक अधिकांश सरकारी विभागों के बजट में बहुत कम धनराशि का प्रावधान और वित्तीय कुप्रबन्ध विकास दर में तेजी से हुई गिरावट के लिए उत्तरदायी रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनागत और गैर-योजनागत व्यय, अलग-अलग के संबंध में 1995-96 से प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यय के प्रारंभिक अनुमान की तुलना में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किए गए अधिक व्यय अथवा की गई बचत की अलग-अलग प्रतिशतता क्या है; और

(ग) बजटीय और वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के रूप में 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 1997-98 में वृद्धि दर घटकर 5 प्रतिशत रह गई। वृद्धि दर में कमी मुख्यतया वर्ष 1997-98 में कृषि मूल्य में 2 प्रतिशत की और कमी तथा औद्योगिक वृद्धि में तीव्र गिरावट के कारण हुई।

सरकारी व्यय और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कोई मात्रात्मक प्रत्यक्ष संबंध नहीं हैं। निम्नलिखित सारणी वर्ष 1995-96 से वर्ष 1997-98 के दौरान आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय के बजट अनुमानों औा संशोधित अनुमानों के बीच अन्तर को दर्शाती है। बजटीय और राजकोषीय व्यय प्रबन्ध में सुधार एक अनवरत क्रिया है।

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान				वास्तविक			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में % वृद्धि	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय में %वृद्धि
1995-96	48500	123652	172152	48684	134320	183004	6.30	46374	131901	178275	3.56
1996-97	54685	149975	204660	54894	147404	202298	-1.15	53534	147473	201007	-1.78
1997-98	62852	169324	232176	60630	174615	235245	1.32	*	*	*	*

* संकलित किए जा रहे है।

व्यय के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के विभाग-वार ब्यौरे और उनके बीच अन्तर को वर्ष 1996-97 और 1997-98 के बजट के व्यय बजट के खण्ड I की विवरणी-2 में प्रस्तुत किया गया है।

साधारण बीमा निगम द्वारा निवेश

***353. श्री राम चन्द्र मलिक :**
श्री भेरूलाल मीणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी उद्योग के क्षेत्र में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ख) साधारण बीमा निगम द्वारा किए गए कुल निवेश की दृष्टि से दस प्रमुख कंपनियों के कंपनीवार नाम क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) साधारण बीमा निगम और इसकी अनुषंगी कंम्पनियों द्वारा किए गए 17,594.22 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से दिनांक 31.5.1998 तक प्राइवेट क्षेत्र उद्योग में 6120.06 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया है।

(ख) साधारण बीमा निगम और इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किए गए कुल निवेश के संबंध में प्रथम दस कंम्पनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रथम दस कम्पनियों की सूची जिनमें साधारण बीमा निगम और इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा दिनांक 31.5.98 की स्थिति के अनुसार निवेश किया गया।

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	कुल निवेश (करोड़ रु०में)
1	2	3
1.	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	408.02
2.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	296.67
3.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०	292.05
4.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	261.42
5.	साधारण बीमा निगम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	208.33
6.	महानगर टेलीफोन, निगम लिमिटेड	192.09
7.	टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड	186.40
8.	रिलायंस पेट्रोलियम लि०	173.00
9.	मालविका स्टील लि०	142.06
10.	एस्सार स्टील लिमिटेड	101.83

नई औद्योगिक नीति

***354. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री विठ्ठल तुपे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नई औद्योगिक नीति अपेक्षित औद्योगिक विकास प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने नई नीति के क्रियान्वयन की धीमी गति के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) (क) से (ङ) सरकार निवेश तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की नीति के प्रति वचनबद्ध है। सरकार की औद्योगिक नीति का लक्ष्य पहले से प्राप्त लाभों को बनाये रखना, तथा उत्पादन में निरंतर वृद्धि बनाये रखना तथा लाभ-प्रद रोजगार मुहैया करना हैं।

वर्ष 1991 से मई, 1998 तक की अवधि में रिकार्ड किये गये औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों की संख्या 36 हजार से अधिक है जिनमें 718 हजार करोड़ रुपये की राशि का निवेश प्रस्तावित है। 1991 से मई, 1998 तक की अवधि में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि 1,62,741 करोड़ रुपये है। प्रतिवर्ष औद्योगिक विकास 1996-97 में 5.6% तथा 1997-98 में 6.6% थी।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गये है। हाल में किये गये उपायों में निम्न उपाय शामिल है- निगमों को विश्व जमा प्राप्तियों/विश्व प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण पाने के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋण विण्डों में प्रवेश पाने, रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज में 11% से 6.5% तक की कमी, अनिवासी भारतीयों की निवेश सीमा बढ़ाना, घरेलू उद्योग के समक्ष आने वाली हानियों को दूर करने के लिए प्रशुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाना तथा लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाये रखना, उद्योग(विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंसीकरण के कार्य क्षेत्र से उद्योगों को पुनः लाइसेंसमुक्त करना, विद्युत परियोजनाओं के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति देना बशर्ते कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि 1500 करोड़ रुपये तक हो, कार्यपद्धति को सरल बनाने के लिए अन्य उपाय, आदि किया जाना।

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

***355. श्री के० येरननायडू :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में कपास उत्पादकों को कीटों से आक्रमण के कारण हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में कौन-कौन से जिले इससे प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय कपास निगम से कीट से प्रभावित किसानों की सहायता करने हेतु कपास की खरीद शुरू करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) (क) और (ख) जी हां।

प्रभावित जिलों के नाम निम्नानुसार हैं:-

क्र०सं०	राज्य का नाम	जिलों के नाम
1	2	3
1.	पंजाब	1. फिरोजपुर
		2. भटिंडा
		3. मनसा
		4. मुक्तसर
		5. फरीदकोट
2.	राजस्थान	1. श्रीगंगानगर
		2. हनुमानगढ़
		3. बीकानेर
3.	कर्नाटक	1. टुमकूर
		2. शिमोगा
		3. बीदर
		4. गुलबरगा
		5. बीजापुर
		6. धरवार
		7. बंलारी
		8. मंडया
4.	महाराष्ट्र	1. प्रभाणी
		2. अकोला
		3. अमरावती
		4. येवतमल
		5. वर्धा
		6. नागपुर
		7. चन्दरपुर
5.	आन्ध्र प्रदेश	1. वारंगल
		2. करीमनगर
		3. खम्माम
		4. अदीलाबाद
		5. निजामबाद
		6. मेडक
		7. नालगोंडा
		8. रंगारेड्डी
		9. महबूबनगर
		10.कुद्दापाह
6.	हरियाणा	1. हिसार
		2. सिरसा

(ग) और (घ) भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) महाराष्ट्र को छोड़कर कपास उपजाने वाले सभी राज्यों में कपास की खरीदारी करता है। सरकार सी.सी.आई. के अधिप्राप्ति संबंधी क्रियाकलापों का बारीकी से मॉनीटर करती है ताकि विशेषकर प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के हितों की पूर्णत रक्षा की जा सके। चालू कपास वर्ष 1997-98 के दौरान 3.7.1998 तक सी.सी.आई. ने कपास की 8,01,019 गाठें खरीदी हैं।

औद्योगिक विकास

***356. श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री वी.वी. राघवन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत मालक्षेत्र के औद्योगिक विकास में अप्रैल से दिसम्बर 1997 के दौरान मंदी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या अप्रैल 1998 में ओटोमोबाइल, सीमेंट, और निर्माण क्षेत्र में औद्योगिक विकास में सुधार हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा विकास दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए–हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) से (ख) अप्रैल से दिसम्बर, 1997 की अवधि के दौरान पूंजी क्षेत्र की विकास दर (-) 0.1%थी, जबकि इसकी तुलना में पूर्व वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 8.6% रही थी। निर्यात कार्य निष्पादन में मंदी होने तथा उद्योग में सुस्त पूंजी निवेश ने पूंजी वस्तु क्षेत्र में विकास की दर धीमी होने में योगदान दिया।

(ग) और (घ) औद्योगिक विकास दर में अप्रैल, 1998 में सुधार हुआ। आटोमोबाइल क्षेत्र ने अप्रैल, 1997 की तुलना में अप्रैल 1998 में 5.4%की विकास दर दर्शाई है। सीमेंट उत्पादन में अप्रैल, 1997 के दौरान (-) 5.3% की विकास दर की तुलना में अप्रैल, 1998 में विकास दर 11.3% रही। इस्पात उत्पादन में अप्रैल, 1997 में हुई (-) 3.0% विकास दर की तुलना में अप्रैल, 1998 के दौरान इसमें 8.4% तक की वृद्धि हुई।

(ङ) 1997-98 के दौरान जिन क्षेत्रों में नकारात्मक विकास दर रिकार्ड की गई वे निम्न-इस्पात (-) 0.8%, वाणिज्यिक वाहन (-) 28.5%, आटो सहायक पुर्जे (-) 7.0%, अखबारी कागज (-) 5.8%, कार (-) 1.4%, सिलाई मशीनें (-) 9.8%, चीनी (-) 14.0%, कपड़ा मिल क्षेत्र (-) 0.5%, चमड़ा तथा फर उत्पाद (-) 0.8% अप्रैल, 1998 के दौरान जिन उद्योग समूहों में नकारात्मक विकास दर दर्ज की गई वे निम्न-लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद (-) 9.0%, सूती कपड़े (-) 5.5%, खाद्य उत्पाद (-) 5.1%, जूट विनिर्माण (-) 2.8%।

(च) 1998-99 के बजट में अनेक पहलों का उल्लेख किया गया है, जिनसे औद्योगिक विकास में सुधार आने की सम्भावना है। 29 अप्रैल, 1998 को सरकार द्वारा घोषित की गई नई ऋण नीति से यह संभावना है कि ये मुद्रा बाजार को गहनता तथा परिपक्वता प्रदान करेगी। नई ऋण नीति का उद्देश्य निधियों की लागत को भी कम करना है। वित्तीय मध्यवर्ती संस्थान, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों तथा आवाधिक ऋण प्रदा संस्थान शामिल है, ने अपनी प्राथामिक ऋण दर को 50 से 100 आधारित अंक तक घटा दिया है।

[हिन्दी]

राज्यों को सिक्कों का आबंटन

***357. श्री दादा बाबूराव परांजपे :**
श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1991-92 से 1997-98 के दौरान तथा अब तक पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य प्रदेश में स्थिति बैंकों को आवंटित अलग-अलग मूल्य वर्ग के सिक्कों तथा उनके कुल मूल्य का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) नए सिक्के किस प्रयोजनार्थ आवंटित किए गए थे;

(ग) क्या कुछ राज्यों में विशेषकर जबलपुर, मध्य प्रदेश में बैंकों द्वारा इन नए सिक्कों के वितरण में हो रहे दुर्विनियोग के बारे में सरकार को जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) सूचना संकलित की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सिक्के जन साधारण के दिन-प्रति-दिन के लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी किए जाते है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

एच०एम०टी० उत्पादों की मांग

***358. श्री भगवान शंकर रावत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही वस्तुओं की मांग घट रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है: और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) आटो सेक्टर में मन्दी आने, रेलवे द्वारा इसके निवेश में प्रवाह-हीनता आने, पुराने मशीनी-कलपुर्जो का आयात करने एवं बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा के कारण एच०एम०टी० के मशीनी-कलपुर्जो और औद्योगिक मशीनरी उत्पादों की मांग में गिरावट आई है।

(ग) एच०एम०टी० ने अपने उत्पादों की मांग को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें प्रमुख ग्राहकों की निगरानी करना तथा उनके मुताबिक अनुसरण करना, विपणन पर बल देना, लघु/मध्यम दर्जे के उद्योगों में कारोबार को बढ़ाने का प्रयास करना तथा रक्षा एवं रेलवे से क्रयादेश प्राप्त करना, शामिल है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग में मंदी

***359. श्री कल्लाप्पा आवाडे :**
डा० सरोजा वी० :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों से वस्त्र उद्योग में विशेष रूप से विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में, मंदी का दौर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे पहले विद्युतकरघा उद्योग की समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वस्त्र निर्यात के लिए विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो कितना कोटा निर्धारित किया गया है; और

(च) अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में भारत की भागीदारी का प्रतिशत कितना है और कुल वस्त्र उत्पादन में विद्युतकरघा द्वारा वस्त्र उत्पादन का प्रतिशत क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कपड़ा उत्पादन सहित वस्त्र उद्योग में कोई स्पष्ट मंदी नहीं है। इस संबंध में, पिछले पांच वर्षों से कुल कपड़ा उत्पादन आंकड़ों के साथ-साथ विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कपड़ा उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	कुल कपड़ा उत्पादन (मिलि० वर्ग मी०)	वार्षिक वृद्धि दर	विद्युतकरघा कपड़ा उत्पादन (मिलि० वर्ग मी०)	कुल कपड़ा उत्पादन में विद्युतकरघा फैब्रिक्स का प्रतिशत (%)
1993-94	27898	8.68	15994	57.3
1994-95	28606	2.48	15976	55.8
1995-96	31891	10.30	17201	53.9
1996-97	34813	8.39	19352	55.6
1997-98	36701	5.14	20303	55.3

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां। सरकार ने 1992 से कपड़े के निर्यात के लिए विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए पी पी ई तथा एन क्यू इ जैसी किसी अन्य कोटा श्रेणी के अंतर्गत उनकी हकदारियों के अतिरिक्त विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी (पी इ इ) नामक एक अलग कोटा उद्दिष्ट किया है।

(ङ) सरकार ने विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए वस्त्र निर्यात कोटा के वार्षिक स्तर का 10 प्रतिशत निर्धारित किया है।

(च) अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में भारत की भागीदारी का प्रतिशत 1996 में लगभग 3.1% है। विद्युतकरघा क्षेत्र की फैब्रिक उत्पादन शेयर का प्रतिशत उपरोक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

***360. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री विजय गोयल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अतिशेष कर्मचारियों की संख्या कितनी रही है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ली है;

(ग) इस संबंध में क्या परिणाम रहे हैं और इस बारे में सरकार द्वारा कितनी धनराशि अब तक जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार इस योजना पर पुनः विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में अतिशेष कर्मचारियों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 11,541, 4074 तथा 4822 थी।

(ग) वर्ष 1997-98 के अंत तक 1,10,104 व्यक्तियों ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का लाभ उठाया है। अनन्तिम आँकड़ों के अनुसार अब तक 2020 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) और (ङ) सरकार ने उन एककों के मामले में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना पैकेज को ज्यादा उदार बनाने का निर्णय लिया है, जो बन्दीकरण का सामना कर रहे हैं। स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की स्थिति

में कामगारों को क्षतिपूर्ति के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 दिनों की मजूरी का भुगतान किया जाएगा, जो शेष सेवावधि के वर्षों में प्राप्त होने वाली अधिकतम मजूरी और वेतन के अध्याधीन होगी। पैकेज में और अधिक सुधार के तौर पर इन एककों के कामगार अधिकतम 60 माह का वेतन या मजूरी प्राप्त करने के पात्र होंगे और यह उन सभी कामगारों के मामले में लागू होगा जिन्होंने कम-से-कम 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हैं।

कृषि उत्पादों का निर्यात

***361. श्री रामपाल सिंह :**
श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को उच्च प्राथमिकता देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) से (ग) कृषिजन्य उत्पादों के निर्यात की अनुमति देने संबंधी सरकार की नीति सिद्धांत रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि आय अधिकतक करने और विदेशी मुद्रा अजित करने की चिन्ताओं द्वारा संचालित होती हैं। निर्यात नीति को निरन्तर अद्यतन किया जा रहा हैं और कृषि उत्पादों के निर्यात क्षेत्र को उदार बनाया गया हैं।

अब ऐसी बहुत ही कम मदें हैं जिनका निर्यात या तो प्रतिबंधित हैं या उनका निर्यात सीमित है या उन्हें अधिकतम मात्रा की सीमा के अधीन रखा गया है। जिन प्रमुख मदों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया हैं उनमें शामिल हैं: ईयू/यूएसए के लिए निर्धारित अधिमानी कोटे को छोड़कर गेहूं और गेंहू उत्पाद और चीनी।

इन मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं:-

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन करना, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण करना, क्षेत्र का विस्तार करना, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति करना और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) श्रेणीकरणा/प्रसंस्करण, केन्द्रों, नीलामी-प्लेटफार्म, पक्कवन/क्योंकिंग चेम्बरों और गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए आसान शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था के लिए आसान शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था करना;

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व-प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थपना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(5) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप उपचार सुविधाओं की संस्थापना करना।

(6) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद प्रदान करना;

(7) क्रेता-विक्रैता बैठकों, और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(8) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागारों की सुविधाएं स्थापित करना।

(9) बदलती अन्तर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने और अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप तम्बाकू के घरेलू उत्पादन को पुन: अनुकुल बनाना।

(10) काली मिर्च (ब्राइन में हरी मिर्च को छोड़कर) इलायची, केसर और मसाला तेल तथा ओलियारेजिन के निर्यात पर से उपकर समाप्त करना ताकि इनके भावों को विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके; गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच करने हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करना; तकनालाजी अंतरित करना, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद का विकास करना;

[अनुवाद]

दुबई में संपन्न व्यापार मेला

3450. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि मार्च, 1998 के दौरान दुबई में संपन्न हुए व्यापार मेले में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो मेले में भारतीय कलाकृतियों और अन्य कृतियों की खरीद और बिक्री का ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यापार मेले में भारतीय वस्तुओं का समग्र निष्पादन कैसा रहा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) जी, नहीं। इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन ने मार्च, 1998 के महीने में दुबई में आयोजित किसी व्यापार मेले में भाग नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नागालैण्ड को धनराशि प्रदान करना

3451. श्री के.ए. सांगतम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि नागालैण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्टस लिमिटेड, तिजित, नागालैण्ड शुगर मिल्स, दीमापुर,

नागालैण्ड पेपर और पल्प मिल्स, तुली और नागालैण्ड राज्य के अन्य अनेक निगम भारी घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इन निगमों को इन्हें चलाने के लिए अनेक वित्तीय संस्थानों/निजी निकायों से लिए गए ऋण पर अत्याधिक शास्ती ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा रहा हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का धनाभाव और विद्रोह से उत्पन्न समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई भारी देयतायों को चुकाने का विचार है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) 16 सूत्री समझौते के अंतर्गत भारत की संचित निधि से इसके लिए कितना धनराशि आबंटित की जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही हैं और एकत्र होते ही प्रस्तुत की जाएगी।

आयकर अधिनियम

3452. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन मामलों की संख्या कितनी हैं जिनमें दिल्ली राज्य के लिए आयकर निदेशक (जांच) के अधीन कार्यरत इकाईयों ने क्रमशः वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131 (1क) के अंतर्गत आयकर मामलों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा हैं और इन मामलों में से कितने मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (एक) से (पांच) के अंतर्गत कार्यवाही की गई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : वित्त मंत्री वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आयकर निदेशक (जांच) दिल्ली के अधीन कार्यरत यूनिटों द्वारा आयकर अधिनियम; 1961 की धारा 131 (1क) के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं ताकि कतिपय सूचना की वास्तविकता सत्यापित की जा सके और अथवा तलाशी पूर्व जांच करने के प्रयोजनार्थ सूचना प्राप्त की जा सके। चूंकि ये नोटिस जांच के मामलों के संबंध में भिन्न-भिन्न फाइलों, जो अनेक हैं, से जारी किए गए हैं; अतः इस अधिनियम की धारा 131 (1क) के अंतर्गत जारी किए गए मात्र नोटिसों के आधार पर उक्त वर्षो के दौरान जारी किए गए नोटिस और उन पर आगे की कार्वाई दोनों मामलों में मामलों की संख्या का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

ग्रामीण सहकारी बैंक

3453. श्री डी०एस० अहिरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण सहकारी बैंको को पुनः अर्धक्षम बनाने के लिए कोई व्यापक योजना लागू करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या देश में ग्रामीण सहकारी बैंको का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन बैंकों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालाघाट, केरल

3454. श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालाघाट, केरल में इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड लाभ अर्जित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या दिसम्बर, 1996 में निदेशक मंडल की 222वीं बैठक में इस कंपनी को सहायक कंपनी का दर्जा दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का पालाघाट स्थित इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के विनिवेश का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, पालाघाट केरल, में आई०एल० की इकाइयों में, एक इकाई हैं, निम्नानुसार लाभ कमाती रही हैं।

वर्ष	करोड़ रुपए में
1993-94	4.82
1994-95	3.79
1995-96	0.28
1996-97	2.18
1997-98	5.00

(ग) और (घ) आई०एल० के निदेशक मण्डल की 222 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बी०आई०एफ०आर० से पुररुद्धार योजना के संबंध में लंबित अनुमोदन मिलने तक पालघाट इकाई को एक स्वतंत्र लाभ केन्द्र तथा एक अनुषंगी कंपनी का दर्जा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

(ङ) और (च) कंपनी द्वारा तैयार की गई पुररुद्धार योजना में परिकल्पना की गई है कि पालघाट इकाई को संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा। अंतिम निर्णय बी०आई०एफ०आर द्वारा लिया जाएगा जोकि एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।

[हिन्दी]

वित्तीय कंपनियों की श्रेणियां

3455. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्तीय कंपनियों के लिए कोई नई नीति घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो उन श्रेणियों की संख्या कितनी हैं जिनमें वित्तीय कंपनियों को वर्गीकृत किया गया हैं;

(ग) क्या उक्त नई नीति से हर श्रेणी की कंपनियों के लाभन्वित होने की संभावना हैं; और

(घ) नई नीति के अंतर्गत वित्तीय कंपनियों को वर्गीकृत के क्या-क्या लाभ है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जनवरी, 1998 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक नए विनियामक ढांचे की घोषणा की थी। तत्पश्चात इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

(ख) नई विनियमावली के उद्देश्य से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैं:-

(i) सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां;

(ii) गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियां जो सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार नहीं कर रही हैं तथा ऋण, निवेश, किराया खरीद वित्त तथा उपस्कर पट्टा गतिविधियों में संलग्न हैं; और

(iii) गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियां जो सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार नहीं कर रही हैं और अपनी कुल आस्तियों का कम से कम 90 प्रतिशत शेयर/अपने समूह में प्रतिभूतियां/शेयर पूंजी/अनुषंगी कंपनियां स्वीकार कर चुकी हैं और इन शेयरों/प्रतिभूतियों पर कारोबार नहीं कर रही है।

(ग) नई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की नीति, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और एनबीएफसी, विशेष रूप से सार्वजनिक जमाराशियों स्वीकार करने वाली एनबीएफसी पर प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। नई नीति तैयार करने में सार्वजनिक जमाराशियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया हैं।

(घ) एनबीएफसी को सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने में निम्नलिखित तथ्य लाभ पहुंचाते हैं :-

(i) नई नीति के अंतर्गत केवल सार्वजनिक जमाराशियां विनियमित की जाती हैं अन्य सभी प्रकार की जमाराशियां विनियमन के क्षेत्र से बाहर है।

(ii) उधार पर समस्त उच्चतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

(iii) केवल सार्वजनिक जमाराशियां पर चल आस्ति का रखरखाव किया जाता हैं। तथापि वे कंपनियां जो सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करती है उन्हें आय पहचान, लेखा मानक, आस्ति वर्गीकरण, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना, पूंजी पर्याप्तता, ऋण/निवेश संकेन्द्रण आदि मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक है।

(2) सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार न करने वाली कंपनियों को सीमित तरीके से विनियमित किया जाता हैं। ये कंपनियां ब्याज दर, अवधि, उधार की मात्रा की उच्चतम सीमा के विनियमन से मुक्त हैं। तथापि, विवेकपूर्ण मानदंड, जिनका संबंध उनके तुलन-पत्र में उनकी वित्तीय स्थिति की सही स्थिति स्पष्ट करने से हैं, पूंजी पर्याप्तता तथा ऋण संकेन्द्रण मानदंडों के अलावा, इन कंपनियों में लागू कर दिए गए हैं। इन विनियमों की अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व, इन कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों को सौंप दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस उद्देश्य के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए है। लेखा परीक्षकों को भारतीय रिजर्व बैंक को केवल अपवादस्वरूप सूचित करना होता है।

सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार /धारित न करने वाली एनबीएफसी को पहली सूची में अपने सांविधिक विवरण या तुलन पत्र या तिमाही चल आस्ति विवरण या छः माही विवेकपूर्ण मानदंड विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

[अनुवाद]

अभ्रक का निर्यात

3456. श्री मोइनुल हसन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षो के दौरान वर्ष-वार ब्यौरे सहित अभ्रक का कितना उत्पादन खपत और निर्यात रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान अभ्रक के विश्व व्यापार में कोई गिरावट आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अभ्रक के उत्पादन, व्यापार और रोजगार देने में अभ्रक व्यापार निगम का क्या योगदान रहा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) महोदय, अपरिष्कृत माइका तथा अपशिष्ट एवं स्क्रैप के उत्पादन तथा इसकी खपत से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, पिछले दस वर्षो के दौरान निर्यात निम्नानुसार है:-

वर्ष	निर्यात (पाउडर अपशिष्ट तथा स्क्रैप सहित) (मात्रा टनों में)
1	2
1987-88	38095
1988-89	47788
1989-90	39253
1990-91	42591
1991-92	34882
1992-93	27743
1993-94	33751

1	2
1994-95	30074
1995-96	33776
1996-97	29360
1997-98*	30001

*अनंतिम

(ख) जी, हां।

(ग) महोदय, अभ्रक के विश्व व्यापार में गिरावट के जिम्मेदार प्रमुख कारकों में भूतपूर्व यू.एस.एस.आर. तथा पूर्वो यूरोपीय देशों से मांग समाप्त हो जाने के अतिरिक्त निम्नलिखित कारक शामिल हैं:- प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा नए विकसित सिंथेटिक उत्पाद जिन्होंने पारम्परिक अभ्रक उत्पादों का स्थान ले लिया है।

(घ) महोदय, जून 1973 में स्थापित पूर्ववर्ती मिटको (अब खनिज एवं धातु व्यापार निगम, एमएमटीसी का माइका प्रभाग) माइका स्क्रैप, माइका ब्लाकों, विखण्डनों तथा फिल्मों के निर्यात के लिए सरणीयन एजेंसी हैं। तथापि प्रसंस्कृत माइका का सरणीयन अक्तूबर, 1990 में समाप्त कर दिया गया था परन्तु माइका स्क्रैप फैक्ट्री कटिंग/अपशिष्ट का सरणीयन अब भी जारी हैं।

मिटको ने 1987-88 से घाटे में चलना शुरू कर दिया था तथा 1991-92 के दौरान बी आई एफ आर को इसके बारे में सूचित किया गया था। बी आई एफ आर ने उक्त कम्पनी को पुन: शुरू करने के लिए पुनर्वास-सह समामेलन/विलय योजना स्वीकृत की थी। इस योजना के अनुसार मिटको का एमएमटीसी में विलय कर दिया गया हैं तथा यह 425 कर्मचारियों के साथ माइका प्रभाग के रूप में कार्य कर रही हैं।

विवरण

(मात्रा टनों में)

वर्ष	उत्पादन		खपत
	माइका क्रूड	अपशिष्ट और कतरन	(कतरन माइका/खुला सहित)
1	2	3	4
1987-88	4251	5518	9150*
1988-89	3886	3469	8750*
1989-90	4140	3557	9050
1990-91	4062	3366	8850
1991-92	3593	2364	8500
1992-93	2560	1758	8300
1993-94	2126	913	8300
1994-95	1988	1465	7850
1995-96	1832	1240	8150
1996-97	1954	1109	7950
1997-98अ	1678	1088	उ.न.

(अ) अनंतिम

उ.न. उपलब्ध नहीं

*कैलेण्डर वर्ष 1987 और 1988 से संबंधित

न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी में भ्रष्टाचार

3457. श्री रामपाल उपाध्याय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली स्थित न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध विभिन्न कर्मचारी संघों से शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में संक्षिप्त होने के कारण आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं या उनका तबादला कर दिया गया हैं या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; तथा उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया हैं और जिन्होंने दूसरे संगठनों में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या हैं जिनके विरुद्ध चालू वर्ष के दौरान आरोप पत्र तैयार किये गए हैं किंतु उन्हें आरोप पत्र दिये नहीं गये; और

(च) कतिपय वर्ग के अधिकारियों के लिए सेवा संबंधी मामलों में कंपनी के नियमों का पालन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान विभिन्न संवर्गो के अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त विभिन्न अभिकथनों से संबंधित कुल 38 शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लि० ने उन्हें बताया हैं कि इन तीन वर्षो के दौरान शाखा प्रभारी तथा उसके ऊपर के ओहदे के 9 वरिष्ठ अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए थे। प्रबन्धकों द्वारा कनिष्ठ अधिकारी के त्याग-पत्र की सतर्कता विभाग द्वारा उसके विरुद्ध आरोपों के संबंध में लम्बित जांच को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया गया हैं। चूंकि उसका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए संबंधित अधिकारी को तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित होने की सलाह दी गई थी। सतर्कता अनापत्ति के अभाव में उसे किसी दूसरे संगठन में पदभार ग्रहण करने के लिए कंपनी द्वारा अनुमति प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) नहीं।

(च) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया हैं कि सेवा संबंधी मामलों में नियमों का सभी वर्ग के अधिकारियों द्वारा समान रूप से पालन किया जा रहा हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में नये होटलों का खोला जाना

3458. **श्री भीम दाहाल :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर कुछ लग्जरी होटलो का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में इन स्थानों पर आने वाले मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए कुछ होटल और अतिथि गृह का निर्माण करने का हैं; और

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, नहीं। होटलों का निर्माण करना मुख्यतया निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, होटल उद्योग में ऐसे निवेश के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन आदि प्रदान करता हैं।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को, इन स्थानों में आने वाले मध्यवर्गीय पर्यटकों के लाभ के लिए पर्यटक स्वागत केन्द्रों, यात्री निवास, पर्यटक बंगलों, पर्यटक लाजों और पर्यटक कुटीरों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(घ) वे स्थान जहां वर्ष 1997-98 के दौरान बजट आवास स्वीकृत किए गए हैं, वे हैं:- अरूणाचल प्रदेश में पासीघाट, गिब्बनसलैण्ड, मियो, ग्लोलेक, घागलंग और तिपी, असम में बारपेटा, मंगलदोई, भुवन हिल्स, बोकारहाट, भालुकमोंग, बाटादावा, मणिपुर में मोरच, सिंगदा और सेकटा, मेघालय में नोंगस्टोइन, मिजोरम में रिईक और वाकोमबुक, नागलैण्ड में जोउकु, त्रिपुरा में कस्बा, माताबारी और अम्बास।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक

3459. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में गैर-शासकीय निदेशक की नियुक्ति के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) ऐसे गैर-शासकीय निदेशकों की पदावधि क्या हैं और कितने मामलों में उनकी यह पदावधि बढ़ायी गयी है;

(ग) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में गैर-राजनीतिक और गैर-शासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में संशोधित आदेश कब जारी किये थे;

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्रस्तावित निदेशकों की ऐसी सूची सरकार के पास कब प्रस्तुत की थी; और

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(क) की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड में दो गैर-सरकारी निदेशकों को नामित करना होता हैं। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर, 1994 में जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कहा गया था कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्डो में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामित किए जाने हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सिफारिश सरकार से करें।

(ख) विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्डों में सरकार द्वारा नियुक्त वर्तमान गैर-सरकारी निदेशकों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका हैं तथापि, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 10 की शर्तों के अनुसार कोई (निदेशक अध्यक्ष को छोड़कर) अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि तक पद पर बना रहेगा तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर जब तक उत्तरा- धिकारी नामित नहीं हो जाता हैं पद पर बना रह सकता है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवम्बर, 1997 में जारी अनुदेशों, जिसमें प्रायोजक बैंको को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रबंधन में वृहत्तर भूमिका प्रदान की गई हैं, के अनुक्रम में प्रायोजक बैंको से कहा गया हैं कि वे अपने-अपने संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए उपयुक्त पैनल तैयार करें और उसे समुचित विचार-विमर्श के लिए सरकार के पास भेज दें। प्रायोजक बैंको से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया हैं कि ऐसा पैनल तैयार करते समय अर्थशास्त्रियों, कृषि संबंधी अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, सनदी लेखाकारों, वित्तीय विश्लेषकों, वकीलों जैसे पेशेवर व्यक्तियों या फिर लघु उद्योगों, पशुपालन, बागवानी जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों से लिए गए व्यक्तियों को पूरी तरजीह दी जाए। इसकें अतिरिक्त, उक्त क्षेत्र से सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के बारे में भी विचार कियाा जा सकता हैं। तदनुसार, सरकार प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9 (1) (क) के अंतर्गत प्रायोजक बैंकों द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी।

ऐसी कोई विनिर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित कर पाना कठिन होगा जिसके भीतर नामांकनों को अंतिम रूप देने का समस्त कार्य पूरा किया जा सके।

आयकर अधिकारी के ग्रेड में प्रोन्नति

3460. **श्री किशन सिंह सांगवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर निरीक्षक से आयकर अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के हाल ही के फैसले की जानकारी हैं जिसके लिये दोहरी नीति अपनाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित किया गया हैं

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की

जबलपुर बैंक ने आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों की वैधता को चुनौती देने के लिए दाखिल कुछेक याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

3461. श्री विजय संकेश्वर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम ने कर्नाटक के किसानों से वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कपास की खरीदारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य के किसानों से कपास की खरीदारी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) (क) जी हां।

(ख) सी.सी.आई. द्वारा वर्ष 1996-97 (अक्टूबर-सितम्बर) और 1997-98 (3.7.98) तक की स्थिति के अनुसार (कर्नाटक में खरीदी गई कपास की मात्रा क्रमश: 52,123 गांठ और 22,632 गांठ हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

3462. डा० सुगुण कुमारी चलामेला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1998 से विशाखापत्तनम पत्तन से जापान को किया जाने वाला लौह अस्यक का निर्यात उप्प पड़ा हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम, जो लौह अयस्क का निर्यात कर रहा है, पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री उत्पाद का निर्यात

3463. श्री जार्ज ईडन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरन में परमाणु बम परीक्षण के बाद समुद्री उत्पाद के निर्यात में कमी आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) समुद्री उत्पाद के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:-

(i) निर्यात के लिए उत्तम मछली एवं मत्स्य उपादों के उत्पादन के लिए मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों की मदद करने के उद्देश्य से एम्पीडा के जरिए विभिन्न सहायता योजनाएं लागू की जा रही हैं, अर्थात कैप्टिव पीलिंग शैडों, शीत भण्डारों, लघु प्रयोगशालाओं, जनरेटर सेटों, फ्लेक/चिप/ट्यूब-आइस मेकिंग मशीनों, निजी तीव्र प्रशीतन इकाईयों की स्थापना के लिए और रेफ्रिजरेटेड ट्रकों, आधुनिकीकरण के लिए उपकरण और मशीनरी की खरीद करने के लिए तथा मूल्यवर्धित उत्पादों आदि के लिए योजनाएं हैं।

(ii) मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु लिए गए ऋणों पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रमाणित ब्याज के एक हिस्से को प्रतिपूर्ति करने के लिए एक योजना स्वीकृत की गई है।

(iii) मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा आवश्यक मशीनरी और उपकरण का आयात किए जाने हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (ईपीसीजी) योजना के तहत शून्य आयात शुल्क के लिए प्रारंभिक सीमा पहले 20 करोड़ रुपए थी जिसे घटाकर 1 करोड़ रु० कर दिया गया हैं।

(iv) हाजर्ड एनालिसिज एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट सिस्टम वाली मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत विशेष आयात प्रदान करने के लिए पात्र बनाया गया है।

(v) मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) दरें अधिसूचित कर दी गई हैं।

(vi) एम्पीडा द्वारा मत्स्य पालन के जरिए श्रिपों के उत्पादन को नए मत्स्य पालन केन्द्रों एवं श्रिम्प अण्डन उत्पत्ति शालाओं के विकास हेतु इमदाद प्रदान करके प्रेत्साहित किया गया हैं।

(vii) श्रिपों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्थायी पर्यावरणोनुकूल मत्स्य पालन करने की दृष्टि से कृषकों को वैज्ञानिक तरीकों के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं।

(viii) मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों तथा समुद्री खाद्य उद्योग सें संबद्ध विभिन्न अधिकारियों के लिए एम्पीडा तथा निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा एचएसीसीपी प्रणाली के कार्यान्वियन तथा खाद्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के उच्च स्तरों को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

विशाखापत्तनम विद्युत परियोजना

3464. श्री के० एस० राव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुजा की 1040 मेगावाट क्षमता वाली विशाखापत्तनम विद्युत परियोजना का ईधन संभरण संबंधी करार लम्बे समय से अंतिम रूप देने के लिए लंबित पड़ा हैं :

(ख) यदि हां, तो परियोजना का विस्तृत ब्यौरा क्या हैं और ईधन संभरण संबंधी करार को अंतिम रूप देने में क्या बाधा है :

(ग) क्या इन बाधाओं को दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय किए गए है :

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं : और

(ङ) ईधन संभरण संबंधी करार को अंतिम रूप देने और विशाखापत्तनम विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य के आरंभ होने की संभावना कब तक हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राव) : (क) और (ख) महानदी कोलफील्ड्स लि० (म.को.लि.) तथा हिन्दुजा नैशनल थर्मल पावर कंपनी लि० (एच.एन.पी.सी.एल.) के बीच अप्रैल, 1998 में एक कोयला आपूर्ति एवं परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं हो पाई थी। यह मद्दें, अन्य बातों के अतिरिक्त, सीमांत लागत से संबंधित मसलों तथा अनुबंध के परिवहन भाग संबंधी परिणामी जोखिम उठाने से संबंधित हैं। ये सभी मद्दे चर्चा के अधीन हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। आई.पी.पी. से संबंधित मुद्दों पर विचार किए जाने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड में, कई अवसरों पर, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई तथा कुछ निर्णय भी लिए गए। जब भी आवश्यक हुआ, मंत्रिमंडल के निर्णय भी प्राप्त किए गए है।

(ङ) अनिर्णीत मद्दों को एक माह के भीतर हल कर लिए जाने की संभावाना है। समझौते के अनुसार, वित्तीय परिसमापन की प्राप्ति के 36 माह के पश्चात् विजाग विद्युत परियोजना अपनी प्रथम यूनिट चालू करेगी।

चारा घोटाला

3465. डा० संजय सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के चारा घोटाले और 300 करोड़ रुपए के तारकोल घोटाले के संबंध में देश व्यापी छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और प्रत्येक व्यक्ति के आवास से कितने आपत्तिजनक दस्तावेज और अघोषित धन जब्त किया गया हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ओर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) आयकर विभाग के प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों की तलाशी ली है।

(ख) जिन व्यक्तियों की तलाशियां ली गई उसके नाम निम्नानुसार हैं:-

कोलतार घोटाला समूह

(क) श्री मोहम्मद इलियास हुसैन

(ख) श्रीमती सलमा खातून पत्नी मो. इलियास हुसैन

(ग) श्री मो. मनवर हुसैन

(घ) श्री मो. सहबुद्दीन बेग उर्फ साहेब बेग

(ङ) श्रीमती शोभा सिन्हा

(च) कैप्टन सुदेश चन्द्र वर्मा

(छ) मेजर योगेन्द्र नारायण यादव

(ज) श्री जनार्दन शर्मा

(झ) श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा

(ञ) श्री केदार पासवान

(ट) श्री सत्य नारायण पासवान

(ठ) श्री राम नाथ सिंह

(ड) श्री दूधेश्वर नाथ सिंह

(ढ) मैसर्स नाथ एण्ड कम्पनी

(ण) श्री आर.ए. खेतान

(त) मैसर्स पवन केरीयर्स

(थ) श्री आर.ए. खेतान

(द) श्री जनार्दन अग्रवाल

(ध) श्री विनय कुमार सिन्हा

(न) मैसर्स अन्सारी ट्रान्सपोर्ट

(प) श्री नफीस अंसारी

(फ) श्री नरेन्द्र कुमार प्रसाद

(ब) श्री राम औतार

पशु पालन घोटाला समूहः

(क) डा० रविन्द्र कुमार राणा

(ख) श्री तारकेश्वर वैद्य

(ग) श्री प्रेम चन्द गुप्ता

(घ) श्री शिव कुमार गुप्ता

(ङ) श्रीमती शालिनी अग्रवाल और श्री आशीष अग्रवाल

(च) श्री एस०एन० अग्रवाल

(छ) मैसर्स आई.एस.टी.लि. एडं अन्यों का निगमित कार्यालय

(ज) मैसर्स आई.एस.टी.लि. का फैक्टरी परिसर

(झ) आई एस.टी.लि. का शाखा कार्यालय

नकदी, बहुमूल्य वंस्तुओं और अभिशंसी दस्तावेजों कि की गई जब्तियों के ब्यौरे

(क)	श्री मो०इलियास हुसैन	35,000/-रु० की नकदी। अन्य परिसम्पत्यिां: 50,500/-रु०श्री मो०हुसैन के रिश्तेदारों के नाम दो बैंक खाते तथा कोलतार घोटाले से संबंधित सरकारी अभिलेखों की फोटो कापियां भी जब्त की गई हैं।
(ख)	श्री मो०शाहाबुद्दीन बेंग उर्फ साहेब बेग	नकदी 23,80,000/-रु०। अन्य परिसम्पतियां 60,000/-रु०।
(ग)	श्रीमती शोभ सिन्हा	पटना स्थित आवासीय फ्लैट् के अभिग्रहण से संबंधित कागजात पाए गए है और जब्त किए गए हैं।
(घ)	कैप्टन सुरेश चन्द्र वर्मा	नकदी: 1,24,000/-रु० अन्य परिसम्पत्तियां 2,38,812/-रु० चल और अचल सम्पत्तियों के अभिग्रहण से संबंधित कागजात पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं।
(ङ)	मेजर योगेंद्र नारायण यादव	तलाशी कार्रवाई के दौरान पर्याप्त अचल और चल सम्पत्तियों के अभिग्रहण से संबंधित कागजात पाए गए है। और जब्त किए गए हैं।
(च)	श्री जनार्दन शर्मा	अन्य परिसम्पत्तियां 1,65,000/-रु०। तलाशी कार्रवाई के दौरान अचल और चल सम्पत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित कागजात पाए गए हैं तथा जब्त किए गए हैं।
(छ)	श्री अवधेशवर प्रसाद सिन्हा	नकदी 50,000/-रु० तलाशी कार्रवाई के दौरान अचल और चल सम्पत्तियों के अभिग्रहण से संबंधित कागजात पाए गए है। और जब्त किए गए हैं।
(ज)	श्री सत्य नारायण पासवान	अन्य परिसम्पत्तियां : 11,68,417/- रु०। तलाशी अभियान के दौरान पर्याप्त अचल एवं चल सम्पत्ति के अंधिग्रहण से संबंधित कागजात पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं।
(झ)	श्री रामनाथ सिंह	नकदी: 96,400/-रु०। अन्य परिसम्पत्तियां: 50,698/-रु० तलाशी अभियान के दौरान पर्याप्त अचल एवं चल सम्पत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कागजात पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं।
(ञ)	श्री दूधेश्वर नाथ सिंह	आर सी डी के इंजीनियरों द्वारा खाली हस्ताक्षरित प्रेषित माल की खरीद, जिसमें तारकोल की पावती भेजी गई हैं; पाई और जब्त की गई है।
(ट)	मै० नाथ एंड कम्पनी	आई ओ सी से भुगतान की रसीद से संबंधित कागजात पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं।
(ठ)	श्री आर.ए. खेतान	नकदी: 45,000/- रु०। तलाशी अभियान के दौरान पर्याप्त अचल और चल सम्पत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित कागजात पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं।
(ड)	श्री नफीस अंसारी	तारकोल आपूर्ति की विभिन्न खाली प्रेषिती रसीदें जिन पर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार ने विधिवत हस्ताक्षर किए हैं, के साथ तारकोल की ढुलाई से संबंधित कागजात पाए गए हैं। एक डायरी जिसमें खुले बाजार में तारकोल की ढुलाई और बिक्री के लिए विभिन्न व्यक्तियों को कमीशन के भुगतान से संबंधित प्रविष्टियां निहित हैं, को भी जब्त किया गया हैं।
(ढ)	श्री नरेन्द्र कुमार प्रसाद	नकदी : 1,05,000/-रु०। अन्य परिसम्पत्तियां 68,200/-रु०। एक डायरी जब्त की गई जिसमें सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियरों से वसूली गई राशियों को दर्शाया गया है।
(ण)	श्री राम औतार	नकदी : 75,000/-रु०। अन्य परिसम्पत्तियां 5,78,680/-रु०। तलाशी अभियान के दौरान पर्याप्त अचल और चल सम्पत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित कागजात पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं।
(त)	मै०आई.एस.टी.लि. और अन्य के कारपोरेट कार्यालय	विदेशी मुद्रा में बड़े पैमाने पर लेन-देन को दर्शाने वाले दस्तावेज तथा कमीशन की रसीदें और बहुत सी अग्रिम कंपनियों के निगमीकरण के दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए हैं।
(थ)	मै०आई.एस.टी.लि. का शाखा कार्यालय	श्री प्रेमचन्द गुप्ता की हांगकांग स्थित कम्पनी से 65,000/- रु० अमरीकी डालर की धनराशि को भारत स्थित एक अन्य कम्पनी में स्थानान्तरित करने संबंधी दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए

श्री प्रेम चन्द गुप्ता की कम्पनियों में जमा की गई अन्तर-निगमित धनराशि के ब्यौरे भी एकत्र किए गए हैं।

महरोली और गुड़गांव में भूखंडों के विक्रय और क्रय से संबंधित विक्रय पत्रों की फोटो कापियां भी पाई गई हैं और जब्त की गई हैं।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता की हांग-कांग स्थित कम्पनी मै० गुप्ता इंटरनेशनल इंवेस्टमैंट कंपनी लि० द्वारा भारत तथा इंग्लैंड में निगमित कंपनियों के शेयरों में निवेश के ब्यौरे भी पाए गए हैं और जब्त किए गए हैं।

(ग) से (ङ) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XIV के अंतर्गत अप्रकटित आय का पता लगाने के लिए दस वर्षों की अवधि हेतु ब्लाक कर निर्धारण करके तलाशी की कार्रवाई की जाती हैं। ऐसी अप्रकटित आय पर 60% की उच्च दर से कर लगाया जाता हैं। आयकर अधिनियम में ज्ञानबूझकर कर अपवंचन का प्रयास करने के लिए अभियोजन संबंधी कार्रवाइयां किए जाने का प्रावधान किया गया हैं। आय को छिपाने संबंधी परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त इस कानून के अंतर्गत उचित समय पर कार्रवाई हेतु विचार किया जाएगा।

बकाया पेटेंट को मंजूरी

3466. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15.4.98 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एफर्ट्स आन टु एन्हान्स मैनपावर आफ पेटेंट आफिसेज़ टु क्लिअर बैकलाग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या हैं, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/कार्यवाही करने का प्रस्ताव हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले सुधारों और लाए जाने वाले विधानों के स्वरूप के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(घ) प्राप्त/प्रसंस्कृत पेटेन्टों की लम्बित स्थिति 30 अप्रैल, 1998 को क्या थी,

(ङ) क्या ऐपेक्स पेटेंट कार्यालय को कलकत्ता से स्थानांतारित किए जाने का प्रस्ताव हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख़्त) (क) जी हां।

(ख) से (च) इसकी स्थापना से ही, पेटेंट प्रशासनिक प्रणाली के विशिष्ट आधुनिकीकरण अथवा पुरसंरचना के बिना, अप्रैल, 1998 तक 29000 से अधिक आवेदन जांच के लिए लम्बित पड़े थे। इससे पेटेंट की मंजूरी में विलम्ब हुआ हैं। 1997-1998 की अवधि के दौरान, 1844 पेटेंट प्रदान किये गये थे।

अपेक्षित अर्हता प्राप्त कमी मुहैया करने, अवसंरचनात्मक सुविधायें प्रदान करने, कार्यालयों के बीच कार्यों के पुनर्निर्धारण करने के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा पेटेंट आवेदनों के पिछले बकाया को समाप्त करने के लिए योजना तैयार करने सहित इस प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सरकार समय-समय पर कदम उठाती रही है।

ग्यारहवां वित्त आयोग

3467. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्यारहवें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का कोई प्रस्ताव विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) (क) और (ख) जी, हां ऐसे प्रस्ताव आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यों से प्राप्त हुए थे।

भारत सरकार को ग्यारहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों के संबंध में राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए थे। बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने अपने सुझाव भेजे थे, जिन पर विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देते समय सरकार ने विचार किया था। ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन 3 जुलाई, 1998 को पहले ही कर दिया गया हैं। वित्त मंत्री द्वारा एक वक्तव्य के माध्यम से 6 जुलाई, 1998 को संसद के दोनों सदनों को इस कदम की सूचना दे दी गई थी।

संतरा तथा कीनू का निर्यात

3468. इंजीनियर शंकर पन्नू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षो के दौरान राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा झालावाड़ जिलों से संतरे तथा कीनू के कितने मूल्य का देशवार निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कीनू निर्यात करने का हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किन देशों को ये निर्यात किए जाने का विचार हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कीनू के निर्यात के लिए गंगानगर में एक वैक्सिंग संयंत्र स्थापित करने का हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) इन उत्पादों के निर्यातों के राज्यवार/जिलावार आकंड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान संतरों, मैडारिन तथा अन्य खट्टे फलों के निर्यातों के संबंध में उपलब्ध आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(मात्रा : मी०टन मूल्य लाख रुपये में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1995-96	18367	1426
1996-97	24608	1887

इन फलों का निर्यात मुख्य रूप से बंगलादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यू०के०, मारिशस, सिंगापुर, यू०एस०ए०, नीदरलैंड आदि देशों को किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार इन फलों का निर्यात करने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हैं। तथापि, संतरे और किन्नू सहित फलों के निर्यात को विभिन्न समर्थनकारी उपायों के जारिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(घ) और (ङ) गंगानगर में वैक्सिंग संयंत्र की स्थापना संबंधी प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जाएगा।

अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

3469. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री रामपाल सिंह :
श्री चेतन चौहान :
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात में अनिवासी भारतीयों द्वारा 1998 के दौरान कुल कितना निवेश किए जाने की आशा हैं,

(ख) देश में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों की मुख्य विशेषताएं क्या है,

(ग) क्या विगत में अनिवासी भारतीयों को दिए गए प्रोत्साहनों/रियायतों के अच्छे परिणाम रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इस पर अनिवासी भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख़्त) (क) कलैंडर वर्ष 1998 के दौरान, 30.4.98 तक सरकार द्वारा लगभग 29655.90 लाख रु० मूल्य का अनिवासी भारतीय निवेश अनुमोदित किया गया हैं जिसमें गुजरात के लिए 260.60 लाख रु० का अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल हैं। तथापि, 1998 के दौरान किया जाने वाला वास्तविक निवेश, अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश-अवसरों के प्रति दिखाई जाने वाली प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

(ख) और (घ) सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश संबंधी नीति की निंरतर समीक्षा की जाती हैं ताकि इसे प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके और अनिवासी भारतीयों को पर्याप्त प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अनिवासी भारतीय निवेश में तेजी लाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में, पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों के साथ 100% अनिवासी भारतीय निवेश की अनुमति है।

इन उपायों के परिणामत: अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों से निवेश बढ़ गया है- 1991 में यह करीब 1970.00 लाख रुपये था जबकि 1997 में बढ़कर करीब 181717.90 लाख रुपए हो गया।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

3470. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण हेतु अनेक आवेदन-पत्र कानपुर के जिला उद्योग केन्द्र में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध न किए कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) उक्त योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख़्त) (क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत, कार्यदलों द्वारा आवेदनों की जांच के उपरांत उन्हें बैंकों से प्रायोजित करना जिला उद्योग केन्द्रों का एक अनवरत् कार्यकलाप है। जिला उद्योग केन्द्र कानपुर (नगर और देहात दोनों) में प्राप्त 1486 आवेदनों में से 1030 नये आवेदनों की जाँच चालू वर्ष के दौरान की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक, 30.6.98 की स्थिति के अनुसार, जिला उद्योग केन्द्र कानपुर (नगर) में 456 आवेदन जांच के निए लम्बित पड़े हैं।

(ख) बैंकों को प्रोयोजित करने के लिए लंबित आवेदनों की जांच जुलाई, 1998 के अंत तक की जानी हैं। इसके बाद बैंक इन आवेदनों की जांच स्वयं भी करेगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) योजना की जिला, राज्य व केन्द्र सरकार स्तर पर निगरानी की जाती हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया हैं कि कानपुर में योजना का कार्यान्वयन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा हैं

[अनुवाद]

सोयाबीन का आयात

3471. श्री अमर पाल सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सोयाबीन आयात करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इसका आयात किया जाना हैं; और

(ग) कितनी मात्रा में आयात किये जाने का विचार हैं तथा प्रत्येक देश का पृथक-पृथक आयात मूल्य क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) से (ग) सरकार ने खाद्य तेल निर्यातक इकाइयों द्वारा प्लांट संगरोध प्राधिकारियों की देखरेख में विखंडित रूप में अथवा आगम पत्तन पर विंखडित की जाने वाली फलियों के रूप में एक मिलियन टन सोयाबीन के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। किन देशों से उक्त सोयाबीन का आयात किया जाएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसकी उपलब्धता और प्रचलित मूल्यों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

खनिजों का निर्यात

3472. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खनिजों के निर्यात के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्ययोजना की मुख्य विशेषताएं क्या है तथा इसके तैयार करते समय क्या नीति अपनाई गई;

(ग) उन खनिजों के नाम क्या हैं जिन्हें निर्यात के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से सरकार को इन खनिजों की मांग प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क, अभ्रक इत्यादि के निर्यात के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया हैं। वर्ष 1998-99 के लिए पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए वास्तविक निर्यातों के लक्ष्य से लगभग 20 प्रतिशत अधिक का लक्ष्य रखा गया हैं इस कार्य योजना की मुख्य-मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:-

(i) मौजूदा बाजारों जैसे कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया इत्यादि के विस्तार के अतिरिक्त नए बाजारों अर्थात मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप, सी आई एस इत्यादि की पहचान करना

(ii) नीमित निर्यातों के लिए दीर्घकालिक संविदाओं का निष्पादन;

(iii) लौह अयस्क इत्यादि के लिए पत्तनों पर उन्नत हैंडलिंग सुविधाएं प्रदान करना;

(ग) निम्नलिखित खनिजों को निर्यातों में उच्च प्राथमिकता दी गई हैं:-

(i) लौह अयस्क

(ii) क्रोम अयस्क

(iii) मैंग्नीज अयस्क

(iv) अभ्रक स्क्रैप

(घ) व्यापारगत प्रक्रिया के मद्देनजर मांगों को सरकार के समक्ष नहीं रखा जाता है। तथापि, कुछेक प्रमुख आयातक देश हैं जापान, दक्षिण कोरिया पाकिस्तान, चीन, रोमानिया इत्यादि।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का निर्यात

3473. श्री फ्रांसिस्कों सारदीना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान विभिन्न देशों को कितना लौह अयस्क निर्यात किया गया;

(ख) देशवार और वर्ष वार निर्यात की मात्रा क्या है; और

(ग) इस निर्यात में गोवा का कितना हिस्सा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ख) महोदय, पिछले तीन वर्षो के दौरान निर्यात किया गया कुल लौह अयस्क निम्नानुसार है:-

मात्रा : (लाख टन में)

	1995-96	1996-97	1997-98 (अंनतिम)
योग	317.2	276.3	276.6

पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में विभिन्न देशों को निर्यात किए गए लौह अयस्क का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत के कुल निर्यातों में गोवा का हिस्सा निम्नानुसार है:-

1995-96	1996-97	1997-98 (अंनतिम)
47.8%	50.1%	53.4%

विवरण

मात्रा : (लाख टन में)

देश	1995-96	1996-97	1997-98 (अंनतिम)
	मात्रा	मात्रा	मात्रा
आस्ट्रेलिया	3.2	1.2	6.5
बंगालादेश	-	1.1	-
बेल्जियम	2.8	1.9	3.3
चाड	-	0.6	-
चीनी ताइपेई	4.0	7.0	14.2
चीनी(गणराज्य)	39.1	32.4	55.7
फ्रांस	-	2.2	3.7
जर्मनी	-	-	1.2
इंडोनेशिया	2.7	5.3	0.4
ईरान	18.4	13.1	14.8
इटली	11.5	8.2	4.7
जापान	174.7	141.4	143.3
कोरिया(गण)	27.7	34.5	7.1
नीदरलैंड	7.3	7.2	7.6
पाकिस्तान	3.6	2.2	4.4

[हिन्दी]

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कार्यशालाएं आवंटित किया जाना

3474. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम द्वारा उनके निर्धारित कोटे के अनुसार कार्यशालाएं आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कुल कितनी कार्यशालाएं आवंटित की गई हैं तथा इन में कितनी कार्यशालाएं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) और (ख) निगम द्वारा 1990 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को, आवंटित किऐ गए कुल शेडों/भूखडों/कार्य हेतु जगहों का संयुक्त रूप में 15% आबंटन का आरक्षण मुहैया कराया जा रहा है।

(ग) निगम द्वारा अभी तक आवंटित किए गए शेडों/भूखडों/कार्य हेतु जगहों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के संबंध में संयुक्त रूप से किए गए आवंटनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1990 से दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा आबंटित शेडों/भूखडों/कार्य हेतु जगहों की स्थिति को दशाने वाला विवरण।

क्र. सं.	औद्योगिक कॉम्प्लेक्स	आबंटित किए गए शेडों/ भूखडों/कार्य हेतु जगहों की संख्या	अनु.जाति/अनु.जनजाति के आवेदकों को आवंटित किए गए शेडों की संख्या
1.	नरेला इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स-प्लॉट्स	1800	270
2.	ओखला कंप्यूटर काम्प्लेक्स	31	-
3.	मंगोलपुरी इंजी. काम्प्लेक्स	94	3
4.	कीर्तिनगर पैकिंग काम्प्लेक्स	216	7
5.	कम्युनिटी वर्क सेंटर	2531	694

बैंकों की राजभाषा पर अखिल भारतीय सम्मेलन

3475. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों की राजभाषा पर तीन अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं परन्तु कई वर्षो के बीतने पर भी सम्मेलन अभी तक शुरू नहीं हो पाया हैं; और

(ख) यदि हां, तो बैंकों के चौथे राजभाषा सम्मेलन को कब तक आयोजित करने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) बैंकों के तीन अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन क्रमशः 20-21 मई, 1988, 15-16 सितम्बर, 1990 और 14-15 दिसम्बर, 1991 को कलकत्ता, मुम्बई तथा जयपुर में आयोजित किए गए थे।

भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा प्रतिवर्ष एक अखिल भारतीय स्तर का बैंक राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाता हैं जिसमें सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वियन संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श होता है तथा प्रस्ताव पास किए जाते हैं। इस अखिल भारतीय सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों से प्रस्तावित राजभाषा सम्मेलन के उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किए जाने वाले राजभाषा सम्मेलन को और व्यापाक रूप दिया जा सकता हैं।

[अनुवाद]

राजस्थान में लिग्नाइट

3476. कर्नल सेवानिवृत्त सोनाराम चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि राजस्थान के बाडमेर जिले के गरल गांव के समीप लिग्नाइट का भारी और समृद्ध भंडार पाया गया हैं;

(ख) क्या सरकार ने इसमें कोई रूचि नहीं ली हैं और उसने इसे लिग्नाइट कारपोरेशन को सौंप दिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसका अधिग्रहण करने और इसका वरीयता अन्वेषण कराने का हैं; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, हां। राजस्थान के बाडमेर जिले के गिराल गांव के निकट विद्यमान लिग्नाइट भण्डार के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार ने इन भण्डारों में रुचि ली है और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० (एन.एल.सी.) को मार्च, 1990 तथा जुलाई, 1992 के बीच विस्तृत अन्वेषण करने की सलाह दी है।

(ग) और (घ) चूंकि अन्वेषण पूरा कर लिया गया हैं, अत: केन्द्रीय सरकार के पास इसका और अन्वेषण करने अथवा अधिग्रहण करने की कोई योजना नहीं है।

परिवहन राजसहायता

3477. श्री था०चौबा सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि मणिपुर और नागालैण्ड राज्यों में उद्योगपतियों द्वारा भारी मात्रा में फर्जी परिवहन राजसहायता दावों को वरीयता दी जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं,

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुल कितनी राजसहायता का दावा किया गया था और कितनी राजसहायता जारी की गई थी,

(घ) राजसहायता जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ङ) स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) (क) मणिपुर और नागालैंड राज्यों द्वारा ऐसा कोई मामला केन्द्र सरकार के अध्यान में नहीं लाया गया है, जिसमें कि उद्योगपतियों द्वारा फर्जी परिवहन राजसहायता का दावा प्रस्तुत किया गया हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को 125.54 करोड़ रु. की राशि की राजसहायता जारी की गई हैं।

(घ) और (ङ) यह योजना वितरण/प्रतिपूर्ति आधार पर काम करती हैं अर्थात् राज्य सरकार द्वारा पहले राजसहायता दावों की छटनी की जाती हैं और फिर राज्य सरकार द्वारा पात्र इकाइयों को वितरित किया जाता हैं तथा उसके बाद केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता हैं इस संबंध में शीघ्र भुगतान किए जाने हेतु, राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिवहन राजसहायता जारी करने के लिए उत्तर-पूर्व विकास वित्तीय निगम(एन.ई.डी. एफ.आई.) को नोडल अभिकरण के रूप में नामित किया गया है।

कोल इंडिया लि० को विश्व बैंक ऋण

3478. श्री कमलनाथ : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने कोल इंडिया लि० को हाल ही में कितना ऋण स्वीकृत किया हैं:

(ख) इस ऋण से तय की जा चुकी खरीद का ब्यौरा क्या हैं:

(ग) क्या भारतीय तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं दोनों में ही भारी मात्रा में उपस्करों की खरीद का प्रस्ताव है:

(घ) यदि हां, तो इस खरीद के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं : और

(ङ) किन प्राधिकारियों के मध्यम से इन्हें कार्यरूप प्रदान किया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) (क) कोल इंडिया लि०(को.इं.लि.) को स्वीकृत विश्व बैंक ऋण में आई.बी.आर. डी. का 530 मिलियन अमरीकी डालर और जापान एक्सिम बैंक का 530 मिलियन अमरीकी डालर सम्मिलित हैं।

(ख) इस ऋण के एवज में पहले से ही अंतिम रूप दिए जाने वाले खरीद का विस्तृत ब्यौरा निम्न हैं:-

पैकेज सं.	पैकज	सफल बोली-कर्ताओं के नाम	टिप्पणी
004	14हाइड्राउलिक एक्सकेवेटर 2.5 एम 3/ 3.5 एम 3/	बी.ई.एम.एल., भारत	अनुबंध प्रदान करने से संबंधित अधिसूचना बी.ई.एम.एल. को जारी की जा चुकी हैं। शीघ्र ही बी.ई.एम.एल. के साथ औपचारिक अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाएगा।
006	8 हाइड्राउलिक एक्सकेवेटर 4.0 एम 3/ 5.0 एम 3	बी.ई.एम.एल., भारत	बी.ई.एम.एल., से अनुबंध प्रदान करने से संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी हैं। शीघ्र ही बी.ई.एम.एल. के साथ औप-चारिक अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाएगा।
018	2नं.क्रेन, (30 ट) व्हील माऊंटेड	टी.आई.एल. लि. भारत	टी.आई.एल.लि०को अनुबंध प्रदान करने से संबंधित अधि-सूचना जारी की जा चुकी हैं। टी.आई.एल. के साथ औपचारिक अनुबंध को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
019	3नं.केन, (30 ट) व्हील माऊंटेड	टी.आई.एल. लि. भारत	टी.आई.एल.लि०को अनुबंध प्रदान करने से संबंधित अधि-सूचना जारी की जा चुकी हैं। टी.आई.एल.लि० के साथ औपचारिक अनुबंध को शीघ्र की अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा हेतु विश्व बैंक के मार्गनिर्देशों को कडाई से अनुपालन करते हुए उपकरणों की प्राप्ति की जा रही हैं। विश्व बैंक से अनुमोदित मानक के निविदा संबंधी दस्तावेजों का, जोकि भारत सरकार के द्वारा भी समर्थित हैं, निविदा के मूल्यांकन तथा अनुबंध प्रदान किए जाने से संबंधित सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने हेतु उपयोग किए जाते हैं। खरीद के मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भावी निविदाकर्ताओं को भारी निविदा दस्तावेज के निर्धारण हेतु अपनाए जाने की पद्धति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता हैं।

(ङ) कोल इंडिया लि० का विश्व बैंक परियोजना प्रभाग कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना हेतु उपकरणों की अधिप्राप्ति का कार्य कर रहा हैं। प्रत्येक मामले हेतु विश्व बैंक द्वारा पूर्व समीक्षा तथा अनापत्ति भी

अपेक्षित होगी, या तो कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) के सक्षम प्राधिकारी अथवा (को.इं.लि.) का निदेशक बोर्ड, खरीद के मूल्य पर निर्भर करते हुए, अंतिम रूप से प्रत्येक मामले को अनुमोदित करेंगे।

[हिन्दी]

तिलहनों का आयात

3479. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेल के स्थान पर तिलहनों के आयात की मांग हो रही है,:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) जी, हां। दी सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा), दी सोल्वैंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) तथा दी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पिक्की) ने सोयाबीन बीज तथा अन्य तिलहनों का आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

(ख) से (घ) घरेलू उपलब्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुछ शर्तों तथा क्रियाविधिक आवश्यकताओं के अधीन सोयाबीन की सीमित मात्रा के आयात की अनुमति देने संबंधी एक प्रस्ताव की इस समय जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

औद्योगिक आंकड़ा एकत्रीकरण प्रणाली

3480. श्री भुवनेश्वर कालिता : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विहित मापदंडों के अनुसार सरकार का विचार 18 तारीख से 6 सप्ताहों के लिए औद्योगिक विकास दर एकत्र करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आकंड़े एकत्र करने के लिए एक स्वतंत्र स्रोत के रूप में एजेन्सी स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती उदारीकरण तथा बाजार उन्मुख रूझान ने घरेलू प्रतिद्वंदिता को और बढ़ा दिया हैं; और

(घ) यदि हां तो कब तक आंकड़ा एकत्रीकरण के लिए स्वतंत्र स्रोत ऐजेन्सी गठित किए जाने की संभावना हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख़्त) : (क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित मापदंड विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों (एस.डी. डी.एस.) के अनुसार, सरकार द्वारा 6 सप्ताह के समय के अंदर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) का तुरंत आकलन किया जाना है। विभिन्न आंकड़ा श्रोत एजेंसियों से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वे मासिक उत्पादन-आंकड़ा 4 सप्ताह के भीतर मुहैया कराएं ताकि सरकार 6 सप्ताह के भीतर सूचकांक जारी कर सके। औद्योगिक उत्पादन के लिए मासिक आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय मुख्य श्रोत ऐजेन्सी हैं। ये आंकड़े 4 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को अपेक्षित 6 सप्ताह में जारी किया जा रहा हैं।

(ख) से (घ) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करने की एस डी डी एस की अपेक्षा की पूर्ति की जा रही हैं तथा सरकार ने यह निर्णय लिया हैं कि आँकड़े एकत्र करने के लिए विभिन्न श्रोत एजेसिन्यां अपना काम करती रहेंगी।

भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

3481. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत दायित्वों के संदर्भ में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में स्थिति पत्र तैयार किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार " स्थिति पत्र" सभा के पटल पर रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) और (ख) उरूग्वे दौर की वार्ता के अंतर्गत किए गए विभिन्न करारों से उत्पन्न दायित्वों के क्रियान्वयन पर वाणिज्य मंत्रालय और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही हैं। संसद को समय-समय पर बहुपक्षीय व्यापार मसलों के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रगातियों की जानकारी दी जाती हैं। चूंकि इन करारों के तहत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित व्यापक वाणिज्यिक कार्यकलाप शामिल हैं, इसलिए सभी दायित्वों को शामिल करने वाला कोई एकल स्थिति-पत्र नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात

3482. श्री पी. उपेन्द्र : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात किया हैं;

(ख) यदि हां, तो कितना गेहूं किस मूल्य पर आयात किया गया था;

(ग) क्या अन्य देशों से भी निविदाएं प्राप्त हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने किस दर का प्रस्ताव किया था?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) और (ख) जी, हां। राज्य व्यापार निगम ने 142.50 अमरीकी डालर प्रति मी० टन के एफओबी मूल्य पर आस्ट्रेलिया से 15 लाख टन गेहूं के आयात का ठेका लिया हैं।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण-I

विभिन्न किस्मों के गेहूं की सी एण्ड एफ लागत की तुलना

अमरीकी डालर प्रति मी. टन

क्रं. सं.	पार्टी	किस्म	एफओबी कीमत	ट्रांसचार्ट द्वारा यथा निर्दिष्ट भाड़ा दर	उत्तराई मूल्य (एफओबी) भाड़ा	क्या बोली बंध पत्र की शर्त पूरी	प्रस्ताव की शर्तें की गई है	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आस्ट्रेलियाई व्हीट बोर्ड	आस्ट्रेलियाई स्टेण्डर्ड सफेद	142.50 की दर से	18.00	160.50	हां•	दर मूल रूप से 146.50 यू.एस. डालर प्रति मी.टन के एफ ओ बी पर उद्धत सरकार समर्थित संगठन होने के नाते इस समय तथा 1996 और 1997 में बोली बंध पत्र पर जोर नहीं दिया गया है।	आस्ट्रेलियाई बंदरगाहों पर 142.50 यू एस डॉलर प्रति मी.टन के एफओबी पर 1.5 मिलियन मी.टन के कारोबार को अंतिम रूप दिया गया
2.	कनाडियन व्हीट बोर्ड	2 सी डब्ल्यू एस.डब्ल्यू.एस	142.90 की दर से	27.00	169.90	हाँ	दर अप्रैल, 98 के दौरान कनाडियन व्हीट बोर्ड का 150,000 मी.टन के लदान का मूल प्रस्ताव था और यह 25.2.98 तक वैध था। 25.2.98 को विनिवेग टाइम 9.00 बजे।	प्रस्ताव गैर-प्रतिस्पर्धी पाया गया।
		2 सी डब्ल्यू ए डी						
		1 सी डब्ल्यू एस.डब्ल्यू.एस	146.40 की दर से	27.00	173.40		अपने दिनांक 27.2.98 को बाद के नई प्रस्ताव में सी डब्ल्यू डी ले अप्रैल और मई, 1998 के दौरान लदान के लिए 200,00 मी.टन. के लिए अपनी कीमत संशोधित करके 0.60 यू.एस. डालर प्रति मी.टन तक कर दी थी।	
		1सी डब्ल्यू ए डी					सरकार समर्थित संगठन होने के नाते बोली-बन्ध पत्र इस समय जोर नहीं दिया गया जैसा 1996 और 1997 में दिया गया था।	
		2सी डब्ल्यू आर एस						
		1 सी डब्ल्यू आर एस	149.90 की दर से	27.00	176.90			
		पोतलदान : अप्रैल, 1998						
3.	कंटीनेनटल ग्रेस यूएसए	यूएस#2या बेहतर साफ्ट व्हाइट	137.25	27.00	164.25	नहीं	1. मिकोटॉक्सिन, बोमिटॉक्सिन 30 पीपीबी मेक्स शामिल नहीं वोमिटॉक्सिन 1000 पी पी बी यह भी उल्लेख किया कि टॉक्सिन का स्तर अमरीकी कानून और मानकों से अधिक न हो। यू एस डी ए (संयुक्त	1. प्रस्ताव भारतीय स्वास्थ्य विनियमनों अर्थात् पीएफए पीएफ एस अधिनियमों के अनुरूप नहीं है। 2. प्रस्ताव पी एफ ए 1955 द्वारा निर्धारित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							राज्य कृषि विभाग) के अनुसार अन्य सभी कारक सं. 2 श्रेणी मानक और/अथवा स्वतंत्र प्रयोग शाला अंतिम लदान बंदरगाह पर। 2. बोली-बंध पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	अधिकतम मिकोटाक्सिन सीमा को पूरा नहीं करता। 3. बोली बंध-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अत: प्रस्ताव निरस्त किया।
4.	यूनाइटेड गैस पोर्टलैंड	यू एस सं. 2 अथवा बैटर सॉफ्ट व्हाइट	135.58 (मार्च,98) 136.30 (अप्रैल, 98)	27.00 27.00	162.58 163.58	नहीं	1. विचारार्थ प्रस्ताव एन ए ई जी ए (लेगा) अनुबंध 1982 के अधीन है। 2. पी एफ ए के पालन के संबंध में कोई पुष्टि नहीं। इसके लिए गुणवत्ता विनिदर्शन आदि और प्रमाणन।	1. प्रस्ताव पी एफ ए 1995 और पी एफ एस 1989 के अनुरूप नहीं है। प्रस्ताव में मिको-टाक्सिन रसायन अवशेषों और पी एफ एस पैरा-मीटरों की अधिकतम निर्धारित सीमा की गारंटी नहीं है। 2. कोई बोली बंधपत्र संलग्न नहीं है।
		यू एस सं.2 अथवा बैटर नार्दन डार्क नार्दन स्प्रिंग	151.93 (मार्च,98)	27.00	178.93	नहीं	3. निष्पादन बॉण्ड देने से इन्कार	3. प्रस्ताव स्वीकृत होने भी पी बी जी देने से इंकार। अत: प्रस्ताव निरस्त किया गया।
5.	कलैंबिया ग्रेस इंटरनेशनलइंक पोर्टलैंड	यू.एस ग्रेडस सं.2 अथवा बेटर सॉफ्टव्हाइट	134.08	27.00	161.08	नहीं	1. प्रस्ताव केवल मार्गदर्शन के लिए, स्वीकृति के लिए नहीं 2. संविदा में निर्धारित सभी मिकोटॉक्सिन (30 पी पी बी अधिकतम) के बावजूद एफ्ले-टॉक्सिन 30 पी पी बी मैक्स के संबंध में प्रमाणन। 3. लेवलों की किसी गारंटी के बिना रसायन अवशेष प्रमाण का प्रमाणपत्र परिक्राम्य दस्तावेजों के भाग के रूप में नहीं। 4. लेवलों की किसी गारंटी के बिना यूरिक एसिड करनाल बंट और वीड सीड्स के संबंध में प्रमाणपत्र। प्रमाणपत्र परिक्राम्य दस्तावेजों के भाग के रूप में नहीं। 5. कृषि मंत्रालय की ''रोगों की रोकथाम की अपेक्षाओं को माफ करते हुए यू एस डी यू/ए पी एच आई एस वनस्पति निरोगता प्रमाण पत्र। 6. कोई बोली बंध पत्र नहीं। 7. कोई निष्पादन बंध पत्र नहीं।	1. संविदा शर्तों और गुणवत्ता पैरामीटरों से पूरी तरह विचलन। 2. रासायनिक अवशेष लेवलों की कोई गारंटी नहीं दी गई। 3. पी एफ ए पी एफ एस सीमाओं की भारतीय स्वास्थ्य अपेक्षाओं की गारंटी नहीं दे सके। 4. कोई बोली बंधपत्र प्रस्तावित नहीं किया। 5. प्रस्ताव की स्वीकृति के बावजूद पी बी जी देने से इंकार। अत: प्रस्ताव निरस्त किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	कारगिल, जेनेवा	यू.एस. सं.2 ओ/बी सॉफ्ट व्हाइट व्हीट	132.46 (16-31 मार्च 1998)	27.00	159.46	नहीं	1. अधिकतम मिकोटॉक्सिल 30 पी पी बी लेवल की कोई गारंटी नहीं। एफ्लेटॉक्सिन 30 पी पी बी और वोमिटॉक्सिन अधिकतम 2 भाग-प्रति मिलियन प्रति स्वतंत्र लेख गारंटी के बावजूद। 2. प्रति स्वतंत्र लेख डवार्फ बंट स्पोर्ट के वजन पर आधारित अधिकतम ड्वार्फ बंट 0.005% 3. विक्रेताओं की पसन्द और लागत पर प्रति यू एस डी ए/एफ जी आई एस लदान पोर्ट पर या किसी स्वतंत्र लेब पर ग्रेड पूर्ण रूप से अंतिम होने चाहिए। 4. पार्टी ने विभिन्न श्रेणियों/लदान अवधि के लिए 2.91 यू एस डालर से 4.04 यू एस डालर तक अपनी कीमतें बढ़ाते हुए 27.2.98 को एक नया प्रस्ताव भी भेजा था। 5. कोई बोली बंधपत्र नहीं। 6. यह प्रस्ताव अर्जेन्टीना मूल के गेहूं के लिए है।	1. पी एफ ए अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य विनियमनों को पूरा नहीं करता। 2. पी एफ एस आदेश के अनुसार डवार्फ बंट का प्रमाणन नहीं। अतः स्वीकार्य नहीं। 3. बोली बंधपत्र का प्रस्ताव नहीं किया गया। 4. संविदा में अर्जेन्टीना के लिए गेंहू नहीं मांगा गया। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
		यू एस सं.2 ओ/बी हार्ड	133.95 (1-15 अप्रैल 98)	27.00	160.95			
		रेड विन्टर व्हीट	134.70 (16-30 अप्रैल 98)	27.00	161.70			
		(एफ ओ बी यू एस गल्फ पोर्ट)	139.28 (1-15 मार्च,98)	31.00	170.28			
			139.28 (16-31 मार्च,98)	31.00	170.28			
			139.74 (1-15 अप्रैल,98)	31.00	170.74			
			140.47 (16-30 अप्रैल,98)	31.00	171.47			
		सं.2 अर्जेन्टाइन व्हीट (एफ ओ बी अर्जेन्टाइन पोर्ट्स)	127.00 (मार्च,98)					
7.	ग्लेंकर ग्रेंनलि. बरमुडा	यूएसए/कनाडा आस्ट्रेलिया यूरो/ईयू/तुर्की विक्रेता के विकल्प पर अर्जेन्टीना मूलवार	सी एंड एफ ओ		149.00	हां	1. विक्रेता के विकल्पानुसार गेहूँ की मूल स्थल और तुर्की यूरोपीय संघ और अर्जेण्टीना मूल का प्रस्ताव जो स्वीकार्य नहीं था। 2. बाद में सूचित किया कि वे आस्ट्रेलियाई और कैनेडियन मूल के गेहूँ का प्रस्ताव नहीं कर सके क्योंकि ए डब्ल्यू बी/सी डब्ल्यू बी एस टी सी को सीधे ही भाव बता रहे हैं। उन्होंने केवल तुर्की यूरोपीय संघ के गेहूं की आपूर्ति करने को अपनी समर्थता की पुष्टि की।	1. निविदाकार ने आस्ट्रेलियाई और कैनेडियन मूल का गेहूं देने में असमर्थता व्यक्त की थी यू एस मूल के लिए एस टी सी के विनिर्देशनों अर्थात पी एस ए, पी एफ एस आदेशों के अनुसार देने की असमर्थता। 2. अर्जेन्टीना मूल के गेहूं की प्रस्ताव नहीं मांगा गया था। तुर्की मूल का गेहूं एफ सी आई को स्वीकार्य नहीं था। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
8.	हालबड लि. लन्दन	अर्जेन्टीना गेहूं सं.2	सी एंड एफ एफ ओ		149.85	नहीं	केवल अर्जेन्टीना मूल के गेहूं का प्रस्ताव किया गया।	इस मूल का प्रस्ताव नहीं मांगा गया था क्योंकि एफ सी आई अर्जेन्टीना मूल का गेहूं नहीं चाहती थी। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
9.	टोपकर इन्टर नेशनल यू एस ए						सहभागिता में असमर्थता जताई और कोई कारण नहीं दिया गया। संविदा दस्तावेजों के लिए धन्यवाद ज्ञापित।	कोई प्रस्ताव नहीं कोई विचार नहीं। अतः अस्वीकृत

[हिन्दी]

भारतीय उद्योग की सक्षमता

3483. श्री राम नारायण मीणा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धाओं में अर्थक्षम साबित नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की हैं;

(ग) क्या सरकार ने बंद उद्योगों के पुनरुद्धार और विशेष रूप से राजस्थान में औद्योगिक उत्पाद को बढ़ाने के संबंध में कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने रूग्ण औद्योगिक एककों, जिनमें राजस्थान के एकक भी शामिल है, के पुनरूज्जीवन के लिए कई उपाय किये है, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ निम्न उपाय शामिल है - भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, राष्ट्रीय नवीकरण निधि, राष्ट्रीय इक्विटी निधि आदि की स्थापना करना।

[अनुवाद]

कोयला खानों में घोटाला

3484. श्री अजित कुमार मेहता :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार कोयला उत्खनन में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक करोड़ों रुपए के कथित घोटाले में शामिल है:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए कोई जांच समिति गठित की हैं:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं: और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार राज्य में प्रचालित सैंट्रल कोलफील्ड्स लि० भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० नाम की तीन सहायक कंपनियों की किसी भी कोयला खानों में कोयला खनन कार्य में भूतपूर्व-सैनिक नियोजित नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्पाद शुल्क में कटौती

3485. श्री रवि सीताराम नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बजट में शीतल पेयों सहित आम उपयोग की अनेक मदों पर उत्पाद शुल्क में चार प्रतिशत कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि उत्पाद शुल्क में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को मिले;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित शीतल पेय बनाने वाली अनेक कम्पनियों के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली है और जिन्होंने इन रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) सरकार ने वर्ष 1998–1999 के बजट में आम खपत की अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्कों में 4% की कमी नहीं की है। इस वर्ष के बजट में शीतल पेय के रूप में लोकप्रिय वातित जल पर लागू उत्पाद शुल्क में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

चीन आदि से वस्त्र उत्पादन का आयात

3486. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन, नेपाल और कुछ अन्य देशों से वस्त्र उत्पादन के आयात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका देश के हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा हैं;

(ग) चीन, नेपाल, बंगलादेश और अन्य देशों से कौन-कौन से वस्त्र मदों के आयात में वृद्धि हो रही हैं तथा कौन से वर्ष से यह वृद्धि हो रही हैं; और

(घ) हथकरघा/विद्युतकरघा क्षेत्रों के हितों की रक्षार्थ उन देशों से इन देशों से इन मदों के आयात में कमी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान चीन, बंगलादेश तथा नेपाल से वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड-अप उत्पादों के आयात निम्नलिखित हैं :-

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	बंगलादेश	नेपाल	चीन
1995-96	153.77	3620.11	11427.62
1996-97	424.43	5236.24	14587.63
1997-98	2952.15	8949.29	21950.04

इसके मुख्य कारणों में, बाजार मूल्य, आयात नीतियां, ओजी एल के अंतर्गत रखी गयी समान प्रकार की मदे या प्रतिबंधित सारणी आदि, घरेलू उपयोग के प्रयोजन पर निर्भरता अथवा पुनर्निर्यात आदि शामिल हैं।

इसके कारण हमारे हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्रों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा हैं। सरकार आम तौर पर परिस्थिति की मानीटरी करती है। उद्योग से प्राप्त किसी भी प्रकार के प्रतिवेदन की डब्ल्यू टी ओ के करारों के उपलब्ध उपबंधों के अंतर्गत जांच की जा सकती है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल

3487. श्री सुरेश चंदेल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने पर्यटन केन्द्र हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने विदेशी पर्यटकों ने उन केन्द्रों का दौरा किया; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अधिक संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को उन केन्द्रों में आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) हिमाचल प्रदेश में मुख्य पर्यटक केन्द्रों में शिमला, कुल्लू-मनाली, चैल, लाहौल, स्पिती, सहारन, हटकोटी, चिन्तापुरनी, केलोंग, धर्मशाला, सर्चु, स्वर्गहट, कांगड़ा, ज्वालामुखी, मणिकरन, पोंटा साहिब, बरोग रामपुर, खारापथर, सोलन, कुफरी, चिंदी, पालमपुर, साराबाड़ी, नाहन, चांसल शामिल है। स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही (पर्यटकों) द्वारा पर्यटक केन्द्रों का दौरा किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान, हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:-

1995	47903
1996	51360
1997	52901

(ग) आठवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने, हिमाचल प्रदेश में 75 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1611.21 लाख रु० की वित्तीय सहायता स्वीकृत की हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान, 5 परियोजनाओं के लिए 119.00 लाख रु० की सहायता की स्वीकृत दी है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा हिमाचल परिपथ से संबन्धित प्रचार-ब्रोशर प्रकाशित किए गए हैं।

[अनुवाद]

वित्त आयोग की सिफारिशें

3488. श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वित्त आयोग द्वारा राज्यों के पक्ष में की गई सिफारिशें प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण हुई हानियों के लिए उनकी मांगों के अनुरूप नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा जैसे राज्य को सर्वाधिक हानि हुई है, अत: केन्द्र से विशेष अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) प्रत्येक वित्त आयोग केन्द्रीय करों और शुल्कों को राज्यों में वितरित करने के लिए कुछ निश्चित वस्तुनिष्ठ मापदण्ड निर्धारित करता हैं। दसवें वित्त आयोग ने जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय की दूरी, समायोजित क्षेत्रफल, मूलभूत ढांचे का सूचकांक और कर प्रयास आदि मानकों को अपनाया था। प्राकृतिक आपदा राहत के परिमाप के लिए वित्त आयोग ने 1983-84 से 1989-90 तक व्यय-सीमा में औसत और 1990-91 से 1992-93 तक प्राकृतिक आपदा राहत कोष की राशि के औसत को ध्यान में रखा था। सभी राज्यों के लिए निर्धारित इस राशि को 1994-95 तक की मुद्रास्फीति के लिए और उसके पश्चात 1999-2000 तक के लिए क्रमिक करों पर समायोजित किया गया।

(ख) और (ग) दसवें वित्त आयोग ने वे वस्तुनिष्ठ मानदण्ड चुने थे जो सभी राज्यों के लिए उचित थे। दसवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हालांकि उड़ीसा सरकार ने राज्य पर बकाया 2100 करोड़ रुपयों के ऋण माफी का निवेदन किया था, जिसे स्वीकृत नहीं किया जा सका।

ऋण की वसूली

3489. श्री नकली सिंह :
डा० विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बैंक फैल्स टू रिकवर लोन्स बर्थ 700 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या तथ्य छापे गए थे और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) क्या तत्कालीन अध्यक्ष के पुत्र को लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से आर्निक इंटरनेशनल और एक्रो एक्सपोर्ट को इसके निष्क्रिय खाते में 7 करोड़ रुपए ऋण स्वरूप दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस ऋण की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। पंजाब एंड सिंध बैंक की पिछले तीन वर्षो की अनुपयोज्य आस्तियां निम्नानुसार है :-

	(रुपए करोड़ में)
1994-95	619.32
1995-96	957.53
1996-97	1089.70
1997-98(•)	645.00

•(अनन्तिम)

(ग) और (घ) पंजाब एंड सिंध बैंक के अभिलेखों के अनुसार, अर्निका इंटरनेशनल एवं एल्क्रो एक्सपोर्ट के खातों में कोई स्वत्वधारी/हिस्सेदार/गारंटीकर्ता बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पुत्र नहीं हैं। दिनांक 31.3.98 की स्थिति के अनुसार इन खातों को अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं। बैंक ने स्वत्वधारी/गारंटीकर्ता के विरुद्ध आपराधिक परिवाद के अलावा दीवनी बाद दायर किया हैं। बैंक ने अर्निका इंटरनेशनल के खाते में स्वीकृत किए गए लदानपूर्व और लदानोत्तर अग्रिमों से संबंधित निर्यात ऋण और गारंटी निगम दावे भी दायर किए हैं। दोनों खातों में ब्याज रहित उचंत राशि 6.87 करोड़ रुपए हैं जिसमें से 5.62 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था कर दिए जाने की सूचना है।

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास संबंधी योजना

3490. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री डी०एस० अहिरे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के आदिवासी क्षेत्रों में हस्तशिल्प का विकास करने और हस्तशिल्पकारों के कल्याण के लिए कोई योजना तैयार करने/शुरू करने का हैं,

(ख) यदि हां तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक योजना/स्कीम के अर्न्तगत राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई और

(घ) हस्तशिल्प क्षेत्र में राज्यवार विशेषरूप से महाराष्ट्र में कार्यरत शिल्पकारों की संख्या कितनी है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) देश के आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और शिल्पकारों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में प्रशिक्षण, विपणन और विपणन विकास सहायता, शिल्प विकास केन्द्र/एम्पोरियमों की स्थापना, प्रदर्शनी एवं प्रचार, पेंशन, वर्कशेड-कम-हाऊसिंग, सामूहिक बीमा आदि शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक प्लान योजना के अन्तर्गत प्रदत्त निधियों के वर्षानुसार तथा राज्यनुसार ब्यौरे विवरण—I में दिए गए है।

(घ) हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े शिल्पियों की गणना का कार्य प्रगति पर है, तथापि महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यानुसार शिल्पियों की अनुमानित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण—II में दिया गया हैं

विवरण-I

वर्ष 1995—96 के लिए

प्लान योजनाओं के नाम (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	विपणन विकास सहायता	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	कल्याण	शिल्प विकास केन्द्र	लुप्तप्राय शिल्प •	योजनाओं का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.46	1.89	3.60	7.39	17.14	1.97	5.49	-	1.87	6.37	63.18
2.	अ.नि.द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	1.50
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	1.75	-	-	1.96	-	-	-	3.71
4.	असम	16.15	1.39	-	6.08	6.50	54.77	4.85	41.00	-	-	130.74
5.	बिहार	1.43	0.07	2.11	16.00	1.13	-	5.70	-	-	-	26.44
6.	दिल्ली	38.25	40.24	11.79	13.64	62.94	-	33.57	-	1.88	-	202.37
7.	गोवा	3.50	-	-	1.58	-	-	-	-	-	-	5.08
8.	गुजरात	28.66	2.50	0.80	19.21	-	10.00	13.62	-	5.63	-	80.42
9.	हरियाणा	10.24	-	3.60	6.04	5.00	1.93	4.79	-	1.87	-	33.47
10.	हिमाचल प्रदेश	38.32	1.66	4.20	5.12	-	45.00	3.08	-	1.87	0.30	99.55
11.	जम्मू एवं कश्मीर	26.00	1.66	-	7.44	-	2.50	3.01	-	-	-	40.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	कर्नाटक	10.67	1.93	0.43	2.94	–	2.50	3.42	–	–	–	21.89
13.	केरल	38.47	–	–	9.56	1.51	12.42	2.05	–	6.01	–	70.02
14.	मध्य प्रदेश	18.85	–	11.62	16.75	19.36	28.42	8.21	6.20	17.80	0.30	127.51
15.	महाराष्ट्र	10.45	1.80	6.00	8.07	3.04	–	7.87	–	3.56	–	40.79
16.	मणिपुर	–	0.28	–	8.06	–	–	6.79	–	–	0.30	15.43
17.	मेघालय	–	–	–	0.53	–	–	5.88	–	–	–	6.41
18.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	1.70	–	–	–	1.70
19.	नागालैंड	3.00	3.00	–	2.02	–	–	3.88	–	–	–	11.90
20.	उड़ीसा	37.39	1.27	2.79	23.75	2.11	28.56	5.82	–	8.81	–	110.50
21.	पंजाब	3.39	–	–	9.60	0.56	–	4.20	–	–	–	23.75
22.	पाण्डिचेरी	3.56	–	–	–	–	–	0.03	–	–	–	3.86
23.	राजस्थान	13.61	1.93	9.92	6.42	0.81	1.62	8.21	8.00	–	–	50.52
24.	सिक्किम	–	–	–	1.17	–	–	0.97	–	–	–	2.14
25.	तमिलनाडु	30.14	–	–	20.19	1.12	10.00	6.16	7.30	7.12	0.30	82 23
26.	त्रिपुरा	2.47	4.03	–	2.56	–	–	3.88	–	–	–	12.94
27.	उत्तर प्रदेश	109.38	23.52	97.20	138.92	16.76	54.04	21.57	94.81	50.00	–	606.20
28.	पश्चिमी बंगाल	16.85	4.65	0.31	13.54	5.50	12.06	9.25	–	1.87	–	64.03
	कुल	484.24	91.82	154.37	348.33	143.48	265.79	177.73	157.31	108.29	7.57	1938.93

आंकड़ो में बहुराज्यीय कार्यकलापों के लिए रिलीज अनुदान शामिल नहीं हैं। इसमें विभाग द्वारा सीधे संवर्धनात्मक कार्यकलापों पर खर्च की गई प्लान निधियां भी शामिल नहीं हैं।

वर्ष 1996—97 के लिए

प्लान योजनाओं के नाम (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	विपणन विकास सहायता	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	कल्याण	शिल्प विकास केन्द्र	लुप्तप्राय शिल्प	योजनाओं का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.94	–	7.39	5.20	18.30	5.38	–	–	–	–	36.61
2.	अ.नि.द्वीप समूह	–	–	–	–	1.00	–	0.38	–	–	–	1.38
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	1.00	–	0.34	–	–	–	1.34
4.	असम	5.37	–	3.00	2.65	12.52	35.34	2.10	31.60	14.25	–	106.83
5.	बिहार	0.80	–	–	20.97	5.23	–	1.43	–	–	–	28.43
6.	दिल्ली	21.58	6.82	4.19	4.63	21.95	–	6.74	–	3.56	–	69.47
7.	गोवा	–	–	–	0.69	7.95	–	–	–	–	–	8.64
8.	गुजरात	11.93	–	3.00	0.52	7.55	6.97	9.80	4.00	1.88	–	45.65
9.	हरियाणा	3.11	–	1.80	0.61	15.03	38.05	1.20	–	3.00	–	62.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	हिमाचल प्रदेश	18.04	0.30	20.11	1.10	1.50	22.50	0.77	-	-	-	64.32
11.	जम्मू एवं कश्मीर	9.45	-	1.00	1.56	4.96	-	4.52	-	-	-	21.49
12.	कर्नाटक	4.49	-	-	3.18	9.55	34.88	6.84	10.80	1.38	-	71.12
13.	केरल	3.40	-	-	3.84	10.48	7.76	2.05	32.61	7.41	-	67.55
14.	मध्य प्रदेश	5.81	-	-	15.77	33.19	15.50	-	-	-	-	70.27
15.	महाराष्ट्र	5.62	-	-	2.51	20.02	0.38	2.21	-	7.12	-	37.86
16.	मणिपुर	0.90	-	-	2.41	1.80	-	-	1.00	3.19	-	9.30
17.	मेघालय	-	-	-	0.50	1.20	-	1.03	-	-	-	2.73
18.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	0.03	-	2.71	-	3.01
19.	नागालैंड	1.90	-	-	0.78	1.00	2.50	-	-	-	-	6.18
20.	उड़ीसा	16.36	-	1.60	21.57	17.19	14.97	6.75	4.50	1.68	0.60	85.22
21.	पंजाब	1.65	-	-	-	9.26	-	-	-	5.50	-	16.41
22.	पाण्डिचेरी	1.80	-	-	-	1.20	-	-	-	-	-	3.00
23.	राजस्थान	4.10	-	0.60	1.10	8.59	3.80	-	-	-	-	18.19
24.	सिक्किम	-	-	-	-	1.00	-	0.17	-	-	-	1.17
25.	तमिलनाडु	8.71	-	3.21	15.43	10.28	32.13	0.95	9.56	3.88	-	84.15
26.	त्रिपुरा	1.09	2.74	-	1.00	1.20	6.00	0.68	-	3.56	-	16.27
27.	उत्तर प्रदेश	43.69	-	15.94	111.74	32.62	25.00	14.73	34.45	19.63	-	297.78
28.	पश्चिमी बंगल	10.53	-	5.46	8.21	23.06	20.13	6.72	-	8.99	-	83.10
	कुल	187.27	9.86	60.70	225.97	278.61	271.29	69.71	128.52	87.74	0.60	1320.27

आंकड़ो में बहुराज्यीय कार्यकलापों के लिए रिलीज अनुदान शामिल नहीं हैं। इसमें विभाग द्वारा सीधे संवर्धनात्मक कार्यकलापों पर खर्च की गई प्लान निधियां भी शमिल नहीं हैं।

वर्ष 1997—98 के लिए

प्लान योजनाओं के नाम (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	विपणन विकास सहायता	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	कल्याण	शिल्प विकास केन्द्र	लुप्तप्राय शिल्प	योजनाओं का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.14	1.89	-	6.28	16.78	2.12	-	10.35	-	-	49.56
2.	अ.नि.द्वीप समूह	-	-	-	0.70	0.20	-	1.36	-	-	-	2.26
3.	अरूणाचल प्रदेश	4.00	-	-	0.21	0.69	-	0.35	-	0.93	-	6.18
4.	असम	13.83	10.21	8.00	6.27	20.93	18.03	4.95	38.00	22.65	-	142.87
5.	बिहार	7.46	-	2.00	6.86	2.60	-	0.21	-	-	-	19.13
6.	दिल्ली	17.53	2.35	13.27	5.11	52.43	9.43	-	-	5.11	0.30	105.53
7.	गोवा	0.94	0.75	-	2.26	2.25	3.97	37.48	-	-	-	47.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	गुजरात	13.50	4.11	12.94	7.70	22.66	9.00	0.06	4.00	5.68	-	79.65
9.	हरियाणा	5.59	2.02	0.80	3.61	25.08	14.58	1.81	1.03	-	-	54.52
10.	हिमाचल प्रदेश	21.49	-	0.50	1.20	1.45	38.79	0.08	-	3.42	-	66.93
11.	जम्मू एवं कश्मीर	14.79	0.82	0.50	3.13	6.68	9.44	-	3.56	-	-	38.92
12.	कर्नाटक	3.92	1.14	3.94	1.94	9.46	6.13	1.05	8.64	10.07	-	46.29
13.	केरल	2.59	-	-	0.83	13.53	10.92	-	-	4.70	-	32.57
14.	मध्य प्रदेश	8.28	8.53	-	13.00	13.63	15.45	-	-	-	-	58.89
15.	महाराष्ट्र	7.90	-	-	1.78	25.23	-	0.45	14.35	3.56	-	53.27
16.	मणिपुर	1.64	1.30	1.00	5.96	7.28	5.65	0.44	-	3.19	1.30	27.76
17.	मेघालय	-	0.69	-	0.30	-	-	0.03	-	-	-	1.02
18.	मिजोरम	-	1.53	-	-	0.51	5.00	0.01	-	-	-	7.05
19.	नागालैंड	5.75	2.36	1.20	3.14	1.26	5.00	-	-	3.56	-	22.27
20.	उड़ीसा	28.62	1.85	6.00	15.96	11.14	13.15	7.10	8.00	14.27	2.92	109.01
21.	पंजाब	2.66	-	0.51	3.30	2.45	5.00	0.25	-	6.60	-	20.77
22.	पाण्डिचेरी	1.38	-	-	0.77	0.65	-	-	-	-	-	2..80
23.	राजस्थान	9.74	3.45	-	1.03	4.40	-	3.63	5.31	3.75	-	31.31
24.	सिक्किम	-	-	-	1.10	0.90	-	0.01	-	-	-	2.01
25.	तमिलनाडु	9.87	-	1.87	7.84	6.62	3.13	0.16	-	6.96	-	36.45
26.	त्रिपुरा	1.90	3.37	5.30	1.52	1.00	18.36	0.23	19.29	3.56	-	54.53
27.	उत्तर प्रदेश	32.80	0.97	3.30	75.75	33.54	32.06	1.74	-	25.68	0.60	206.44
28.	पश्चिमी बंगल	19.39	4.02	-	5.58	13.47	12.54	3.70	20.98	3.56	-	83.24
	कुल	247.71	51.36	61.13	183.13	296.82	238.21	65.10	128.26	127.25	5.12	1404.57

आंकड़ो में बहुराज्यीय कार्यकलापों के लिए रिलीज अनुदान शामिल नहीं हैं। इसमें विभाग द्वारा सीधे संवर्धनात्मक कार्यकलापों पर खर्च की गई प्लान निधियां भी शामिल नहीं है।

विवरण-II

क्र.स.	राज्य	शिल्पियों की अनुमानित संख्या (संख्या लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.68
2.	अ.नि.द्वीप समूह	0.02
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.11
4.	असम	1.58
5.	बिहार	2.36
6.	दिल्ली	1.77
7.	गोवा	0.10
8.	गुजरात	5.25
9.	हरियाणा	2.24
10.	हिमाचल प्रदेश	0.92
11.	जम्मू एवं कश्मीर	8.19
12.	कर्नाटक	4.57
13.	केरल	0.15
14.	मध्य प्रदेश	1.61
15.	महाराष्ट्र	5.14
16.	मणिपुर	4.25

1	2	3
17.	मेघालय	1.10
18.	मिजोरम	0.08
19.	नागालैंड	1.38
20.	उड़ीसा	1.19
21.	पंजाब	0.97
22.	पाण्डिचेरी	0.02
23.	राजस्थान	5.73
24.	सिक्किम	0.15
25.	तमिलनाडु	1.39
26.	त्रिपुरा	2.78
27.	उत्तर प्रदेश	15.57
28.	पश्चिम बंगाल	6.20
	कुल	76.50

बैंको द्वारा नियमों का उल्लंघन

3491. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के लिए यह अनिवार्य हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के यहां नकदी रिजर्व अनुपात और सांविधि नकदी अनुपात के तहत कुछ धनराशि जमा कराएं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान वर्ष-वार और बैंक-वार इन अनिवार्य खण्डों का उल्लंघन करने वाले बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)के रखरखाव में चूक के बैंक-समूह वार ब्यौरे तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल, 1995 से मार्च, 1998 के दौरान उनसे दाण्डिक ब्याज की वसूली के विवरण निम्नलिखित है:-

बैंको के प्रकार	चूक करने वाले बैंकों की संख्या			भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई
	1995-96	1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	-	-	-	-
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	-	2	2	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के संदर्भ में चूक की अवधि के लिए, दांडिक ब्याज की वसूली कर ली गई हैं/की जा रही है।
विदेशी बैंक	2	5	1	

अप्रैल, 1995 से मार्च, 1995 की अवधि के दौरान सांविधिक चल-निधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव में चूक के ब्यौरे तथा दाण्डिक ब्याज की वसूलियां निम्नलिख.. है:-

बैंको के प्रकार	चूक करने वाले बैंकों की संख्या			भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई
	1995-96	1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	-	-	-	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संदर्भ में चूक की अवधि के लिए दाण्डिक ब्याज की वसूली कर ली गई है।
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	4	-	1	
विदेशी बैक	5	5	4	

[हिन्दी]

आधारभूत ढांचागत क्षेत्र में सीधा विदेशी निवेश

3492. **श्री विक्रम देव केशरी** :
श्री राम पाल सिंह :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आधारभूत ढांचागत क्षेत्र में सीधा विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए पारदर्शी नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में और अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख्त) : (क) से (ग) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों पर विचार करने हेतु दिशा-निर्देशों का एक विस्तृत समुच्चय पहले ही तैयार है, जिसमें ऐसे प्रस्तावों के निपटान हेतु समयबद्ध, पारदर्शी और भेदभाव रहित प्रक्रिया की व्यवस्था हैं। वर्तमान दिशा-निर्देशों में ढांचागत सुविधा क्षेत्र में विदेशी निवेश हेतु उदार व्यवस्था की गई हैं। ढांचागत सुविधा क्षेत्र संबंधी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में अन्य बातों के साथ-साथ स्वत: अनुमोदन रूट के तहत 1500 करोड़ की विदेशी इक्विटी कैप शर्त के अध्यधीन विद्युत परियोजनाओं (जनित्रण, संचारण और वितरण) में 100 % तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की व्यवस्था है, आधारभूत और मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाओं में, दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस मंजूरी की शर्त के

अध्यधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 % तक सीमित है (विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की कोई सीमा नहीं हैं ("बनाओं, चलाओ और अन्तरित करों" आधार पर पत्तनों के लिए 100% तक विदेशी इक्विटी की अनुमति हैं, और पेट्रोलियम शोधन में 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन क्षेत्र में 51% तक तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन संबंधी आधारभूत सुविधाओं में 74% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति हैं।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन

3493. श्री रामचन्द्र बैंदा :
श्री प्रभूदयाल कठेरिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग और अन्य ऐसी एजेंसियों द्वारा मधुमक्खी पालन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या देश में मधुमक्खी पालन उद्योग की सुरक्षा के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख़्त) : (क) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन कार्याकलापों पर की गई वितरित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं :-

वर्ष	अनुदान	ऋण	जोड़
1996-97	40.02	47.20	87.22
1997-98	6.66	4.26	10.92

(लाख रुपये में)

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पुणे ने मधुमक्खियों की बीमारियों का पता लगाने और इन बीमारियों का सामना करने के लिए केरल तामिलनाडू और महाराष्ट्र में सर्वेक्षण संबंधी कार्यो को शुरू किया गया है। केरल और तामिलनाडू में एपिस मेलीफेश मधुमक्खी कीटपुंज जोकि भारतीय मूल के नहीं है की अनुकूलनीयता को जानने के लिए अध्ययन भी किये गये है।

कर्नाटक में पर्यटन विकास

3494. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में मुलाबागिल्ली और चिक्कतिरूपति में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन स्थानों को पर्यटक केन्द्रों में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और सरकार ने अभी तक इस पर क्या कार्यवाही की हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग): (क) मुलाबागिल्ली और चिक्कतिरूपति में पर्यटक स्थलों के रूप में विकास हेतु, वित्तीय सहायता के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय संघ के राष्ट्रो को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि

3495. श्री पी०सी० थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का यूरोपीय संघ के राष्ट्रो को किये जाने वाले निर्यात में 20% वृद्धि करने का लक्ष्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन देशों के साथ मंत्रालय स्तर पर और सरकारी स्तर पर तथा भारतीय राजनयिक मिशनों से जुड़े वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) से (घ) जी, हां। सरकार का निर्यात में 20% की वृद्धि करने का लक्ष्य हैं।

सरकार द्वारा मंत्रिस्तरीय और अधिकारिक स्तर, दोनों स्तरों पर नियमित रूप से द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाती हैं। यूरोप में चुनिन्दा भारतीय राजनयिक मिशनों से जुड़े वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की एक बैठक लंदन मे मई, 1998 में आयोजित की गई थी और यह पता लगाया गया था कि कतिपय स्थापित क्षेत्रों में भारतीय उत्पादों की अन्तर्निहित क्षमता और अपारंपरिक क्षेत्रों में विद्यमान सम्भावना के अनुसार 20% की निर्यात वृद्धि की संभावना युक्तिसंगत है।

यूरोपिय संघ के देशों में विद्यमान भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से प्रमुख वस्तुओं पर विशेष बल देते हुए एक उचित संवर्धनात्मक अभियान चलाया जा रहा है और इन देशों में अपेक्षाकृत अधिक बाजारगत पहुंच हासिल करने के लिए भारतीय निर्यातकों के संयुक्त आयोग की बैठक और द्विपक्षीय स्तर पर कार्यकारी परामर्श भी आयोजित करने का प्रस्ताव है।

हौजरी उत्पादनों के निर्यात में कमी

3496. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षा के दौरान हौजरी उत्पादनों के निर्यात के निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान हौजरी उत्पादनों के निर्यात में आई भारी गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) हौजरी उत्पादों के लिए निर्यात के कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते है। पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान हौजरी उत्पादों (निटिड परिधानों) के निर्यात निम्नानुसार हुए है:-

	मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में
1995-96	1223.2
1996-97	1488.2
1997-98	1605.3
1998-99 (अप्रैल-जून 98)	390.7

उपरोक्त अवधि के दौरान हौजरी उत्पादों के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है।

बाजार विकास सहायता कार्यक्रम

3497. **श्री के.पी. नायडू :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने बाजार विकास सहायता कार्यक्रम और बुनकरों के लिए हथकरघा विकास केन्द्रों को चालू रखने का अनुरोध किया है: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ख) विपणन विकास सहायता योजना 1 अप्रैल, 1998 से बंद कर दी गई है। इस योजना को जारी रखने हेतु कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, मामले की समीक्षा की जा रही हैं।

हथकरघा विकास केन्द्र योजना 1997-98 तक प्रचालन में थी। योजना के अंतर्गत कुछ राज्य सरकारों से चालू वर्ष में भी स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। योजना को आगे जारी रखना राज्य सरकारों तथा नाबार्ड के साथ परामर्श से योजना के समग्र मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर करेगा।

एन.टी.सी. की अधिशेष भूमि

3498. **श्री हरिन पाठक :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आज की स्थिति के अनुसार बंद एन.टी.सी. मिलों के स्वामित्व में कुल कितनी अधिशेष भूमि हैं;

(ख) इस अधिशेष भूमि का बाजार मूल्य क्या है और क्या इस भूमि के अवैध कब्जे के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से इस अधिशेष भूमि को बेचने का हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई चर्चा की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ख) एन.टी.सी. का गुजरात में 34.74 करोड़ रुपये मूल्य का 107.88 एकड़ बेशी क्षेत्र हैं। गुजरात में एन.टी.सी. के अधीन कोई भी मिल बन्द नहीं हुई हैं।एन. टी.सी. की मिलों की भूमि पर अतिक्रमण की कुछ रिपोर्ट मिली हैं तथा इसके लिए उचित कार्यवाही की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) एन.टी.सी. मिलों के पुनरुद्धार के लिये निधियां बढ़ाने की दृष्टि से एन.टी.सी. की बेशी भूमि के बेचने का प्रस्ताव है। यह मामला गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

लाभ को विदेश ले जाने पर प्रतिबंध

3499. **डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी प्रवाह और निवेश पर अर्जित लाभ को अपने देश ले जाने पर कोई पाबंदी लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या विदेशी निवेशक अपनी राशि किसी भी समय निकाल सकता हैं या उसे "ब्लॉक" वर्ष के लिए इंतजार करना पड़ता हैं; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार देश-वार कुल कितना विदेशी निवेश किया गया तथा अप्रवासी भारतीयों द्वारा कितना निवेश किया गया?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) विदेशी निवेश के संबंध में पूंजी और लाभांश के प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं, सिवाय इस बात के कि उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में 22 विनिर्दिष्ट उद्योगों में विदेशी निवेश के लिए लाभांश-संतुलन की शर्त लगाई जाती हैं। लाभांश-संतुलन की शर्त के अधीन लाभांश-भुगतान के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह, निर्यात अर्जनों द्वारा संतुलित किए जाने होते हैं।

(घ) 1.7.1991 से 31.12.1997 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (अनिवासी भारतीयों के निवेशों सहित) का देशवार अन्तर्प्रवाह संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1.7.1991 से 31.12.1997 तक विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीयों सहित) का देशवार अन्तर्प्रवाह

क्रम.सं.	देश का नाम	अन्तर्प्रवाह की राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	अर्जेन्टीना	00.03
2.	आस्ट्रेलिया	110.53
3.	आस्ट्रिया	56.22
4.	बाहमास	25.61
5.	बहरीन	03.18
6.	बेल्जियम	186.88
7.	बेलोरशिया	01.68
8.	भूटान	04.69

1	2	3
9.	बोलिविया	01.74
10.	ब्राजील	01.16
11.	बरमुडा	55.60
12.	ब्रिटिश बरजीनिया	11.49
13.	ब्रिटिश वेस्ट इंडीज	00.70
14.	कनाडा	60.15
15.	चैनल द्वीप	02.15
16.	केमन द्वीपसमूह	03.00
17.	चीन	01.69
18.	साइप्रस	36.86
19.	चेक गणराज्य	01.06
20.	डेनमार्क	172.19
21.	मिस्र	00.60
22.	एस्टोनिया	03.10
23.	फिनलैंड	58.11
24.	फ्रांस	503.67
25.	जर्मनी	1574.40
26.	यूनान	00.50
27.	हांगकांग	554.03
28.	हंगरी	01.10
29.	इंडोनेशिया	11.24
30.	आइल ऑफ मैन	01.73
31.	ईरान	34.60
32.	आयरलैंड	16.80
33.	इजराइल	64.77
34.	इटली	238.18
35.	जापान	1521.52
36.	जार्डन	00.0088
37.	दक्षिण कोरिया	1504.25
38.	कुवैत	03.88
39.	लाइखटेन्सटीन	06.13
40.	लक्जमबर्ग	23.78
41.	मलेशिया	92.32
42.	मारिशस	7690.50
43.	माल्टा	00.12
44.	मेक्सिको	00.006
45.	मस्कट	00.89
46.	नीदरलैंड्स	1549.18
47.	नेविस	00.10
48.	नार्वे	11.26
49.	अनिवासी भारतीय	566.52
50.	ओमान	07.91
51.	पनामा	07.94
52.	फिलिपीन्स	173.12
53.	पोलैंड	00.35
54.	कतार	00.0025
55.	रोमानिया	00.07
56.	रूस	13.93
57.	सऊदी अरब	04.20
58.	सिंगापुर	498.44
59.	स्लोवाकिया	00.02
60.	दक्षिण अफ्रीका	00.0006
61.	स्पेन	15,78
62.	श्रीलंका	01.40
63.	स्वीडन	325.12
64.	स्विटजरलैंड	612.37
65.	ताइवान	28.13
66.	तंजानिया	00.19
67.	थाइलैंड	226.93
68.	संयुक्त अरब अमीरात	20.87
69.	यूक्रेन	00.54
70.	यूनाइटेड किंगडम	1828.75
71.	संयुक्त राज्य अमरीका	5223.83
72.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	02.53
73.	वरजिन द्वीप समूह	58.32
74.	वेस्ट इंडीज	02.38

बचत बैंक खाता

3500. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या बैंकों में बचत खातों में निरंतर न्यूनतम बड़ी राशि रखना अनिवार्य कर दिया गया हैं;

(ख) क्या यह राशि सावधि जमा का रूप ले लेती हैं तथा क्या इसके परिणामस्वरूप कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों का अपनी बचत शेष पर कम ब्याज प्राप्ति होने के कारण शोषण होता है।

(ग) क्या चालू खाते में बड़ी राशि जमा रखना आवश्यक है। तथा उस पर ब्याज भी नहीं दिया जाता हैं और उस पर कुछ प्रभार भी वसूल किया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस राशि को एक वर्ष के लिए सावधि जमा मानने का हैं, ताकि खाताधारक अधिक ब्याज कमा सके और ऐसे शोषण की समाप्ति हो; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक/चालू खाते में कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं की हैं। ऐसा कोई भी निर्धारित खातों के रख-रखाव/व्यवस्था की लागत को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग बैंकों द्वारा किया जाता हैं बचत बैंक खाते के लिए बैंकों द्वारा निर्धारित न्यनतम राशि को मियादी जमाराशियों के समान या सममूल्य पर नहीं माना जा सकता है। कम वेतन भोगी व्यक्तियों को शोषित नहीं माना जा सकता हैं क्योकि बचत बैंक खाते पर 4.5% वार्षिक की वर्तमान दर पर्याप्त है जब इस बात को ध्यान में रखा जाता हैं कि बचत बैंक खाते का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से वैसे ही इस्तेमाल किया जाता हैं जैसे कि चालू खाता। चालू खाते मे जमा शेष पर कोई ब्याज देय नहीं हैं चाहे वे बड़े हो या छोटे क्योकि यह मांग पर आहरित किए जाने योग्य है। बैंक चालू खाते की निधियों को लाभप्रद ढंग से अभिनियोजित कर पाने में असमर्थ हैं।

यह समझा जाता हैं कि कुछ बैंक उन खातों पर कतिपय सेवा प्रभार लगाते हैं जो न्यूनतम राशि निर्धारित स्तरों (राशियों) से कम हो जाते हैं और जमाकर्ताओं द्वारा खातों को नियमित रखे जाने तक यह सेवा प्रभार लगाया जाता हैं।

(घ) और (ङ) बचत बैंक खातों या चालू खातों में बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि को एक वर्ष के लिए मियादी जमाराशि के रूप में स्वीकार करने पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा। बचत बैंक जमाराशियां खातों में लेनदेन संबंधी नगण्य निर्धारणों सहित लचीली है। खाताधारकों को चेक बुक और चेक संग्रहण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू सावधि जमाराशियों की न्यूनतम अवधि को 2 जुलाई, 1996 से 46 दिन से घटाकर 30 दिन और 29 अप्रैल, 1998 से 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया हैं ताकि जमाकर्ता अपने अल्पावधि जमाराशियों पर ब्याज अर्जित कर सके जो पूरी तरह से चल-निधि होगी और इसका उपयोग आकस्मिक मामले में किया जा सके।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा ऋण को बट्टे खाते में डालना

3501. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक ने पिछले तीन वर्षो के दौरान सशोध्य ऋण की कितनी राशि बट्टे खाते डाली हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रति वर्ष इतनी बड़ी राशि बट्टे खाते डाले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण को सुचारू बनाने और अशोध्य ऋण के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि विवरण में दी गयी हैं।

(ख) वित्तीय क्षेत्र सुधारों और संशोधित मार्गनिर्देशों के लागू किए जाने से बैंकों के लिए वसूल न की गई आय को अपने लेखे में दिखाने से बचना तथा संभावित ऋण हानियों के बदले प्रावधान करना अनिवार्य हो गया हैं। ऋण जोखिम के प्रति अपनी बढ़ी हुई संवेदनशीलता के कारण बैंक अनुपयोज्य आस्तियों की कमी पर जोर दे रहे हैं। अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए बैंकों के पास बड़े पैमाने पर दो विकल्प है:-

1. मुकदमा दायर करना जिसके निपटने में वर्षों लग सकते हैं और यदि बैक अपने पक्ष में डिक्री ले भी लेते हैं तो भी देयराशियों की वसूली समय खपाने वाली होगी। अधिक समय बीत जाने के पश्चात देयराशियों की वसूली, वसूलियों पर हुए कानूनी और अन्य खर्चों के अनूरूप नहीं होगी।
2. अधिकाधिक संभव राशि वसूल करने के लिए उधारकर्ताओं से विचार-विमर्श करें चाहे समझौता करके उन्हें ,इनके अनुपयोज्य आस्तियां हो जाने आदि के पश्चात खाते में नामे डाले गए ब्याजों जैसी कतिपय देयराशियों का त्याग ही क्यों न करना पड़े और त्याग की गई राशि को बट्टे खाते डाल दें। बहुत ही असाधारण मामलों को छोड़कर बैक मूल ऋण राशि को बट्टे खाते डालने की अनुमति नहीं देते हैं। बैंक आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालते रहे है:-

(i) वसूली की संभावनाएं क्षीण हों

(ii) ऋणों को कवर करने के लिए कोई ठोस/वसूली योग्य प्रतिभूति उपलब्ध न हो

(iii) कानूनी कार्रवाई बेवजह लम्बा समय लेती हो

(iv) काफी लम्बी अवधि के लिए ऋण बकाया हो

(v) अनुपयोज्य आस्तियों में कमी लाना

(vi) वसूल की गई राशि का लाभप्रद ढंग से पुनर्निवेश किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे बट्टे खाते या यमझौता प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करें:-

(क) बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी ने अपने व्यक्तिगत अधिकार से प्रश्नगत अग्रिम मंजूर न किया हो।

(ख) ऋण मंजूरकर्ता प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का न्यायपूर्वक प्रयोग किया था और अग्रिमों की मंजूरी के लिए बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया था और कि सामान्य शर्तें निर्धारित की गई थी।

(ग) अग्रिम की मंजूरी और संवितरणोत्तर पर्यवेक्षण में कोई ढील नहीं थी।

(घ) कर्मचारियों की ओर से कोई कार्य या लोप नहीं था जिससे ऋण वसूली योग्य नहीं रखा

(ङ) कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के पहलू की बैंक द्वारा शीघ्रता पूर्वक जांच की जानी चाहिए।

बैंकों से यह भी कहा गया हैं कि समझौते के माध्यम से अनुपयोज्य आस्तियों में कमी लाने के अपने प्रयास में उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यूनतम खर्च में अधिकाधिक संभव देयराशियों की वसूली की जाए।

(ग) और (घ) वसूली कार्रवाईयों में सुधार लाने के लिए आर बी आई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे ऋण वसूली नीति तैयार करें जिसकी जांच उनके निदेशक मंडल द्वारा की जाए। "बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम" का अधिनियमन 27 अगस्त 1993 को किया गया था जिसके अनुसार बैकों तथा वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों के शीघ्र न्यायनिर्णयन और उनकी वसूली के लिए अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहटी, जयपुर, पटना और जबलपुर में नौ ऋण वसूली अधिकरणों तथा मुम्बई बनाने में एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई। ऋण वसूली अधिकरणों की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई। सरकार द्वारा अधिक अनुपयोज्य आस्तियों वाले बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा समय-समय पर की गई है और बैंकों को सलाह दी गई हैं कि वे अधिकरण में दायर किए गए मामलों पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए उन पर शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई करें। जहां तक कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का प्रश्न हैं, बैंक का निदेशक मंडल प्रत्येक श्रेणी की अनुपयोज्य आस्तियों के शीर्षस्थ 100 खातों जैसे अवमानक संदिग्ध और हानि वर्ग (कुल 300 खाते) की पुनः संवीक्षा करेगा। इन खातों की पुनरीक्षा करते समय निदेशक मंडल कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए बैंक में लागू प्रणाली को भी ध्यान में रखता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
स्टेट बैंक समूह				
1.	भारतीय स्टेट बैंक	363.72	398.69	293.67
2.	स्टेट बैंक आफबी एडं जयपुर	39.25	24.98	26.45
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	27.89	15.85	136.69
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	32.93	6.04	26.02
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	50.61	5.72	12.09
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	19.74	4.93	19.62
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	18.95	4.02	2.38
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	4.17	28.96	36.29
राष्ट्रीयकृत बैंक				
1.	इलाहाबाद बैंक	55.73	6.71	21.39
2.	आन्ध्रा बैंक	38.78	1.95	37.42
3.	बैंक आफ बडौदा	270.27	46.42	70.17
4.	बैंक आफ इंडिया	260.38	307.08	217.15
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	81.12	56.52	47.30
6.	केनरा बैंक	200.00	169.49	18.20
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	144.12	138.44	156.83
8.	कार्पोरेशन बैंक	18.64	19.13	0.94
9.	देना बैंक	27.34	51.92	58.76
10.	इंडियन बैंक	42.51	115.94	10.28
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.94	75.01	375.73
12.	ओरियटल बैंक आफ कामर्स	2.13	0.82	46.22
13.	पंजाब नेशनल बैंक	220.77	53.14	150.34
14.	पंजाब एडं सिंध बैंक	1.70	2.86	9.93
15.	सिंडिकेट बैंक	24.84	8.03	58.79
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	27.86	38.81	30.57
17.	युको बैंक	165.07	110.98	220.57
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	119.00	36.51	65.48
19.	विजया बैंक	4.19	13.26	12.72
	कुल	2267.65	1742.21	2162.00

[हिन्दी]

एक्सपोर्ट/ट्रेडिंग हाऊस

3502. **श्री प्रभावचन्द्र तिवारी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य निगमों को एक्सपोर्ट/ट्रेडिंग हाऊस का दर्जा प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन निगमों का दर्जा दिए जाने के बाद निर्यात में हुई वृद्धि तथा राज्य–वार अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। संबद्ध राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा नामित किसी एक राज्य निगम को एक निर्यात घराने के रूप में मान्यता दी जा सकती है भले ही वे ऐसी मान्यता के लिए मापदंड पूरा नहीं करते हों। अन्य राज्य निगमों को निर्यात घराने/व्यापार घराने का दर्जा भी दिया जा सकता हैं यदि वे वांछित पात्रता मापदंड पूरा करते हों।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन हेतु ऋण

3503. श्री वैको :
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार निर्यात संबर्धन हेतु 4 प्रतिशत ब्याज पर वाणिज्यिक बैंकों को धनराशि देने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं और इस धनराशि को जुटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन–किन स्रोतों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार वित्तीय संस्थानों को भी वायदा संरक्षा के अंतर्गत ये रियायतें देने का हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं और

(ङ) ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क), (ख) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबी आई) ने सूचित किया हैं कि निर्यातकों को विशेष तौर पर सहायता प्रदान करने के लिए 1997–98 के निर्यात स्तर से अधिक वृद्धिशील निर्यात के संबंध में दिए गए रुपया निर्यात ऋण पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर 6.5% वार्षिक होगी। उपरोक्त सुविधा 31 दिसम्बर, 1999 तक उपलब्ध रहेगी। नई योजना के तहत वृद्धिशील निर्यात के संबंध में दिए जाने वाले रुपया ऋण के लिए बैंकों को आरबी आई की ओर से "4%वार्षिक" की दर से पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों द्वारा ऋण जारी न करना

3504. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत मंजूर ऋण का राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भुगतान न किए जाने के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों विशेष रूप से असम से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या ऐसी शिकायतों के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया हैं कि उन्हें असम से कोई शिकायत नहीं मिली हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया हैं कि योजनाओं के तहत ऋण देने के लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी किए गये हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत अग्रिम राशियों (जिन्हें प्राथामिकता क्षेत्र के तहत अग्रिम राशियां माना जाता हैं) के लिए मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार ऋण संबंधी सभी आवेदन पत्रों का निर्धारित समय–सीमा के अंर्तगत निपटान कर दिया जाना चाहिए। जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायते मिलती हैं, तब उन्हें जांच–पड़ताल के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/संबंधित बैंकों को भेज दिया जाता हैं। जांच पूरी हो जाने के बाद इस मामले में शिकायतकर्त्ताओं को उपयुक्त सलाह दी जाती हैं।

केरल को वित्तीय सहायता

3505. श्री सुरेश कुरूप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से "कुटुम्बश्री" कार्यक्रम के लिए 105 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार का यह अनुरोध विचाराधीन हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3506. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी-8 देशों द्वारा कड़ा रुख अपनाए जाने में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर असर पड़ने का खतरा हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष जी-8 देशों द्वारा कितनी राशि निवेश की गई:

(ग) क्या सरकार को विश्वास हैं कि प्रतिबंधों के बावजूद अमरीका से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चालू रहने की संभावना हैं:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं:

(ङ) क्या जर्मनी, जापान और इंग्लैंड से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी से कमी आई हैं:

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा किस सीमा तक इस निवेश में कमी आई हैं: और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) परमाणु परीक्षण पर जी-8 देशों द्वारा 12 जून को जारी की गई विज्ञप्ति भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर कोई रोक नहीं लगाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता हैं।

(ग) और (घ) अमेरिका भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है जिसका भाग भारत में कुल विदेश निवेश का 25 से 26% के बीच हैं। "ग्लैन्न संशोधन के अंर्तगत लगाये गये अमेरिकी प्रतिबंध भारत में निजि निवेश प्रवाह पर कोई रोक नहीं लगाते है, सिवाए कतिपय वित्तीय संस्थानों को छोड़कर जिन्हें भारत में सार्वजनिक तथा निजी दोनों की से ऋण लेने की अनुमति नहीं हैं। इसमें विशेष रूप से विदेशी निजी निवेश निगम तथा अमेरिकी एक्जिम बैंक आयेंगे जो कि भारत में अमेरिकी निवेश की गारंटी देने तथा सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। तथापि, यह पता चला हैं कि कई मामलों में अमेरिकी निवेशकों द्वारा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था की जा रही हैं। जहां तक भारत में अमेरिकी निवेश का संबंध हैं, परमाणु परीक्षण के बाद चल रहीं प्रवृत्ति से अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं देता हैं क्योंकि अनुमोदित अमेरिकी मूल के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि मई, 1998 की तुलना में जून 1998 में तीन गुणा से अधिक पहुंच गई हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि० के संबंध मे आश्वासन

3507. डा० रमेश चन्द्र तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में सम्बंधित कुछ आश्वासन संसद के समक्ष लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इनके लम्बित पड़े रहने की अवधि और विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) इन आश्वासनों को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

3508. श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन :
श्री अशोक अर्गल :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में नई शाखाएं खोलने का हैं; और

(ख) यदि हां, तो शाखाएं राज्य–वार कहां–कहां खोली जाएंगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई एच०एम०टी० घड़ियां

3509. श्री एच०जी० रामुलू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने जगज्योति बस्वेश्वर की स्मृति में क्या कावे कैलासा नामक कलाई घड़ियों का नया मॉडल तैयार किया हैं;

(ख) यदि हां, तो यह घड़ी बिक्री के लिए कब तक जारी की गई थी;

(ग) अब तक कितनी घड़ियों का उत्पादन किया गया/बेचा गया; और

(घ) कंपनी द्वारा इन घड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) जी, हां। एच०एम०टी० ने 12.12.1997 को 'कावे कैलास' नामक एक कलाई की घड़ी का नया मॉडल निकाला हैं।

(ग) उत्पादित/बेची गई घड़ियों की संख्या क्रमशः 5200/3500 है।

(घ) इन घड़ियों का उत्पादन श्री बास्वा समिति, बंगलौर के विशेष अनुरोध पर किया गया था। घड़ियां, समिति तथा संबंधित अन्य विभिन्न संगठनों को बेच दी गई थी।

निर्यात—आयात नीति

3510. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घोषित निर्यात और आयात नीति कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पादों के बराबर का दर्जा देती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात—आयात नीति के प्रयोजनार्थ औद्योगिक उत्पादों और आवश्यक कृषि उत्पादों की तुलनात्मक स्थिति में अभी भी कोई अंतर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया हैं कि आवश्यक कृषि वस्तुओं के निर्यात का लाभ कृषि उत्पादकों तक पहुंचे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) चालू निर्यात और आयात नीति में कृषि, औद्योगिक या अन्य मदों के आयात और निर्यात के लिए सामान्य मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। तथापि, इस समय अधिकांश कृषिउत्पाद आयातों की निषेधात्मक सूची में हैं। कुछ

मदों के निर्यात पर भी प्रतिबंध हैं। कुछ निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के संबंध में कृषिजन्य निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र को निम्नानुसार विशेष सुविधा प्रदान की गयी है :-

(क) शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (पीसीसी) योजना के अंतर्गत कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों के लिए शून्य शुल्क पूंजीगत माल के आयातों के लिए प्रारंभिक सीमा 5 करोड़ रुपये के घटाकर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(ख) निर्यात घराने/व्यापारिक घराने/स्टार व्यापारिक घराने/सुपर स्टार व्यापारिक घराने की पात्रता का आकलन करने के लिए फलों और सब्जियों, पुष्पोत्पाद और बागवानी उत्पाद/उत्पादों के निर्यात के लिए दोहरा भार प्रदान किया गया हैं। फलों, सब्जियों पुष्पोदत्पाद और बागवानी उत्पादों के लिए 1% अतिरिक्त विशेष लाइसेंस प्रदान किया गया है। बशर्ते कि इन उत्पादों का निर्यात किए गए कुल निर्यात का 10% या उससे अधिक बैठता हो।

(ग) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की ई ओ यू/ई पी जैड इकाइयों को सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा में प्राप्त आय के अधीन रहते हुए डी टी ए में मूल्य के रूप में अपने उत्पादन के 50% की बिक्री करने की अनुमति दी गयी है।

(घ) से (च) कृषिजन्य वस्तुओं का निर्यात व्यापारी निर्यातकों के जरिए अथवा विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है। कृषिजन्य उत्पादों के निर्यात से रोजगार के सृजन में और फार्म आय को बढ़ाने में मदद मिलती है जिससे कृषि उत्पादकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलती है।

[हिन्दी]

बी०सी०सी०एल० द्वारा बिहार में डम्पर/डोजर की आपूर्ति

3511. **प्रो०रीता वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की अनुषगी एकक भारत कोकिंग कोल लि० (बीसीसीएल) द्वारा बिहार सरकार की मांग पर सफाई के लिए डम्पर डोजर आदि भेजे गए हैं:

(ख) यदि हां, तो बीसीसीएल द्वारा पटना भेजे गए अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या बिहार सरकार ने इन वस्तुओं का भुगतान करने के लिए कहा गया है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

(ङ) क्या इन वस्तुओं को पटना भेजे जाने के लिए बीसीसीएल में कोल उत्पादन में हानि हो रही है: और

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार सरकार के अनुरोध पर भा.को.को.लि. के निम्नलिखित उपकरण पटना भेजे गए हैः-

क्रम संख्या	उपकरण का नाम	संख्या
1.	पेलोडर	6•
2.	डम्पर	15
3.	शावेल (पोकलेन)	2

•इसमें से एक भा.को.को.लि. में कार्यरत अनुबंधकर्ता का उपकरण है।

(ग) और (घ) भा.को.को.लि. द्वारा यह सूचित किया गया हैं कि इन उपकरणों के उपयोग हेतु पटना नगर निगम से भुगतान के दावों के लिए बिल तैयार किए जा रहे है। इस राशि का ब्यौरा बिलों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मालूम होगा।

(ङ) और (च) भा.को.को.लि. ने सूचित किया हैं कि इन उपकरणों को बिहार सरकार को स्थानान्तरित किए जाने के कारण कंपनी को उत्पादन तथा प्रेषणों, दोनों में ही घाटा उठाना पड़ा है, जिसका ब्यौरा निम्न हैं:-

ब्यौरा	मात्रा
उत्पादन की हानि	1000 टन प्रति दिन
प्रेषणों में हानि	10000 टन प्रति दिन

मात्रात्मक प्रतिबंध

3512. **श्री मोतीलाल वोरा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में मात्रात्मक प्रतिबंध के मामले को फिर से उठाने हेतु भारतीय वाणिज्य एवं औद्योगिक मंडल से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा कब तक इस मामले को विश्व व्यापार संगठन के साथ उठाने का विचार हैं;

(घ) ऐसे उत्पादनों की संख्या क्या हैं जो आयात प्रतिबंध से मुक्त हैं;

(ङ) क्या "बिन्दी", "कुमकुम" एवं "सिंदूर" इसमें शामिल हैं; और

(च) पिछले पांच वर्षो के दौरान निर्यात की दर का प्रतिशत क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिनांक 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार कुल 6781 मदों का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता हैं।

(ङ) जी, हां। सिंदूर, बिन्दी और कुमकुम मुक्त सूची में है।

(च) पिछले पांच वर्षों में रुपये के रूप में रही निर्यात वृद्धि दर निम्नानुसार हैं:-

1993–94	29.9%
1994–95	18.5%
1995–96	28.6%
1996–97	11.7%
1997–98	6.3%

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा की निश्चित सीमा

3513. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी व्यक्ति को विदेशी यात्रा के समय कितनी विदेशी मुद्रा साथ ले जाने की अनुमति हैं;

(ख) इस संबंध में उच्च अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा कितनी हैं;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की बचत को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस निश्चित सीमा में कमी करने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, कितनी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

विवरण

देश में विभिन्न प्रकार की यात्राओं के संबंध में प्रवासियों को स्वीकृत की गयी विदेशी मुद्रा राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

प्रयोजन	अनुरक्षण व्ययों के संबंध में विदेशी मुद्रा की मात्रा		अन्य व्यय
	विशेष स्लैब चेयरमैन, प्रबंधन कार्यकारी निदेशक आदि जैसे मुख्य/वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए	सामान्य मानदंड (अन्यों के लिए)	
1	2	3	4
(1) भारत में फर्मों/कंपनियों/संगठनों, स्वनियोजित व्यावसायिकों ट्रेड निकायों द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों, सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों, भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं, राज्य/शहरी सहकारी बैंक जोकि प्राधिकृत डीलर हैं, आईडीबीआई/यूटीआई/नाबर्ड/एनएचबी/एक्सिम बैंक/आईसीआईसीआई आदि जैसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व्यापार संबंधी दौरे।	45 दिनों की अवधि तक के लिए 500 अमरीकी डालर प्रतिदिन	45 दिनों की अवधि तक के लिए 500 अमरीकी डालर प्रतिदिन	
(2) वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा शैक्षणिक प्रवृत्ति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनारों में भाग लेना	सम्मेलन/सेमिनार की अवधि के अतिरिक्त 2 दिन के लिए 500 अमरीकी डालर प्रतिदिन	सम्मेलन/सेमिनार की अवधि के अतिरिक्त 2 दिन के लिए 350 अम० डालर प्रतिदिन	ब्रोचर के अनुसार पंजीकरण फीस
(3) संस्थाओं अथवा व्यावसायिकों द्वारा प्रायोजित विशेष प्रशिक्षण अध्ययन दौरे।	–	30 दिनों तक की अवधि के लिए 300 अम० डालर तक प्रतिदिन	5000 अम०डालर तक पाठ्यक्रम शुल्क (केवल प्रशिक्षण के लिए)
(4) विदेशों में रोजगार	2500 अमरीकी डालर तक प्रति व्यक्ति	–	–
(5) उत्प्रवास	3000 अमरीकी डालर तक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति/प्रत्येक सदस्य अथवा उत्प्रवास देश द्वारा अपेक्षित राशि	–	–

1	2	3	4
(6) विदेश में चिकित्सा उपचार	2 महीने की अधिकतक अवधि के लिए 150 अम० डालर प्रतिदिन	—	विदेश स्थित डाक्टर/ हस्पताल के अनुमान के अनुसार चिकित्सा संबंध व्यय
(7) विदेश में अध्ययन	ट्यूशन फीस, रख-रखाव, किताबों इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष 30,000 अमरीकी डालर तक	—	—
(8) बुनियादी यात्रा कोटा	प्रति कैलेंडर वर्ष में प्रतिव्यक्ति 3000 अमरीकी डालर तक	—	—

निर्धारित मानदंड में और/अथवा उक्त वर्णित विदेशी दौरे की अवधि में बढ़ोत्तरी से मुद्रा को प्राधिकृत डीलर द्वारा गुणावगुण आधार पर जारी किया जा सकता हैं। (बुनियादी यात्रा कोटा को छोड़कर)

संसद सदस्यों/राज्य विधायकों (अपने निजी कारोबार अथवा डाक्टरी चिकित्सा के कारण विदेशी यात्राओं को छोड़कर), केन्द्र/राज्य सरकारों के अधिकारी (जब वे स्वयं अपने व्यय पर यात्रा कर रहे हों को छोड़कर), केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार की निधियों से वित्तपोषित सरकारी/गैर सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों द्वारा की गयी विदेशी यात्राओं के संबंध में विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जारी की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, संसद सदस्य, विधायक, विधान परिषद के सदस्य अपने संसद सदस्य/विधायक/विधान परिषद के सदस्य बनने की अवधि के दौरान क्रमशः एक लाख रुपए और 50,000 रुपये के अध्ययन यात्रा कोटा के हकदार हैं।

[हिन्दी]

उत्तरप्रदेश के चाय बागानों का विकास

3514. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत टी बोर्ड उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय बागानों के विकास के लिए विशेष योजनाएं कार्यन्वित कर रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों से ऐसी योजनाएं कार्यन्वित की जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का पूरे उत्तरांचल में चाय बागानों के विकास के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान ऐसी योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1989-90 के दौरान किए गए एक प्रौद्यो-आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, कुमायूं और तराई क्षेत्र में फैले 14 जिलों को चाय उगाने के लिए उपयुक्त पाया गया है। चाय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्रों को चाय रोपण के विकास के लिए अलग से बनाई गई विशेष योजनाओं के लाभ प्रदान करने हेतु गैर-परम्परागत क्षेत्रों के रूप में घोषित किया हैं। चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चाय रोपण के विकास हेतु कुमायूं क्षेत्र में कौसानी और गढ़वाल क्षेत्र में नौटल प्रत्येक में एक-एक इस प्रकार दो लघु चाय परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ग) और (घ) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में चाय रोपण के विस्तार का कार्य उपरोक्त दो परियोजनाओं की सफलता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

एम०एम०टी०सी०द्वारा सोने का आयात

3515. **डा० विजय सोनकर शास्त्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 1998 के दैनिक जागरण में "एमएमटीसी की स्वर्ण आयात योजना में घपले ही घपले" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एम एम टी सी ने निर्यातोन्मुख एककों (ई ओ यू) और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ई पी जैड) को आपूर्ति करने के लिए 1988 से और घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टीए) के आभूषण विनिर्माताओं को आपूर्ति करने के लिए 1992 से एक प्राधिकृत अभिकरण के रूप में सोने का आयात करना शुरू किया था। एम एम टी सी द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1988—89 से 1996—97 के बीच की अवधि के दौरान जारी की गयी सोने की 85,325 किग्रा की कुल मात्रा में से ई ओ यू/ई पी जैड परिसरों के निर्यातकों ने 265 किग्रा के सोने के निर्यात में चूक की थी जिसमें निर्यातकों द्वारा अनाधिकृत रूप से निकाला गया 172 किग्रा सोना भी शामिल था। एम एम टी सी ने बॉडेड क्षेत्र से निर्यातकों द्वारा अनधिकृत तौर पर सोना

निकाले जाने के बारे में आपराधिक शिकायतें दर्ज की हैं। चूककर्ता निर्यातकों के विरुद्ध कानूनी/विवाचन संबंधी कार्रवाइयां भी शुरू की गयी हैं। इन मामलों की जांच—पड़ताल के लिए सी बी आई, डी आर आई, प्रवर्तन निदेशालय और डी जी एफ टी सहित जांच अभिकरणों के पास भी भेजा गया है। डी टी ए में चूक के सभी चारों मामलों को भी जांच के लिए सी बी आई के पास भेजा गया है। एम एम टी सी द्वारा प्रचालित संयुक्त योजना को अगस्त, 1995 से बंद कर दिया गया हैं और उक्त योजना के अंतर्गत चूककर्ता के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है। जहां तक यूनाइटेड बैंक आफ स्विटजरलैंड द्वारा सोने की आपूर्ति का संबंध है, एम एम टी सी ने सी ए जी को यह सूचित किया था कि परेषण के आधार पर बैंक आफ नोवा स्कोटिया का प्रस्ताव यू बी एस की तुलना में प्रतिस्पर्द्धी नहीं हैं। एम एम टी सी द्वारा स्वर्ण की आपूर्ति पर विदेशी क्रेता—योजना के प्रचालन के संबंध में एम एम टी सी ने यह सूचित किया हैं कि भारत के प्रमुख निर्यातकों में से केवल ऐसे एक निर्यातक ने, जिसके पास विनिर्माण की क्षमता थी, इसमें अपनी रुचि दिखायी थी और एम एम टी सी ने समस्त खर्चो की वसूली के पश्चात उक्त प्रचालन से लाभ कमाया था।

ऋण नीति

3516. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूलभूत ढ़ांचे के क्षेत्र में वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने हेतु नई ऋण नीति तैयार करने का हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया हैं कि मौद्रिक एवं ऋण नीति इस प्रकार तैयार की जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की अर्थव्यवस्था, जिसमें आधार भूत क्षेत्र भी शामिल हैं, की ऋण संबंधी वास्तविक आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी होती हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितम्बर, 1997 में बैंकों को आधारभूत परियोजनाओं सहित सभी परियोजनाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंडों अर्थात व्यक्तिगत उधारकर्ता के मामले में पूंजीगत निधियों के 25 प्रतिशत और उधारकर्ताओं के समूह के मामले में 50 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के अंदर सावधि ऋण मंजूर करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया था। 50 प्रतिशत के समूह एक्सपोजर मानदंड में 10 प्रतिशत तक वृद्धि करने की भी अनुमति प्रदान की गई हैं बशर्ते कि यह अतिरिक्त एक्सपोजर आधारभूत परियोजनाओं अर्थात् विद्युत, दूरसंचार, सड़क और पत्तन क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए हो।

पुराने टायरों का आयात

3517. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोग किए हुए पुराने टायरों का हमारे देश में आयात हो रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो इस आयात के संबंध में ब्यौरा क्या हैं तथा किन देशों से गत दो वर्षो के दौरान से आयात किए गए;

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि ऐसे आयात का हमारे देश के कच्चे रबर के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को कुछ संगठनों की ओर से पुराने टायरों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) एग्जिम नीति में दिनांक 1.4.1997 से प्रयुक्त टायरों के मुक्त रूप से आयात की अनुमति दी गई थी। तथापि, विभिन्न संस्थानों से अभ्यावेदन के बाद सरकार ने ऐसे टायरों के अंधाधुंध आयात को रोकने के लिए दिनांक 8.8.1997 को प्रति टायर एक न्यूनतम सी आई एफ मूल्य निर्धारित किया हैं।

इस समय प्रयुक्त टायरों का मुक्त रूप से आयात तभी किया जा सकता हैं अगर बसों, लॉरियों, बड़े आकार की गाड़ियों तथा छोटे वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए प्रति टायर सी आई एफ मूल्य 175 अमरीकी डालर हैं और यात्री मोटर गाड़ियों इत्यादि के लिए यह 25 अमरीकी डालर या उससे अधिक हैं। अप्रैल, 1997—फरवरी, 1998 के दौरान आयात किए गए प्रयुक्त/परत चढ़े टायरों की संख्या केवल 12676 थी। प्रयुक्त/परत चढ़े टायरों के आयात की कम मात्रा को देखते हुए, देश में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

खाद्यान्नों का निर्यात/आयात

3518. **श्री माधवराव पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान देशवार आयात और निर्यात किए गए खाद्यान्नों की मात्रा तथा मूल्य कितना हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा खर्च/अर्जित की गई;

(ग) क्या निर्यात किए गए खाद्यान्नों का मूल्य देश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किफायती लागत से कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान आयात तथा निर्यात किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं:-

आयात

मात्रा मी. टन में
मूल्य (मू.) (करोड़ रु० में
इकाई लागत (यू.सी) रु०/किग्रा.

	1995-96			1996-97			1997-98 (अं.)		
	मात्रा	मूल्य	यूसी	मात्रा	मूल्य	यूसी	मात्रा	मूल्य	यूसी
गेहूं	8240	10.39	12.60	612676	403.76	6.59	1344546	970.96	7.22
बासमती चावल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गैर-बासमती चावल	80	0.05	6.25	2	0.02	100	77	0.07	9.09
मोटा अनाज	1041	0.24	2.30	1955	0.50	2.56	965	0.37	3.83
दालें	490754	685.57	13.97	654908	890.34	13.59	859396	833.64	12.64

निर्यात

मात्रा मी. टन में
मूल्य (मू.) (करोड़ रु० मे)
यूनिट प्राप्ति (यू.आर) रु०/किग्रा.

	1995-96			1996-97			1997-98 (अं.)		
	मात्रा	मूल्य	यूआर	मात्रा	मूल्य	यूआर	मात्रा	मूल्य	यूआर
गेहूं	632468	366.761	5.80	1145898	698.45	6.10	1561	0.42	2.69
बासमती चावल	373314	850.67	22.79	523157	1247.64	23.85	581891	1674.35	28.78
गैर-बासमती चावल	4540699	3717.41	8.19	1989040	1924.72	9.68	17221798	1600.38	9.29
मोटा अनाज	28097	16.97	6.04	71042	48.65	6.85	14816	13.24	8.88
दालें	61355	131.81	21.48	65216	131.58	23.83	160183	354.74	22.15

(अं.) अंनतिम (स्रोत : डी जी सी आई एंड एस) कलकत्ता

निर्यात के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित फोरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स आफ इंडिया के मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंक में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न प्रकार की बेची गई किस्मों, निर्यातों के लिए ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग में भिन्नता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों के साथ फूड कारपोरेशन आफ इंडिया/घरेलू बाजार द्वारा निर्धारित की गई लागत की सही-सही तुलना करना संभव नहीं हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

3519. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) कुल औद्योगिक उत्पादन में भारतीय कंपनियों और विदेशी सहयोगी कंपनियों की कितनी भागीदारी हैं: और

(ग) उदारीकरण के पश्चात् की अवधि के दौरान किन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों ने विकास की अधिकतम दर दर्ज की हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 का औद्योगिक उत्पादन (आधार वर्ष 1993-94=100) के सूचकांक के अनुसार विकास दर क्रमशः 12.7, 5.6 और 6.6 प्रतिशत थी। वर्ष 1997-98 की 6.6% औद्योगिक उत्पादन विकास दर वर्ष 1996-97 की 5.6% की विकास दर से अच्छी है।

(ख) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में भारतीय कंपनियों और विदेशी सहयोग वाली कंपनियों की भागीदारी शामिल है। तथापि, केन्द्रीय रूप से अलग ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 से मोटर साईकिलों, कारें मिट्टी हटाने वाले उपकरण, जहाज विनिर्माण, वाणिज्यिक वाहनों, बिजली के पंखो और मशीनी औजारों के क्षेत्रों में औसतन उच्च विकास दर (8% से अधिक) दर्ज की गई हैं।

[अनुवाद]

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०की खुले मुहाने की कोयला खानें

3520. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के माजरी क्षेत्र में कितनी नई खुले मुहाने की कोयला खानें खोली गई है:

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र के किसानों से कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया हैं और परियोजना पर हुआ अनुमानित खर्च क्या है:

(ग) इस क्षेत्र में खान-वार कोयले की कितनी मात्रा उपलब्ध हैं:

(घ) किसानों को खान-वार मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई है:

(ङ) क्या प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है:

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं : और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या कितनी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में वे.को.लि० के माजरी क्षेत्र के लिए तीन नई ओपनकास्ट कोयला खानों को अनुमोदन दे दिया गया हैं तथा वे निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र के भू-स्वामियों से अधिग्रहित की गई कुल भूमि तथा इस पर आने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

		अधिग्रहीत काश्तकारी भूमि (हैक्टेयर में)	खर्च की गई अनुमानित व्यय (लाख रु०)
(i)	कावादी ओकाप	166.88	53.77
(ii)	सिरना ओकाप	65.89	27.00
(iii)	तेलवासा ओकाप	202.68	63.17

(ग) इस क्षेत्र में उपलब्ध कोयले का खानवार भंडार का ब्यौरा निम्न हैं:-

		(मिलियन टन में)
(i)	कावादी ओकाप	5.47
(ii)	सिरना ओकाप	3.55
(iii)	तेलवासा ओकाप	5.72

(घ) वे.को.लि. द्वारा भू-स्वामियों को दिए गए मुआवजों का खानवार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

		(लाख रु०)
(i)	कावादी ओकाप	53.77
(ii)	सिरना ओकाप	27.00
(iii)	तेलवासा ओकाप	63.17

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) कोल इंडिया की विद्यमान नीति के अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार, जिसकी कम-से-कम 3 एकड की गैर-सिंचित भूमि अथवा दो एकड की सिंचित भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, के एक वयस्क सदस्य को ही रोजगार दिए जाने के पात्र है। परियोजनाओं से प्रभावित 478 परिवारों में से 372 व्यक्तियों को रोजगार दिए गए हैं जिसका ब्यौरा निम्न है:-

(i)	कावादी ओकाप	209 सं.
(ii)	सिरना ओकाप	24 सं.
(iii)	तेलवासा ओकाप	119 सं.
	जोड	372 सं.

शेष परिवार रोजगार दिए जाने के पात्र नहीं हैं क्योंकि अधिकांशत: उनकी अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल मानक के न्यूनतम स्तर तक नहीं हैं।

खुले मुहाने खनन के लिए निजी ऑपरेटर

3521. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारग्रेटा कोयला खानों के विशेष संदर्भ में खुले मुहाने का खनन कार्य निजी आपरेटरों को सौंपा गया हैं :

(ख) यदि हां, तो वे कब से खनन कार्य कर रहे हैं और निजी आपरेटरों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या ठेकों में कोई शर्ते, विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में निर्धारित की गई हैं: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। नार्थ ईस्टर्न कोलफीन्डस (ना.ई.को.) की ओपनकास्ट खानों में प्रचालन हेतु प्रयुक्त हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) के लिए नवम्बर, 1983 में नार्थ ईस्टर्न कोलफीन्डस को निविदा प्रदान किए गए हैं, जिसे दिनांक 21.6.1998 के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2063 के अनुसार ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा (10) की उप धारा (1) के अंतर्गत ना.ई.को. में उत्खनन किए जाने से छूट दी गई हैं। हैम को भाडे पर लेने के लिए पार्टियों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंड खुली निविदा के माध्यम से हैं तथा यह कोल इंडिया लि० के निहित मानकों के आधार पर है।

(ग) विवरण में पर्यावरण के संबंध में कोई शर्त नहीं रखी गई है।

(घ) उपर्युक्त उत्तर के भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता हैं।

अनिवासी भारतीयों के लिए लक्षित योजनाएं

3522. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में अनिवासी भारतीयों के लिए लक्षित योजनाओं की घोषणा करने से अनिवासी भारतीयों में निवेश करने में रुचि पैदा हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विश्वास हैं कि इस घोषणा से कई अरब डालर की धनराशि एकत्र होगी;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने नए अंतर्राष्ट्रीय बांड जारी किए हैं जिनमें मौजूदा अंतराष्ट्रीय दरों की अपेक्षा एक प्रतिशत अधिक ब्याज की दर की पेशकश की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह कदम उठाने से क्या नवीनतम प्रभाव पड़ा हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) बजट में अनिवासी भारतीयों के लिए घोषित योजनाएं/सुविधाएं कायन्वियन की प्रक्रिया में हैं। मुख्यत: अनिवासी भारतीयों के लिए लक्षित भारतीय स्टेट बैंक के अंतराष्ट्रीय बांड इश्यू शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। बाडों को अमरीकी डालर, पौंड स्टर्लिंग तथा डयूशमाकों में डालर निवेश के लिए 7.75% पौंड स्टर्लिंग तथा डयूशमाकों के लिए 8% तथा डयूशमाकों के लिए 6.25 % की ब्याज दर सहित मूल्यवर्गित किए जाने का प्रस्ताव हैं। बजट में घोषित उपायों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन योजनाओं के कायन्विवयन के पश्चात ही किया जा सकता हैं।

ब्रिटिश निवेश

3523. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी हैं कि ब्रिटेन सरकार ने अग्रणी ब्रिटिश कंपनियों को भारत में निवेश की गति धीमी करने का निदेश दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं कि विदेशी निवेश समझौते में कोई धीमापन न आने पाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कंपनियों को भारत में किए जाने वाले निवेशों की रफ्तार कम करने के लिए कहा हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मत्स्य उत्पादों का निर्यात

3524. श्री महेश कनोडिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) और विभिन्न क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकार ने मछलियों, सुखाई गई मछलियों और विभिन्न मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया हैं;

(ख) यदि हां, तो मदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में मत्स्य भण्डारण करने और मत्स्य आहार के कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले प्रयासों का ब्यौरा क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत से आयात की गयी वस्तुओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

मा० मात्रा मी. टन में
मूल्य: करोड़ रु० में

मद		1995-96	1996-97	1997-98
प्रशीतित मछली	मा०	100093	173005	188029
	मू०	372.26	636.92	726.73
शुष्क मछली/शुष्क मछली उत्पाद	मा०	7725	9805	5692
	मू०	46.48	41.86	33.89
प्रशीतित श्रिम्प	मा०	95724	105426	101318
	मू०	2356.81	2701.76	3140.56
प्रशीतित कटलपिश एवं स्क्डि	मा०	78870	72102	72353
	मू०	580.44	562.82	594.30
अन्य	मा०	13865	17861	18426
	मू०	145.12	178.00	202.00
कुल :	मा०	296277	378199	385878
	मू०	3501.11	4121.36	4697.48

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में शुष्क मछलियों के लिए 57 शीतागार, 2 मत्स्य खाद्य संयंत्र और 16 भण्डागार हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा शीतागारों की स्थापना करने, दोषपूर्ण शीतागारों का उन्नयन करने, जनरेटर सैट, प्लेट प्रशीतक निजी त्वरित प्रशीतन (आईक्यूएफ) मशीनें, इन्सुलेटेड मछली संदूक तथा स्वचालित फ्लेक/चिप/ट्यूब बर्फ बनाने वाली मशीनें, इत्यादि खरीदने के लिए इमदाद प्रदान की जाती हैं। एम्पीडा द्वारा शीतागारों की स्थापना और मशीनरी और उपकरणों इत्यादि की खरीद के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जाता हैं। उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र समेत देश के किसी भी भाग में एम्पीडा से सहायता प्राप्त की जा सकती हैं।

अतिरिक्त ऋण भार

3525. श्री तारिक अनवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या टिप्पणियां की हैं;

(ग) क्या सरकार अतिरिक्त ऋण जाल में फंस गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस ऋण की अदायगी के लिए क्या उपाय करने का विचार हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी ऋण की चालू विनिमय दर पर संघ सरकार की कुल देयता, जिसमें आंतरिक उधार, विदेशी उधार और लोक खाते में शेष, जिन्हें सरकार द्वारा संसाधन के रूप में उपयोग में लाया जाता हैं, पिछले पांच वर्षों में 60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1992-93 में 480467 करोड़ रुपए से वर्ष 1996-97 में 770513 करोड़ रुपए हो गई हैं।

(ग) और (घ) कुल देयता में वृद्धि कुल व्यय और ऋण-भिन्न प्राप्तियों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए हुए निरन्तर राजकोषीय घाटे के कारण हुई थी। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल देयता वर्ष 1992-93 में 68 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1996-97 में 60 प्रतिशत हो गई हैं।

(ङ) परिपक्व होने वाली देयता को नए उधारों के माध्यम से चुकाया जाता है।

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम के ए०जी०एम०
को आरोप पत्र

3526. श्री भेरू लाल मीणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने साधारण बीमा निगम (सा०बी०लि०) और न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लि० की दलीलों को अमान्य करते हुए कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रकाश में लाए गए धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों में कथित रूप से तत्कालीन ए०जी०एम0 के संलिप्त होने के कारण उनके विरुद्ध "मेजर पेनाल्टी" (प्रमुख शास्ति) आरोप पत्र जारी करने को कहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि० तथा सा०बी०नि० द्वारा उक्त आरोपों का गंभीरता को कम आंकने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त आरोपी अधिकारी के विरुद्ध अनेक वर्षो पूर्व प्रकाश में आए भ्रष्टाचार के मामलों का आरोप-पत्र उसे उसकी सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन जारी किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब करने वाले अधिकारियों और भ्रष्ट अधिकारियों का पक्ष लेने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान कर ली गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध तथा साथ ही साथ अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि० एन०आई०ए०सी०) भारतीय साधारण बीमा निगम की एक सहायक कंपनी) के तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की एन०आई०ए०सी० द्वारा जांच की गई थी। यह पाया गया कि इस मामले में कोई सतर्कता का मामला नहीं बनता हैं। साधारण बीमा निगम ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इस अधिकारी के विरुद्ध अल्प दण्डात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने उसके विरुद्ध उच्च दण्डात्मक कार्रवाई शुरू करने का परामर्श दिया। साधारण बीमा निगम ने महसूस किया कि इस अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप को प्रभावी बनाने के लिए दस्तावेज अपर्याप्त हैं और उसने इस बात से केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अवगत कराने के लिए एक प्रबन्धक को नियुक्त किया, जिसने अपने पूर्व परामर्श को ही दोहराया।

(ख) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया हैं कि आरोपों को गम्भीरता से न तो एन०आई०ए०सी० ने और न सा०बी०नि० ने कम करके आंका।

(ग) जी, हां। उस अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को एक आरोप पत्र दिया गया।

(घ) कार्रवाई करने में कोई विलंब नहीं हुआ। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से दिनांक 28.1.1998 को उच्च दण्डात्मक कार्रवाई शुरू करने संबंधी सलाहकार पर अधिकारी को दिनांक 30.1.1998 को आरोप पत्र दे दिया गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिभूति घोटाला

3527. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूति घोटाला की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेनेदेनों की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उपगवर्नर श्री आर. जानकीरामन की अध्यक्षता में 1992 में एक समिति गठित की थी। संभवत: प्रश्न का संदर्भ जानकीरामन समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों से हैं। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रतिभूति लेनेदेनों में हुई अनियमितताएं अधिकांशत: भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का उल्लंघन करने के प्रयत्नों के कारण हुई हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि अनियमित लेनदेनों के लिए निधियों का मुख्य स्रोत कंपनी क्षेत्र और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रयुक्त उपाय पोर्टफोलियों प्रबंध योजना और संबंधित योजनाओं के माध्यम से किए गए थे। दलालों और कतिपय बैंकों के बीच भी निकट संबंध था, जिससे दलालों की निधियों तक अप्राधिकृत रूप से पहुंच संभव हुई और वे अपने लाभ के लिए अप्राधिकृत लेनदेन

भी कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जानकीरामन समिति की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: तैयार वायदा लेनदेनों में पर्याप्त सुरक्षोपायों का निर्धारण करना, भारतीय रिजर्व बैंक में लोक ऋण कार्यालयों के कार्यकरण और बैंकों का पोर्टफोलियों प्रबंध योजना के परिचालनों को सरल एवं कारगर बनाना, बैंक रसीदों के प्रयोग से संबंधित नियमों को सख्ती के साथ लागू करना, अन्तर-बैंक प्रतिभूति लेनदेनों के संबंध में मार्गनिर्देश जारी करना, अनुमोदित दलालों के साथ लेनदेन के लिए अलग-अलग बैंकों द्वारा मानदंड निर्धारित किया जाना और बैंकों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करना।

विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा

3528. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री गुरूदास कामत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफ. सी.एन.आर.) जमा पर मौजूदा दरों में संशोधन करना शुरू कर दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बीमा क्षेत्र

3529. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में तेजी से सुधार करने का निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या बीमा क्षेत्र के संबंध में हाल ही में कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या बीमा क्षेत्र में सुधारों के बारे में मल्होत्रा समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया गया हैं; और

(च) यदि हां, तो नए बीमा क्षेत्र में इन सिफारिशों को किस हद तक शामिल किया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99 के बजट भाषण से घोषित किया गया हैं कि बीमा क्षेत्र को प्राइवेट भारतीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए खोला जाएगा। बीमा विनियामक प्राधिकरण को सांविधिक निकाय में रूपान्तरित किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक विधान इस वर्ष बाद में लाया जाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग (परिसंघ)(फिक्की) ने 22-23 अप्रैल, 1998 को "बीमा: उदारीकरण मामला" के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगठित किया था। इस सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, प्राइवेट क्षेत्र तथा विदेशी कंपनियों के सदस्यों, बीमा विनियामक प्राधिकरण तथा सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ङ) जी, हां।

(च) समय-समय पर जब बीमा क्षेत्र के संबंध में सुधारों को शुरू किया जाएगा तब इन सिफारिशों को ध्यान में रखने का निर्णय लिया गया हैं।

पर्यटन भवन की स्थापना

3530. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान पत्तन से पर्यटन स्थल तक पर्यटकों को सीधा पहुंचाने के लिए प्रक्रिया में सरलीकरण करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन भवन बनाने का हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) पैकेज दौरों पर हवाईअड्डों पर आने वाले पर्यटकों को ट्रेवल एजेंटों/टूर आपरेटरों द्वारा कार/कोचों द्वारा गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया जाता हैं। देश के बड़े हवाईअड्डों पर कारें, पूर्व भुगतान की गयी टैक्सियों की सेवाएं भी सीटी-सेंटर के लिए उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं में और सुधार लाने के प्रयास सम्बद्ध एजेंसियों के सहयोग से किए जा रहे हैं

(ख) से (घ) पर्यटकों को सुविधा संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में भारत पर्यटन भवन स्थापित करने का प्रस्ताव हैं। सभी राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया हैं कि वे इस उद्देश्य से अपने-अपने राज्यों की राजधानियों में पर्यटन भवन स्थापित करें।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

3531. श्री दत्ता मेघे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे विदेशों में स्थित दूतावास भी कुछ ऐसे उपाय करते हैं ताकि ज्यादा-से-ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशन वीसा जारी करने और पर्यटक पुस्तिकाओं और ब्रोशरों के माध्यम से सूचना के प्रचार द्वारा उन सभी व्यक्तियों को, जो उनके पास आते हैं और जो भारत आने के इच्छुक हैं, सभी संभव सहायता प्रदान करते हैं। वे इंटरनेट पर अपने होम पेज में भारतीय संस्कृति और पर्यटन पर शाखाएं भी सम्पोषित करते है।

विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, मिशनों के साथ निकट समन्वय में कार्य करते हैं और मुख्य बाजारों में भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थान देने में उनके प्रयत्नों को सहक्रियान्वित करते हैं।

[अनुवाद]

ऋण का जाल

3532. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च ऋणग्रस्तता और अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के कम प्रयास के कारण कई राज्य सरकारें ऋण के जाल में फंसी हुई हैं जैसाकि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के ऋण में इसे परिलक्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान ऋण/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ो का ब्यौरा क्या रहा है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होते ही प्रस्तुत की जाएगी।

"बैकिंग ओम्बड्समैन स्कीम"

3533. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई "बैकिंग ओम्बड्समैन स्कीम" में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत क्षेत्रवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एपेक्स बैंक सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतों का निवारण करने पर कोई निगरानी रखता है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एपेक्स बैंक को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाए गए नागरिक घोषणपत्र का अतिक्रमण/उल्लंघन करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों को शीघ्र और कम खर्च में समाधान करने के लिए "बैकिंग ओम्बड्समैन स्कीम" की है, जो दिनांक 14.6.95 से संचालन में आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी प्रमुख केन्द्रों/क्षेत्रों को शामिल करते हुए अब तक 15 बैकिंग ओम्बड्समैन नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.97 को विभिन्न केन्द्रों पर बैकिंग ओम्बड्समैन द्वारा प्राप्त एवं संचालित शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों/परिवादों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है, जिसे नोडीय अधिकारी के रूप में जाना जाता है। भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) ने इन नोडीय अधिकारियों के ब्यौरे समाचार पत्रों में प्रकाशित किए थे। निदेशक बोर्ड संबंधित बैंकों द्वारा दूर की गई शिकायतों की प्रगति की पुनरीक्षा करते हैं।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाए गये सिटिजन्स चार्टर के अतिक्रमण/उल्लंघन के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

विवरण

विभिन्न केन्द्रों में बैंकिंग ओम्बड्समैन द्वारा प्राप्त व निपटाई गई शिकायतों की 31.12.1997 की स्थिति।

क्रं. सं.	केन्द्र	कुल प्राप्त शिकायतें	इस योजना से भिन्न शिकायतें	बैंकिंग ओम्बड्समैन द्वारा हाथ में ली गई शिकायतें	निपटाए गए मामलों की संख्या
1.	मुम्बई	1329	450	879	769
2.	दिल्ली	1377	717	660	600
3.	भोपाल	785	303	482	423
4.	बंगलौर	847	257	590	510
5.	चंडीगढ़	784	361	423	408
6.	हैदराबाद	749	352	397	329
7.	पटना	780	176	604	497
8.	जयपुर	998	788	210	168
9.	कानपुर	1251	605	646	516
10.	गुवाहटी	263	23	240	165
11.	भुवनेश्वर	104	14	90	62
12.	चेन्नई	212	66	146	98
13.	कलकत्ता	363	165	198	71
14.	अहमदाबाद	127	53	74	55
15.	तिरूवनंपुरम	120	50	70	15

तम्बाकू का उत्पादन

3534. श्री एस०एस०ओवेसी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1996-97 और 1997-98 के दौरान फ्लु क्योरड वर्जिनिया तम्बाकू का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रत्येक राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई;

(ग) क्या अनेक राज्यों के तम्बाकू उत्पादकों ने अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य की मांग की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) देश में वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान फ्लु क्योरड विर्जिनिया तम्बाकू का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है:-

		उत्पादन (मिलियन किग्रा०)	
वर्ष	आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा	कर्नाटक	कुल
1996-97	131.79	36.42	168.21
1997-98	127.00(अ)	46.00	173.00

(अ): अनुमानित उत्पादन

(ख) तंबाकू बोर्ड आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में एफ सी वी तंबाकू की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विस्तार योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा हैं। तंबाकू उपजकर्त्ताओं को इमदाद के रूप में वित्तीय सहायता भी दी जा रही हैं। इस तरह की योजनाओं पर वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए व्यय के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

व्यय (लाख रु० में)

वर्ष	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	कुल
1996-97	39.19	23.18	62.37
1997-98	37.70	28.88	66.58

(ग) और (ङ) एफ सी वी तंबाकू उपजकर्त्ताओं द्वारा तंबाकू के लिए लाभप्रद कीमत की मांग की जाती रही हैं। सरकार द्वारा प्रति वर्ष कृषि लागत एवं मूल आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर एफ सी वी तंबाकू की विविध किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की जाती हैं। जब कभी कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाती हैं, तो मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार हस्तक्षेप किया जाता हैं। 23.50 रु० प्रति किग्रा० न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले वर्ष 1997-98 में तंबाकू नीलामी में कर्नाटक में 48.82 रु० प्रति किग्रा० और आन्ध्र प्रदेश में 43.14 रु० प्रति किग्रा0 औसत मूल्य वसूली की गई थी।

काजू का आयात

3535. श्री टी० गोविन्दन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के दौरान कच्चे काजू की गिरी का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान काजू की गिरी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान 241495 मी० टन काजू का आयात किया गया था।

(ख) काजू गिरी (काजूगिरी छिलका द्रव सहित) के निर्यात से वर्ष 1997-98 के दौरान 1408 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं और बदल सकते है।
स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

जितपुर कोयला खान में कोयला भंडार

3536. श्री मोइनुल हसन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जितपुर कोयला खान में भडार की गुणवत्ता और मात्रा क्या हैं;

(ख) इस कोयला खान में इस समय कितना उत्पादन होता हैं और इसमें कितने लोग काम कर रहे है;

(ग) क्या कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस कोयला खान में ठेके पर कामगार लगाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) जितपुर खान का विकास करने के लिए सरकार की भावी योजना क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०(सेल) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को) की जितपुर कोलियरी के अंतर्गत उत्खनन योग्य कोयले का भंडार 16.90 मिलियन टन अनुमानित हैं। कोककर कोयले की गुणवत्ता वाशरी ग्रेड-III है राख 24-28%)।

(ख) वर्तमान उत्पादन तथा श्रमशक्ति का ब्यौरा निम्न है:-

1.	उत्पादन :	500 टन प्रतिदिन (लगभग)	
2.	श्रमशक्ति :	अधिकारी	-37
		गैर- अधिकारी	-1465
		जोड़	-1502

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) द्वारा सूचित किया गया है कि 49.57 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 1000 ट. प्रतिदिन का उत्पादन स्तर प्राप्त करने हेतु जितपुर कोलियरी के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए एक परियोजना का अनुमोदन फरवरी, 1992 में दिया गया था। किन्तु इस्को जिसे वर्तमान में बी.आई.एफ. आर. को संदर्भगत किया गया है, द्वारा वित्तीय संकट का सामना किए जाने के कारण परियोजना लागू नहीं किया जा सका।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा-पूर्वोत्तर राज्यों को ऋण

3537. श्री भीम दाहाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम की वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य-वार प्रति वर्ष कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) इन राज्यों के कितने मामले स्वीकृत के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास लम्बित हैं; और

(ग) ऋण शीघ्र स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं* द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को मंजूर की गई राज्य-वार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) आई डी बी आई ने सूचित किया हैं कि अद्यतन स्थिति के अनुसार उसके पास केवल एक आवेदन लम्बित है। अतिरिक्त सहायता मंजूर करने के लिए आई डी बी आई द्वारा इस आवेदन की जांच की जा रही हैं।

*इसमें शामिल वित्तीय संस्थाएं ये हैं: आई डी बी आई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०(आई एफ सी आई) और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि० (आई सी आई सी आई)।

विवरण

वर्ष 1995-96 तथा 1997-98 के बीच आई डी बी आई, आई एफ सी आई, आई सी आई सी आई द्वारा उत्तर पूर्वो राज्यों तथा सिक्किम को संवितरित की गई कुल सहायता।

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
अरूणाचल प्रदेश	1.60	8.60	32.61
असम	526.50	83.71	65.87
मणिपुर	-	-	-
मेघालय	-	-	-
मिजोरम	-	-	-
नागालैंड	-	9.10	-
सिक्किम	-	-	12.00
त्रिपुरा	-	-	-
कुल	528.10	101.41	110.48

एच०एम०टी०का आधुनिकीकरण/विकास

3538. [illegible] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, कलामस्से के आधुनिकीकरण/विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) एच०एम०टी० कंपनी के लिए एक पुनरुद्धार योजना पर काम कर रही हैं। कालमसेरी इकाई के विकास एवं आधुनिकीकरण के बारे में पुनरूद्धार योजना में विचार किया जाएगा।

सिंगरेनी कोयला खानों के बकाया ब्याज को माफ करना

3539. श्री के० येरननायडू : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंगरेनी कोयला खानों पर 663 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज को माफ करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जी, हां। सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० से संबंधित आठवीं योजना के दौरान जमा 663 करोड़ रु० के बकाया ब्याज की राशि माफ करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है। यह कंपनी द्वारा प्रस्तुत समग्र पुनर्वास योजना का एक हिस्सा हैं। यह प्रस्ताव जांच के अधीन है।

कस्टम हाऊस एजेंट

3540. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्टम हाऊस के 109 एजेंटों का लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कार्गो का निपटान प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनके लाइसेंस रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मामलों की समीक्षा करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। सीमा शुल्क गृह के अस्थायी एजेन्टों के लाइसेंस रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कार्गो की निकासी में कोई व्यवधान नहीं आया हैं।

(ख) लाइसेंस इसलिए रद्द किए गए थे क्योंकि ये अस्थायी लाइसेंसधारी 2 वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर लिखित एवं मौखिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में असफल रहे थे।

(ग) और (घ) माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशों के अनुसरण में, मामलों की पुन:समीक्षा की गई हैं और आवेदनकर्त्ताओं को मौखिक परीक्षा देने का एक और अवसर दिया गया हैं। मौखिक परीक्षा पूरी होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में पर्यटक स्थल

3541. श्रीमती राणी चित्रलेखा भौंसले :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या पर्यटक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में स्थान-वार कितने पर्यटक केन्द्र/स्थल स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनका कार्यनिष्पादन कितना है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना-वार इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पर्यटक मंत्रालय पर्यटक केन्द्र/स्थलों का निर्माण नहीं करता है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित पर्यटक सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी:-

1. शनिवारवाड़ा पुणे में ध्वनि-व प्रकाश प्रदर्शन।
2. मेले एवं उत्सव।
3. हरिहरेश्वर, जिला रायगढ़ और गणपतिपुले, जिला रत्नागिरि में कोकणी गृह।
4. किंकेश्वर में पर्यटक परिसर।
5. पिंगुली गांव में पर्यटक परिसर एवं शिल्प केन्द्र
6. झील धामपुर पर अतिथि गृह एवं जल क्रीड़ाएं।
7. महाराष्ट्र के जिला सिंधुदुर्ग में पिंगुली में पर्यटक परिसर का निर्माण।
8. एलीफेंटा उत्सव
9. गणेश उत्सव
10. एलोरा उत्सव
11. गणपतिपुले में पर्यटक रिजार्ट का विस्तार।
12. शिर्डी में पर्यटक बंगले का विस्तार एवं उन्नयन।
13. औरंगाबाद में पर्यटक बंगले का विस्तार एवं उन्नयन।
14. भंडारदारा में हालीडे रिजार्ट का उन्नयन।
15. पर्दापुर (अंजता गुफाओं के निकट) में हालीडे रिजार्ड का उन्नयन।
16. अंजता गुफा रेस्तरां का उन्नयन।
17. महाबलेश्वर में हालीडे रिजार्ड का उन्नयन।
18. काला घोड़ा उत्सव
19. करवार उत्सव
20. नागपुर में कलिदास उत्सव

इस परियोजना के कार्य की राज्य सरकार द्वारा निगरानी की जा रही है।

(ग) प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर, राज्य सरकारों के कार्यान्वियन एवं कार्य निष्पादन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ऋण पर ब्याज माफ करना

3542. श्री सी. गोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुछेक उद्योगपतियों को उपलब्ध कराये गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार और उद्योग-वार तत्संलंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण पर ब्याज को किन आधारों पर माफ किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उस प्रकार की सूचना नहीं मिलती जैसीकि मांगी गई है। फिर भी, विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशियों के बैंक-वार आंकड़े संलग्ल विवरण में दिए गए है।

(ग) चूंकि न्यायालयों के माध्यम से वसूली करना एक लम्बी प्रक्रिया है यथासंभव राशि की वसूली करने के लिए बैंक कर्जदारों के साथ विचार-विमर्श करके समझौता करते समय बैंक द्वारा धारित प्रतिभूतियों का वसूली योग्य मूल्य, गारंटी देने वाले का स्तर आदि जैसी बातों का ध्यान रखता है, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ देय राशियों की वसूली छोड़नी भी पड़ सकती हैं। केवल बिरले मामलों को छोड़कर बैंक मूलधन को बट्टे खाते डालने की अनुमति नहीं देते।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण

(राशि करोड़ में)

क्रम. सं.	बैंक का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	55.73	6.71	21.39
2.	आन्ध्रा बैंक	38.78	1.95	37.42
3.	बैंक आफ बड़ौदा	270.27	46.42	70.17
4.	बैंक आफ इंडिया	260.38	307.08	217.15
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	81.12	56.52	47.30
6.	केनरा बैंक	200.00	169.49	18.20

1	2	3	4	5
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	144.12	138.44	156.83
8.	कार्पोरेशन बैंक	18.64	19.13	0.94
9.	देना बैंक	27.34	51.92	58.76
10.	इंडियन बैंक	42.51	115.94	10.28
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.94	75.01	375.73
12.	ओरियटल बैंक आफ कामर्स	2.13	0.82	46.22
13.	पंजाब नेशनल बैंक	220.77	53.14	150.34
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.70	2.86	9.93
15.	सिंडिकेट बैंक	24.84	8.03	58.79
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	27.86	38.81	30.57
17.	युको बैंक	165.07	110.98	220.57
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	119.00	36.51	65.48
19.	विजया बैंक	4.19	13.26	12.72

तीर्थस्थानों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास

3543. श्री चमन लाल गुप्त :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **पर्यटक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी समिति द्वारा 17 तीर्थस्थानो को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने स्थान जम्मू-कश्मीर में है;

(ग) उनके विकास के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) जम्मू-कश्मीर में पता लगाए गए उक्त स्थलों को कब तक विकसित किए जाने की सम्भावना हैं;

(ङ) क्या जम्मू-कश्मीर में गड़बड़ियों को देखते हुए विदेशी तथा घरेलू गन्तव्य स्थलों की प्राथमिकता में परिवर्तन हुआ हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग): (क) पर्यटक मंत्रालय ने विकास के लिए 14 राज्यों में 23 तीर्थ केन्द्र और उत्तर प्रदेश में 4 तीर्थ परिपथ अभिनिर्धारित किए हैं।

(ख) जम्मू और कश्मीर में, माता वैष्णों देवी और कटरा स्थलों को तीर्थ केन्द्रों के रूप में अभिनिर्धारित किया है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए निधि मुहैया कराता हैं। मंत्रालय ने इन केन्द्रों में निम्नलिखित अवसंरचना के लिए निधि प्रदान की हैं:-

कटरा	पर्यटक परिसर तीर्थ शेड्स तम्बुओं में आवास अतिरिक्त पर्यटक आवास
वैष्णों देवी	यात्री निवास तम्बुओं में आवास

(ङ) और (च) जहां तक जम्मू और कश्मीर में तीर्थ पर्यटन का प्रश्न हैं, विदशी और स्वदेशी पर्यटकों की प्राथमिकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मैंडरेक्स टिकिया इकाई

3544. डा० सुगुण कुमारी चलामेला :

श्री के०पी० नायडू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जून, 1998 में अवैध मैंडरेक्स टिकिया के एकक का पता लगाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें सम्मिलित लोंगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) देश में इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां; राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा एकत्र की गई आसूचना और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, इन्दौर-II को दी गई सूचना के आधार पर, 9.6.98 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, इन्दौर-II के अधिकारियों ने मैसर्स विमल इंडस्ट्रीज, जिला-पीलूखेड़ी, राजगढ़ के परिसरों और उसके भागीदार श्री पवन सक्सेना के निवास पर छापा मारा और अवैध रूप से मैन्ड्रेक्स की गोलियां बनाने वाली एक इकाई का भण्डाफोड़ किया जिसके परिणामस्वरूप मशीनरी, कच्ची सामग्री, बिक्री से प्राप्त राशि आदि सहित 106.96 किलोग्राम (लगभग) मैन्ड्रेक्स की गोलियां और मैथाक्वालेन पाउडर बरामद हुआ। इन वस्तुओं को एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत जब्त किया गया था। जब्त की गई सभी वस्तुओं का कुल मूल्य 69.3 लाख रुपये बैठता हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उपरोक्त मामले में शामिल 3 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच-कार्य अभी भी जारी हैं जांच पूरी होने के बाद ही, अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी और साथ ही एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।

(ग) राजस्व विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी द्रव्य पदार्थों के चोरी-छिपे किए जाने वाले उत्पादन संबंधी अवैध गातिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। आसूचना एकत्र करने के प्रयासों में तेजी लाई जा रही हैं ताकि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में शामिल बड़े-बड़े गिरोहों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले प्रमुख संगठनों का पता लगाया जा सके और उन्हें पकड़ने के लिए उचित कार्यवाही की जा सके। निवारक कार्यालयों को भी इस नई कार्य प्रणाली के बारे में सचेत कर दिया गया हैं।

उद्योग को ऋण

3545. श्री पंकज चौधरी :
डा० राम कृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार तकनीकी विकास एवं आधुनिकीकरण हेतु उद्योगों को दिए गए ऋणों की ब्याज दरों में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान निर्धारणों के अनुसार तकनीकी विकास और आधुनिकीकरण के लिए उद्योगों पर लागू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर भी सामान्य उधार दर निर्धारणों से नियंत्रित होते हैं। वर्ष 1994 से बैंको को दो लाख रु० से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए उधार दर निर्धारित की स्वंतत्रता प्रदान की गई है। बैंकों से अपनी प्राथमिक उधार दरें (पीएलआर) नियत करने की अपेक्षा की जाती है जो उनके संबंधित बोर्डो के अनुमोदन के पश्चात् उधारकर्ताओं की उपर्युक्त श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम दर हैं और बैंक की सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू है। तथापि, किसी उधारकर्ता से बैंक द्वारा ली जाने वाली वास्तविक दर उधारखातों के पिछले रिकार्ड, सम्भावित जोखिम आदि जैसे संबंधित कारकों पर निर्भर करते हैं। 2 लाख रु० तक की ऋण सीमाओं पर ब्याज की दरें प्राथमिक उधार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए जो संबंधित बैंक के सर्वोत्तम उधारकर्ता के लिए उपलब्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी मुद्रा भंडार

3546. श्री राम टहल चौधरी :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में किन-किन देशों की मुद्राएं है;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस विदेशी मुद्रा भंडार में से निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विदेशी मुद्रा भंडार के उपयोग से जुड़ी गतिविधियों में उत्पादन नहीं किये जाने के कारण इसका मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से उन प्रमुख देशों की परिवर्तनीय दुर्लभ-मुद्राएं शामिल हैं जहां बाजार सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण हैं।

(ख) सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों को विदेशों में निवेशित किया जाता हैं। विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों के निवेश का पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, व्यापार चक्र और चलनिधि की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि परिसम्पत्तियों का पूल, जिनका उपयोग आकस्मिकता की स्थिति में किया जा सकता है, बनाए रखने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भंडार रखे जाते हैं। प्रारक्षित भंडारों की मौजूदगी विश्वास उत्पन्न करती है, विदेशी ऋण लेने को सुविधाजनक बनाती हैं तथा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाती हैं।

[अनुवाद]

राज्यों को सकल अंतरण

3547. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद और राज्यों को अंतरित की जाने वाली सकल राशि के अनुपात में पिछले पांच वर्षो से कमी आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार के ऋणों पर लगने वाले ब्याज की राशि को समायोजित करने के बाद निवल अंतरित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होते ही प्रस्तुत की जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों से वसूल किया गया कर

3548. श्री थाo चौबा सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों के उद्योगपतियों से सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क के जरिये वसूल की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय शुल्क आयुक्तालय, शिलांग जिसके क्षेत्राधिकार में उत्तर-पूर्वी राज्य आते हैं द्वारा वसूल किये गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

	1995-96	1996-97	1997-98 (अ)
सीमा शुल्क	5	5	7
उत्पाद· शुल्क	782	765	740

(अ)अनंतिम

हथकरघा विकास केन्द्र

3549. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक देश में राज्य-वार विशेष रूप से महाराष्ट्र में कितने हथकरघा विकास केन्द्र और क्वालिटी डाइंग यूनिट स्थापित किये गये और वह कहां-कहां स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1998-99 के दौरान ऐसे कुछ और केन्द्र/इकाईयां स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कारगर उपाय किए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राज्यवार तथा महाराष्ट्र सरकार को स्थल-वार, स्वीकृत हथकरघा विकास केन्द्रों तथा उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की संख्या क्रमशः विवरण-I तथा II में दी गई है।

हथकरघा विकास केन्द्रों तथा उत्कर्ष रंगाई इकाईयों को स्थापित करने के लिए योजना यद्यपि आंरभ में 4 वर्षो की अवधि (1993-94, 1996-97) के लिए अनुमोदित की गई। यह वर्ष 1997-98 के दौरान भी जारी की गई थी। भारत सरकार द्वारा योजना आगे जारी रहेगी या नहीं, राज्य सरकार के साथ परामर्श से योजना के समग्र मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर करेगा तथा नाबार्ड जिससे पुनर्निवेशन अभी प्राप्त नहीं हुआ हैं।

हथकरघा क्षेत्र विकास के लिए भारत सरकार कई योजनाएँ कार्यान्वित कर रही हैं जिसे करघों के आधुनिकीकरण के लिए बुनकरों को सहायता मुहैया कराने के साथ, प्रशिक्षण द्वारा बुनाई क्षमता को बढ़ावा, डिजाइनों का विकास, उनके उत्पादों के विपणन तथा निवेश के प्रावधान आदि के साथ-साथ देश में बुनकरों के रोजगार को बढ़ाने में सहायता कर रही हैं।

विवरण-I

1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान देश में स्वीकृत किए गये हथकरघा विकास केन्द्रों एवं उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्रम. सं.	राज्य का नाम	1995-96		1996-97		1997-98		कुल	
		एचडीसी	क्यूडीसी	एचडीसी	एचडीसी	एचडीसी	क्यूडीसी	एचडीसी	क्यूडीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	47	3	159	49	111	62	317	114
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	35	4	1	-	3	3	39	7
5.	गुजरात	-	-	1	-	-	-	1	-
6.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	हरियाणा	1	-	-	-	-	-	1	-
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1	1	2	-	-	6	3
9.	जम्मू व कश्मीर	1	-	-	-	-	-	1	-
10.	कर्नाटक	2	-	7	-	-	-	9	-
11.	केरल	18	5	9	4	1	-	28	9
12.	मध्य प्रदेश	11	-	-	-	-	-	11	-
13.	महाराष्ट्र	5	1	-	-	-	-	5	1
14.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	नागालैण्ड	2	-	60	1	80	6	142	7
18.	उड़ीसा	55	1	57	5	16	2	128	8
19.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	तामिलनाडू	99	5	38	4	38	4	175	13
22.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	7	8	2	-	4	1	13	9
24.	प. बंगाल	38	8	55	12	7	-	100	20
	कुल	326	36	390	77	260	78	976	191

विवरण-II

प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की सूची जिन्हें हथकरघा विकास केन्द्र एवं उत्कर्ष रंगाई इकाई योजना के अंतर्गत प्रारंभ से परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं

क्रम. सं.	प्रा.बु.स.स.(एच.डी.सी.) का नाम	एचडीसी	क्यू.डी.यू.
	महाराष्ट्र		
1.	औद्योगिक बुनाई सहकारी, अचलपुर, अमरावती	1	1
2.	चौदेश्वारी, ह.बु.स.स. लि०, सोलापुर	1	-
3.	फ्रेड्स बुनकर सह. समिति, कामष्टी, नागपुर	1	-
4.	देवी हतमग विनकर सहकारी, सोलापुर	1	-
5.	कोसार विनकर सह. समिति, भानडारा	1	-
6.	हथकरघा कपड़ा उत्पादक, स.स.सोलापुर	1	-
7.	नवप्रेरणा बुनाई सहकारी मोहादी	1	-
8.	मै० जेसवेदगंगा हतमग, सोलापुर	1	-
9.	कृष्णावेनी हथकरघा बु.स.स. सोलापुर	1	-
10.	सुभाष ह.बु.स.स. लि०, सोलापुर	1	-
11.	पीरबाबा हतमग विनकर सहकारी, नागपुर	1	-
12.	नागपुर तालुक विनकर खादी, नागपुर	1	-
13.	सर्वोदय हतमग विनकर, सोलापुर	1	-
14.	सूर्यलक्ष्मी हथकरघी बुनकर, सोलापुर	1	1
15.	देवांगन हतमग विनकर एस.एस. नागपुर	1	-
16.	संत मेहरबाबा विनकर सीएसएस लि०, खाप्रीपुरा, नागपुर	1	1
17.	श्री भद्रावती हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि० अक्कालकोट रोड़ सोलापुर	1	1
18.	महात्मा-हथकरघा विनकर सहकारी उत्पादक संघ लि०, अकालकोट, सोलापुर।	1	1
19.	नवभारत हतमग विनकर एस. उत्पादक एस. लि० अकालकोट, सोलापुर।	1	1
20.	बुधगांव, विनकर, स.स. लि०, बुधगांव, सागंली।	1	1

ऋण वसूली अधिकरण

3550. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री वी.वी. राघवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई थी, उस तारीख से विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकवार और वर्षवार कितने मामले इसे भेजे गए हैं;

(ख) इन मामलों में कितनी बकाया राशि देय हैं; और

(ग) इन अधिकरणों द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया और कितनी बकाया राशि वसूल की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकास कार्यक्रमों हेतु धनराशि

3551. श्री के.ए. सांगतम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के विकास कार्यक्रमों के लिए भारतीय संचित निधि से धनराशि जारी की गई हैं,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या हैं

(ग) क्या सरकार का नागालैंड द्वारा विघटनकारी संबंधी मामलों में व्यय किए गए 800 करोड़ रुपये को माफ कर देने का विचार हैं, जैसाकि पंजाब राज्य के मामले में किया गया था;

(घ) यदि हां, तो कब तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा 16-सूत्री समझौते के अंतर्गत नागलैंड को क्षतिपूर्ति करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
1995-96	245.49
1996-97	294.64
1997-98	322.82

(ग) से (ङ) नागालैंड के मामले में किसी भी प्रकार की धनराशि को माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दिशानिर्देश भारत सरकार के विचाराधीन हैं। दिशा-निर्देशों के तैयार होने के पश्चात, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ विघटनकारी संबंधी मामलों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी नागालैंड सरकार के दावों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

जहां तक 18-सूत्री समझौते के अंतर्गत नागालैंड राज्य को सहायता दिए जाने का संबध हैं, नागालैंड सरकार ने वित्त आयोग के अधिनिर्णय के तहत् गैर योजनागत धनराशि प्राप्त कर ली हैं। योजना आयोग ने भी राज्य की योजना आवश्यकताओं, पर विचार-विमर्श किया है और विकास के लिए अपेक्षित धनराशि आबंटित कर दी हैं।

विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी

3552. **श्री कमलनाथ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला आपूर्ति समझौता की विभिन्न शर्तो के मामले में कोल इंडिया लि० द्वारा हिन्दुजा के स्वामित्व वाली कंपनी एच. एन.पी.सी.एल. के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा हैं;

(ख) क्या एच.एन.पी.सी.एल. की प्रस्तावित विद्युत परियोजना के लिए काउंटर गारंटी दी गई है; और

(ग) अन्य उद्यमियों को ऐसी काउंटर गारंटी नहीं दिए जाने के क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) हिन्दुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि०(एच.एन.पी.सी.एल.) तथा महानदी कोलफील्डस लि०(म.को.लि.) ने अप्रैल, 1998 में एक कोयला आपूर्ति-सह-परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें कुछ मुद्दे अनिर्धारित थे। विचार किए जाने हेतु केवल यही एक समझौता ऐसा हैं, जोकि विस्तृत कोयला आपूर्ति तथा परिवहन समझौता हैं तथा ईधन की आपूर्ति की शर्तें उन शर्तो से भिन्न हैं, जो कि कोयला कंपनियों तथा राज्य विद्युत बोर्डो के बीच कोयला आपूर्ति हेतु सामान्यत: निर्धारित की जाती हैं। चूंकि विभिन्न परियोजनाओं में आने वाले वित्तीय संकट भी भिन्न-भिन्न होते हैं, अत: ईधन आपूर्ति समझौते की शर्तो की पूर्णत: तुलना नहीं की जा सकती।

(ख) यह आठ तीव्रगामी परियोजनाओं में से एक हैं तथा सरकार ने एच.एन.पी.सी.एल. की विद्युत परियोजना हेतु प्रति गारण्टी जारी करने का निर्णय लिया हैं।

(ग) सरकार ने निर्णय लिया हैं कि प्रति गारण्टी केवल 8 तीव्रगामी परियोजनाओं को ही जारी की जाएगी तथा अन्य परियोजनाओं को यह गारण्टी जारी नहीं की जाएगी।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

3553. **श्री भेरू लाल मीणा :**
श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि भारतीय साधारण बीमा निगम और न्यू इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों को दण्डित करने और यह सुनिश्चित करने कि संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों से संबंधित हिदायतों का कड़ाई से पालन किया जाए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) भारतीय साधारण बीमा निगम (जी०आई०सी०) और इसकी चार अनुषंगी कंपनियों को इस बात का सुनिश्चय करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे कि वे माननीय सांसदों और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं का शीघ्र निपटान करें। जी आई सी और न्यू एश्योरेंस कंपनी लि० ने सूचित किया हैं कि वे सामान्यत: इन आदेशों का पालन करते हैं। इन अनुदेशों का या अन्य कोई सरकारी आदेशों का अनुपालन न किए जाने के विशिष्ट दृष्टान्तों को सम्बद्ध संगठनों के साथ जहां अपेक्षित हो उठाया जाता हैं।

कर दायरा बढ़ाना

3554. **श्री मधुकर सरपोतदार :**
श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98 के बजट में शुरू किए गए आर्थिक मानदण्डों के आधार पर कर दायरा बढ़ाने संबंधी योजना को अपेक्षित और पर्याप्त सफलता मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने संभावित कर दाताओं का पता लगाया गया हैं तथा इस योजना के अंतर्गत कुल कितने राजस्व (आयकर) की उगाही हुई हैं;

(ग) क्या सरकार को इस योजना को समाप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ख) आर्थिक सम्पन्नता के चार में से दो मानदडों की स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य कर दाताओं को आय की विवरणी दाखिल करने के लिए बाध्य करना और इसके द्वारा

देश में बारह शहरों और उनकी शहरी बस्तियों में कर आधार को व्यापक बनाना हैं। यह स्कीम प्रथम बार कर निर्धारण वर्ष 1997-98 में आरंभ की गई थी और इस अवधि के दौरान दाखिल की गई विवरणियों की संख्या में गत कर निर्धारण वर्षो के मुकाबले 20% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस स्कीम से मिलने वाले राजस्व संग्रहण का कुल संग्रहण से अलग नहीं किया जा सकता हैं।

(ग) और (घ) वित्त (सं०-2) विधेयक 1998 में कर संजाल को व्यापक बनाने से संबंधित 1997 में आरंभ किए गए उपबंधों के क्षेत्र को और आगे व्यापक बनाने एवं विस्तृत करने का प्रस्ताव किया गया हैं अर्थिक सम्पन्नता के दो और मानदंड अर्थात क्रेडिट कार्ड धारण करना और महंगे क्लबों की सदस्यता को मोजूदा चार मानदंडों में जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया हैं। छः में से किसी एक मानदंड को पूरा करने पर विवरणी दाखिल करना भी अनिवार्य होगा, इस प्रकार यह मौजूदा चार में से दो की स्कीम के बजाय छः में से एक की स्कीम होगी। इस स्कीम को तेईस नए शहरों और उनकी शहरी बस्तियों तक बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव हैं।

कोयला क्षेत्र में अतिरिक्त कामगार

3555. प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री पीताम्बर पासवान :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों में बडी संख्या में अतिरिक्त कर्मचारी हैं :

(ख) यदि हां, तो 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनीवार अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या क्या हैं:

(ग) इसमें से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक सहायक कंपनी में कितने कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो गए हैं: और

(घ) इसके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोल इंडिया लि० की ई०को० लि०, भा०को०को०लि० और सें०को०लि० नाम की तीन सहायक कंपनियों में कुछ अधिशेष कर्मचारी विद्यमान हैं।

(ख) को.ई.लि. द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह निर्दिष्ट किया गया हैं कि ई.को.लि., भा.को.को. लि. और सें.को. लि. में 1.4.94 की स्थिति के अनुसार उनकी आवश्यकता से अधिक 34,920 श्रमशक्ति हैं। अधिशेष श्रमशक्ति के अनुपात लगाने की प्रक्रिया एक अनवरत स्वरूप की प्रक्रिया हैं।

(ग) 34,920 अधिशेष कर्मचारियों में से इन सहायक कंपनियों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत अप्रैल, 1994 के बाद सेवा-निवृत्ति कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया हैं:-

कंपनी	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवा-निवृत्ति कर्मचारियों की संख्या	
	1994-95 से 1997-98	1998-99 (अप्रैल और मई)
ई.को.लि.,	6109	328
भा.को.को. लि.	8519	299
सें.को. लि.	2426	074
	17054	701

(घ) नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी और अंशदान भविष्य निधि के भुगतान के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कोल इंडिया लि० की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु डेढ़ महीने के वेतन के बराबर अनुग्रह पूर्वक राशि अथवा सेवा-निवृत्ति के समय मासिक वेतन का सेवा-निवृत्ति की सामान्य तारीख से पूर्व शेष सेवा अवधि के महीनों की संख्या से गुणा, इसमें से जो भी कम हो, का प्रावधान हैं।

जब भविष्य निधि, ग्रैच्यूटी आदि के रूप में अनुग्रह भुगतान और अन्य अंतिम देयताओं को निवेश किया जाता हैं, तो इससे कर्मचारियों को प्रर्याप्त लाभ प्राप्त होता हैं। कोयला खानों से संबंधित पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी योजना के प्रावधानों के अनुसरण में मासिक पेंशन के भी हकदार होंगे।

रूग्ण कताई मिलें

3556. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में कुछ मिलें रुग्ण हो गई हैं।

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कताई मिलों को पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, 30.4.98 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा की 5 मिलें बीआईएफआर के पास पंजीकृत थीं। 2 के मामलों के संबंध में बीआईएफआर ने योजनाएं मंजूर की हैं, 2 के मामलों को कायम न रखने योग्य घोषित किया गया है तथा 1 का मामला बंद करने संबंधी नोटिस के अधीन है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भर्ती पर रोक

3557. **श्री सुरेश चंदेल :**
श्री नरेन्द्र बुडानिया :
कुमारी ममता बनर्जी :
श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कार्यालयों में भर्ती पर रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) इन कार्यालयों में विशेषरूप से ग्रेड III व IV स्तर के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) उक्त पद कब से रिक्त पड़े है;

(ङ) इन रिक्तियों को रिक्त रखने का क्या कारण है; और

(च) इन रिक्तियों को कब तक भर लिए जाने की आशा है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार समूह "ग" (अ.राज.) तथा "घ" (अ.रा.) के कुल रिक्त पदों की अनुमानित संख्या क्रमशः 196119 तथा 94183 थी।

(घ) से (च) चूंकि ये ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं, अतः ये उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

स्टाक एक्सचेंज

3558. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्षवार स्टाक एक्सचेंजों द्वारा सूचीबद्ध शेयरों की संख्या और किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक स्टाक एक्सचेंज में शेयर दलालों और शेयर धारकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को किसी दलाल और/अथवा स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार ब्यौरे निम्नानुसार है:

क्रम सं.	स्टाक एक्सचेंज का नाम	सूचीबद्ध कंपनियों की कुल बिक्री (करोड़ रु०)						31.3.98 की स्थिति के अनुसार ब्रोकरों की संख्या	31.5.98 की स्थिति के अनुसार ब्रोकरों के विरुद्ध लंबित पड़ी शिकायतें	स्टाक ब्रोकरों के विरुद्ध कार्रवाई
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	स्टाक एक्सचेंज, मुंबई	1760	1.810	1.811	50064	124284	207383	651	108	स्टाक ब्रोकरों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई सेबी और स्टाक एक्सचेंज के कार्यक्षेत्र के भीतर है।
2.	कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन	1962	1.875	1892	62128	105664	178779	929	81	
3.	दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि०	1579	1744	1669	10077	48631	67840	390	127	
4.	मद्रास स्टाक एक्सचेंज लि०	593	664	649	1594	2315	1228	201	47	
5.	हैदाराबाद स्टाक एक्सचेंज लि०	520	619	624	1286	480	1860	313	12	
6.	बंगलौर स्टाक एक्सचेंज लि०	253	255	255	890	4398	8637	242	7	
7.	पुणे स्टाक एक्सचेंज लि०	121	173	176	7072	9903	8624	201	2	
8.	लुधियाना स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि०	227	290	296	4849	5274	8316	291	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	बड़ोदरा स्टाक एक्सचेंज लि०	272	325	329	1260	4268	4577	326	19	
10.	स्टाक एक्सचेंज, अहमदाबाद	591	676	692	8786	20533	30771	306	3	
11.	कोचिन स्टाक एक्सचेंज लि०	90	140	94	1803	1401	1784	492	16	
12.	भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज लि०	2	7	11	68142	294504	369934	1028	84	
13.	यू.पी. स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि०	321	347	346	2373	16070	15390	528	36	
14.	मंगलौर स्टाक एक्सचेंज	18	20	23	39	373	309	149	1	
15.	मध्य प्रदेश स्टाक एक्सचेंज	229	268	248	205	12	1	191	14	
16.	जयपुर स्टाक एक्सचेंज लि०	145	179	186	1048	1519	431	595	13	
17.	सौराष्ट्र कच्छ स्टाक एक्सचेंज लि०	36	43	46	564	398	18	446	4	
18.	भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन	43	46	46	226	231	202	234	4	
19.	गुवाहाटी स्टाक एक्सचेंज लि०	175	170	196	620	484	21	207	2	
20.	कोयम्बटूर स्टाक एक्सचेंज लि०	86	96	95	2504	2398	2137	201	9	
21.	ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया	88	108	115	218	221	125	887	5	
22.	मगध स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन	29	35	34	1629	2755	324	197	27	
	योग	9100	9890	9833	227376	646116	908691	9005	630	

* सूचीकरण केवल क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज पर ही।

निगमित क्षेत्र को ऋण

3559. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री देवेन्द्र बहादुर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार उन निगमित क्षेत्र की कंपनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 500 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया है;

(ख) सीमा कर, उत्पाद शुल्क, आय कर आदि जैसी उक्त निगमित क्षेत्र की कंपनियों पर सरकार की लंबित जिम्मेदारियां क्या है; और

(ग) ऐसी प्रत्येक पर कुल कितने ऋण की राशि एवं कितनी जिम्मेदारियां हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्य देशों के साथ व्यापार में विस्तार

3560. श्री विक्रम देव केशरी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) क्या सरकार को उन देशों से व्यापार संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) सामान्यतया भारत के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने में सभी देशों ने रुचि दिखाई हैं। तथापि, हमारी ओर से लैटिन अमरीका के देशों, सी आई एस तथा अफ्रीका के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने पर विशेष बल दिया जा रहा हैं।

(ख) और (ग) सामान्यतया: व्यापार संबंधी प्रस्ताव भारतीय व्यापारिक उद्यमों द्वारा सीधे ही प्राप्त किए जाते हैं जो विदेश में अपने प्रतिपक्षी उद्यमों से सीधा ही सम्पर्क स्थापित करते हैं।

[हिन्दी]

रबर की कीमत

3561. श्री पी०सी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में प्राकृतिक रबर की कीमत घटी हैं;

(ख) इन वर्षों के दौरान इन देशों में रबर की मूल्य-स्थिति का माह-वार ब्यौरा क्या हैं।

(ग) क्या इन देशों में मूल्य अस्थिर रहने के कारण प्राकृतिक रबर की घरेलू कीमत प्रभावित हुई हैं;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और भारत में रबर की माह-वार उत्पादन लागत क्या है; और

(ङ) मूल्य में गिरावट से भारतीय किसानों को बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले दो वर्षों में मलेशिया में प्राकृतिक रबर की कीमतों में गिरावट आई है।

इंडोनेशिया और थाईलैंड में प्राकृतिक रबर के मासिक औसत मूल्य उपलब्ध नहीं है। पिछले दो वर्षों के दौरान मलेशिया के संबंध में मासिक औसत मूल्य निम्नानुसार है:-

(रुपये: क्विंटल में)

	आरएसएस -3	आरएसएस -4	आरएसएस -5	एसएमआर -20
1	2	3	4	5
जनवरी, 96	5379	5274	5204	5577
फरवरी, 96	5500	5393	5321	5500
मार्च, 96	5162	5061	4994	5042
अप्रैल, 96	4788	4666	4619	4475
मई, 96	4932	4823	4755	4429
जून, 96	4912	4796	4727	4219
जुलाई, 96	4545	4426	4357	4219
अगस्त, 96	4409	4290	4220	4261
सितम्बर, 96	4432	4313	4243	4387
अक्टूबर, 96	4236	4122	4052	4305
नवम्बर, 96	4467	4336	4266	4385
दिसम्बर, 96	4406	4261	4190	4362
जनवरी, 97	4327	4176	4105	4341
फरवरी, 97	4306	4155	4083	4291
मार्च, 97	4343	4191	4119	4221
अप्रैल, 97	4086	3935	3863	3909
मई, 97	3920	3770	3698	3727
जून, 97	3933	3783	3712	3669
जुलाई, 97	3314	3168	3084	3338
अगस्त, 97	3256	3118	3052	3275
सितम्बर, 97	3127	3000	2939	3157
अक्टूबर, 97	3091	2976	2920	3142
नवम्बर, 97	3026	2910	2856	3113
दिसम्बर, 97	2637	2527	2475	2820

(ग) प्राकृतिक रबर घरेलू मूल्य अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्य से प्रभावित होता हैं।

(घ) वर्ष 1995 और 1996 में प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाले देशों की संस्था (एएनआरपीसी) द्वारा प्रकाशित भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैण्ड में लघु जोत क्षेत्रों में 100 कि० ग्रा० की प्राकृतिक रबर की उत्पादन लागत निम्नानुसार है:-

	भारत		इंडोनेशिया		मलेशिया		थाईलैंड	
	यू.एस. सैंट	रु०	यू.एस. सैंट	रु०	यू.एस. सैंट	रु०	यू.एस. सैंट	रु०
1995	97.84	3185	86.71	2822	112.35	3657	96.58	3144
1996	96.70	3402	82.88	2916	उ०नहीं	उ०नहीं	94.00	3307

उपरोक्त का महीने-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) प्राकृतिक रबर के मूल्यों में सुधार करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने एसटीसी को सरकारी खाते से 20,000 मी०टन की प्राकृतिक रबर की अतिरिक्त मात्रा को खरीदने के लिए प्राधिकृत किया हैं। इससे पहले खरीदी गई मात्रा 9,596 मी०टन थी। एसटीसी को खरीदी गई प्राकृतिक रबर की मात्रा को घरेलू बाजार में न उतारने का भी निदेश दिया गया हैं। इन निगम को आगे यह निदेश भी दिया गया

हैं कि वह अग्रिम लाइसेंस धारकों को खरीदी गई रबड़ का सारी मात्रा का निर्यात और/या उसका विक्रय करें। रबड़ के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रबर की बैंच मार्क कीमत में संशोधन लाने की प्रक्रिया चल रही है।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन

3562. श्री के०पी०नायडू : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद, तिरूपति, विशाखापत्तनम तथा नागर्जुन सागर के लिए पर्यटन मास्टर योजना तैयार करने की लागत को साझा करने का आग्रह किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे अंतिम रूप दिया जाएगा तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, हां। सर्वेक्षण और अध्ययनों के संचालन के लिए धन की कमी के दृष्टिगत पर्यटन मंत्रालय इस स्थिति में नहीं हैं कि वह इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार 1.00 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करा सके। विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 1998-99 के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के लिए पर्यटन मास्टर प्लान की तैयारी के कार्य को शामिल किया है।

गहन निर्यात क्षेत्र

3563. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों से गहन निर्यात क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए पता लगाए गए केन्द्रों के संबंध में कोई विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट आवश्यक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगडे) : (क) और (ग) इस नामावली के अंतर्गत 1995-96 के दौरान एक स्कीम का प्रस्ताव किया गया था। परन्तु इसे आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना (सीआईबी) जो उसी वर्ष में शुरू की गई थी, में समाविष्ट किया गया था। सीआईबी स्कीम में सामान्य निर्यात सुविधा के लिए आने वाली अड़चनों के शीघ्र और अनुकूल निवारण के लिए अपेक्षित कोई भी निवेश शामिल होता हैं। राज्यों द्वारा अभिज्ञात स्थानों सहित विभिन्न स्थानों पर निर्यातों के लिए बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के निमित्त राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य एजेन्सियों को वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई हैं। सीआईबी स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची निम्नालिखित है:-

राज्य		स्वीकृत परियोजनाएं
1		2
आन्ध्र प्रदेश	1.	ओरियल एक्सपोर्ट पार्क, गुंडलापोचम्पल्ली।
	2.	दुवादा रेल क्रासिंग पर सड़क सेतु, विशाखापत्तनम।
	3.	विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) में हाईस्पीड आंकड़ा संचार प्रणाली की प्रस्थापना।
गोवा	1.	राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और मुर्मुगाव पत्तन के बीच बाई-पास का निर्माण।
केरल	1.	अरूर में समुद्री उत्पाद निर्यातों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास
	2.	टिक्नेट औद्योगिक कम्पलेक्स पालाघाट।
	3.	एक दमकल केन्द्र का निर्माण, तिरक्काकारा।
कर्नाटन	1.	निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण, हुडी।
महाराष्ट्र	1.	उरन-पनवेल राज्य राष्ट्रीय मार्ग का सुदृदीकरण।
मेघालय	1.	ईपीआईपी, बिर्नीहाट में उप-केन्द्र की संस्थापना।
	2.	ईपीआईपी, बिर्नीहाट के निकट सड़क का सुधार।
मिजोरम	1.	जोखावथार में एक कंपोजिट भवन का निर्माण।
मध्यप्रदेश	1.	मालनपुर-इनलैंड कंटेनर डिपो और रेलवे स्टेशन के बीच सड़क का सुदृढ़ीकरण।
राजस्थान	1.	अर्थ स्टेशन का निर्माण, सीतापुर।
	2.	धारूहेड़ा-भिवाड़ी रोड़ की फोर-लेनिंग।
उत्तर प्रदेश	1.	प्रणाली सुधार स्कीम, मुरादाबाद।
	2.	बुनियादी सुविधा का विकास, जाजमऊ।
	3.	बुनियादी सुविधा का विकास, भदोई।
	4.	प्रणाली सुधार स्कीम, अलीगढ़
पश्चिम बंगाल	1.	बोंगांव में ट्रक टर्मिनल का निर्माण और बोंगांव-पंचपोट्टा मार्ग को चौड़ा करना।
	2.	नौमाशन नदी पर सेतु का निर्माण।
	3.	पैट्रोपोल में अंतर्राष्ट्रीय भू-पत्तन।
	4.	फाल्टा ईपी जेड में एक दमकल केन्द्र का निर्माण।

[हिन्दी]

उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृति

3564. श्री जयसिंह जी चौहान :
श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री विट्ठल तुपे :
श्री माधवराव पाटील :
श्री रामशकल :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ष दी गई स्वीकृति का उद्योगवार और राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) विचाराधीन प्रस्तावों का राज्यवार और उद्योगवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1991 के उपबंधो के तहत पिछले तीन वर्षों (1996 से 30 जून, 1998 तक) के दौरान जारी किये गये आशय पत्रों के उद्योगवार तथा राज्यवार आंकड़े क्रमशः संलग्न विवरण I तथा II पर दिये गये है।

(ख) 30.6.98 की स्थिति के अनुसार आशय पत्र की मंजूरी के लिए कुल 104 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं। इन आवेदनों के राज्यवार तथा उद्योगवार आंकड़े सलग्न विवरण III पर दिये गये है।

(ग) आवेदनों का तेजी से निपटान करने हेतु सभी उपाय किये जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति, मामले विशेष के लिए उनकी संस्तुति तथा आवेदकों द्वारा संगत सूचना भेजे जाने पर भी निर्भर करता है।

विवरण-I

1996 से 1998 (30 जून, 1998 तक) के दौरान जारी आशय पत्रों का अनुसूचित उद्योगवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

अनु. उद्योग सं. और अनु. उद्योग नाम	1996	1997	1998 तक (30.6.98)
1	2	3	4
01. धातुकर्मी उद्योग	13	8	1
02. ईंधन	19	9	10
03. बॉयलर एवं भाप जनित्रण प्लांट	0	0	0
04. प्राइम मूवर्स	0	0	0
05. इलैक्ट्रिकल उपकरण	9	3	2
06. दूरसंचार	15	1	0
07. परिवहन उद्योग	13	5	5
08. औद्योगिक मशीनरी	5	9	2
09. मशीनी औजार	1	0	4
10. कृषि मशीनरी	0	0	0
11. मिट्टी हटाने की मशीनरी	0	0	0
12. विविध यांत्रिक एवं इंजी. उद्योग	6	5	1
13. वाणिज्यिक/कार्यालय/घरेलू उपकरण	1	0	0
14. मेडिकल और सर्जिकल उपकरण	0	0	0
15. औद्योगिक उपकरण	0	0	0
16. वैज्ञानिक यंत्र	0	0	0
17. गाणित, सर्वे, चित्राकंन यंत्र	0	0	0
18. उर्वरक	0	0	0
19. रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	50	41	14
20. फोटोग्राफिक रॉ फिल्म/पेपर	0	0	0
21. रंजक सामग्री	0	0	0
22. औषध तथा भेषज	8	5	3
23. वस्त्र	122	91	29
24. कागज तथा लुग्दी	7	2	0
25. चीनी	161	93	11
26. क्रिण्वन उद्योग	0	1	0
27. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	18	7	1
28. वनस्पति तेल तथा वनस्पति	2	3	0
29. साबुन, सौंदर्य-प्रसाधान	2	0	0
30. रबड़ सामान	7	1	0
31. चमड़ा	18	13	4
32. ग्लू तथा जिलेटिन	0	0	0
33. कोच	1	0	0
34. सिरामिक्स	4	3	0
35. सीमेन्ट तथा जिप्सम	19	9	1
36. टिम्बर उत्पाद	11	0	0
37. रक्षा उद्योग	0	0	0
38. विविध उद्योग	10	12	0
जोड़	522	321	88

विवरण-II

1996 से 1998 (30 जून, 1998 तक) के दौरान जारी किये गये आशय पत्रों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1996	1997	1998 (तक 30.6.98)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	41	10
2.	असम	2	0	0

1	2	3	4	5
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	बिहार	11	9	1
5.	दिल्ली	2	0	0
6.	गोवा	2	0	1
7.	गुजरात	31	23	5
8.	हरियाणा	19	14	4
9.	हिमाचल प्रदेश	3	4	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	0
11.	कर्नाटक	56	21	4
12.	केरल	6	5	1
13.	मध्य प्रदेश	13	17	1
14.	महाराष्ट्र	59	29	17
15.	मणिपुर	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0
19.	उड़ीसा	5	13	1
20.	पाण्डीचेरी	6	0	0
21.	पंजाब	35	19	4
22.	राजस्थान	9	6	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	99	74	23
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	90	35	10
27.	वेस्ट बंगाल	18	7	4
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
29.	चंडीगढ़	0	0	0
30.	दादर और नागर हवेली	3	3	1
31.	दमन और द्विप	2	0	1
32.	लक्षद्वीप	0	0	0
0	एक से ज्यादा राज्य	0	0	0
	जोड़	522	321	88

विवरण-III

30.06.1998 की स्थिति के अनुसार स्वीकृति के लिए विचाराधीन औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों के राज्यवार-उद्योगवार विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के नाम	चीनी	रसायन	वस्त्र	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	8	0	3	12
2.	असम	0	0	0	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	2	0	0	2
5.	दिल्ली	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	1	4	5
8.	हरियाणा	1	0	0	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0	1	0	1	2
11.	कर्नाटक	1	2	0	1	4
12.	केरल	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	3	4	1	1	9
14.	महाराष्ट्र	22	1	2	7	32
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	0	4	0	0	4
20.	पाण्डीचेरी	0	0	0	1	1
21.	पंजाब	0	0	2	0	2
22.	राजस्थान	0	0	0	1	1
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1	4	5	2	12
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	4	0	0	4	8
27.	वेस्ट बंगाल	0	0	0	3	3
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
29.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
30.	दादर और नागर हवेली	0	0	1	1	2
31.	दमन और द्वीप	0	0	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
0	एक से ज्यादा राज्य	0	0	0	2	2
	जोड़	33	26	12	33	104

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश

3565. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
डा० चिन्ता मोहन :
श्री खारबेल स्वाइन :
श्री शान्तिलाल चपलोत :
श्री एस० अजय कुमार :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों में वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार कुल कितना पूजी निवेश किया गया?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97, जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, के दौरान सजातीय समूहवार और राज्यवार पूंजी निवेश को दर्शाने वाला पैटर्न संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण-I

निवेश का सजातीय समूहवार पैटर्न

(करोड़ रु० में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	1996-97	1995-96
1	2	3	4
I.	**निर्माणाधीन उद्यम**	1401	743
II.	**माल उत्पादित करने/बेचने वाले उद्यम**		
1.	इस्पात	3038	906
2.	खनिज एवं धातु	-397	-710
3.	कोयला एवं लिग्नाईट	34	-878
4.	बिजली	741	1225
5.	पैट्रोलियम	1570	497
6.	उर्वरक	1146	877
7.	रसायन एवं फार्मास्युटिकल्स	1351	-99
8.	भारी इंजीनियरी	-196	15
9.	मध्यम एवं हल्की इंजीनियरी	53	42
10.	परिवहन उपस्कर	-65	-154
11.	उपभोक्ता वस्तुएं	327	46
12.	कृषि आधारित उद्योग	12	0
13.	वस्त्र	291	198
	जोड़ (II)	7905	1965
III.	**सेवा प्रदायी उद्यम**		
1.	व्यापार एंव विपणन	20	20
2.	परिवहन सेवाएं	-104	-884
3.	संविदा एवं निर्माण सेवाएं	634	242
4.	औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं	924	852
5.	पर्यटन सेवाएं	-11	-5
6.	वित्तीय सेवाएं	3742	1015
7.	दूर संचार सेवाएं	860	206
8.	धारा 25 के अधीन कंपनियां	151	153
	जोड़ (III)	6216	1599
	कुल जोड़ (I+II+III)	15522	4307

ऋण वापसी अदायगी को (-) के रूप में दर्शाया गया हैं।

विवरण-II

पूंजी निवेश का राज्यवार पैटर्न

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1996-97	1995-96
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	-309	-70
2.	असम	555	-3
3.	बिहार	554	-266
4.	गुजरात	1282	-131
5.	हरियाणा	-10	87
6.	हिमाचल प्रदेश	566	580
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0
8.	कर्नाटक	-50	-72
9.	केरल	108	207

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	-373	-116
11.	महाराष्ट्र	3551	50
12.	मणिपुर	0	0
13.	मेघालय	434	608
14.	नागालैंड	0	0
15.	उड़ीसा	-595	-669
16.	पंजाब	-1	-1
17.	राजस्थान	14	-1
18.	तमिलनाडू	238	159
19.	उत्तर प्रदेश	-2184	451
20.	पश्चिम बंगाल	1121	144
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
22.	दिल्ली	10641	3356
23.	गोवा	-20	-6
24.	पाण्डिचेरी	0	0
25.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
	कुल जोड़	15522	4307

पंजीकृत कार्यालय के संदर्भ में हैं।

बी.आई.सी.मिल्स

3566. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरी न बढ़ाए जाने तथा बंद की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में सूचना न प्राप्त करने के विरोध में बी.आई.सी.मिल्स के मजदूरों ने अल्गिन मिल्स के प्रबंधन का घेराव किया था; और

(ख) यदि हां, बी.आई.सी. मिल्स को बन्द होने से बचाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क)बी.आई.सी. की सूती सहायक कंपनियों अर्थात एल्गिन मिल्स कंपनी लि० और कानपुर टैक्सटाइल लि० के कर्मचारियों ने अप्रैल और मई, 1998 की मजदूरियों और वेतन का भुगतान करने के लिए 9 और 10 जून, 1998 को प्रबंधकों का घेराव किया।

(ख) बीआईसी की सूती सहायक कंपनियों अर्थात एल्गिन मिल्स कंपनी लि० और कानपुर टैक्सटाइल लि० को बीआईएफआर ने बंद करने का आदेश दिया है और उनको बंद करने के मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। जब तक उच्च न्यायालय में आगे सुनवाई नहीं हो जाती तब तक सरकार ने निर्णय लिया है कि इन मिलों के कामगारों/कर्मचारियों को जुलाई, 1998 के अंत तक वेतन और मजदूरियों का भुगतान करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान करना जारी रखा जाए।

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा हड़ताल

3567. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 मई, 1998 से पूरे देश में केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के समूह "घ" के अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा उनकी मुख्य मांगें क्या थी;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उनकी हड़ताल की शीघ्र समाप्ति को सुनिश्चित करने के संबंध में क्या उपाय किये गये हैं;

(ङ) क्या अखिल भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "घ" अधिकारी परिसंघ के साथ कोई समझौता हुआ हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (च) अखिल भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "घ" के कर्मचारी संघ के सदस्य अपनी निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 18 मई, 1998 से हड़ताल पर चले गए थे:-

(i) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सिपाहियों हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो/दिल्ली पुलिस कांस्टेबलों के बराबर वेतनमान देना।

(ii) सेवा काल के दौरान पांच पदोन्नतियां।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एयर-पूल में सिपाहियों हेतु 25% कोटा।

(iv) बाजार दरों पर धुलाई भत्ता।

(v) वर्दी के स्थान पर नकद भुगतान।

(vi) सिपाहियों के पदों में वृद्धि/पुनः प्रवर्तन करना।

2. संघ की मांगों पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने उपर्युक्त संघ द्वारा रखी गयी मांगों के बारे में अपना उत्तर दे दिया था तथा इसके परिणामस्वरूप संघ ने 18 जून, 1998 से हड़ताल समाप्त कर दी थी।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग में अनुकूल पर्यावरणीय तकनीक

3568. **श्री प्रभात चन्द्र तिवारी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा और विद्युत करघा सहित वस्त्र उद्योग में पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाने पर होने वाले व्यय की कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस तकनीक को अपनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं और इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, उद्योग द्वारा महसूस की गयी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से देश मे परीक्षण सुविधाओं का विस्तार/स्थापना करने की एक योजना शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संबंधी प्रबंधन प्रणाली के व्यवसायिक आधार पर हथकरघा और विद्युत करघा सहित इच्छुक वस्त्र एककों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं तथा साथ ही संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, साहित्य के प्रकाशन आदि के माध्यम से पारी अनुकूल तकनीक के संबंध में जागरूकता पैदा करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण उद्योगों का विकास

3569. **श्री विट्ठल तुपे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई हैं:

(ख) क्या इस प्रयोजना हेतु वर्ष 1995-96 और 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 और चालू वर्ष के लिए बजट आंबटन बहुत कम हैं: और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करना प्राथमिक रूप से संबंधित उद्यमियों की जिम्मेदारी हैं। तथापि, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने और विभिन्न ट्रेडों में कार्यकुशलता का विकास करने के लिए ग्रामीण शिल्पियों को प्रशिक्षण देने हेतु सिड्बी, नाबार्ड इत्यादि जैसे अनेक संस्थानों के माध्यम से अवंसरचनात्मक सुविधाएं, प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहयोग देती हैं।

योजना आयोग द्वारा बजट प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त विभिन्न राज्यों की संबंधित राज्य सरकारें ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु क्षेत्रवार-योजनावार निधियों का आंबटन कर रही है। पिछले तीन वर्षों में लघु उद्योगों तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग और कोयर बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों में ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु आबंटित निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिये गये हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अंतर्गत अनुदानों और ऋणों के संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य और संघ शासित प्रदेश राज्य	1994-95		1995-96		1996-97	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	210.40	867.19	381.95	721.10	959.73	642.06
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	2.39	-	3.04	125.41	43.75
3.	असम	52.71	86.06	20.79	19.82	65.25	66.11
4.	बिहार	574.12	301.57	585.89	286.34	663.46	201.15
5.	गोवा	-	20.71	0.65	32.08	45.95	47.95
6.	गुजरात	866.70	458.15	161.44	157.09	1441.87	92.05
7.	हरियाणा	181.32	562.67	232.57	136.76	311.98	140.39
8.	हिमाचल प्रदेश	115.67	154.55	210.67	128.40	205.47	43.00
9.	जम्मू और कश्मीर	66.65	107.29	89.70	302.03	333.77	40.48
10.	कर्नाटक	337.27	883.70	537.93	507.38	908.90	227.64

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	294.53	461.95	158.04	461.75	1322.21	130.69
12.	मध्य प्रदेश	203.23	497.36	112.07	303.23	821.24	202.53
13.	महाराष्ट्र	364.93	437.02	327.23	958.50	1055.86	307.92
14.	मणिपुर	-	12.68	24.53	115.66	210.54	10.26
15.	मेघालय	5.22	27.79	2.45	12.49	237.31	42.79
16.	मिजोरम	14.88	101.60	21.16	36.64	1029.18	1.62
17.	नागालैण्ड	46.88	265.36	6.05	13.16	761.78	19.51
18.	उड़ीसा	76.22	276.92	5.22	217.89	442.19	195.98
19.	पंजाब	6.03	238.22	151.88	220.24	672.06	78.10
20.	राजस्थान	333.54	725.95	871.10	437.53	1496.90	237.03
21.	सिक्किम	-	-	2.40	15.08	-	3.90
22.	तमिलनाडु	1376.00	1435.64	1603.49	254.83	1490.36	489.87
23.	त्रिपुरा	5.17	49.90	2.93	34.69	90.81	26.60
24.	उत्तर प्रदेश	2989.89	1455.34	2927.19	1332.25	3730.83	734.20
25.	पश्चिम बंगाल	73.12	579.41	261.31	267.12	1239.24	207.87
	योग-I	8194.48	10009.36	9698.64	6975.10	19662.30	4163.45
	II केन्द्र शासित						
1.	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	42.85	-
2.	चंडीगढ	312.00	76.34	356.98	2.32	394.17	17.07
3.	दादरा और नागर हवेली	-	-	-	-	-	-
4.	दमन और द्वीव	-	-	-	-	-	-
5.	दिल्ली	501.09	163.15	268.64	29.59	394.17	17.07
6.	लक्षद्वीप	-	-	19.51	66.01	30.59	5.10
7.	पांडिचेरी	-	2.21	0.13	2.96	7.60	2.06
	योग-II	813.09	241.70	645.26	100.88	475.21	24.23
	कुल योग	9007.57	10251.06	10343.90	7075.98	20137.51	4187.68

विवरण II

कॉयर उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों हेतु राज्यवार किया गया निधि संबंधी प्रावधान

क्र.सं.	राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	केरल	193.21	586.13	664.21
2.	तमिलनाडु	59.14	37.50	142.64
3.	आंध्र प्रदेश	3.12	3.48	8.96
4.	कर्नाटक	7.96	17.07	52.68
5.	पश्चिम बंगाल	3.35	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	उड़ीसा	9.97	5.21	9.36
8.	महाराष्ट्र	0.00	1.00	0.00
9.	पांडिचेरी	0.04	0.00	0.04
10.	केन्द्र शासित दमन और द्वीप	0.02	0.00	0.00
	योग	276.81	650.39	777.89

[अनुवाद]

मंगलौर पत्तर का निःशुल्क पत्तन के रूप में विकास

3570. श्री एच०जी०रामुलू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नूतन मंगलौर पत्तर का विकास, निःशुल्क पत्तन के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की आकलित लागत क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव हैं;

(घ) इस हेतु क्या-क्या सुविधाएं प्रदान किये जाने का विचार हैं; और

(ङ) यह कब से शुरू होगा/पूरा कर लिया जायेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) भारत में मुक्त पत्तन स्थापित करने की वांछनीयता और संभाव्यता की जाँच के लिए श्री रौनक सिंह, उद्यमी की अध्यक्षता में गठित की गई परामर्शदात्री समिति ने उपरोक्त विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट की जाँच की गई हैं और भारत सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को कार्यान्वयन का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए कहा हैं जिसमें कानूनों तथा नियमों में संभावित संशोधन, प्रशासनिक ढाँचे तथा विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपाय भी शामिल किए जाएँ ताकि सरकार नीतिगत निर्णय ले सके। तथापि, इस समय एक मुक्त पत्तन के रूप में नूतन मंगलौर पत्तन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कृषि पण्यों का आयात

3571. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान आयात के लिए कोई कृषि पण्य निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इनकी कितनी मात्रा आयात किए जाने का प्रस्ताव हैं तथा इनका उपभोक्ता/लैंडिंग प्राइस कितना हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे आयात की आवश्यकता के बारे में कोई पूर्व मूल्यांकन किया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इनके आयात से कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1998-99 के दौरान आयात के लिए सरकार ने कोई कृषि मद निर्धारित नहीं की हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा डायलिसिस मशीन की खरीद

3572. प्रो० रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तारीख को भारत कोकिंग कोल लि०के जगजीवन नगर केन्द्रीय अस्पताल के लिए डायलिसिस मशीन खरीदी गई थी और उसकी लागत कितनी थी;

(ख) इस मशीन को चलाने के लिए डाक्टरों और नर्सो के प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) अस्पाताल में यह मशीन होने के बावजूद रोगियों को डायलिसिस के लिए अन्य स्थानों पर भेजे जाने के क्या कारण हैं; ओर

(घ) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत कोकिंग कोल लि० के कर्मचारियों के लिए अन्यत्र डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) भा.को.को.लि. के जगजीवन नगर में केन्द्रीय अस्पताल में मई, 1991 में एक डाइलेसिस मशीन 2.72 लाख रु० की लागत से खरीदी गई थी।

(ख) डाइलेसिस मशीन के परिचालन हेतु दो चिकित्सकों तथा एक परिचारिका को प्रशिक्षित किया गया, जिस पर 34,951.50 रु० की लागत आयी।

(ग) केवल डाइलेसिस के लिए ही नहीं, बल्कि गंभीर रूप से गुर्दे खराब हो जाने के उपचार के लिए भी रोगियों को बाहर की नेफ्रोलोजी यूनिटों में भेजा जाता हैं। इनमें से कुछ मामलों में, बाहर संदर्भगत किए गए मरीजों को डाइलेसिस पर भी रखा गया हैं। ऐसा किया जाना आवश्यक था चूंकि अस्पताल में ऐसा कोई योग्यता प्राप्त नेफरोलोजिस्ट नहीं हैं जोकि डाइलेसिस का प्रबोधन कर सके।

(घ) कोल इंडिया लि० द्वारा यह सूचित किया गया हैं कि केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद द्वारा तैयार रखे गए रिकार्ड के अनुसार, निम्नलिखित मामलों को गंभीर रूप से गुर्दे खराब हो जाने के उपचार हेतु नेफ्रोलोजी यूनिटों वाले उच्च चिकित्सा केन्द्रों को संदर्भगत किया गया हैं। इनमें से पूर्ण रूप से गुर्दे खराब हो जाने के उपचार हेतु संदर्भगत किए गए कुछ मरीजों को डाइलेसिस पर भी रखा गया:-

1996	-	13
1997	-	18
1998	-	16 (3.7.1998 से)

प्रतिपूर्ति संबंधित रिकार्डो को मदवार नहीं रखा जाता हैं, अर्थात किसी विशेष मद, जैसे डाइलेसिस के लिए प्रतिपूर्ति हेतु कोई अलग से रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु, बाहर संदर्भगत किए गए 47 रोगियों के हीमो डाइलेसिस पर व्यय की गई राशि (बोकारो जनरल अस्पताल, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का अस्पताल हैं तथा अपोलो अस्पताल, चेन्नई, एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल, जहां अधिकतर रोगियों को संदर्भगत किया जाता हैं, में विद्यमान हीमो डाइलेसिस की दरों को औसत के आधार पर (2.17 लाख रु० हैं।

व्यापार घाटा

3573. श्री मोतीलाल वोरा :
श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में निर्यात में वृद्धि के बावजूद देश के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अलग-अलग कितना आयात-निर्यात किया गया; और

(घ) इस असंतुलन को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) व्यापार घाटा निर्यातों की तुलना में आयात की अधिकता से आंका जाता है। व्यापार घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत माल, कच्चे माल और मध्यवर्ती माल के अतिरिक्त उर्वरकों के बढ़े हुए आयातों के कारण हुई है। इसी अवधि के दौरान निर्यात वृद्धि दर आयात वृद्धि से कम रही है।

(ग) वाणिज्यक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एण्ड एस) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातों और आयातों के मूल्य रुपये और डॉलर के रूप में निम्नानुसार रहे हैं:-

वर्ष	निर्यात मिलियन अमरीकी डॉलर	मूल्य करोड़ रुपये	पिछले वर्ष की तुलना में/वृद्धि	
			(डॉलर के रूप में)	(रुपये के रूप में)
1995-96	31797	106353	20.8	28.6
1996-97	33470	118817	5.3	11.7
1997-98(पी)	33980	126286	1.5	6.3

वर्ष	आयात मिलियन अमरीकी डॉलर	मूल्य करोड़ रुपये	पिछले वर्ष की तुलना में/वृद्धि	
			(डॉलर के रूप में)	(रुपये के रूप में)
1995-96	36678	122678	28.0	36.4
1996-97	39132	138920	6.7	13.2
1997-98(पी)	40779	151554	4.2	9.1

पी. अनन्तिम

(घ) व्यापार घाटे को कम करने का उपाय निर्यात में वृद्धि करने में है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश की निर्यात वृद्धि बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सतत आधार पर निर्यात संवर्धन उपाय शुरू किए जाते हैं। इन उपायों में शामिल हैं- निर्यातकों को मैत्रीपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए नीति उदार बनाना और क्रियाविधियों को सरल बनाना। निर्यात संवर्धन उपाय, व्यापार, उद्योग और सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संवर्धन संगठनों के साथ निरन्तर विचार-विमर्श के आधार पर किए जाते हैं।

[अनुवाद]

निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंको के बोर्डों में भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती

3574. श्री के.एस.राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंको के बोर्डों से अपने नामिती निदेशकों को हटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का भी विचार भारतीय रिजर्व बैंक की तरह निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों से अपने नामिती हटाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ)भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 क,ख के अनुसरण में निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक (नामिति निदेशक) के रूप में अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों बोर्डों में भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं 1980 के उपबंध के अनुक्रम में नामित किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों से आरबीआई के नामित निदेशकों को हटा लेने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) फिलहाल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड से नामित निदेशकों को हटा लेने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। निजी क्षेत्र के बैंकों में सरकार अपने नामित निदेशकों को नियुक्त नहीं करती है।

हथकरघा श्रमिकों की स्थिति

3575. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई अध्ययन कराया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है: और

(ग) सरकार का हथकरघा श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी हां, हथकरघों की पिछली गणना 1987-88 में करवाई गई थी। हथकरघा की दूसरी गणना 1995 के दौरान राष्ट्रीय प्रोद्योगिक आर्थिक अनुसंधान (रा.प्रा.आ.अ.), नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ की गई हैं, जो कि अभी प्रक्रियाधीन हैं।

(ख) 1987-88 की हथकरघा गणना के अनुसार हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या को संलग्न विवरण में दर्शाया गया हैं।

(ग) हथकरघा श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सरकारी सहायता विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुशलता बढ़ाने, डिजाइन विकास, तकनीक विकास, निवेश आपूर्ति, विपणन तथा कल्याण के लिए मुहैया की जा रही हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1987-88 की हथकरघा गणना के अनुसार हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	463507
2.	अरूणाचल प्रदेश	47400
3.	असम	2003297
4.	बिहार	240627
5.	दिल्ली	19727
6.	गोवा	101
7.	गुजरात	67875
8.	हरियाणा	37537
9.	हिमाचल प्रदेश	55285
10.	जम्मू और कश्मीर	53432
11.	कर्नाटक	185810
12.	केरल	74694
13.	मध्य प्रदेश	79350
14.	महाराष्ट्र	137695
15.	मणिपुर	335383
16.	मेघालय	13886
17.	मिजोरम	129285
18.	नागालैण्ड	147617
19.	उड़ीसा	245980
20.	पंजाब	7536
21.	राजस्थान	24210
22.	सिक्किम	84614
23.	तमिलनाडू	709564
24.	त्रिपुरा	137936
25.	उत्तर प्रदेश	647482
26.	पश्चिम बंगाल	736829
	कुल	6686659

*हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, बुनाई कार्यकलापों में लगे हाऊस होल्ड सदस्यों सहित तथा प्रारंभिक कार्य (पूर्णकालिक तथा अंश कालिक) तथा नॉन हाऊस होल्ड इकाईयों में मजदूरों पर लगे बुनकरों की संख्या।

विश्व पुष्प बाजार में भारत का हिस्सा

3576. श्री माधवराव पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व पुष्प बाजार में भारत का हिस्सा बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में वास्तविक हिस्से का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पुष्प निर्यात में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) जी, हां। भारत में पुष्पोत्पादन उद्योग एक उदीयमान स्तर पर हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय पुष्पोत्पादन बाजार में भारत एक नया प्रवेशकर्त्ता हैं। ऐसे फूलों का उत्पादन जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं जैसे लम्बे तने तथा टिकाऊ फूलदान, उनका उत्पादन केवल पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान ग्रीन हाउसिस में इकाइयों की स्थापना करने के साथ शुरू हुआ हैं। हमारे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ठंडी चेन के रखरखाव के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी निवेश की अधिक लागत तथा अधिक हवाई भाड़े के कारण भी भारतीय पुष्पोत्पादन उद्योग का निर्यात निष्पादन प्रभावित हुआ हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान पुष्पोत्पादन के विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 0.3% रहा है।

(ग) पुष्पोत्पादन उत्पादों के उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(1) ग्रेडिंग/प्रसंस्करण केन्द्र नीलामी मंचों, गुणवत्ता जांच उपकरणों की स्थापना के लिए आसान शर्तों पर ऋणों का प्रावधान करना;

(2) निर्यातकों/उपजकर्ताओं/सहकारी समितियों की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जैसे कि विशिष्ट परिवहन इकाइयों की खरीद करना; पूर्व शीतलन कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(3) सुधरी हुई पैकेजिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण में मजबूती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(4) चुनिंदा बागवानी तथा पुष्पोत्पादन उत्पादों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद प्रदान करना।

(5) क्रेता-विक्रेता बैठकें तथा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों पुष्प प्रदर्शन तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी जैसे संवर्धनात्मक अभियान चलाना

(6) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पुष्पोत्पादन तथा बागवानी उत्पादों जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली मदों के निर्यात हेतु एकीकृत कार्गो हैंडलिंग तथा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना करना, ऐसी सुविधा हाल ही में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू हो गई हैं;

(7) व्यापार एवं उद्योग की निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने सहित तकनीकी सलाहकार सेवाएं तथा अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखायें

3577. श्री डी.एस. अहिरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विदेशों में शाखाएं खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही हैं;

(ख) इस समय अन्य देशों में भारतीय बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं; और

(ग) विदेशों में भारतीय बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया हैं कि विदेशों में शाखा कार्यालय खोलने के लिए बैंकों से प्राप्त अनुरोध पर कुछ मानदण्डों के आधार पर विचार किया जाता हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों की वित्तीय स्थिति, घरेलू क्षेत्र में उनकी स्थिति, विनियामक अपेक्षाओं की अनुपालना, मेजबान देश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली नीति जिसमें पारस्परिक दशाएं, भारत तथा मेजबान देश के बीच व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंध भी शामिल है। ऐसा निर्धारण करते समय इसमें शामिल वाणिज्यिक एवं राजनैतिक जोखिम पर भी विचार किया जाता हैं। केवल ऐसे अनुरोधों को ही उपयुक्त समझा जाता हैं जो इन साध्य/व्यवहार्य मापदण्डों के संगत होते हैं। सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों से विदेश में शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त उनके आवेदनों पर इन कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता हैं।

(ख) जून 1998 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों और गैर सरकारी क्षेत्र के एक बैंक की 97 शाखाएं 25 देशों में हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों की सेवाओं को समाप्त किया जाना

3578. श्री नरेश पुगलिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1998 के बाद सरकार द्वारा किन-किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं तथा उन अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) ऐसे कार्यकारी अधिकारियों की सेवाओं को समाप्त करने के क्या कारण हैं तथा इसका औचित्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुरर्विचार करने का हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ग) ग्रुप कैप्टन टी०रुद्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टैनरी एण्ड फुटवियर कॉरपोरेशन की सेवाएं दिनांक 1.6.98 से समाप्त कर दी गई थी। वे दिनांक 22.4.95 से अपने नियमित कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात तदर्थ रूप से बढ़ाई गई अवधि पर कार्यरत थे।

(घ) और (ङ) चूंकि, अधिकारी को उनके बढ़ाए गए कार्यकाल के पूरा होने पर ही कार्यमुक्त किया गया हैं, इसलिए समीक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पेय पदार्थों पर उत्पाद शुल्क

3579. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वितरकों के जरिए पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री करने वाले छोटे-छोटे विक्रेताओं से शुल्क की वसुली की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनसे अनुमानतः कितने उत्पाद शुल्क का संग्रहण किए जाने की संभावना हैं;

(ग) ऐसे संग्रहण के लिए राजस्व विभाग को कितनी श्रमशक्ति की आवश्यकता हैं और इस कार्य पर कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या यह लागत और श्रमशक्ति अर्जित होने वाले राजस्व के समतुल्य हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन छोटे खुदरा विक्रेताओं से यह आशा करना व्यावहारिक हैं कि वे उपभोक्ताओं को बेचे गए पेय के प्रत्येक कप का बीजक और "मोडवेट" रिकार्ड रखें; और

(छ) यदि हां, तो विक्रेता द्वारा रिकार्डों को रखने में कितनी अनुमानित लागत अंतर्ग्रस्त हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं।

(ग) से (छ) सरकार द्वारा यह सूचना अलग-अलग वस्तुओं के संबंध में नही रखी जाती हैं। इस सूचना को एकत्र करने में लगने वाला समय तथा श्रम, प्राप्त होने वाले वांछित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

गुजरात और महाराष्ट्र में एम एम टी सी की परियोजनाएं

3580. **श्री महेश कनोडिया:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि० ने गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ नई परियोजनाओं को शुरू करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं में रोजगार सृजन की क्या संभावनाएं हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"एस्सार ग्रुप आफ कम्पनीज" को ऋण

3581. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं ने "एस्सार ग्रुप आफ कम्पनीज" को ऋण दिए हैं,

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत और वितरित किए गए ऋणों का परियोजनावार ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या "एस्सार" ग्रुप ऋण की किस्तों की अदायगी नियमित रूप से नहीं कर पाया हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बौद्ध स्थलों का विकास

3582. **श्री राम शकल :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी बौद्ध स्थलों को पर्यटक के रूप में विकसित करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने बौद्ध स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत भगवान बुद्ध के कुशीनगर स्थित "निर्वाणस्थली" जिसे विदेश से अधिकतम अनुदान सहायता मिलती हैं, को शामिल न करने का क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) 1986 और 1988 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा गठित कार्य बलों ने एक चरणबद्ध तरीके से, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के प्रयत्नों से बौद्ध पर्यटन के विकास हेतु देश में 63 स्थलों की पहचान की है। विकास हेतु पहचान किए गए स्थानों में कुशीनगर भी एक हैं। कुशीनगर में विकास गतिविधियां, जैसे राष्ट्रीय सड़क मार्गों का सुदृढ़ीकरण, भू-दृश्यांकन, जल एवं विद्युत आपूर्ति बढ़ाना और मार्गस्थ सुख सुविधाओं का प्रावधान, जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ) की सहायता से पूरी हो गई है।

[अनुवाद]

अंतर-राज्यीय परिषद संबंधी स्थायी समिति

3583. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 जुलाई, 1997 को नई दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय परिषद संबंधी स्थायी समिति की चौथी बैठक में यह विचार व्यक्त किया कि उसे राज्य में स्थित एककों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा में हिस्सेदार होने की अनुमति प्रदान की जाए क्योंकि निर्यातोन्मुख एककों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय परिषद में इस बात पर सहमति थी कि विदेशी मुद्रा के जारी करने की वर्तमान पद्धति में सुधार और विदेशी मुद्रा जारी करने के नियंत्रण में रियायत को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले पर कोई कार्रवाई किया जाना आवश्यक नहीं था।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

3584. **श्री जोगेन्द्र कवाडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों के 60 वर्ष से अधिक आयु के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को नियोजित रखने की अनुमति देने/नियुक्त करने का हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा आई.डी.बी.आई और आई. एफ.सी.आई. में अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के रूप में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करने का हैं जिनकी 60 वर्ष की आयु पूरी होने में दो वर्ष बाकी रह गए है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित) के बोर्डो में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली सांविधियों में यह विनिर्दिष्ट किया गया हैं कि वे 5 वर्ष से अधिक के ऐसे कार्यकाल के लिए रहेंगे जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगें। तथापि, कोई भी न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। जहां तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि० का संबंध है। इसे कंपनी के रूप में निगमित किया गया हैं और पूर्णकालिक अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का चयन करना और यह निर्धारित करना कि वे कब तक कार्य करेंगे इसके निदेशक का कार्य हैं।

[हिन्दी]

विदेशी वित्त कंपनियां

3585. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि देश में विदेशी कंपनियां, जो हमारे देश की छोटी और बड़ी वित्त कंपनियों को अपने स्वामित्व में ले रही हैं, बड़ी तेजी से फेल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों की अधिग्रहण करने की नीति पर सरकार द्वारा निगरानी रखी जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों की अधिग्रहण प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा कोई नियम बनाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी हैं कि इन कंपनियों की ब्याज दरें बहुत ऊंची एवं अनियंत्रित हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों की ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक या किसी और सरकारी वित्तीय संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनी के बोर्ड के अनुमोदन से नए शेयरों की पेशकश करके अथवा मौजूदा शेयरों की बिक्री करके किया जाता है। ऐसे सभी निवेशों पर अनुमोदन हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.)अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा, जैसा भी मामला हो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत विचार किया जाता हैं।

(ग) और (घ) किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी भारतीय कंपनी के मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण), विनियम, 1997 द्वारा शासित होता हैं।

(ङ) से (छ) गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 के तहत विनियमित की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एन.बी.एफ.सी) की विभिन्न श्रेणियों के लिए जमा राशियों की स्वीकृति संबंधी मानदंड, विवेकपूर्ण मानदंड आदि से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश 2 जनवरी, 1998 को जारी किए हैं जिन्हें बाद में 31 जनवरी, 1998 को संशोधित किया गया।

[अनुवाद]

सोना जब्त करना

3586. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के एयर कार्गो काम्पलेक्स के आयात शैड से 3.68 करोड़ रुपये मूल्य का सोना चोरी हुआ हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस पर क्या कार्यवाई की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के एयर कार्गो काम्पलेक्स के आयात शैड से सोने को चोरी छुपे उठाया गया हो। शायद माननीय सदस्य का आशाय उस मामले से हो जिसमें सीमा शुल्क विभाग ने दिल्ली के एयर कार्गो काम्पलेक्स में 3.68 करोड़ रुपये मूल्य का सोना तथा कुछ अन्य सामान जब्त किया था। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि एक विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कि हांगकांग स्थित एक विशेष प्रेषक द्वारा बड़ी मात्रा में भेजी गई निषिद्ध वस्तुओं की कुछेक खेपें यूनाइटेड एयर लाइन्स की उड़ान से पहुंचने वाली हैं जिन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के एयर कार्गो काम्पलेक्स से कागजातों को फाइल किए बिना चोरी छुपे हटाए जाने की संभावना हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली स्थित सीमा शुल्क आयुक्तालय की मुख्यालय निवारक इकाई के अधिकारियों ने इस पर निगरानी रखी। वे ऐसी दो खेपों का पता लगाने में सफल हुए। अधिकारियों ने उक्त दोनों खेपों की जांच की जो दिनांक 17.6.1998 की रात को एयरवे बिल संख्या 0165775 2973 तथा 0165775 2962 के तहत यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान संख्या यू.ए.-001 द्वारा पहुंची थी। उक्त एयरवे बिलों में उन वस्तुओं को आटोमोबाइल कार के पुर्जो तथा मेटल फिटिंग्स के रूप में घोषित किया गया था। जबकि, इन खेपों की जांच करने पर 2.95 करोड़ रुपए मूल्य के 10-10 तौले के 600 सोने के बिस्कुट बरामद किये गए तथा 73.14 लाख रुपए मूल्य की अन्य विविध वस्तुएं, अर्थात,

एल.सी.डी. डिस्प्ले मोड्यूल, घड़ी के पुर्जे, कैलकुलेटर्स तथा कंप्यूटर के पुर्जे बरामद किए गए जिनका कुल मूल्य 3.68 करोड़ रुपए आंका गया था। इन सभी वस्तुओं को गलत घोषणा करने तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण जब्त किया गया था।

इन दोनों खेपों को कमशः मैसर्स मरिता इंटरप्राइजेज, 12-सी, श्री नगर, शकूर बस्ती, दिल्ली तथा मैसर्स एस.एन इम्पेक्स, 308-सी/55, सुनेजा टावर्स, जनकपुरी, नई दिल्ली के नाम से भेजा गया था। पहले एयरवे बिल में पारेसिती पाने का जो पता लिखा गया था वह विद्यमान नहीं था, जब कि दूसरे एयरवे बिल के संबंध में जो पता लिखा गया था वह मनगढंत था। तथापि, प्रथम पारेसिती के वास्तविक पते का पता लगाया गया तथा उसके परिसर की तलाशी ली गई जिसके दौरान पारेसिती अर्थात मैसर्स मरिता इंटरप्राइजेज की रबड़ की मुहर तथा टिन का साइन बोर्ड बरामद किया गया। परिसर में रहने वाले बृज मोहन बहल से पूछ ताछ की गई तथा इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे जांच की जा रही हैं। जांच कार्य पूरा होने के बाद जब्त माल के न्यायनिर्णयन/संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन आदि चलाने के लिए समुचित कार्रवाई की जाएगी।

कोयला क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग

3587. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने कोयले के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देने का निर्णय किया हैं:

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए है:

(ग) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है: और

(घ) चीन किस हद तक कोयला क्षेत्र में अपनी सहायता प्रदान करेगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कोल इंडिया लि०(को.इं.लि.) द्वारा चार खानों अर्थात् बलरामपुर, राजेन्द, न्यू कुम्दा और चुर्चा वेस्ट, के संबंध में चीन नेशनल कोल माइनिंग इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ग्रुप कारपोरेशन, चीन के साथ सितम्बर, 1995 में चार पृथक अनुबधों पर हस्ताक्षर किए गए। अनुबधों के प्रावधानों में निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं:- पावर युक्त लांगवाल उपकरण की आपूर्ति, स्थापना हेतु विशेषज्ञ की सेवाएं तथा इन चार परियोजनाओं से उत्पादन संबंधी गारंटी के प्रदर्शन के लिए अनवरत 150 विनिर्दिष्ट कार्यदिवस के लिए उपकरण का प्रचालन तथा उसे शुरू किया जाना। इन चार अनुबंधों से संबंधित मूल्यों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

अनुबंधों के नाम	अमरीकी मिलियन डालर में कीमत
1. बलरामपुर	7.271
2. राजेन्द्र	8.369
3. न्यू कुम्दा	7.271
4. चुर्चा वेस्ट	9.754

उपर्युक्त अनुबंध की 85% धनराशि में चीन से प्राप्त ऋण अंतरग्रस्त है।

(घ) नवम्बर, 1997 में हुई भारत-चीन कार्यकारी दल की चौथी बैठक में चीनी पक्ष ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव किया हैं:-

1. हरित क्षेत्र परियोजनाओं का विकास।
2. भारतीय कोयले के ब्रिकेटिंग।
3. पी.एस.एल.डब्लू. के कलपुर्जों का सह-निर्माण और
4. इलैक्ट्रिक साइड डिस्चार्ज लोडर का सह-निर्माण।

होटल उद्योग

3588. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरण परीक्षणों के बाद होटल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या निगम शिष्टामंडलों ने, जिनका भारत का दौरा तय था और जिनके लिए देश में होटल आरक्षित (बुक) किए गए थे, अपना दौरा रद्द कर दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ख) मई और जून के महीनों के दौरान होटल उद्योग सीमित रूप से ही प्रभावित हुआ हैं जिसका कारण हैं विश्व कप फुटबाल, प्रतिबंध इत्यादि।

(ग) और (घ) यू.एस.ए. आस्ट्रेलिया, बेल्जियम और जर्मनी जैसे देशों के व्यावसायिक शिष्टमंडलों के होटलों में कराए गए (आरक्षणों को(रद्द करने के कुछ मामले प्रकाश में आए है। विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक के व्यावसायिकों के आगमन में भी कमी आई है। बड़े शहरों में इन छः माह के दौरान गत वर्ष की तुलना में (होटलों में) कम व्यावसायिक आए।

(ङ) पर्यटन मंत्रालय की यह राय हैं कि यह एक अस्थायी तथ्य हैं तथा इससे देश में स्थिर व्यवसाय और राजनीतिक वातावरण के संभावित आगन्तुकों की व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक दोनों की संख्या में विपणन कार्यालयों के माध्यम से वृद्धि सुनिश्चित होती हैं।

विकास केन्द्रों की नई वित्तपोषण विधि

3589. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेन्डीपाथर (मेघालय) में प्रस्तावित विकास केन्द्र स्थापित करने के कार्य के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या प्रधान मंत्री की नई पहल पर आधारित नई वित्तपोषण विधि के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास केन्द्रों को 15.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन केन्द्रीय सहायता के रूप में समस्त व्यय की प्राप्ति होगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मेन्डीपाथर विकास केन्द्र को शीघ्र चालू करने के लिए बकाया राशि को बढ़ी हुई दर पर जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख्त) : (क) सरकार द्वारा मेघालय में मेंदी पथर में विकास केन्द्र का अनुमोदन अक्टूबर, 1997 में हुआ था। अनुमोदन मिलने पर 50 लाख रु. की पहली किस्त जारी की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। निधियां जारी करना, राज्य सरकार/इसकी कार्यान्वयन में हुई की प्रगति पर निर्भर करता है।

कपास का समर्थन मूल्य

3590. **श्री एस.एस. ओवेसी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान कपास के समर्थन मूल्य में कितनी बार कितनी-कितनी वृद्धि की गई; और

(ख) सरकार ने कपास के बाजार मूल्य में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) कपास की मुख्य किस्मों नामत: एफ 414/एच-777 और एच-4 के लिए न्यूतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती हैं। पिछले तीन वर्षो में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के ब्यौरे नीचे तालिका में निर्दिष्ट हैं:-

वर्ष	मुख्य किस्म	घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० प्रति क्विंटल
1995-96	एफ414/एच 777	1115.00
	एच 4	1350.00
1996-97	एफ414/एच 777	1180.00
	एच 4	1380.00
1997-98	एफ414/एच 777	1330.00
	एच 4	1530.00

(ख) जबकि कपास की कीमत मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करती हैं, फिर भी सरकार कपास की कीमतों पर बारीकी से निगरानी रखती हैं और यदि आवश्यक हुआ तो उस स्थिति में उपयुक्त उपाय भी करती हैं। फिलहाल कपास का आयात स्वतंत्र रूप से शून्य शुल्क दर पर किया जा सकता हैं।

बी०सी०सी०एल० में कोयला और जल शोधन संयंत्र

3591. **श्री मोइनुल हसन** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.3.1998 तक भारत कोकिंग कोल लि० (बी०सी०सी०एल०) में कितने कोयला रख-रखाव संयंत्र और जल शोधन संयंत्र निर्मित किये गए हैं:

(ख) उन पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गयी हैं: और

(ग) इनमें से कितने संयंत्र इस समय कार्य कर रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) 31.3.1998 तक भा.को.को.लि. द्वारा निर्मित कोयला रख-रखाव संयंत्रों एवं जल शोधन संयंत्रों का ब्यौरा निम्न हैं:-

	संख्या	खर्च की गई राशि (लाख रु० में)
1. कोयला रख-रखाव संयंत्र	32	4803.34
2. जल शोधन संयंत्र	64	860.00

(ग) 32 कोयला रख-रखाव संयंत्रों और 64 जल शोधन संयंत्रों में से 30 कोयला रख-रखाव संयंत्र तथा 64 जल शोधन संयंत्र चालू हालत में हैं। दो कोयला रख-रखाव संयंत्र चालू नहीं हैं क्योंकि दोनों संयोजित खानें, जो इन दो कोयला रख-रखाव संयंत्रों के लिए प्रयुक्त हैं, बंद कर दी गई हैं।

सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने से वित्तीय लाभ

3592. **श्री जार्ज ईडन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि किए जाने से होने वाले कुल वित्तीय लाभ का हिसाब लगा लिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के असैनिक (सिविलियन)कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु में दो साल की बढ़ोत्तरी किए जाने से पूरे एक साल दो सालों के लिए 3700 करोड़ रुपए की राजस्व राहत प्राप्त होगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए परिकलन के अनुसार सैनिक कार्मिकों के संबंध में यह वार्षिक बचत लगभग 1500 करोड़ रुपयों की होगी। इस प्रकार दो साल के लिए औसतन 5200 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी।

नारियल गिरी, रबड़ के आयात/निर्यात पर नई आयात/निर्यात नीति का प्रभाव

3593. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मुख्यत: केरल में नारियल तेल/नारियल गिरी और प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों को प्रभावित करने वाली उदारीकृत आयात निर्यात नीति (एग्जिम) के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए कोई कार्रवाई कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) और (ख) नारियल (कोपरा) तेल के आयात का सरणीयन राज्य व्यापार निगम तथा हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम के माध्यम से होता हैं। प्राकृतिक रबड़ का आयात विशेष आयात लाइसेंस (एसआईएल) के आधार पर किया जा सकता हैं।

इन मदों की आयात पात्रता में हाल ही में कोई बदलाव नहीं आया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड द्वारा ऋण

3594. **श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :**
श्री राम टहल चौधरी :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री नृपेन गोस्वामी :
डा० सरोजा वी० :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और "नाबार्ड" द्वारा राज्यवार और परियोजनावार छोटे और सीमांत किसानों को कितना ऋण उपलब्ध कराया गया,

(ख) इससे राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, और

(ग) ऐसे ऋण प्राप्त करने में किसानों को हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

3595. **श्री राम टहल चौधरी :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 1995 से अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अब तक दण्डित नहीं किया जा सका हैं;

(ख) यदि हां, तो 1995 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे व्यक्तियों की संख्या क्या हैं जिनके विरुद्ध अब तक आरोप तय नहीं किए गए हैं और इनमें से प्रत्येक मामले में हुए विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार काफी समय से लम्बित मामलों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ख) जी, नहीं। तथापि कतिपय जटिल/ग्रुप मामलों में जांच में पर्याप्त समय लगता हैं, जिसके कारण विलम्ब होता है। सन् 1995 से जांच हेतु लिए गए मामलों की संख्या और मामले जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और अभियोजन कार्रवाईयां की गई हैं, उनकी संख्या निम्न प्रकार से हैं:-

सं०		1995	1996	1997	1998 (मार्च तक)
1.	जांच हेतु लिए गए मामलों	5633	5486	5577	880
2.	कारण बताओ नोटिस जारी किए गए	2456	2291	2721	636
3.	मुकद्मा चलाया गया	202	101	90	17

(ग) और (घ) सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर जांच/न्याय निर्णयन/अभियोजन कार्रवाई के अधीन बकाया मामलों की समीक्षा करती है और समुचित अनुदेय जारी करती हैं।

कृषि मजदूरी

3596. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत पिछले पांच वर्षो के दौरान किए गए कुछ अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ हैं कि कृषि मजदूरी में तेजी से कमी आई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या हैं जहां यह गिरावट का दौर चला तथा इसमें कितनी गिरावट आई;

(ग) क्या वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस तरह की गिरावट में सुधार हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं?

(ङ) क्या सरकार का इस संबंध में गिरावट की प्रवृत्ति में सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाए जाने का विचार हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) (क) से (च) अकुशल श्रमिकों के लिए औसत वास्तविक मजदूरी में पिछले पाँच वर्षो अर्थात् 1992-93 से 1996-97 (कृषि वर्ष जुलाई से जून) के दौरान केवल 1994-95 को छोड़कर, जिसमें 0.39 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, कुल मिलाकर पूरे देश में वृद्धि हुई। चुनिन्दा राज्यों के लिए अकुशल कृषि श्रमिकों हेतु वास्तविक मजदूरी में वार्षिक प्रतिशतता परिवर्तन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं। यह देखा गया है कि राज्यों के बीच इस मामले में कोई एकरूप प्रवृत्ति नहीं रही है जो इस बात को इंगित करता हैं कि स्थानीय स्थितियां कृषि मजदूरी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।

विवरण

चुनिन्दा राज्यों के लिए अकुशल कृषि श्रमिकों हेतु वास्तविक मजदूरी में वार्षिक प्रतिशतता परिवर्तन

पिछले वर्ष की तुलना में कृषि वर्ष (जुलाई से जून) के लिए प्रतिशतता परिवर्तन

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
आन्ध्र प्रदेश	(+) 1.57	(+) 8.60	(+) 2.71	(-) 1.73	(+) 1.35
असम	(+) 0.58	(-) 6.58	(-) 1.67	(+) 2.68	(+) 1.68
बिहार	(-) 5.00	(+) 5.98	(+) 1.69	(-) 2.30	(-) 10.80
गुजरात	(+) 7.92	(+) 2.86	(+) 1.27	(+) 2.92	(+) 5.70
कर्नाटक	(-) 14.39	(+) 41.31	(-) 15.60	(-) 8.61	(+) 21.48
केरल	(+) 9.74	(-) 2.84	(+) 5.24	(+) 13.20	(+) 14.03
मध्य प्रदेश	(+) 12.57	(-) 3.53	(+) 4.93	(+) 1.24	(+) 1.23
महाराष्ट्र	(+) 0.66	(+) 25.58	(-) 0.68	(-) 7.89	(-) 2.88
उड़ीसा	(+) 11.03	(-) 0.14	(-) 3.52	(+) 0.55	(-) 0.30
पंजाब	(+) 4.25	(+) 1.51	(-) 1.17	(-) 6.50	(-) 0.34
राजस्थान	(-) 3.56	(-) 7.66	(+) 1.05	(+) 10.33	(+) 16.42
तामिलनाडू	(+) 13.29	(+) 11.60	(+) 1.03	(+) 3.63	(+) 10.06
उत्तर प्रदेश	(+) 7.56	(-) 6.77	(-) 2.31	(+) 1	(-) 6.53
पश्चिम बंगाल	(+) 24.39	(-) 6.50	(-) 5.29	(-) 0.28	(+) 1.65
अखिल भारत	(+) 5.21	(+) 5.61	(-) 0.39	(+) 0.72	(+) 1.64

अ.-अंनतिम

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 1997-98

टिप्पणी :- अखिल भारतीय औसत निकालने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अकुशल कृषि श्रमिकों हेतु वास्तविक मजदूरी को राज्य के कुल कृषि श्रमिकों से भारांशित किया गया हैं।

किसानों को ऋण

3597. **श्री के. येरननायडू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 के अनुपालन से छूट का अनुरोध किया हैं ताकि किसान ऋण प्राप्त कर सकें, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से प्रस्ताव किया था कि सात जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी सी सी बी) को बैंककारी विनियमन अधिनियम (जैसाकि सहकारी समितियों के लिए लागू हैं), 1949 की धारा 11 के अनुपालन से छूट दी जाए। केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके इस मामले की जांच की हैं और अब राज्य सरकार द्वारा इन जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए मांगी गई छूट दे दी गई हैं।

राज्यों को ऋण

3598. **श्री भेरूलाल मीणा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार राज्यों पर केन्द्र का कितना ऋण था;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अधिक ऋण देने का अनुरोध किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) (क) दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा वित्त मंत्रालय को दिए जाने वाले ऋण की देनदारियों का राज्यवार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, मिजोरम तथा राजस्थान राज्यों ने अर्थोपाय कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य के लिए सरल, दीर्घ आवधिक ऋणों के लिए अनुरोध किया हैं।

विवरण

दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा वित्त मंत्रालय को दिए जाने वाले ऋण की देनदारियों का ब्यौरा देने वाला विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	11908.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	285.63
3.	असम	3777.01
4.	बिहार	10836.81
5.	गोवा	880.88
6.	गुजरात	11517.43
7.	हरियाणा	4093.22
8.	हिमाचल प्रदेश	2322.51
9.	जम्मू और कश्मीर	3083.38
10.	कर्नाटक	7576.73
11.	केरल	4829.11
12.	मध्य प्रदेश	7515.37
13.	महाराष्ट्र	18839.95
14.	मणिपुर	281.24
15.	मेघालय	280.30
16.	मिजोरम	174.92
17.	नागालैण्ड	271.58
18.	उड़ीसा	5548.86
19.	पंजाब	11577.00
20.	राजस्थान	8108.28
21.	सिक्किम	155.88
22.	तामिलनाडू	8427.30
23.	त्रिपुरा	419.35
24.	उत्तर प्रदेश	24246.84
25.	पश्चिम बंगाल	18400.18
	कुल	164556.35

"एसोचेम" का अध्ययन

3599. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोषीय दूरदर्शिता तथा संघटन के संबंध में एसोटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्ययन में यह बताया गया है कि कर की दरों में कमी करने की उल्लेखनीय सफलता तथा इनके दायरे को सीमित करने के बावजूद भी सरकार के द्वारा की जा रही राजकोषीय सुधारों का व्यय पर काफी कम असर पड़ा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राजकोषीय अनुशासनहीनता का कारण अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण तथा राजस्व प्राप्ति हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट में की गई अन्य टिप्पणियों की जांच की है; और

(घ) इस संबंध में सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) मई, 1998 में प्रकाशित "राजकोषीय सुधारों के लिए कार्य-नीति" शीर्षक नामक एक पेपर में एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने अन्य बातों के साथ यह इंगित किया था कि कर ढांचे को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद राजकोषीय मितव्ययता की स्थिति हासिल नहीं हो सकी हैं और व्यय पर अधिक-कारगर तौर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

(ख) से (घ) गत वर्षों के दौरान, सरकार ने एक कठोर राजकोषीय अनुशासनबद्धता बनाए रखी है। जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 1990-91 में 19.7 प्रतिशत से घटकर 1997-98 (संशोधित अनुमान) में 16.6 प्रतिशत रह गया है।

कोयले का आयात

3600. प्रो0 अजित कुमार मेहता : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले के आयात की अनुमति दे दी हैं:

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसा निर्णय कब लिया गया:

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान आयात किये जाने वाले कोयले की मात्रा क्या हैं और इस पर कितना खर्च होगा:

(घ) क्या कोयले के आयात से सरकारी क्षेत्र की कोयला उत्पादक कंपनियों की कोयला उत्पादन क्षमता और कार्यकरण प्रभावित हुआ हैं:

(ङ) यदि हां, तो क्या कोयला उत्पादक कंपनियों ने उक्त निर्णय का विरोध किया है:

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) वर्तमान में आयात संबंधी नीति के अनुसार कोयला एक खुले सामान्य लाइसेंस से संबधित हैं।

(ग) उपभोक्ता अपने विवेकानुसार कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः सरकार द्वारा कोयले का आयात नहीं किया जाता। पहले की भांति लगभग 10 मिलियन टन कोककर कोयले का आयात इस्पात उत्पादकों द्वारा किया जाना है तथा लगभग तीन मिलियन टन अ-कोककर कोयले का आयात अन्य उपभोक्ताओं द्वारा किया जाना है।

(घ) कोयले के उदारवादी आयात से सीमेंट क्षेत्र जैसे कुछ औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा किए जा रहे उठान में कमी आई है। इससे कोयले के उत्पादन पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ङ) कोयला मंत्रालय ने उल्लेख किया कि यद्यपि भारत में कोयले की लागत प्रतिस्पर्द्धात्मक है, फिर भी कोयले पर राज्य और केन्द्र द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों तथा परिवहन पर आने वाली लागत से आयातित कोयले की तुलना में उक्त कोयला तटवर्तीय स्थलों पर अप्रतिस्पर्द्धात्मक हो जाता है।

(च) और (छ) सरकार आयातित कोयले पर 4% शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है।

विश्व पर्यटन में भारत का हिस्सा

3601. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि अन्य देशों की तुलना में विश्व पर्यटन में भारत का हिस्सा अभी भी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्व पर्यटन में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) वर्ष 1997 के दौरान विश्व पर्यटक आगमन में भारत का प्रतिशत हिस्सा 0.39 था। देश में संरचना के सामान्य स्तर में कमियां और संवर्धन हेतु अपर्याप्त संसाधन विश्व पर्यटन यातायात में भारत के कम हिस्से के मुख्य कारण हैं।

(ग) विश्व पर्यटक आगमन में भारत के हिस्से को बढ़ाने हेतु उठाए जा रहे कदमों में संरचनात्मक सुविधाओं का सुधार करना, पर्यटक उत्पादों का विविधिकरण करना, प्रचार प्रयत्नों को सुदृढ़ करना और निरन्तर मानव संसाधन विकास करना सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

उत्पाद-शुल्क में वृद्धि

3602. श्री जगत वीर सिंह द्रोण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्पाद-शुल्क में वृद्धि के कारण उत्तर प्रदेश में इंडक्शन-भट्टी बेलन मिल (रौलिंग मिल्स) और कतरन के व्यापार अच्छी स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में ऐसी रिपोर्टें आयी हैं कि अन्य बातों के अलावा मांग में भारी मंदी आने तथा क्षमता आधारित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण के कारण इंडक्सन भट्टी तथा रि-रोलिंग मिलों को कठिनाई हो रही हैं। व्यापार तथा उद्योग जगत से भी, इस योजना के कतिपय प्रावधानों में परिवर्तन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। कुछेक परिवर्तन किए गए हैं। तथापि, यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन हैं तथा उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने के पश्चात ही इसमें और परिवर्तन करने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

मादक द्रव्यों की तस्करी

3603. श्री मोहन रावले :
श्री विजय गोयल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग पांच वर्षों के दौरान देश में हो रही मादक पदार्थों की तस्करी की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मदवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मादक पदार्थों की तस्करी के पीछे देश के विभिन्न भागों में आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी गातिविधियों में शामिल संगठनों का हाथ है;

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं और वे किन क्षेत्रों में सक्रिय है;

(ङ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जून के पहले पखवाड़े में मादक पदार्थों पर कोई विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(च) यदि हां, तो सम्मेलन में किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नशीले पदार्थों तथा हथियारों/गोला-बारूद/विस्फोटकों की जब्ती के मामलों से नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में कुछ हद तक आंतकवादी संगठनों का हाथ होने का संकेत मिलता है। तथापि, सरकार के पास न तो ऐसे संगठनों के नामों के बारे में और न ही उन क्षेत्रों के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी है जहां ये सगंठन सक्रिय है

(ङ) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का 8-10 जून, 1998 को न्यूयार्क में एक विशेष सम्मेलन हुआ जिसमें पूरी चर्चा का विषय यह रहा कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को कैसे रोका जाए।

(च) आम सभा ने विश्व व्यापी नीति तैयार करने के एक प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित कर दिया जिसमें अवैध नशीले पदार्थों की

मांग और पूर्ति के उन्मूलन के लिए 10 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सम्मेलन के मुख्य दस्तावेज में नशीले पदार्थों की मांग और पूर्ति पर कड़ा अंकुश लगाने और वैकल्पिक विकास के लिए प्रावधान करते हुए अवैध फसल को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पारित किए गए संकल्प में अवैध धन को वैध धन में बदलने और नशीले पदार्थों के उत्पादन और दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े निवारक उपाय करने और साथ ही सदस्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

3604. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :
श्री रामदास आठवले :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आदिवासी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों तथा मध्य प्रदेश से जन-जातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। से प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुछ शर्तों की पूर्ति न होने के कारण लम्बित पड़े हैं।

(ख) संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	स्थापना स्थल
1.	मेघालय	टूरो (पश्चिम गारो हिल्स)
2.	मणिपुर	इम्फाल
3.	नागालैण्ड	दीमापुर
4.	मध्य प्रदेश	बिलासपुर

[अनुवाद]

घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना

3605. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न स्थलों पर सभी धर्मों के तीर्थों से संबंधित पर्यटन के अतिरिक्त घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है अथवा नीतिगत पहल की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें आवासीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई बजटीय प्रावधान भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (घ) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की यह नीति है कि देश में पर्यटन का विकास हो, जिसमें घरेलू और तीर्थ पर्यटन शामिल हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा विकासात्मक कार्यकलाप, राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यकलापों में ये शामिल हैं:-पर्यटक परिसरों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं, कैफेटेरियाओं का निर्माण, साहसिक क्रीड़ा उपकरणों की खरीद, स्मारकों की प्रकाश पुंज व्यवस्था एवं नवीनीकरण, ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन करना, यात्री निवासों, यात्रिकाओं और तीर्थ शेडों आदि जैसे कम मूल्य के आवास एककों का निर्माण करना। इन कार्यकलापों के लिए पर्यटन मंत्रालय, प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, जिन्हें गुण दोषों (मेरिट) एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार जांचा जाता है, के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 1998-99 के बजट में, पर्यटन आधारित संरचना के विकास हेतु 52.80 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

पेंशन कार्य हेतु पृथक कंपनी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव

3606. श्री के०एस० राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना पेंशन संबंधी कार्य पृथक कंपनी को सौंपे जाने के सुझाव संबंधी कोई सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है; और

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इस समय बनायी गयी पेंशन योजना का ब्यौरा क्या है और पेंशन कार्य के लिये पृथक कंपनी के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम के सुझाव को महत्व दिये जाने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने पेंशन संबंधी लाभों के वित्तपोषण के लिए अलग-अलग व्यक्तियों तथा नियोजकों को सहायता पहुंचाने के लिए जीवन धारा, जीवन अक्षय, जीवन सुरक्षा आदि के साथ-साथ समूह अधिवार्षिता स्कीमों जैसी अनेक अलग-अलग वार्षिकी योजनाएं लागू की हैं। व्यक्तिगत वार्षिकी योजनाएं दो प्रकार की हैं-आस्थगित वार्षिकियां (जैसे कि जीवन धारा जिसमें वार्षिकियां एक निश्चित अवधि के पश्चात आरम्भ होती हैं) और तुरंत वार्षिकियां जैसे कि जीवन अक्षय जिसमें वार्षिकी का भुगतान तत्काल आरम्भ हो जाता है (जीवन सुरक्षा योजना के लिए दिया गया प्रीमियम 10,000 रुपए प्रतिवर्ष की सीमा तक अंशदाता की कर योग्य आय में से घटा दिया जाता है और इसके अतिरिक्त जीवन सुरक्षा एक आस्थगित वार्षिकी योजना है।

पोलरईथेन का आयात

3607. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पोलरईथेन के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार आयातित पोलरईथेन की मात्रा और मूल्य क्या है;

(ग) क्या पोलरईथेन का आयात से देश के रबड़ उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) से (घ) जी, नहीं सरकार ने पोलरईथेन के मुक्त आयात की स्वीकृति नहीं दी है। यदि प्रश्न में पोलीयूरेथेन का उल्लेख है, तो पिछले अनेक वर्षो से इसका मुक्त रूप से आयात किया जा रहा है। आयातो का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (एम.टी)	मूल्य (रुपये)
1995-96	1143	166,271,059
1996-97	1156	205,921,762
1997-98 (अप्रैल-अगस्त 97)	595	88,463,987

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

इतनी मात्रा में किए गए आयात से रबड़ उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, जहां, वर्ष 1997-98 के दौरान अनुमानित उत्पादन और खपत क्रमश 5.84 लाख मी टन और 5.74 लाख मी.टन रही है।

सिले-सिलाये वस्त्रों का आयात

3608. श्री माधवराव पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार ने विशेष लाइसेंस मार्ग के माध्यम से सिथेटिक वस्त्र सहित सिले-सिलाये वस्त्रों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजस्व के अर्जन और हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्रों द्वारा वस्त्र के उत्पादन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षो के दौरान इस क्षेत्र से राजस्व की कुल प्राप्ति क्या है और अगले दो वर्षो के दौरान इसमें कितनी कमी होने की संभावना है; और

(घ) हथकरघा/विद्युतकरघा क्षेत्रों के और हितों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) बहु-फाईबर व्यवस्था (एम.एफ.ए.) के तत्वाधान के अंतर्गत हस्ताक्षरित भारत अमरीकी और भारत यूरोपीय यूनियन बाजार प्रवेश करारों तथा बाद में 1.1.1995 से प्रभावी डब्ल्यू.टी.ओ. के वस्त्र और क्लोदिंग करार (ए.टी.सी.) के अंतर्गत अपेक्षा अनुसार विशेष आयात लाईसेंस (एस.आई.एल) के आधार पर कुछ अन्य मदों का आयात करने तथा आयात लाईसेंस के बिना कुछ मदों का स्वतन्त्र रूप से आयात करने के लिये 15.2.1995 को दो पृथक अधिसूचनाऐं जारी की गई थी। एस.आई.एल. अंर्तगत आयात पर एग्जिम नीति के अनुसार सामान्य शुल्क देना पड़ता है जो कि समय-समय पर इस संबंध में घोषित नीति के अनुसार होता है। हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों द्वारा वस्त्रों के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

पिछले दो वर्षो के दौरान वस्त्र उद्योग से प्राप्त कुल राजस्व आय तथा वर्ष 1998-99 के लिये बजट निम्नानुसार है:-

करोड़ रुपए में

1996-97	5071.53 (वास्तविक)
1997-98	5605.83 (संशोधित)
1998-99	6183.38 (बजट)

सरकार को आशा है कि ऐसी स्थिति में राजस्व में कोई कमी नहीं होगी।

(घ) सरकार सामान्यत: ऐसी स्थिति की मॉनीटरी करती है और प्रभावित क्षेत्र से किसी भी अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर डब्ल्यू.टी.ओ. के करारों के सुरक्षात्मक उपबन्धों सहित नियमानुसार उनकी जांच कर सकती है।

लघु बचत

3609. श्री डी०एस० अहिरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान लघु बचतों के माध्यम से वर्ष-वार और राज्यवार कितनी धनराशि की वसूली की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि में लघु बचत संग्रहण में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो लघु बचत के माध्यम से वांछित लक्ष्य को पूरा न किए जाने के क्या कारण है; और

(च) लघु बचत योजनाओं के अंर्तगत संग्रहण में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) (क) आठवीं योजना के दौरान लघु बचत के माध्यम से जुटाई गई राशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1995-96 में मामूली गिरावट के अतिरिक्त संग्रहणों में वर्षानुवर्ष निरंतर वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 1996-97 में मामूली गिरावट सम्भवत: दिनांक 1.4.95 से कतिपय योजनाओं में संस्थागत निवेश समाप्त किए जाने के कारण हुई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(I) कर रियायत तथा भुगतान, साधन, सुरक्षा एवं प्रचालनात्मक सरलता के सुनिश्चित लाभों के साथ काफी आकर्षक शर्तों पर निवेशकों के विभिन्न वर्गों के लिए 11 योजनाएं चलाना;

(II) इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां एकत्रित करने के लिए दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में डाक घर एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नेटवर्क;

(III) निचले स्तर तक निवेशकों तक पहुंचने के लिए तीन अभिकरण योजनाओं के अंतर्गत 3.5 लाख से अधिक का अभिकरण कर्मचारी बल। निवेशक की कठिनाईयों को हल करने के लिए डाक विभाग तथा राष्ट्रीय बचत संगठन के क्षेत्रीय निवेशकों द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ गठित किया गया है।

(IV) नागपुर स्थित राष्ट्रीय बचत संगठन का मुख्यालय तथा देश भर में फैले 26 क्षेत्रीय कार्यालय संसाधन जुटाने को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं प्रेरणा के लिए उत्तरदायी हैं तथा विभिन्न योजनाओं के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं।

विवरण

डाकघरों में राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र-वार (विधान मंडल सहित) लघु बचत योजनाओं के सकल और निवल संग्रहण।

(हजार रूपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	7981527	2031581	14254833	6003518	19914799	9205155	19958137	6098805	16312710	2012149
बिहार	10229224	1413368	14110739	2422102	19344347	6594170	19413942	4334751	21059550	6584181
बेस	339848	50850	426747	80009	511406	404693	567023	55234	676066	90890
दिल्ली	5739260	1198937	8411021	2275122	13284761	6835536	12507907	6582091	11877627	1623378
जम्मू एवं कश्मीर	1471362	584007	2267482	958987	3047201	1526393	3058872	1615304	3031014	1274885
कर्नाटक	9007986	3116429	11163964	3132422	21257923	12444941	13535696	2939543	13073121	3518226
मध्य प्रदेश	5632009	1152806	8306138	1983083	1099822	3980245	12101251	3908285	12558301	4672933
उड़ीसा	4158584	261699	6048759	1634727	7555694	3341071	7245679	2754609	6987443	1382484
राजस्थान	8086605	2906203	11469414	4164274	14023638	6521264	14627854	5107055	16558127	5834044
उत्तर प्रदेश	28053254	7840189	37236305	11682237	51097031	22352294	50400738	19898689	49338957	15740097
हरियाणा	5715441	1342665	7850040	1964782	10383026	4148808	9519613	3203755	10508271	3942578
तमिलनाडु	16551853	5634459	21080001	5235869	26503801	7100011	19659165	3798104	20519874	3629762
पांडिचेरी	78696	16754	102909	26724	127572	33482	127858	23145	143426	30385
महाराष्ट्र	18782475	1005832	27373790	2222710	33951439	6061544	32311263	5714312	34177070	30014825
गोवा	368404	36413	0•	0•	780927	210637	695367	89144	699539	127606
गुजरात	13945927	3756211	17174570	4556724	22224181	8189905	25916660	100566479	27073629	9237244
केरल	4678327	1320294	7601779	3075651	11987741	6333646	9383308	2970765	9114816	1768512
पंजाब	7558773	2559235	12298160	4259005	14016947	6515604	14608028	5805677	15587170	7267328
हिमाचल प्रदेश	2487980	250732	4201697	1511795	8707839	5987192	8983164	3899512	8141793	1775584
पश्चिमी बंगाल	20082548	5827142	30021101	12474932	41820892	19760055	43786368	19366101	45418200	21445951
सिक्किम	20044	2662	0•	0•	76830	57162	85685	60217	73243	39343
असम	3359785	1060551	4478933	1423266	9690079	6371840	6560156	2390678	7406284	2178173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मणिपुर	75891	27953	0•	0•	187674	104565	225101	119853	267188	142984
मेघालय	197626	54271	1431780	485770	402685	184252	365323	72176	3983341	110641
त्रिपुरा	535844	100226	•0•	0•	907987	288906	975424	333909	931669	277197
मिजोरम	76412	39537	0•	0•	137444	81039	160875	53977	156331	5309
नागालैंड	48331	11733	0•	0•	80270	31235	91900	24897	151910	89866
अरूणाचल प्रदेश	51836	21787	0•	0•	128269	73511	122710	53131	131021	58408
जोड़	175315852	43624526	247310162	71573709	343152225	143929770	326995067	99757222	332372691	121323795

टिप्पणी :- उपर्युक्त आकंड़े सभी राज्य एवं विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के हैं।
वर्ष 1993-94 के लिए महाराष्ट्र, उत्तर-पूर्व तथा पश्चिम बंगाल डाक मंडलों के लिए राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा डाक विभाग के पास नहीं हैं।

नोटों के नए सेट जारी करना

3610. श्री नरेश पुगलीया :
श्री के० कृष्णमूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोटों के नए सेट जारी करने का कोई निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो आने वाले महीनों के दौरान कितने रुपए के नोटों के सेट जारी किए जाने की संभावना हैं;

(ग) क्या 500 रुपए का भी नया नोट चलाने की संभावना हैं;

(घ) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान काले धन में वृद्धि हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने देश में काले धन पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार द्वारा 10 रु०, 50 रु०, 100रु० और 500रु० के करेंसी नोटों की नई श्रखलाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं और ये प्रचलन में हैं।

सरकार ने 1000रु० मूल्यवर्ग का नोट शुरू करने का भी निर्णय लिया हैं।

(घ) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी) द्वारा वर्ष 1983-84 में एक अध्ययन किया गया था औरा 31584 करोड़ रुपए से 36786 करोड़ रुपए कं बीच अप्रकटीकृत धन होने का अनुमान लगाया गया था। उसके पश्चात् सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया हैं पिछले कुछ महीनों के दौरान धन की उत्पत्ति का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता हैं।

(ङ) सरकार अप्रकटीकृत धन का पता लगाने के लिए समय-समय पर, आवश्यक विधायी, राजकोषीय और प्रशासकीय उपाय करती रही है। कराधान की दरों की अधिकाधिक युक्तिसंगत बनाया गया हैं इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 में अप्रकटीकृत धन का पता लगाने के प्रयोजनार्थ अनेक उपबन्ध निहित हैं। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ धारा 44 क क और 44 क ख के अंतर्गत उपयुक्त मामलों में लेखा-विवरणों का अनिवार्य रख रखाव और उनकी लेखा परीक्षा, धारा 40 क (3), 269 ध ध और 269 न के अंतर्गत नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध, अध्याय XXC के अंतर्गत सम्पत्तियों की पूर्व-क्रमिक खरीद से संबंधित उपबंध और कर बाकीदारों को दंडित करने हेतु दंडों और अभियोजनों से संबंधित उपबंध शामिल हैं अधिनियम में कर अपवंचन का पता लगाने के लिए समनों, सर्वेक्षणों और तलाशियों आदि से संबंधित उपबंध भी निहित हैं। तलाशी के मामलों में कर-निर्धारण करने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की गई हैं जिसमें अप्रकटीकृत आय पर 60 प्रतिशत कर लगाया जाता हैं। इन उपबंधों का सहारा उपयुक्त मामलों में लिया जाता हैं।

पटसन का निर्यात

3611. श्री महेश कनोडिया :
श्रीमती जंयती पटनायक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) 1998-99 के दौरान पटसन के निर्यात के लिए किये गये अनुमानों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या पटसन मिलों के कामगारों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो उनकी मजदूरी में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) सरकार ने बिना किसी प्रतिबंध के कच्चे पटसन का स्वतंत्र रूप से निर्यात करने की अनुमति प्रदान की हैं ताकि देश में मांग-आपूर्ति की स्थिति की ओर ध्यान दिएं बिना ही इसके निर्यात को बढ़ाया जा सके। तथापि, हाल ही के वर्षो में कच्चे पटसन का निर्यात बहुत नगण्य मात्र ही रहा क्योंकि देश में किसी प्रकार की निर्यात योग्य बेशी नहीं हुई हैं।

(ख) चूंकि कच्चे पटसन के निर्यात की संभावना बहुत सीमित है इसलिए सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान कच्चे पटसन के निर्यात का कोई अनुमाम नहीं लगाया गया है।

(ग) पटसन आयुक्त के कार्यालय, कलकत्ता से प्राप्त सूचना के अनुसार पटसन मिलों के कामगारों द्वारा मजदूरियों में संशोधन करने की किसी प्रकार की मांग करने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र में विदेशी भागीदारी

3612. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कोयला क्षेत्र में निवेश की इच्छुक विदेशी कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने इस संबंध में कुछ प्रस्तावों का अनुमोदन किया है:

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के तहत कितनी राशि निवेश की जाएगी: और

(घ) मार्च, 1998 तक इस क्षेत्र में कितनी विदेशी कंपनियों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ग) कोयला मंत्रालय में निजी कोयला खनन कंपनियों में खनन प्रचालन हेतु ग्रहीत उपभोग के लिए विदेशी निवेश के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पहले मामले में, सैंट्रल इंडिया कोल कंपनी लि० (सी.आई.सी.सी.ओ), इस्पात ग्रुप द्वारा संवर्द्धित एक कंपनी, में सीआईसीसीओ के 71.77% इक्विटी के समतुल्य इस्पात ग्रुप के ओवरसिज एसोसिएटस, अप्रवासी भारतीयों और अन्य विदेशी कंपनियों द्वारा 446.51 करोड़ रु० के विदेशी निवेश की मंजूरी एफ.आई.पी.बी. द्वारा जुलाई, 96 दी गयी।

दूसरे मामले में, कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम द्वारा संवद्धित प्राइवेट लिमिटेड (आई.सी.एम.पी.सी.एल.), के 10% इक्विटी के समतुल्य 19,907 करोड़ रु०की राशि के विदेशी निवेश का प्रस्ताव इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, वाशिंगटन, की और से आई.सी.एम.पी.सी.एल. द्वारा मई, 1988 में एफ.आई.पी.बी. को प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में एफ.आई.पी.बी.का निर्णय, कोयला मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) कोयला क्षेत्र में अब तक किसी विदेशी कंपनी ने कार्य आरंभ नहीं किया है।

मत्रियों का विवेकाधीन कोटा

3613. श्री रामसकल : क्या ससंदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मंत्रालय-वार, मत्रियों का विवेकाधीन कोटा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कोटे को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सेवाओं पर करारोपण

3614. श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से उन्हें सेवाओं पर कराधान का अधिकार प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र और राज्य के लिए सेवाओं का निर्धारण कर लिया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सरकार को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार दिया जाए। फिलहाल, राज्यों को सेवाओं पर कर लगाने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा काल में विस्तार

3615. श्री जीगेन्द्र कवाडे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13.5.1998 की सरकारी अधिसूचना की भांति यह अनुदेश जारी किए हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के मुख्य कार्यकारियों का सेवा विस्तार नहीं किया जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनवरी, 1998 से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किन्हीं मुख्य कार्यकारियों को 60 वर्ष के बाद भी कार्य करने की अनुमति/सेवा विस्तार दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल के नामित सदस्यों को भी उच्च आयु सीमा के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बकाया आय कर

3616. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1998 तक आयकर विभाग द्वारा 42947 करोड़ रुपए की वसूली बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस राशि के इकट्ठा होने के क्या कारण हैं और इसकी शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई बकाया राशि के कारणों का पता लगाने और उन व्यक्तियों तथा कर्मचारियों को दंड देने का हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस संबंध में 21 जून, 1998 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार की ओर भी दिलाया गया हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1998 को 42947 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण बकाया मांग वसूली योग्य नहीं हैं। इस राशि में, वे मांगे जो देय हैं, वे मांगे जिनका भुगतान किया गया किन्तु सत्यापन के लिए लम्बित हैं, वे मांगे जो न्यायालयों/समझौता आयोग/अपीलीय अधिकरणों और आयकर प्राधिकरणों आदि द्वारा स्थगित हैं; शामिल हैं। 31.3.1998 को निबल संग्रहणीय मांग केवल 4270.55 करोड़ रुपए हैं। भारी बकायों के इकट्ठा होने का प्रमुख कारण विभिन्न कर निर्धारण वर्षों में ऐसे ही मामले पर मुकदमेबाजी की बहुलता है।

सरकार भारी बकाया राशियों की निरन्तर मानीटरिंग और उनका विश्लेषण कर रही हैं और इस संबंध में आवश्यक उपाय कर रही हैं।

आयकर अधिनियम में करों के संग्रहण और वसूली के लिए एक सांविधिक प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं। बकाया कर की वसूली एक सतत् प्रक्रिया हैं। यह प्रक्रिया, मांग नोटिस के जारी होने के 30 दिन के पश्चात् देय मांग के बाद प्रारंभ होती हैं। इसके पश्चात् बैंक खातों की कुर्की करके ब्याज प्रभारित करके तथा अर्थ दण्ड लगाने आदि द्वारा आस्थगित मांग के संबंध में कार्रवाई की जाती हैं। कठिन मामलों में, मामला कर वसूली अधिकारी को भेजा जाता हैं, जो अधिनियम के अनुसार चल और अचल सम्पतियों की कुर्की तथा बिक्री, चूककर्ता की गिरफ्तारी और उसे कारावास में रखना, चूककर्ता को चल और अचल सम्पत्तियों की व्यवस्था के लिए रिसीवर नियुक्त करना आदि जैसे विभिन्न बाध्यकारी उपाय करता है। कर निर्धारण अधिकारियों और कर वसूली अधिकारियों द्वारा की गई वसूली कार्रवाई की उच्च आयकर प्राधिकारियों द्वारा गहन मानीटरिंग की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, 10 लाख रु० और उससे अधिक की बकाया मांग वाले डोजियर मामलों की मानीटरिंग नियमित आवधिक आधार पर उच्च प्राधिकारियों द्वारा की जाती हैं और मांग की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न बाध्यकारी उपाय प्रारंभ करने के आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, बजट में प्रस्तावित "समाधान स्कीम" बकाया मांग को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) इस तथ्य के अलावा कि वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान 31.3.1997 को 8% का नकद संग्रहण बकाया मांग में से हैं, 21 जून, 1998 के दैनिक जागरण में समाचार मद में उल्लिखित तथ्य सही हैं। इसके अतिरिक्त, 12% का नकद संग्रहण वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान चालू मांग में से है। इस के अलावा, यदि हम वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के अंतर्गत संग्रहण भी शामिल करते हैं, तो बजट लक्ष्यों को बढ़ाया गया है। तथापि, स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के संग्रहण को छोड़कर वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान कमी आई है।

सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान केवल बजट लक्ष्य ही नहीं प्राप्त किया जाए बल्कि इसे और आगे भी बढ़ाया जाए, के लिए सतत मानीटरिंग किए जाने के हर सम्भव प्रयास किए जाएं। इस उद्देश्य के लिए, जैसा कि समाचार मद में सूचित किया गया है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्रभावी मानीटरिंग के लिए "कार्य बल" का गठन किया गया है।

पर्यटन उद्योग का विकास

3617. **श्री आर० साम्बासिवा राव :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा तथा पर्यटन विशेषज्ञों के केन्द्र सरकार से पर्यटन उद्योग को विकसित करने पर और ध्यान देने को कहा हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों ने यह उल्लेख किया हैं कि अब तक देश के बृहत पर्यटन संभावनाओं का पूरी तरह दोहन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश, आन्ध्रा प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) सरकार, देश में पर्यटन की क्षमता को जानती हैं। फिर भी, प्रमुख रूप से वित्तीय बाधाओं के कारण, सभी स्थानों का विकास करना फिलहाल संभव नहीं हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेवारी हैं। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

के प्रशासनों से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान करता हैं।

8वीं योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य को क्रमशः 437 लाख रु० एवं 741 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 1997-98 के दौरान आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को क्रमशः 206 लाख रु० एवं 221 लाख रुपए स्वीकृत किए गए।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

3618. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कैलाश मानसरोवर यात्रा खोलकर पर्यटन को बढ़ावा देने का हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने हेतु भारत-चीन सीमा को खोले जाने का प्रस्ताव हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या योजना हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) पर्यटन मंत्रालय, देश के अन्दर पर्यटन का संवर्धन करता हैं। तथापि कैलाश-मानसरोवर सीमा पर, चीन की तरफ हैं।

(ख) से (घ) विदेश मंत्रालय, चीन के साथ एक द्विपक्षीय करार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून से सितम्बर के बीच में उत्तर प्रदेश और भारत सरकार/राज्य सरकारी अभिकरणों की सहायता से यात्रा का आयोजन करता हैं। यह यात्रा, उत्तर प्रदेश में गुंजी और तिब्बत में पूपन (तकलाकोट)को जोड़ने वाले लिपुलेख पास द्वारा की जाती हैं।

कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। तीर्थ यात्रियों की संख्या वर्ष 1992 में 230 से बढ़कर 1997 में 516 हो गई हैं।

उत्कृष्ट रेशम केन्द्र

3619. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :
डा० सरोज वी. :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों को रेशम उत्पादकों तथा बुनकरों की बहुलता वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट रेशम केन्द्रों की स्थापना के लिये समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने के लिये कहा गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और राज्यवार/जिलावार विशेष रूप से महाराष्ट्र तथा तमिलनाडू में अब तक कितने एककों का आधुनिकीकरण किया गया हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई सहायता प्रदान की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड सभी 4 प्रकार की रेशम का विकास करने के लिए अनेक योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा हैं। इनमें अनुसंधान व विकास के विस्तार, प्रशिक्षण, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों के नेटवर्क द्वारा क्षेत्र को अवस्थापना और विस्तार संबंधी सहायता की योजनाएं तथा उत्कृष्ट रेशम के उत्पादन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना और रीलिंग क्षेत्र में पश्चगामी एकीकरण जैसी आधुनिक रेशम उत्पादन की प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने संबंधी कुछ विकासात्मक/प्रोत्साहन जनक/वित्तीय सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल हैं।

[हिन्दी]

कोयला खानों का बंद होना

3620. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग द्वारा इस समय किन-किन कोयला खानों में खनन कार्य नहीं किया जा रहा हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन कोयला खानों को इस चरण पर बंद किए जाने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरुप संबंधित राज्य के साथ-साथ देश के राजस्व की हानि रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संबंधित अधिनियम में पुनः संशोधन करके इन अन-अर्थक्षम खानों को निजी पार्टियों को सौंपने का हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) कोल इंडिया लि०, जोकि इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं, की राष्ट्रीयकरण के बाद से लेकर 31.3.1998 तक बंद पड़ी कोयला खानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन खानों को बंद किए जाने के कारण निम्नलिखित हैं- खनन योग्य कोयला भंडारों का खाली हो जाना, कठिन भू-खनन परिस्थितियां, तकनीकी-आर्थिक अव्यवहार्यता तथा सुरक्षा संबंधी कारण।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इस के प्रश्न भाग (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता हैं।

विवरण

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

1. संकतोड़िया
2. ईस्ट जमेहारी
3. रतीबत्ती 5 और 6
4. के.एल.एस. छल्लबलपुर
5. छल्लनपुर खास

6. न्यू जमेहारीखास
7. पूरे सिरसोल
8. दमोदा
9. सीतलदास
10. बेलरुडीसेरगढ
11. नार्थ ब्राक
12. गोगला/एडज्वाय बैंक
13. मंडेरबोनी 1,2 और 4
14. देओली
15. बी.चेमो/रामजीबनपुर
16. बैंकसिमुलिया 7 और 8
17. ब्राइट्स राणा
18. मधुसुदनपुर 1 और 2
19. सेंट्रल जमूरिया
20. नाबाकजोरा/धनश्याम
21. जोते जानकी
22. रत्तीबत्ती ओ.का.
23. पुरुषोत्तम ओ.का.
24. निमचा ओ.का.
25. शिबपुर ओ.का.
26. महाबीर ओ.का.
27. न्यु/सेंट्रल सतग्राम
28. अलकुशा गोपालपुर ओ.का.
29. बेनाली
30. कैंडा/दोबराना ओ.का.
31. दरुला
32. कृष्णानगर
33. शीतलपुर
34. शंकरपुर
35. गिरीमिंट
36. राणा
37. महाबीर
38. कलकत्ता 1 और 2
39. तारा
40. धंडाडीह ओ.का.
41. बरमुंडिया
42. दबौर ओ.का.
43. गंगाराम चक
44. पोईडीह ओ.का.
45. रानीपुर
46. दलूरबंद ओ.का.

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (जारी)

47. पलासथली
48. चापापुर-1
49. बदजना/पुसई ओ.का.
50. कपासरा ओ.का.
51. लालमटिया भू.ग.
52. लालमटिया ओ.का.
53. श्यामपुर-ए
54. डालभिया ओ.का.
55. भनोरा
56. डमरा
57. संग्रामगढ़ ओ.का.

भारत कोकिंग कोल लि0

1. मुरलीडीह
2. बेरा ओ.का.
3. ईना
4. बसदेवपुर ओ.का.
5. लक्ष्मी ओ.का.
6. तसरा ओ.का.
7. ब्लाकुंडर ओ.का.
8. विक्टोरिया
9. कनकनी
10. कैंदुआडीह
11. धर्माबंद
12. साउथ तिसरा
13. कुजमा
14. गैसलीटांड
15. भूंरुगिया
16. तेतुरिया

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

1. दोमनारा ओ.का.
2. बूरहर नं०3
3. रुग्टा
4. नार्थ डाकराखंड
5. बुरहर नं०1
6. पूरे चिरीमिरी
7. कोरबा 1 और 2
8. कोरबा 3 और 4
9. चचई ओ.का.
10. बंकी 5 और 6
11. जरवाही ओ.का.

12. न्यू झीमर
13. बंकी 7 और 8
14. एस. डाकराखंड-ओल्ड
15. रामनगर
16. झिमर ओल्ड
17. राजगमर 8 और 9

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

1. बरकुही भू.ग.
2. बरकुही वेस्ट भू.ग.
3. भमोरी झंताछापा
4. डटला ईस्ट भू.ग.
5. डटला वेस्ट
6. धाओ
7. शिबपुर ओ.का.
8. घोरावरी हिरदागर
9. घोरावरी कलान
10. वल्लारपुर ओ.का
11. कालीचापर
12. न्यूटन चिकली
13. एन. चंदामेट्टा
14. नंदोरा
15. सियाल घोघरी
16. नकोदा ओ.का
17. सास्ती पिट
18. बल्लारपुर 1 और 2
19. रोबर्टसन इंक/बेलबोरा,इंक/घुघुस
20. कुम्दा ओ.का.
21. न्यू माजरी नं०1
22. घुपताला ओ.का.
23. शिबपुरी-2 ओ.का.
24. तरोदा ओ.का.
25. सेतिया ओ.का.
26. बेल्लोरा ओ.का.
27. एन.धुपताला आरआर आर ओ.का.
28. राखीकोले
29. चिकलमऊ
30. उमरेर
31. सतपुरा-1 भू.ग.
32. सुकरी भू.ग.
33. चिंचोली भू.ग.

सैंट्रल कोलफील्ड्स लि०

1. सेमरा
2. पकरी बरवाडीह
3. सुगई ओ.का.
4. पूरे घोरी
5. मईल भू.ग.
6. चलकारी
7. करकट्टा
8. घोदीडीह
9. गिडहानिया
10. राऊता

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0

1. गोरबी

[अनुवाद]

कपास गांठों का निर्यात कोटा

3621. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**
श्री माधवराव पाटील :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कपास गांठों के निर्यात कोटा में वृद्धि के लिये अनुरोध किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा सभी संबद्ध कारकों, जिनमें कपास का अनुमानित उत्पादन उपलब्धता, घरेलू मांग और कपास की संभावित बेशी के साथ-साथ कीमत की प्रवृत्तियों आदि को ध्यान में रखने के बाद समय-समय पर कपास का निर्यात कोटा रिलीज किया जाता हैं। 19 सितम्बर, 1997 को महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघ लिमिटेड को कपास की 0.75 गांठों का निर्यात कोटा रिलीज किया गया था। 17.6.1998 तक महाराष्ट्र राज्य परिसंघ ने कपास वर्ष 1997-98 के लिए उसको आबंटित किए गए 0.75 गांठों के कोटे में से कोई भी निर्यात नहीं किया था।

ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यापार
संबंधी उद्यमिता सहायता

3622. **श्री के. येरननायडू :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता तथा विकास कार्यक्रम (टी.आर.ई.ए.डी.) को स्वीकृत करने का अनुरोध किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास बहुत पहले भेजी गई लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) 1996-97 के दौरान भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए "व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता तथा विकास" कार्यक्रम पर एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना को 9वीं योजना के दौरान जारी रखने हेतु प्रस्तुत किया गया था। तथापि, महिला तथा शिशु कल्याण विभाग, ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, योजना आयोग आदि के साथ अंतर्मन्त्रालयी परामर्श में काफी समय लग गया। परिणामस्वरूप, नवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 1997-98 के दौरान "व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता तथा विकास" योजना अनुमोदित नहीं हो पाई और इसीलिए आन्ध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य से इस योजना के तहत प्राप्त कोई भी प्रस्ताव 1997-98 के दौरान स्वीकृत नहीं हो पाया।

"व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता तथा विकास" योजना को 9वीं योजना के शेष चार वर्षों के दौरान जारी रखने हेतु स्थायी वित्त समिति द्वारा अब अनुमोदित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर अब योजना के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

[हिन्दी]

उपकरणों का निःशुल्क आयात

3623. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश चमड़ा उद्योग एसोसिएशन की ओर से निर्यात संवर्धन और आधारभूत विकास पेनल के अध्यक्ष से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में किये गये अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) से (ग) जी, हां। सरकार के एग्जिमी नीति और संबद्ध क्रिया विधि के विभिन्न प्रावधानों के बारे में व्यापार और उद्योग जगत से भभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। उ०प्र० चर्म उद्योग संघ के सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, जिनकी सरकार ने जांच कर ली है। ये सुझाव मूल रूप से निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना शुल्क छूट योजना और चर्म उत्पाद संबंधी शुल्क ढांचे से संबंधित हैं ईपीसीजी योजना के तहत बिना किसी सीमा के जिग्स, फिक्चरडाईस और माउल्डस के निर्यात की अनुमति दिए जाने संबंधी संघ के अनुरोध की जांच राजस्व विभाग के परामर्श से की जा रही है। वर्तमान बजट में उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट की सीमा 30 लाख रु० से बढ़ाकर 50 लाख रु० कर दी गई है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सभी शुल्कों को वापस किए जाने संबंधी संघ के अनुरोध का अन्य निर्यात संवर्धन संगठनों के परामर्श से अध्ययन करना होगा। जो मदें इस समय एस आई एल के तहत आती हैं उन सभी को ओ जी एल में रखने संबंधी अनुरोध फिलहाल स्वीकार्य नहीं है।

[अनुवाद]

खुली सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) नीति

3624. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उद्योग खुली सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत सम्मिलित अनेक मदें, जो आयातों की निषेधात्मक सूची में है, निर्यात और आयात नीति 1997-2002(13-4-1998 तक किए गए संशोधनों को समाविष्ट करते हुए) के अध्याय 15 में दी गई हैं।

(ख) ये मदें भुगतान संतुलन के साथ-साथ- सुरक्षा, पर्यावरण तथा सामाजिक कारणों की वजह से निषेधात्मक सूची में हैं। 13.4.1998 तक किए गए संशोधनों के साथ निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 की प्रतियां सभापटल पर पहले ही रखी जा चुकी हैं।

मितव्ययता संबंधी उपाय

3625. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सयुंक्त राज्य अमरीका और दूसरे यूरोपीय देशों द्वारा भारत पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या मितव्ययता संबंधी उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : चूंकि प्रतिबंध/अधिकारिक ऋणों के निलम्बन अधिकांशत: नए ऋणों पर लागू होंगे इसलिए पहले से करार किए गए ऋणों के संवितरण पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। अर्थ-व्यवस्था और चालू परियोजनाओं पर प्रभाव समिति होने की संभावना है। मितव्ययता संबंधी उपाय पुनरीक्षा और अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आवश्यक नहीं है कि वे किन्हीं विशिष्ट घटनाओं से जुड़े हों।

केरल में पर्यटन

3626. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री एस०अजय कुमार :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बे तटीय क्षेत्र, सदाबहार वनों, नदियों, पश्चजल और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के लिए प्रसिद्ध केरल में अधिक संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को केरल में पर्यटक स्थलों से अवगत कराने के लिए कोई विशेष उपाय शुरू किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान केरल में केन्द्रीय सहायता के लिए अनुमोदित विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी राशि मंजूर और जारी की गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी व्यावसायिक बाजारों में प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया से विज्ञापनों द्वारा यात्रा मार्टों में हिस्सा लेकर, सीधी डाक सेवा द्वारा, "भारत जानो" सेमीनार आयोजित करके

तथा पुस्तिकाओं/ब्रोशरों तथा वीडियो कैसेटों के माध्यम से जानकारी के वितरण द्वारा केरल को एक आकर्षक गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित किया हैं। केरल की, भव्य हाथी परेड, ओणम एवं नौका दौड़ जैसे मेल और उत्सव विपणन नीति का एक अटूट हिस्सा है।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन आधारिक संरचना के लिए उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर परस्पर प्राथमिकता, धन की उपलब्धता आदि के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान केरल राज्य सरकार से केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपकर्मो की परिसम्पत्तियां

3627. **श्री डी०एस० अहिरे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी कार्यकर पूंजी आवश्यकताओं की वित्त पूर्ति करने के लिए देश के कतिपय सरकारी उपक्रमों विशेषरूप से महाराष्ट्र में फालतू जमीनों/परिसम्पत्तियों को बेचने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनकी जमीनों/अलाभकारी परिसम्पत्तियों के बेचे जाने की सम्भावना हैं;

(ग) ऐसे निर्णय करने के क्या कारण हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप आगे चलकर सरकारी उपक्रमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं; और

(ङ) क्या उक्त निर्णय की समीक्षा किए जाने सम्भावना हैं; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एक संभव विकल्प के रूप में फालतू जमीनों/अलाभकारी परिसम्पत्तियों को बेचने पर विचार करते हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की दीर्घावधिक व्यवहारिता के लिए प्रस्तावों का वित्त पोषण हो सके। महाराष्ट्र में एन०टी०सी० मिलों के मामले में निधियां जुटाने के लिए पुनरुद्धार पैकेज में फालतू जमीन की बिक्री पर विचार किया गया हैं। तथापि, अलाभकारी परिसम्पत्तियों की पर बिक्री कोई सामान्य निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे प्रस्तावों को उनके गुण-अवगुणों तथा अलग-अलग मामलों के आधार पर विचार किया जाता हैं।

निजी क्षेत्र के बैंक

3628. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए मानदण्डों की समीक्षा करने हेतु जनवरी, 1998 के दौरान एक उच्चस्तरीय समिति गठित की हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं,

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(घ) अब तक कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) नए गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यचालन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा भविष्य में नीतिगत ढांचे के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1998 में एक "आन्तरिक कार्यकारी दल" गठित किया हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पर्यटन के लिए कार्य योजना

3629. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित चालू पर्यटन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय धन की उपलब्धता और राज्य/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर आवास एकक, मार्गस्थ सुविधाएं, साहसिक पर्यटन सुविधाएं आदि जैसे पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने 259 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 4752.96 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की हैं। राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य योजना में शामिल हैं-सांस्थानिक गठन का सुदृढ़ीकरण, अवसरंचना एवं परियोजना विकास को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन से होने वाले समाजार्थिक लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, मानव संसाधन विकास की गति को कायम रखना, पर्यटन संवर्धन में लागत प्रभावात्मकता में सहचर्या सुनिश्चित करना और विपणन अनुसंधान तथा प्रोद्योगिकीय नवीकरण के माध्यम से विकास प्रक्रिया का विपणन एवं मार्ग निर्देशन।

(ग) और (घ) राज्य/संघ राज्य सरकारों के लिए वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए सहायता स्वरूप बजट आबंटन क्रमशः 24.3 करोड़ रु० एवं 52.0 करोड़ रु० था। वर्ष 1997-98 के लिए राज्यवार आंबटन के ब्यौरे सलंग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं। पर्यटन के विकास के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं- पर्यटन से होने वाले आर्थिक लाभ के प्रति जागरूकता लाना, पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों को लगातार सहायता देना,

विपणन एवं संवर्धनात्मक प्रयासों में वृद्धि और मानव संसाधन विकास संबंधी क्रियाकलापों का सुदृढ़ीकरण।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृत एवं निर्गत राशि का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	1997-98 स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	206.70
2.	असम	14	288.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	271.00
4.	बिहार	11	233.07
5.	गोवा	13	144.62
6.	गुजरात	7	111.84
7.	हरियाणा	7	108.24
8.	हिमाचल प्रदेश	5	119.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10	293.35
10.	कर्नाटक	10	130.78
11.	केरल	11	282.00
12.	मध्य प्रदेश	9	119.31
13.	महाराष्ट्र	12	169.84
14.	मणिपुर	5	186.11
15.	मेघालय	5	85.70
16.	मिजोरम	6	142.45
17.	नागालैंड	4	116.90
18.	उड़ीसा	28	557.05
19.	पंजाब	6	52.87
20.	राजस्थान	13	107.33
21.	सिक्किम	10	65.20
22.	तमिलनाडु	7	59.74
23.	त्रिपुरा	8	126.68
24.	उत्तर प्रदेश	13	221.10
25.	पश्चिम बंगाल	6	157.76
26.	अंडमान और निकोबार	1	60.00
27.	दादरा नागर हवेली	1	5.20
28.	दिल्ली	7	229.43
29.	दमन	4	60.17
30.	लक्षद्वीप	1	5.00
31.	पाण्डिचेरी	4	35.64
	कुल जोड़	259	4752.96

[अनुवाद]

परेषण कर शुरू करना

3630. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि राज्य के वित्त मंत्री तथा सरकारिया आयोग की सिफारिश परेषण कर तथा आवश्यक केन्द्रीय विधायी कार्यवाही के पक्ष में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सरकारिया आयोग की सिफारिशों में से एक सिफारिश परेषण कर लगाने हेतु उपयुक्त विधायी कार्यवाही करने से संबंधित थी। इस मुद्दे पर, केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 4 जुलाई, 1997 को राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों की बुलाई गई बैठक में विचार किया गया था। ऐसा कर लगाने की वांछनीयता और उसके परिणामों पर राज्यों के बीच प्रचलित मतभेदों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि बैठक में बताया गया था; यह निर्णय लिया गया कि परेषण कर लगाने की उपयुक्तता तथा औचित्य पर और आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

एन०पी०ए०

3631. **मोहनुल हसन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत वर्ष की तुलना में कुल ऋण की प्रतिशतता में भिन्नता दर्शाते हुए 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एन०पी०ए० की बैंकवार स्थिति क्या है,

(ख) गत वर्ष के दौरान अशोध्य ऋण के रूप में कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाल दी गई,

(ग) उन लाभार्थियों के क्या नाम हैं जिनकी बकाया देयराशि बट्टे खाते में डाले जाने के समय 50 लाख रुपए से अधिक थी, प्रत्येक मामले में कितनी राशि को बट्टे खाते में डाला गया तथा संबंधित ऋण धारक की वसूल की जाने वाली परिसम्पत्तियों का मूल्य क्या है, कितनी मूलधन राशि का नुकसान, यदि कोई हो, हुआ है तथा उक्त धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने की स्थिति में ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का नुकसान हुआ, और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार द्वारा गारंटी दी गई खातों से बैंक की बकाया राशि की वसूली समय पर सुनिश्चित

करते हुए सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की एन०पी०ए० को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों की बैंक-वार स्थिति (अद्यतन उपलब्ध) संलग्न विवरण में दी गई है। कुछ बैंक ऋण की तुलना में अनुपयोज्य अस्तियों की प्रतिशतता वर्ष 1995-96 के 18.01 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1996-97 में 17.84 प्रतिशत रह गई हैं।

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण की राशि क्रमशः 1742.2 करोड़ रुपये और 2162 करोड़ रुपए थी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा निगरानी प्रणाली से पूछे गए ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं होती हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/बैंकों ने अनुपयोज्य आस्तियों के नये भार को रोकने और साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी प्रत्याभूत अग्रिमों सहित) की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए, ये उपाय निम्नानुसार हैं:-

- ऋण वसूली नीति के तैयार और बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित कागजात सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास होते हैं।
- बैंकों से कहा गया हैं कि वे बातचीत और समझौते के माध्यम से अपनी अनुपयोज्य आस्तियों में कमी लाने का प्रयास करते समय न्यूनतम खर्च में अधिकतम वसूली सुनिश्चित करें। तथापि, समझौते स्तर प्राप्त करते समय इस संबंध में निर्धारित सावधानी बरती जानी चाहिए।
- प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक के अधीन वसूली कक्षों की स्थापना की गई हैं और बैंकों ने शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वसूली कार्य में शाखाओं के कार्यनिष्पादन की प्रधान कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर निगरानी की जाती हैं और प्रगति की सूचना तिमाही आधार पर निदेशक मंडल को दी जाती हैं।
- बैंक की देयराशियों की त्वरित वसूलियों के लिए कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलूर, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, पटना और जबलपुर में ऋण वसूली अधिकरण और मुम्बई में अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई हैं।
- एक करोड़ रुपए और अधिक के चूककर्ताओं/मुकदमा दायर खातो की सूची का संकलन करना और सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में उसका परिचालन करना।
- कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बैंकों में प्रचलित प्रणाली के विशेष संदर्भ में निदेशक मंडल ने 300 शीर्ष अनुपयोज्य आस्तियों की पुनरीक्षा की।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुपयोज्य आस्तियों की स्थिति (कुल)

(करोड़ रु०)

बैंक का नाम	1995-96 राशि	1995-96 कुल का प्रतिशत अग्रिम	1996-97 राशि	1996-97 कुल का प्रतिशत अग्रिम
भारतीय स्टेट बैंक	10553.53	15.96	10961.54	16.02
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	337.95	12.45	454.99	13.83
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	759.74	17.89	840.42	19.19
स्टेट बैंक आफ इंदौर	218.84	14.20	266.76	15.81
स्टेट बैंक आफ मैसूर	328.93	14.54	467.06	16.92
स्टेट बैंक आफ पटियाला	399.71	11.49	454.80	61.32
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	265.98	13.50	326.40	14.79
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	430.22	11.74	586.85	14.49
भारतीय स्टेट बैंक के समूह का जोड़	13294.90	15.46	14367.82	15.61
इलाहाबाद बैंक	1255.00	23.98	1302.89	23.93
आन्ध्रा बैंक	332.20	11.61	365.68	11.81
बैंक आफ बड़ौदा	2840.09	16.16	3116.00	17.15
बैंक आफ इंडिया	2434.00	14.49	2275.00	11.76
बैंक आफ महाराष्ट्र	694.26	21.87	749.43	20.67
केनरा बैंक	2647.32	17.93	3323.72	20.26
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2420.00	23.91	2520.00	25.00
कार्पोरेशन बैंक	251.83	9.67	316.78	9.92
देना बैंक	541.00	14.70	674.21	15.10
इंडियन बैंक	3140.00	34.15	3303.00	39.12
इंडियन ओवरसीज बैंक	2020.00	22.59	1317.00	15.80
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	271.30	5.65	367.56	7.36
पंजाब एंड सिंध बैंक	957.53	27.70	1089.70	30.71
पंजाब नेशनल बैंक	2518.00	18.74	2426.14	16.31
सिंडिकेट बैंक	1311.75	20.97	1291.78	19.32
यूको बैंक	1839.52	24.54	1872.62	28.35
यूनियन बैंक आफ इंडिया	945.86	10.38	987.80	10.36
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1401.00	38.00	1398.00	36.20
विजया बैंक	545.38	20.36	511.96	18.73
राष्ट्रीयकृत बैंकों का जोड़	28366.04	19.52	29209.27	19.05
सरकारी क्षेत्र के बैंक का जोड़	41660.94	18.01	43577.09	17.84

आई.सी.आर.ए. की प्रदत्त पूंजी

3632. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.सी.आर.ए. (इंवेस्टमेंट इंफोर्मेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(ख) आई.सी.आर.ए. लिमिटेड के शेयर धारक संगठन कौन-कौन से हैं तथा इनके शेयरों का मूल्य और शेयरों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आई.सी.आर.ए. द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना था?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) इंवेस्टमेंट इंफोर्मेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड (आई.सी.आर.ए.) की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमश: 10,00,00,000 रुपए और 7,80,51,000 रुपए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1996-97 और 1997-98 के दौरान आई.सी.आर.ए. द्वारा अर्जित कर-पश्चात् निवल लाभ क्रमश: 273.18 लाख रु० और 506.82 लाख रुपए है।

विवरण

आई.सी.आर.ए. लि० के शेयर धारक

(मिलियन रु०)

क्रम. सं.	शेयर धारक के नाम	शेयर	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि०	2653100	26.531	33.994
2.	भारतीय स्टेट बैंक	1020400	10.204	13.074
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम	765300	7.653	9.805
4.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	700000	7.000	8.968
5.	पंजाब नेशनल बैंक	525000	5.250	6.726
6.	भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम	510200	5.102	6.537
7.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	255100	2.551	3.268
8.	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	255100	2.551	3.268
9.	इलाहाबाद बैंक	171500	1.715	2.197
10.	यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया	129400	1.294	1.658
11.	इण्डियन बैंक	102500	1.025	1.313
12.	केनरा बैंक	87500	0.875	1.121
13.	यूको बैंक	87500	0.875	1.121
14.	आन्ध्रा बैंक	87500	0.875	1.121
15.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	87500	0.875	1.121
16.	ट्वेन्टियथ सेंचुरी फाइनेंस कारपोरेशन लि०	70000	0.700	0.897
17.	आवास विकास वित्त निगम लि०	70000	0.700	0.897
18.	इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड	70000	0.700	0.897
19.	वैश्य बैंक लि०	52500	0.525	0.673
20.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	35000	0.350	0.448
21.	ओरियटल बैंक आफ कामर्स	35000	0.350	0.448
22.	अजय कुमार कायन	35000	0.350	0.448
	कुल	7805100	78.051	100.000

पुराने पड़ गए कानून

3633 श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने यह विचार प्रकट किया है कि पुराने पड़ गए कानूनों का ओवरहाल किया जाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालीस तथा पचास के दशक के कानून आर्थिक विकास में अंतर्निहित हैं ताकि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर सात प्रतिशत प्राप्त करने तथा 2020 तक गरीबी समाप्त करने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने पुराने पड़ गए कानून हैं जिनके ओवरहाल करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) (क) से (घ) सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन के लिए आधुनिक विधिक प्रणाली आवश्यक है। पुराने हो चुके कानूनों के पुरर्कल्पन की आवश्यकता है क्योंकि चालीस और पचास के दशकों में बनाए गए कानूनों ने प्राय: आर्थिक वृद्धि में अवरोध उत्पन्न किया है।

आर्थिक कार्य विभाग में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था जिसे इस विभाग से संबंधित कानूनों/अधिनियमों की पुनरीक्षा करनी थी। विशेषज्ञ समिति ने आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित कुल 50 कानूनों/अधिनियमों की पुनरीक्षा की है।

इन अधिनियमों में से तीन अधिनियम बीमा से संबंधित हैं और 18 अधिनियम बैंकिंग प्रभाग से संबंधित हैं। समिति की सिफारिशों की जांच चल रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिशेष धनराशि के निवेश संबंधी दिशा निर्देश

3634. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिशेष धनराशि के निवेश दिशा निर्देश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निधियां जुटाने में कठिनाई आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अधिशेष धनराशि के निवेश संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान हैं कि दस्तावेज की साख निर्धारण की जांच करने के पश्चात केवल उन्हीं दस्तावेजों में निवेश किया जाए जोकि अत्याधिक सुरक्षित हो और जिनसे आय पर किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी न हो और यह ठोस वाणिज्यिक निर्णयों पर आधारित होना चाहिए।

(ग) से (ङ) निधियां जुटाने के संबंध में सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयां समय-समय पर भिन्न होती हैं और सरकार तथा प्रबंधन द्वारा उद्यम साक्षेप कार्रवाई की जाती हैं।

चीन द्वारा इस्तेमाल किए गए मैग्नेशिया की डम्पिंग

3635. श्री के० येरननायडू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने चीन द्वारा इस्तेमाल किए गए मैग्नेशिया की डम्पिंग को रोकने हेतु कदम उठाने तथा विशाखापत्तनम में मैसर्स बिरला पेरीक्लास लि० द्वारा सी वाटर मैग्नेशिया संयंत्र स्थापित किए जाने के संदर्भ में अंतरिम पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नवोद्भूत उद्योग को अपूर्णीय क्षति से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने चीन द्वारा इस्तेमाल किए गए मैग्नेशिया की डम्पिंग के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया हैं कि वह चीन द्वारा फ्यूजड़ मैग्नेशिया की डम्पिंग को रोकने के लिए कदम उठाए और विशाखापत्तनम में मैसर्स बिरला पेरीक्लास लि० द्वारा स्थापित किए गए सी वाटर मैग्नेशिया संयंत्र के संदर्भ में अंनतिम पाटन रोधी शुल्क लगाने पर विचार करे।

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत नियुक्त किए गए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा फ्यूजड़ मैग्नेशिया के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के बारे में जांच की जा रही हैं और कानून में निर्धारित की गई समय सीमाओं के अनुसार वह अपने निष्कर्षो, प्रांरभिक या अन्यथा, को अधिसूचित करेगा।

समुद्री उत्पाद के निर्यात पर नई आयात निर्यात नीति का प्रभाव

3636. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पाद उद्योग तथा इसके निर्यात पर नई आयात-निर्यात नीति के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया हैं;

(ख) क्या सरकार ने समुद्री उत्पाद डीलरों/निर्यातकों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) एम्पीडा ने 13 अप्रैल-98 को घोषित नई एग्जिम नीति का विश्लेषण किया हैं। शून्य शुल्क पर आयात के लिए 5 करोड़ रुपए की प्रवेश सीमा को कम करके 1 करोड़ रुपए किए जाने को एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वीकार किया गया है। विशेषकर समुद्री खाद्य उद्योग ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की परिभाषा में समुद्री खाद्य और मत्स्य संसाधित खाद्य को शमिल किए जाने का स्वागत किया हैं। व्यापार जगत ने समुद्री उत्पादों के लिए डी.ई.पी.बी. दरों की घोषणा का स्वागत किया हैं। एचएसीसीपी पंजीकरण धारक इकाईयों को एसआईएल का लाभ दिए जाने की बात भी अनुकूल रूप से स्वीकार की गई हैं। क्रिया-विधियों के सरलीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारों के विकेन्द्रीकरण से निर्यातकों को काफी सहायता मिलने की आशा हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सी फूड एसोसिएशन ने सुझाव दिया हैं कि शून्य शुल्क ई.पी.सी.जी. आयातों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की जाय क्योंकि समुद्री क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पाद मॉडवेट योग्य नहीं हैं।

इन प्रस्तावों पर अन्य अभिकरणों के परामर्श से विचार किया जा रहा हैं और व्यापार एवं उद्योग जगत के लाभार्थ सार्वजनिक सूचना/परिपत्र द्वारा उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे।

आधारभुत ढांचागत वित्तपोषण

3637. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से फीडबैंक प्राप्त करने के लिए अच्छा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर तथा इन मामलों को सरकारी एंजेसियों के पास ले जाने पर बल दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से यह आग्रह किया गया कि वे सयुंक्त रूप से एक कार्ययोजना तैयार करें जो आधारभूत ढांचागत क्षेत्र में सरकार से वार्ता करने का आधार तैयार कर सकें;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक इस संबंध में सरकार से चर्चा की गई हैं तथा हुई वार्ता के अंतिम परिणाम क्या रहे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आधारिक परियोजनाओं के वित्तपोषण की पुनरीक्षा के लिए दिसम्बर, 1997 में वित्तीय संस्थाओं और प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए एक अच्छा तंत्र विकसित करने तथा सरकारी एजेंसियों के साथ इन मुद्दों को उठाने की आवश्यकता पर बल दिया था। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से कहा गया था कि वे संयुक्त रूप से एक कार्य योजना तैयार करें, जिससे आधारिक परियोजनाओं पर सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के लिए आधार मिले चुनींदा वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने विद्युत क्षेत्र को, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि० (आईसीआईसीआई) ने दूरसंचार क्षेत्र को तथा आधारभूत विकास वित्त कंपनी लिमिटेड (आईडीएफसी) ने सड़क एवं पत्तनों को वित्तपोषित करने की समस्याओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पेपर तैयार करके इस संबंध में कार्रवाई शुरू की हैं। ये पेपर इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा जनवरी, 1998 में नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा आयोजित उस बैठक में प्रस्तुत किए गये थे, जिसमें उच्च सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। वित्तपोषण में आने वाली समस्याओ का समाधान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को सौंपी गई। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधारिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति को तीव्र करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के साथ आवधिक अनौपचारिक बातचीत/बैठकें भी कर रहे हैं।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा विद्युत परियोजनाओं को सहायता

3638. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने कुछ राज्यों विद्युत परियोजना को वित्तीय सहायता देने का वचन दिया हैं तथा कुछ राज्यों को इसके लिए मना कर दिया हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) अन्य राज्यों को सहायता से वंचित रखने के कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक(आईडीबीआई) ने सूचित किया हैं कि किसी राज्य में वित्तीय संस्थाओं द्वारा विद्युत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का निर्णय सामान्यत: विभिन्न कारकों पर निर्भर करता हैं, जिनमें संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड की स्थिति तथा उसकी भुगतान करने की क्षमता और साथ ही परियोजना की प्रौद्योगिक वाणिज्यिक अर्थक्षमता शामिल हैं, वित्तीय संस्थाएं विद्युत परियोजनाओं सहित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने में राज्यों के बीच कोई वित्तीय भेदभाव नहीं करती हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सम्पत्ति कर और पूंजी लाभ कर के लिए आस्तियों की परिभाषा

3639. श्री के०एस०राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने सम्पत्ति कर और पंजी लाभ कर के उद्देश्य के लिए "आस्तियों" की परिभाषा में परिवर्तन के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा हैं;

(ख) यदि हां, तो "आस्तियों" की वर्तमान परिभाषा बदलने का औचित्य क्या है;

(ग) क्या कर विशेषज्ञों का यह विचार हैं कि परिभाषा में परिवर्तन करने से करदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) यद्यपि पूंजीगत अभिलाभ कर के प्रयोजनार्थ "परिसम्पत्तियों" की परिभाषा में संशोधन करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं, फिर भी वित्त (सं०-2)विधेयक, 1998 के माध्यम से धनकर अधिनियम के प्रयोजनार्थ परिसम्पत्तियों की परिभाषा में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव हैं।

(ख) कर-दाताओं और संगठनों से प्राप्त सुझावों के प्रत्युत्तर में "परिसम्पत्तियों" की वर्तमान परिभाषा को संशोधित किया जा रहा हैं। इसके प्रभाव से धन-कर देयता में कमी आएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

3640. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जुटाए जाने वाले 6000 करोड़ रुपए की लक्ष्य प्राप्ति का मुख्य साधन निवेशकों की सावधी जमा और फलेक्सी बांड ही हैं,

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कौन से मुख्य प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है,

(ग) क्या संस्थान वाणिज्यक बैंक के रूप में कार्य करने पर विचार कर रहा हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिएं जाने की सम्भावना हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास

बैंक द्वारा (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि खुदरा बाजार को दी जा रही सावधि जमाराशियां और फ्लेक्सी बांड्स मुख्य लिखित हैं इसके अतिरिक्त खुदरा निवेशकों को आई डी बी आई द्वारा इस समय पूंजीगत अभिलाभ बांड्स/जमाराशियां (आयकर अधिनियम की धारा 54 ईए और 54 ईबी के अंतर्गत) प्रश्न की जाती हैं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक में पर्यटन होटल

3641. श्री अजय कुमार एस० सरनायक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की मदद से बनाए गए पर्यटक होटलों, होटलों और यात्री निवासों की संख्या कितनी है; और

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए और केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) वर्ष 1993-94 से, पर्यटन मंत्रालय ने यात्रिकाओं, यात्री निवासों और पर्यटक परिसरों सहित 20 आवास एककों के निर्माण/विस्तार के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान कर्नाटक सरकार वित्तीय सहायता के लिए 16 परियोजना प्रस्ताव किए हैं। इनमें से 6 परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जा सकी क्योंकि वे वित्तीय सहायता के लिए दिशा निर्देशों को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाई।

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा विदेशी निवेश

3642. श्री पी.शिवशंकर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय समूह ने भारत में निवेश करने के लिए कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निवेश की प्रस्तावित राशि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय समूह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिंकदर बख्त) : (क) से (घ) महोदय, अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय समूह को निम्न के संबंध में (i) मैं.आई.एल. एण्ड एफ. एस. के साथ 78% की इक्विटी सहभागिता, जो कि 1050 लाख रु. की राशि की बनती है, सहित म्यूचल फंड स्थापित करने के लिये 21.8.1996 को तथा (ii) मैं. टाटा रिस्क मैनेजमैंट सर्विसिस के साथ 50% की इक्विटी सहभागिता, जो कि 105 लाख रु. की राशि बनती है, सहित भारतीय उद्योग की सुरक्षा तथा पर्यावरण में रिस्क प्रबंधन, परामर्श सेवाओं के लिये 26.12.96 को विदेशी सहयोग प्रदान किया गया है।

"निर्यात पर कम ब्याज दर" के बारे में दिनांक 12 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2510 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) दिनांक 12 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2510 के भाग (क) से (ग) का संशोधित उत्तर इस प्रकार पढ़ा जाए:

(क) से (ग) : जी, नहीं। 29 अप्रैल, 1998 को लदान-पूर्व ऋण दरों में की गई कटौती के परिणामस्वरूप निर्यात ऋण ब्याज दर ढांचा पहले ही पर्याप्त रूप से निम्न है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अस्थाई उपाय के रूप में, निर्यातकों को अप्रैल-1997- मार्च, 1998 वर्ष में किए गए निर्यातों के स्तर से अधिक अप्रैल, 1998 से दिसम्बर, 1999 के दौरान किए गए उनके "वृद्धिशील" निर्यातों पर 6.5% प्रति वर्ष पर रुपया ऋण सुविधा देने के लिए 12 जून, 1998 से एक नई स्कीम शुरू की है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

नेशनल इंसटीट्यूट फार एंटरप्राइन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंन्ट, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन उसके कार्यकारण की समीक्षा के बारे में विवरण और विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

श्री सिकन्दर बख्त : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इन्सटीट्यूट फॉर एन्टरप्राइन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनस डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्सटीट्यूट फॉर एन्टरप्राइन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनस डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०959/98]

बेसिक कैमीकल्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मैटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई और कैमीकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कलकत्ता आदि के वार्षिक प्रतिवेदन, उनके कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

[श्री रामकृष्ण हेगड़े]

(1) (एक) बेसिक कैमीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक कैमीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 960/98]

(3) (एक) कैमीकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैमीकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०961/98]

(5) (एक) प्लास्टिक एण्ड लिनोलेयूम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक एण्ड लिनोलेयूम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 962/98]

(7) (एक) ओवरसीज कन्स्ट्रेक्शन काउंसिल, आफ इंडिया मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज कन्स्ट्रेक्शन काउंसिल, आफ इंडिया मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 963/98]

(9) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एण्ड एक्सपोर्ट इंसपेक्शन (खंड 1 और 2) के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एण्ड एक्सपोर्ट इंसपेक्शन (खंड 1 और 2)के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 964/98]

(11) जनरल फंड एकाउंट्स आफ द काफी बोर्ड के वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 965/98]

(13) इंडियन टी और रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 966/98]

वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नई दिल्ली और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद चेन्नई के वार्षिक प्रतिवेदन, उनके कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल , नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 967/98]

(3) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 968/98]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सामान्य विनियम, 1964 की प्रति सैंटर फार डेवलपमेंट इक्नोमिक्स, भारतीय निर्यात-आयात बैंक आदि के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे, उनके कार्यकरण की समीक्षा विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 43 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सामान्य विनियम, 1964 जो 4 अक्टूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 40 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 969/98]

(2) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट इक्नोमिक्स एट द दिल्ली स्कूल आफ इक्नोमिक्स दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट इक्नोमिक्स एट द दिल्ली स्कूल आफ इक्नोमिक्स दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 970/98]

(4) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 24 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 971/98]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 288 (अ) से सा०का०नि० 299 (अ) तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 2 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो 1 जून, 1998 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संबंध में सीमा शुल्क में परिवर्तन और छूट के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 972/98]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 300 (अ) से सा०का०नि० 316 (अ) तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 2 जून, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो 1 जून, 1998 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन और छूट के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 973/98]

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 के अधीन अधिसूचनाओं की प्रति

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : श्री दिलीप राय की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कोयला खान भविष्य निधी तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोयला खान भविष्य निधी (संशोधन) योजना, 1998 जो 25 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 264 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधी (संशोधन) योजना, 1998 जो 25 मई, 1998 के भारत के

[श्री मदन लाल खुराना]

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 265 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधी (संशोधन) योजना, 1998 जो 25 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 266 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 974/98]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:

मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार 4 जून, 1998 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया है :-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा भारतीय रेलवे द्वारा सामान्य वित्त की तुलना में सामान्य राजस्व तथा रेल वित्त से संबधित अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए वर्तमान लाभांश की देय दर की समीक्षा करने तथा इसके बारे मेंसिफारिशें करने के लिए संसदीय समिति के लिए सभापति द्वारा राज्य सभा के 6 सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाए।"

मुझे लोक सभा को यह भी बताना है कि सभापति ने उक्त समिति में राज्य सभा के निम्नलिखित 6 सदस्यों को नामनिर्दष्टि किया है

1. श्री जनार्दन यादव
2. श्री ओ.एस. मणियन
3. श्री सुरेश पचौरी
4. श्री जॉन एफ. फर्नान्डीज
5. श्री मोहम्मद सलीम
6. श्री रंजन प्रसाद यादव

अपराह्न 12.02 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1998-99) पर दूसरा प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य एवं व्यय विभागों) से संबंधित अनुदानों की (1998-99) पर तीसरा प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित अनुदानों की (1998-99) पर चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

खाद्य, नागारिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंध स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) शर्करा एवं खाद्य तेल विभाग (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) पर दूसरा प्रतिवेदन।

(2) खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) पर तीसरा प्रतिवेदन।

(3) उपभोक्ता मामले विभाग (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) पर चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति

चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मार्गों (1998-99) पर चौथा प्रतिवेदन।

(2) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन तथा पेट्रोलियम विभाग) की अनुदानों की मार्गों (1998-99) पर पांचवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मार्गों (1998-99) पर छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

पचपनवां, छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग), महासागर विकास विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग की अनुदान मांगों (1998-99) के संबंध में विभाग संबंधित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के क्रमश: 55वें, 56वें, 57वें, 58वें और 59वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० सुब्रमण्यिम स्वामी (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग पर मैं चाहता हूं कि सरकार वक्तव्य दे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब शून्य काल की शुरूआत करेगी। श्री बसुदेव आचार्य जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं हरेक को बोलने का मौका दे रहा दूं। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैंने श्री बसुदेव आचार्य जी का नाम पुकारा हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको डाक कर्मचारियों की हड़ताल पर बोलने की अनुमति दूंगा। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

डाक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में

श्री बसुदेवा आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय कल तक 6 लाख डाक कर्मचारी हड़ताल पर जा चुके हैं और हमारे देश की डाक सेवा पूरी तरह ठप्प हो चुकी हैं। नब्बे प्रतिशत डाक कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। विभागेत्तर कर्मचारियों की संख्या लगभग तीन लाख हैं।

वर्ष 1993 में भी डाक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। और तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी कि डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा और तद्नुसार तलवार समिति की नियुक्ति की गयी थी। तलवार समिति ने छह महीने पहले ही अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। लेकिन सरकार चुप हैं और इसने कोई कार्यवाही नहीं की हैं इन कर्मचारियों की स्थिति गुलामों की सी हैं। स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में भी हमारे देश में गुलामी की प्रथा जीवित हैं। ये विभागेत्तर कर्मचारी मामूली सी तनख्वाह पर कार्य करते हैं। हमारी मांग हैं कि तलवार समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए और सरकार को डाक कर्मचारियों की यूनियनों के साथ समझौता वार्ता शुरू करनी चाहिए।

इसी हड़ताल से संबंधित अन्य मुद्दे भी हैं। ग्रुप डी.स्टाफ, डाकिया, मेलगार्ड, टी ओबीसी., बीसीआर डाक और छंटाई सहायकों तथा एच.एस. जी. के बारे में पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों का मामला हैं।

पांचवे वेतन आयोग में इन कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया हैं। जिसमें अनेक विसंगतियां हैं। इन कर्मचारियों की मांग हैं कि उनके वेतन मानों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। जैसाकि कल से ही डाक व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो चुकी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सरकार को डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए और तलवार समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू करना चाहिए इसके अलावा चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई। सिफारिशों को लागू करने में की गई विसंगतियों को भी तत्काल दूर करना चाहिए। सरकार को तत्काल डाक कर्मचारियों की यूनियनों से समझौता वार्ता शुरू कर देनी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी) : मैं कल से अनुमति मांग रहा हूं। मेरा भी यही विषय हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी विषय पर उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं। मैं आपको भी इस विषय पर बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री वैको : मैं भी इसी विषय पर बोल रहा हूं *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, *(व्यवधान)* श्री राधाकृष्णन जी, आप तो विधान सभा के अध्यक्ष थे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्री वैको को बोलने के लिए आमंत्रित किया हैं।

(व्यवधान)

श्री वैको : अध्यक्ष महोदय, मैंन इस वर्ष 3 जून को शून्य काल के दौरान यह मुद्दा इस सभा में उठाया था और सरकार का ध्यान आकार्षित किया था कि इस वर्ष 9 जून को इस मुद्दे पर हड़ताल का नोटिस दिया जा रहा हैं। उस दिन श्री आचार्य और दोनों पक्षों के अनेक सदस्यों ने एक ही मुद्दा उठाया था।

[श्री वैको]

प्राथमिक उपयोगी सेवा, डाक सेवा पूरी तरह से पंगु हो गई है, छह लाख डाक कमचारी हड़ताल पर चले गए हैं, यह मुद्दा हाल ही में नहीं उभरा है। यह कई दशकों से चला आ रहा है। हमारी सहानुभूति उन डाक कमचारियों के साथ है जिन्हें विभागेत्तर कर्मचारी माना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने भी इसे नहीं माना था। न्यायमूर्ति चरणजीत सिंह तलवार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश थी कि इस पर नामावली को बदला जाय और इसे विभागत्तेर प्रणाली से बदल कर ग्रामीण डाक प्रणाली कहा जाए इन कर्मचारियों को ग्रामीण डाक कर्मचारी कहा जाए। उनके साथ बंधुवा मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है। हम कह रहे हैं कि हम बंधुवा मजदूरी का उन्मूलन कर रहे हैं। ये कर्मचारी व्यवस्था के कारण बंधुवा मजदूरों की तरह कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वैकों जी, सरकार इस विषय में उत्तर देगी।

श्री वैको : पिछले वर्ष नवम्बर में दिए गए धरने में बहुत अधिक संख्या में इन कर्मचारियों ने भाग लिया था। उन्होंने फिर हड़ताल का नोटिस दिया है। तत्पश्चात मंत्री जी ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था और एक समझौता हुआ था। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगें निश्चित रूप से पूरी की जांएगी और उनके साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इस कारण अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान माननीय मंत्री जी ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया है। उन्होंने वार्ता की लेकिन उन्हे सफलता नहीं मिली। अत: यह उचित समय है कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए, सरकार इस स्थिति को गंभारिता से ले रही है और सरकार इस संबंध में उत्तर देगी।

श्री वैको : मैं जानता हूं कि विभागेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि, बोनस भुगतान और अन्य विसंगतियों के संबंध में उनकी मूल मांगों पर विचार किया जा रहा है। सरकार की कई दशकों से चली आ रही इस समस्या के समाधान का श्रेय लेना चाहिए। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह और अधिक विलंम्भ के बिना उनकी सभी मांगों को स्वीकार करे और इस का श्रेय ले।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन बोलेंगे। श्री राधाकृष्णन जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) **:** जैसा कि श्री वैको ने कहा मैं यह मुद्दा 3 जून, 1998 को उठा चुका हूं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल 9 जुलाई से छ: लाख से अधिक डाक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे बहुत यर्थाथ हैं। जैसा कि श्री वैको ने कहा विभागेत्तर कर्मचारियों के साथ बंधुता मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है। वे कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करने और इस मुद्दे के अविलंब समाधान करने का अनुरोध करता हूं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवी एस एम (गढ़वाल)**:** मैं श्री वैको की बात से सहमत हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में विभागत्तेर डाक कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ये लोग वास्तव में 24 घण्टे काम करते हैं। ये पहाड़ों में बहुत दूर-दूर तक पैदल चलते हैं फिर भी उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। उनमें बहुत से लोग भूतपूर्व सैनिक हैं। अत: उनके साथ उनके साथ नैमितिक मजदूरों से बदतर व्यवहार करना ठीक नहीं है। हम इन लोगों के लिए बेहतर सेवा शर्तें देने की बात कहते रहें हैं। अत: मैं संचार मंत्री और वित्त मंत्री जी और सरकार से आग्रह करता हूं कि विभागत्तेर डाक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए और उन्हें सामान्य कर्मचारियों के बराबर लाया जाए।

डा०एस० वेणु गोपालाचारी (आदिलाबाद) **:** महोदय, मैं इस मुद्दे के तत्काल अविलम्ब समाधान के लिए आकर्षित करता हूं। तलवार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उनकी मांगे यथार्थ हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें।

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) **:** अध्यक्ष महोदय, सरकार के उदासीन दृष्टिकोण के कारण डाक विभाग में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरी डाक व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई है। मैं श्री वैको की बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन साथ ही एक बिन्दु पर मेरा उनसे भिन्न विचार हैं। यदि आप पूरे विश्व के परिप्रक्ष्य में देखें तो हमारे देश में डाक प्रणाली एक आदर्श डाक प्रणाली है। इसे विकसित करने बहुत अधिक समय लगा है। महोदय, सरकार को इस संबंध में काफी समय पहले नोटिस दिया गया था। विभिन्न दलों के सभी सदस्यों ने पहले यह मामला उठाया लेकिन कुछ नहीं किया गया। सरकार ने कोई पहल नहीं की और उनकी यूनियनों के साथ वार्ता नहीं की। यह विभागेत्तर मजदूरों की समस्या है। इन लोगों को उस समय काम पर लगाया गया था। *(व्यवधान)* लेकिन दुर्भाग्य से पूरी प्रणाली ठप्प हो गई है। कुछ काम नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से डाक यूनियनों के साथ वार्ता करने के लिए पहल नहीं कर रहा है। *(व्यवधान)* उनकी मांग न्यायोचित हैं और सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कृपया आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ बातचीत करें और इस समस्या का तत्काल कोई समाधान निकाले, *(व्यवधान)*

डा०सुब्रह्मण्यिम स्वामी (मदुरै) **:** महोदय, सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देने का निर्देश दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ससंदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देगें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रणब मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल)**:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि मैं डाक कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी, ठीक यही बात आपसे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने भी कही है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यिम स्वामी : महोदय, मैंने किसी दूसरे विषय पर नोटिस दिया हुआ है। *(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं तत्काल यह मांग करता हूं कि संचार मंत्री महोदय को सभा में आकर डाक कर्मचारियों की देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना चाहिए। यह हड़ताल उनके दस सूत्रीय मांग-पत्र के आधार पर पहले ही शुरू हो चुकी है। उनकी मांग बहुत साधारण सी हैं। उन्होंने अपने वेतनमानों में सुधार और बोनस फार्मूले को अंतिम रूप दिए जाने सहित न्यायमूर्ति तलवार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की मांग की हैं।

महोदय, वे बहुत गरीब विभागेतर कर्मचारी हैं और ग्रामीण डाक सेवा में कार्यरत हैं। इस हड़ताल से शहरी धनी वर्ग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन इससे गारीब ग्रामीणों को निशिचत ही कठिनाई होगी। यदि सरकार इस हड़ताल की ओर समुचित ध्यान नहीं देती हैं तो पूरी राष्ट्रीय संचार व्यवस्था ठप्प हो जाएगी। अत: मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भावी घटना का अंदाजा लगा ले और हड़ताली डाक कर्मचारियों के साथ तत्काल बातचीत करें। इसकी अपनी परम्परा रही हैं। डाक कर्मचारियों की हड़ताल इतिहास की दिशा बदलने की सूचक हैं।

[अनुवाद]

अत: मैं सरकार एवं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस हड़ताल को निराकरण करने हेतु तुरंत ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, यह सही हैं कि पोस्टल कर्मचारियों को बंधुवा मजदूरों की तरह ट्रीट किया जा रहा हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं लेकिन *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, संचार मंत्री कहां हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। यह सही नहीं हैं। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें इस सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री त्रिपाठी जो कहेंगे इसके अलावा किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा. शकील अहमद कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह सही नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणी त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री और भारत सरकार का ध्यान पोस्टल कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ। *(व्यवधान)* इसके साथ बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : उनके वेतन की विसंगातियां हैं। यह समस्या आज की नहीं हैं। कई वर्षो से डाक कर्मचारी और खासकर जो उनके समकक्ष कर्मचारी है, वे परेशान हैं। एक रविवार में इस सारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं भारत सरकार और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल कर्मचारियों से वार्तालाप करके उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जो विसंगातियां हैं उन्हें दूर किया जाए। इसके साथ ही मैं कर्मचारियों से भी कहना चाहूंगा कि अपने इतने साल बर्दाश्त किया हैं तो 4-6 महीने और बर्दाश्त कर ले और हड़ताल की भयावह स्थिति से बचे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि तत्काल इस समस्या का समाध ान करें।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार पर कोई आरोप का सवाल नहीं हैं। पोस्टल सर्विस, संचार विभाग, पूरे ग्रामीण इलाकों में चारों तरफ प्रभावित हैं। मंहगाई से भी लोग परेशान हैं। इस पर हम लगातार बोल रहे हैं। लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं हैं, इसलिए पोस्टल सर्विस के कर्मचारी सारे देश में हड़ताल पर चले गये हैं। सरकार को उनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। इस सवाल पर पूरा सदन एकमत हैं, हम एकजुट हैं। कर्मचारी भड़क न जाएं, तोड़-फोड़ न शुरू कर दें, तहस-नहस करना शुरू न कर दें, इसलिए समय रहते उनको बुलाकर बात करके हड़ताल को खत्म करना चाहिए। यदि हड़ताल खत्म नहीं हुई तो देश का कर्मचारी भड़केगा और कहां की चिठ्ठी कहां चली जायेगी, पता नहीं चलेगा *(व्यवधान)* सब तहस-नहस हो जायेगा। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो लोकतंत्र . . *(व्यवधान)* विद्रोह शुरू हो जायेगा . . *(व्यवधान)* हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम लोग एकजुट हैं। इसलिए आप लोग उनको बुलाकर बात करिये। . *(व्यवधान)*

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : इससे पहले तो आप गद्दी पर थे, तब क्या करते रहे, आज आप कर्मचारियों के भड़कने की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों अभी अन्य सदस्य भी है; श्री सुनील कान्त, सी.पी.एम. श्री राधा कृष्णन, श्री बसुदेव आचार्य, श्री मोतीलाल वोरा, श्री रूपचन्द पाल, श्री हरिकेवल प्रसाद। अब मंत्री जवाब देगें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सरकार जवाब देगी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया देखिये यह सही नहीं हैं। वे जो कह रहे हैं वह हमें सुनना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुखर्जी बहुत हो गया। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया स्थिति को समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा सभी सदस्यों से निवेदन हैं कि वे कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थिति को समझें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): संचार मंत्री ने कर्मचारियों को धमकी दी हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले जो मंत्री कहते है। वह सुनिये। अन्य माननीय सदस्यों ने भी नोटिस दिए है।

(व्यवधान)

श्री प्रमथेस मुखर्जी : ये इस मामले से संबंधित मंत्री नहीं हैं *(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं धैर्य से इंतजार कर रहा हूं। मुझे मौका नहीं दिया गया हैं। मुझे यह मौका कब मिलेगा? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते।

श्री मधुकर सरपोतदार : क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि हम अध्यक्ष के आसन के निकट आ जाएं? ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : हम चाहते हैं कि संचार मंत्री जवाब दें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : हम चाहते हैं कि संचार मंत्री आएं।

श्री रूपचन्द पाल : उन्हें यहां आकर वक्तव्य देना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों को धमकी दी हैं। हम केवल उनका वक्तव्य सुनना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुने।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुने। यदि जरूरी हुआ तो मैं सुचना मंत्री को भी वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, डाक सेवाओं के ठप्प होने से सारा देश प्रभावित हुआ हैं। संचार मंत्री कहां हैं? वे उन्हें यहां क्यों नहीं बुलाते हैं? *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : संचार मंत्री कहां हैं? यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला हैं। उन्हें जवाब देना ही होगा। श्री मदन लाल खुराना इससे संबंधित नहीं हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष जी, यह समस्या गंभीर हैं, हम भी इससे चिंतित हैं। इस बारे में दोपहर को मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले उनकी बात सुने।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी प्रथा नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कह रहें हैं कि यदि आवश्यक हुआ तो सम्बद्ध मंत्री भी सभा में वक्तव्य देगीं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह आवश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सभा इस मुद्दे पर एक मत हैं। सारी सभा एक मत हैं ...*(व्यवधान)* वे कौन सा अत्यावश्यक कार्य कर रहीं हैं? उन्हें सभा आने की फिक्र नहीं हैं। समस्त सभा इस मुद्दे पर एक मत हैं। *(व्यवधान)*

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कृपया संबंधित मंत्री को वक्तव्य देने का निर्देश दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा हैं कि संबंधित मंत्री जी इस बारे में दोपहर को स्टेटमेंट देंगे। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम उन्हें सुनना नहीं चाहते हैं। हम केवल संचार मंत्री से वक्तव्य सुनना चाहते हैं न कि संसदीय मामलों के मंत्री का वक्तव्य सुनना चाहते हैं। यह पर्याप्त नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : यह पर्याप्त नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि संचार मंत्री सभा में शाम को एक वक्तव्य देगें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : हम श्री मदनलाल खुराना द्वारा दिए गए वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं संचार मंत्री आएं और वक्तव्य दें। *(व्यवधान)* वह अपना वक्तव्य कब देंगी?

श्री बैको : वह आज ही अपना वक्तव्य देंगी। *(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी) **:** महोदय, संचार मंत्री को आना चाहिए तथा अपना वक्तव्य देना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपनी पार्टी के सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने को कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) **:** और कोई स्टेट प्रभावित नहीं होती, सिर्फ बंगाल प्रभावित होता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय कृपया हमें भी बोलने की अनुमति दी ...*(व्यवधान)* आप सभा के केवल दूसरी ओर से माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मेरा सभा के औचित्य का एक प्रश्न है। ...*(व्यवधान)* महोदय, आप हमें बोलने की अनुमति नहीं दें रहें हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाय। यह मेरा भी अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, आप उस ओर से सभी सदस्यों को बोलने के लिए बुला रहे हैं जबकि इस ओर से बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें। आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर)**:** अध्यक्ष जी, ये खड़े हैं, आप पहले इसको बोलने का मौका दीजिए। आप उनको मौका दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, आप हमें कभी भी बोलने का मौका नहीं देते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यदि वे खड़े होते हैं, मैं भी खड़ा होऊँगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) **:** आप हमारी पार्टी के लीडर हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। *(व्यवधान)* आप लालू जी को बोलने दे रहे हैं, उनको बोलने दे रहे हैं लेकिन हमारे नेता, को नहीं बोलने दे रहे हैं *(व्यवधान)* हम बोलने नहीं देंगे। यह क्या तरीका है, आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? ये हमारी पार्टी के लीडर हैं। ...*(व्यवधान)* हमारी भी पार्टी है, आप हमें क्यों बोलने नहीं दे रहें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए.वी.एस.एम. : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह है कि कृपया श्री सरपोतदार को पहले बोलने की अनुमति दें और तब आप श्री पासवान को बोलने को कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आपकी तो सेना है, पार्टी तो हमारी है, आप हमसे ज्यादा हैं, जब आपकी पार्टी बनेगी, तब बोलिएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : हम महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल हैं, कृपया इसे नहीं भूलें।' ' '*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव) : महोदय, मैंने भी एक सूचना दी है ' ' '*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, अगर ये पहले बोलना चाहते हैं तो इनको पहले बुलाइए।' ' '*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, तथा मैं इस सभा में चल रही सभी गतिविधियों को देख रहा हूं। आज सुबह, डाक हड़ताल का मामला उठाया गया तथा मैंने इसमें भाग लेना चाहा। शुरूआत से ही, मैंने अपना हाथ अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने के लिए उठाया तथा आपने भी ध्यान दिया होगा। उसके बाद मैंने पाया कि उस ओर से जो भी माननीय सदस्य खड़े हो गए उन्हें बोलने दिया गया।

डा०टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : यह इसलिए क्योंकि हम विपक्ष में हैं तथा हमें मौका दिया जाना है।

श्री मधुकर सरपोतदार : हम भी डाक हड़ताल के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़े होते हैं। क्या एक पार्टी के रूप में प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मैं भी एक पार्टी का नेतृत्व करता हूं। अतएव, यह बहुत आवश्यक है कि हम सभा में अपने विचार प्रकट करें। यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा कोई भी व्यक्ति यह अधिकार वापस नहीं ले सकता है। जब भी हम खड़े होते हैं, हमें बैठने के लिए कहा जाता है यह ठीक नहीं है। वे माननीय सदस्य जो सभा पटल के निकट आ जाते हैं उन्हें तुरंत बोलने का अवसर दिया जाता है। यह एक मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा यह है कि वे वर्षों से देश पर शासन कर रहे थे। गत दो वर्षों मे संयुक्त मोर्चा सरकार शासन में थी तथा वे माननीय सदस्य सरकार में थे। उसके बावजूद उन्होंने डाक कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं किया तथा आज वे हमसे समस्या का समाधान करने आ रहे हैं। मुझे यह कहने दे कि मैं डाक कर्मचारियों की समस्या से 100 प्रतिशत सहमत हूं। हम उसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है। कि समूची सभा को बंधक बना लेना चाहिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरंत आवश्यक कदम उठाए। शांतिपूर्ण समाधान के लिए बहुत आवश्यक है। हम कर्मचारियों से वार्ता करेंगे। हम कुछ समाधान खोजने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि हड़ताल समाप्त हो। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि समूची सभा सरकार पर चढ़कर यह कहे कि सरकार इसका हल निकाले। यह उचित नहीं है यह मेरा दृष्टिकोण है' ' '*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : महोदय, मैं केवल आपका ध्यान अध्यक्ष पीठ के खिलाफ की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। किसी सदस्य में अध्यक्षपीठ पर आक्षेप नहीं करना चाहिए।' ' '*(व्यवधान)*

श्री अजित जोगी (रायगढ़) : अध्यक्ष पीठ पर किए आक्षेपों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। महोदय, अध्यक्ष पीठ पर काफी गम्भीर आक्षेप किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष को कार्यवाही वृत्तांत से इन टिप्पणियों को बाहर निकाल देना चाहिए।' ' '*(व्यवधान)* कोई टिप्पणी जो अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप करती हो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए' ' '*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई गंभीर टिप्पणी है, तो मैं उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम आग्रह करते है कि संसदीय कार्य मंत्री जी से कि अपने सदस्यों को समझाएं कि ट्रेजरी बैंचेज और औपोजीशन में फर्क है। यह हमारा अधिकार है, अगर हम वाकआउट करेंगे तो क्या आप भी करेंगे? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : यह हमारी पसंद है। आपने एक मंत्री के रूप में क्या किया? *(व्यवधान)*

श्री वैको : श्री पासवान, आप सभा को बता सकते हैं कि आपने एक मंत्री के रूप में क्या किया था। आप यहां उपदेश नहीं दे सकते। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : हम लोग भी सरकारी बैंच पर थे। ' ' '*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सरपोतदार, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : जब हम लोग ट्रेजरी बैंचेज पर बैठते थे तो जब इधर से बोला जाता था, हम कुछ नहीं कहते थे कि उनको क्यों समय दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। हमें इस बात का दुःख है कि जिस भाषा का प्रयोग चेयर के लिए किया गया है, वह बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं समझता हूं संसदीय कार्य मंत्री को इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। लोकतंत्र, जनतंत्र इस तरीके से नहीं चलता *(व्यवधान)* चेयर को चुनौती नहीं दी जा सकती।' ' '*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, अध्यक्ष पीठ के विरूद्ध कतिपय टिप्पणी की गई थी तथा हमने उन्हें गंभीरता से लिया है। किसी भी सदस्य को अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप लगाने का अधिकार नहीं है। *(व्यवधान)* आज आप सरकार

चला रहे हैं। आपको अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री से की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने का अनुरोध करता हूं। *(व्यवधान)* यह कोई मामूली चीज नहीं हैं। *(व्यवधान)*

श्री वैकों : कल आपकी ओर से क्या हुआ? आपने इस पर आपत्ति नहीं की थी। तब आप चुप थे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, राम विलास पासवान जी को मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक पक्षीय बात कही हैं। उन्होंने यह कहा कि हम भी समस्याएं उठाते थे और विरोध पक्ष का काम हैं समस्या को उठाना, मैं यह मानता हूं, इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरा निवेदन यह हैं कि आप इनकी बात को ले रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी स्ट्राइक्स हुई हैं, समस्याएं उठी हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आफ्टरनून में स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद बोल लेना।

[अनुवाद]

श्री रामविलास पासवान : महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं हैं। *(व्यवधान)* आप भाषण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सबकी बात सुनने के बाद मैंने कहा कि जैसे आप चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित हैं, लेकिन इतना समय तो दीजिए कि आफ्टरनून में स्टेटमेंट आने दें।

श्री रूपचन्द पाल : सबसे पहले सुओ-मोटो स्टेटमेंट लेकर आएं।

श्री मदन लाल खुराना : मुझे अपनी बात कहने दें। मैं पासवान जी की इस बात से सहमत हूं कि चेयर को कोई चुनौती नहीं दे सकता, देनी भी नहीं चाहिए। अगर हमारे किसी सदस्य ने ऐसा कहा हैं तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

मैं उसका भी खेद प्रकट करना चाहता हूं, जिस तरह से आपने आपत्ति की, जबकि मैं बार-बार कह रहा हूं कि आफ्टरनून में स्टेटमेंट आ जाएगा, लेकिन इस बात को आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। *(व्यवधान)* आप एक जुट नहीं हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट आइटम।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, पूरे देश के पांच-छः लाख संचार कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। यह कोई मामूली घटना नहीं हैं। आपने कहा कि हम लोग सरकार में थे *(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, बार-बार वही सवाल चल रहा हैं। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : वही सवाल ही तो चल रहा हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगला आइटम।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य एजीटेटेड हैं और माननीय सदस्य चाहते हैं कि संचार मंत्री आयें और वक्तव्य दें। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद सं. 20 पर चर्चा करेंगे। श्री राम विलास पासवान।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दूसरी सूचना दी हैं।

(व्यवधान)

श्री के. करुणाकरण (तिरूअनन्तपुरम): अगली मद पर चर्चा करने से पहले, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : आपने हमको पहले बुलाया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया हैं।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : पहले विथड्रा किया था। अब आपने मेरा नाम पुकारा हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कल से हड़ताल चल रही है। *(व्यवधान)* इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि संचार मंत्री को बुलाये और संचार मंत्री सदन में वक्तव्य दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मोतीलाल वोरा : हमें कितनी बार खड़ा होना पड़ेगा? *(व्यवधान)* हमने आपसे हमारे नाम भी पुकारने का अनुरोध किया था। *(व्यवधान)* हमने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा। अब श्री मोहन सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सवाल अभी उठाए सवाल से किसी भी हालत में कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उत्तर भारत की एक प्रमुख शैक्षिक संस्था, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, जिसको भारत के महान राष्ट्रपुरुष, पंडित मदनमोहन मालवीय, की तपस्या के बाद, उनके कठिन प्रयासों के बाद यह संस्था स्थापित हुई थी। यह संस्था न केवल उत्तर भारत

[श्री मोहन सिंह]

में बल्कि सम्पूर्ण भारत के नौजवान और शैक्षिक जगत में लगे हुए लोग, इस शिक्षण संस्थान से प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। लेकिन आज उस विश्वविद्यालय की दशा उत्तरोत्तर बरबादी के कगार पर खड़ी हैं। वहां विश्वविद्यालय के प्रोफैसर पर कातिलाना हमला हुआ ओर इंजीनियरिंग कालेज के एक छात्र की हत्या हो गई। वहां का प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक ऐसा शिक्षण संस्थान जो एक तपस्वी द्वारा संस्थापित हुआ और सम्पूर्ण भारत के शैक्षणिक जगत में जिस संस्था का योगदान था, वह आपसी खींचातानी, प्रशासनिक विफलता के चलते बरबाद हो रहा हैं।

यह अफसोस की बात हैं कि पिछले 15 वर्षो से आज की तारीख तक वहां कोई इलेक्टिड बॉडी, नियमित ढंग से चुनी हुई प्रशासकीय संगठन का गठन भारत सरकार नहीं कर सकी। भारत सरकार द्वारा इस सदन में अनेक बार आश्वासन देने के बावजूद बीएचयू बिल बहुत दिनों से पैंडिंग हैं। जिसके बारे में सभी लोगों ने भारत सरकार को आग्रह किया था, उस बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बिल को भारत सरकार पेश करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान इस महत्वपूर्ण सवाल की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां जो हिंसा, अराजकता और भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त हैं उसके लिए एक हाई लेवल कामेटी की नियुक्ति करे, जो एक महीने के अंदर वहां की सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के उपरांत सदन को अपना प्रतिवेदन दे ताकि उसकी रोशनी में उस महान शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने और उसे नियमित करने के सिलसिले में यह सदन कुछ ठोस उपाय करने के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंच सके, ऐसा मैं आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरण (तिरूअनन्तपुरम): महोदय, हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा हैं। *(व्यवधान)* हमने सोचा सरकार अपनी ओर से खुद पहल करके सभा में आकर इसके बारे में हमें बताएंगे। *(व्यवधान)* यह दुर्भाग्य हैं कि सरकार ने इसे बहुत ही हल्के ढंग से लिया हैं। *(व्यवधान)* उन्हें देश में व्याप्त स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए तथा कोई समाधान ढूंढना चाहिए। *(व्यवधान)* प्रधानमंत्री को इस संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सभा को सूचित करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य को प्राधिकृत करना चाहिए था। *(व्यवधान)* सरकार इस तरह की रवैया नहीं अपना सकती *(व्यवधान)* महोदय, आपको हमें यह मामला उठाने की अनुमति देनी चाहिए *(व्यवधान)* इस स्थिति में सुधार करना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय *:* कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय *:* नौ सदस्यों ने इसी विषय पर चर्चा के लिए सूचना दी हैं। मैं सभी नौ सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय *:* मैं उन सदस्यों के नाम पढ़ रहा हूं जिन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए नोटिस दिया हैं, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, श्री ओम प्रकाश, श्री अजीत कुमार, श्री लाल मुनि चौबे, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री हीरा लाल राय, श्रीमती उषा वर्मा, श्रीमती रीना चौधरी।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को इस पर कुछ बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय *:* श्री मोहन सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे का इन सभी सदस्यों ने समर्थन किया हैं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, श्री करूणाकरन ने जो कहा वह हम नहीं सुन सके। *(व्यवधान)* महोदय, आपको उनका नाम एक बार फिर पुकारना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय *:* कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री टी. आर. बालू कृपया।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, आप श्री करूणाकरन को एक बार और अनुमति दे सकते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) : महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय *:* इस मामले पर आप सब ने श्री मोहन सिहं का समर्थन किया हैं तथा यह माना जाता हैं कि इस मुद्दे को आप सब ने उठाया हैं। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय *:* माननीय, सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी बात पर सरकार चुप बैठी हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरण (तिरूअनन्तपुरम): सरकार ने निर्णय ले लिया हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय *:* आप पहले बैठिये।

श्री ओम प्रकाश : मैं बैठ नहीं सकता। यह कोई बात नहीं हैं कि दूसरे लोग बोलते रहे और हम बोले ही नहीं। अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुन लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और पूरे देश के नौजवानों से जुड़ा सवाल हैं, इसलिए मेरे बैठने का सवाल ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद, आपका नाम सभापति तालिका में भी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री के० करुणाकरन : विशिष्ट विषय पर चर्चा करने से पहले इस मामले पर कुछ निर्णय कर लिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)* यह सामान्य स्थिति नहीं है। यह स्थिति डाक कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न हुई है। इस संबंध में मुझे यह अनुरोध करना है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य इतने सीनियर सांसद हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि इस पर निर्णय पहले ही हो चुका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलन्द्र कुमार, कृपया अपना स्थान लें।

श्री के. करुणाकरन : यह एक ज्वलन्त मामला है। दुर्भाग्यवश, सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। यह एक ऐसा मामला है जिससे निपटना चाहिए *(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी को यहां उपस्थित होना चाहिए था तथा इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जा प्रयास किए हैं उससे सभा को अवगत कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश, सरकार ने वह रास्ता नहीं अपनाया है।

अब, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। दूसरी मद पर जाने से पहले कृपया सरकार को निदेश दें आप संसदीय कार्य मंत्री को संबंधित मंत्री से यह कहने को कह सकते हैं, कि वह इस पर एक वक्तव्य दें अन्यथा हम *(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी) : उन्होंने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। आप और क्या चाहते हैं?

श्री के० करुणाकरन : इस संबंध में वक्तव्य देने के लिए कृपया सरकार को निदेश दें। *(व्यवधान)*

श्री वैको : इन पचास वर्षों में आप क्या कर रहे थे?

अध्यक्ष महोदय : श्री करुणाकरन, यह पहले ही हो चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकाश, श्री मोहन सिंह ने पहले ही यह मामला उठाया है। उन्होंने पहले ही जो कहा है आप उसका समर्थन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री ओमप्रकाश : अध्यक्ष जी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सान्निध्य में हुई। इस विश्वविद्यालय के कुलपति इस देश के महान सपूत आचार्य नरेन्द्र देव, श्रद्धेय राधाकृष्णन, भगवती सहाय, अय्यर और श्रद्धेय मालवीय जी रहे हैं। *(व्यवधान)* लेकिन जब कांग्रेस की हुकूमत में इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डा. हरिगौतम की नियुक्ति हुई तो कहा गया कि वे कांग्रेस की कोख से पैदा हुए हैं। जब सयुंक्त मोर्चा की सरकार आई तो बोले कि यह जनता दल से पैदा हुए हैं और आज यह कह रहे हैं कि भाजपा की कोख से पैदा हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली घटना है जब मेधावी छात्रों की हत्याएं हुई हैं। मनोरंजन सिंह, *(व्यवधान)* और तथा आई.आई.टी. के टॉयर मनीश राय की हत्या की गयी। इसके ऊपर मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सी.बी.आई.डी. की रिपोर्ट आई कि इसमें कुलपति और चीफ प्रोक्टर *(व्यवधान)* चीफ प्रोक्टर ऐसे आदमी हैं, जिसको पढ़ाते थे उसी से शादी कर ली, ऐसे विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर है। विश्वविद्यालय का माहौल नारकीय बना हुआ है। विश्वविद्यालय में कानून ओर व्यवस्था के नाम पर कुछ है ही नहीं। जिस शिक्षण-संस्था में ज्ञान का प्रकाश मिलना चाहिए उसने आधुनिक क्लब का रूप धारण कर लिया है। *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहता हूं कि 1968 में बनी गजेन्द्र गडकर कमेटी के द्वारा इंक्वारी होने के बाद पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन कठघरे में खड़ा हुआ और उसके बाद सी.बी.आई.डी. की रिपोर्ट है कि कुलपति धारा 120 के अंतर्गत कठघरे में है और वहां के प्रोक्टर से लेकर वहां के सी.ओ.सी.टी. तक पर आपराधिक मुकदमें दर्ज करने का आदेश है। इसके बाद कानून व्यवस्था के नाम पर उनकी कहीं न कहीं से मदद की जा रही है *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अन्य सवालों से कम गम्भीर नहीं है। वे बिहार के लिए लड़े। वे वहां के विद्यार्थी भी रहे हैं। जो लोग मारे गए *(व्यवधान)* मैं चाहूंगा कि मानव संसाधन विकास मंत्री को यहां बुलाया जाए। वह इस बारे में कुछ बताएं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री ओम प्रकाश, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का जिक्र किया। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : आप भी वहां के स्टूडेंट लीडर और यूनियन के महामंत्री रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : मैं माननीय सदस्य की भावना को मानव संसाधन विकास मंत्री तक पहुंचा दूंगा। *(व्यवधान)*

श्री ओम प्रकाश : इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वह ही इसके बारे में कहेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा) : यह बहुत परेशान करने वाली और चौंकाने वाला समाचार है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता ने कहा है कि उड़ीसा में महिला छात्रावास में रहने वाली कुछ औरतें वेश्याएं हैं। जिस अध्यक्ष से महिलाओं के सम्मान की रक्षा अपेक्षित है उसी ने अपमानजनक सार्वजनिक वक्तव्य दिया है। उसकी उड़ीसा में सभी ने निन्दा की है और मैं इस सदन के अपने साथियों से अपील करता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाएं कि ऐसा वक्तव्य देने के बाद वे अब तक पद पर बनी हुई हैं।

उन्हें बर्खास्त किया जाए और स्पष्टीकरण देने को कहा जाये। महिला आयोग की अध्यक्ष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के बजाय अब पूरे महिला समाज को बदमान कर रही हैं। *(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, आप जानते हैं कि हमारे नेता डा.एम. करुणानिधि, मुख्यमंत्री तमिलनाडु की मांग के अनुसार पूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल बटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन का आदेश दिया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री आर.मुथैया को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। श्री बालू का नाम सूची में 5वें स्थान पर है और आपका नाम 16वे स्थान पर है। मैं आपको भी बुलाऊँगा।

(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु को प्रतिवर्ष 205 टीएमसी जल की आपूर्ति करने के लिए 25.6.91 को एक अंतरिम आदेश दिया था। इस आदेश को भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के 6क के अनुसार 10.12.91 को अधिसूचित किया गया था। किन्तु कर्नाटक सरकार न्यायाधिकरण के आदेश को लागू नहीं कर रही थी। अत: एव तमिलनाडु सरकार ने फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1992 में उच्चतम न्यायालय में एक मामला दर्ज किया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू : उच्चतम न्यायालय की सलाह के अनुसार दोनों मुख्यमंत्री पांच से अधिक बार मिलें किन्तु कोई ठोस समाधान नहीं निकला। महान्यायवादी ने 9.4.97 को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दर्ज की और बयान दिया जिसे, मैं उद्धृत कर रहा हूं:

"योजना को अगले आठ हफ्तों के भीतर सम्बद्ध राज्य को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा जाएगा और उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा इसे अंतिम रूप देकर विधि अनुसार संसद के समक्ष रखा जाएगा।"

*कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

लेकिन 15 माह बाद भी केन्द्र सरकार ने न्यायाधिकरण के अंतरिम फैसले के कार्यान्वयन हेतु योजना को राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया है और जब भी उच्चतम न्यायालय में मामला आया केन्द्र सरकार कम से कम आठ बार स्थगन कराने में सफल हो गई। अब मामले पर सुनवाई 21.07.98 को होने वाली है।

योजना में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए कावेरी नदी प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। योजना में महत्वपूर्ण निधारण इस प्रकार हैं;

(क) कर्नाटक के जलशयों से तमिलनाडु के मेतूर जलाशयों को माहवार और हफ्तावार 205 टीएमसी जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना;

(ख) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए 6 टीएमसी जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना; और

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कर्नाटक राज्य अपने 11.2 लाख एकड़ कावेरी नदी जल सिंचित वर्तमान क्षेत्र को न बढ़ाए।

अपराह्न 1.00 बजे

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकारण के अंतरिम फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु योजना को राजपत्र में अधिसूचित करे और अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 के 6 क के उप खण्ड 7 के अनुसार उसे अविलम्ब इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य काल' है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री टी.आर. बालू : महोदय समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कोई और बैठक बुलाने हेतु कर्नाटक के मुख्यमंत्री की दलील से प्रभावित न हो क्योंकि ये 35 से भी अधिक बार असफल हुई है और दुबारा भी व्यर्थ ही होगी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शमिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही नोट कर लिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री जी ने पहले ही नोट कर लिया है।

श्री आर० मुथैया (पेरियाकुलम) : महोदय, तटीय अधिकार अर्थहीन बनते जा रहे हैं। कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के लागू न होने के कारण वर्ष दर वर्ष कावेरी के तटीय क्षेत्रों को बहुत कठिनाइयां हो रही हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इसी तरह से व्यवहार करते रहे तो मैं 'शून्य काल' समाप्त कर दूँगा। कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य इस तरह व्यवहार करते हैं तो मैं अगले दिन से 'शून्य काल' समाप्त कर दूंगा।

श्री आर० मुथैया : अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ये सरकार कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेशों को लागू करे। अपने राष्ट्रीय एजेन्डा के अनुसार भी सरकार आदेश लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके राष्ट्रीय एजेन्डा में अंतर्राष्यिक जल विवादों को समयबद्ध तरीके से हल करने का आश्वासन दिया गया है। किन्तु कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 1991 में ही अपना अंतरिम आदेश दे दिया था *(व्यवधान)*

श्री वैको : वे इसका विरोध नहीं कर सकते। मामले को उठाना हमारा अधिकार है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुनियप्पा, मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री आर० मुथैया : इसे केन्द्र सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी इसका समर्थन किया है। अतएव मैं जोर देकर यह कहता हूं कि न्यायाधिकरण के आदेशों को अविलम्ब लागू करना इस सरकार का न्यायोचित कर्त्तव्य है इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 256 को लागू करते हुए कर्नाटक सरकार को अंतरिम आदेशों को अविलम्ब लागू करने का आदेश दे। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि यह सरकार भी आदेशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं है। ये न्यायालय में एक और सुनवाई का आग्रह करने वाली है *(व्यवधान)*

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर) : आप कैसे जानते हैं ? वे कैसे जानते हैं ? *(व्यवधान)*

श्री आर० मुथैया : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। वही मैंने कहा है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई इस महीने को 21 तारीख की है। उससे लगता है यह सरकार भी एक और सुनवाई का आग्रह करने वाली है। पूर्व सरकार ने मई, 1997 में कावेरी नदी घाटी प्राधिकरण योजना बनाई थी। लेकिन कर्नाटक के प्रभाववश और प्रधान मंत्री के उस राज्य से होने के कारण उन्होंने इसे उस अवधि तक अधिसूचित नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप वक्तव्य नहीं पढ़ सकते। कृपया समाप्त करें।

श्री आर० मुथैया: मेरे मित्र श्री बालू इस पर बोल चुके हैं। सौभाग्य से उन दिनों मेरे मित्र और अन्य लोग भी मंत्रिमंडल में थे। वे मंत्री थे। उन दिनों वे सिर्फ अकेले मंत्री नहीं थे बल्कि तमिलनाडु के नौ सदस्य मंत्री थे। ये सभी मंत्री द्रमुक और टीएमसी के थे। परन्तु उन दिनों इस मामले में उनकी रुचि नहीं थी और उन लोगों ने तमिलनाडु के साथ धोखा किया है अतएव मैं अन्नाद्रमुक की ओर से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इस योजना को राजपत्र में प्रकाशित कराये और आगे स्थगन की मांग किए बिना ही इसे 21 तारीख को उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखे। *(व्यवधान)*

श्री आर०एस० जालप्पा : आप इस मुद्दे को कैसे सुलझाएंगे? *(व्यवधान)*

श्री आर० मुथैया : इस मामले को उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए। सरकार अनुच्छेद 256 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए कर्नाटक सरकार को अंतरिम आदेश कार्यान्वित करने का निदेश दे।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर०एस० जालप्पा इसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी मैंने श्री जालप्पा को बोलने की अनुमति दी है।

श्री आर०एस० जालप्पा : तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं। आज तक हम भाईयों की तरह रहते आए हैं। हम इस मामले को भी सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहते हैं। अब यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और उक्त मामले पर इस माह की 21 तारीख को सुनवाई होने वाली है। मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य श्री मुथैया किस आधार पर यह कह रहे हैं कि भारत सरकार स्थगनादेश प्राप्त करने वाली है। मैं यह नहीं जानता कि उनको यह बात किसने कही है। *(व्यवधान)*

जो कुछ भी हो, चूंकि यह मामला उच्चत न्यायालय के विचाराधीन है, हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते। अब यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन हैं। उनके द्वारा कही गई बातें कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं की जानी चाहिए। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरकार ने पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने के बारे में वक्तव्य देने का वादा किया था। वहां आंदोलन चल रहा है। अत वह समय आ गया है जब भारत सरकार को आलस्य छोड़कर पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने के बारे में आगे बढ़कर वक्तव्य देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि द्रमुक सरकार इस मुद्दे पर चुप रही है परन्तु हम पांडिचेरी की जनता के हितों की इस तरह बलि चढ़ते नहीं देख सकते।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, पाण्डिचेरी को स्टेटहुड देने के बारे में अन्ना डी.एम.के. के मित्र मिलने आए थे तो उनको भी मैंने कहा, बालू जी मिलने आए थे तो उनको भी मैंने कहा और यहां भी कहना चाहता हूं कि जिस समय अन्य दलों के साथ राज्यों के क्रियेशन पर हमारी बातचीत हो रही थी, उस समय होम मिनिस्टर आडवाणी जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जब मिलेगा, उसके साथ-साथ पाण्डिचेरी को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसमें कोई शक ही नहीं है इसलिए उसके बारे में बार-बार कहने की जरूरत नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप भूल न जाएं इसलिए बताया। क्योंकि आप तो अन्य मामलों में, षड्यंत्रों में बहुत व्यस्त हैं। *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : इस सरकार का कमिटमेंट है कि पूर्ण राज्य का दर्जा पाण्डिचेरी को देंगे, यह घोषणा मैं यहां करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी०आर० बालू : महोदय आप बहुत महान हैं।

श्री नृपेन गोस्वामी (नौगांव) : मैं भारत सरकार का ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से असम की जनता को सड़ा हुआ चावल उपलब्ध कराये जाने के बारे में आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों ने असम राज्य दो रैक सड़ा हुआ चावल भेजा है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने इन रैकों से चावल उतारने से इनकार कर दिया है। अतएव यह पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति उपेक्षा का स्पष्ट मामला है। भारत सरकार को यह बात जान लेनी चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग हालांकि एक अन्य दृष्टिकोण से उपेक्षित हैं तथापि वे खाने के लायक न होने वाले खाद्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करते हैं।

वास्तव में यह बहुत दुख की बात है कि खाद्य विभाग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। मैं खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध करवाए चावल का नमूना अपने साथ लाया हूं। मैं इस माननीय सभा को सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को भेजे गए चावल का एक नमूना दिखाना चाहता हूं। असम के समाचार पत्रों ने यह समाचार प्रकाशित किया है कि खाद्य और उपभोक्ता मामलों के माननीय मंत्री के कहने पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों के लिए इस तरह का चावल भेजा गया है। मैं समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्य अंग्रेजी समाचार पत्रों के मुख्य शीर्षक पढ़कर सुनाता हूं जो कि इस प्रकार हैं रॉटटन राइस फ्रोम एफ.सी.आई एट बरनालास प्रोड़िंग "(बरनाला के कहने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया चावल भेजा गया)" यह शीर्षक 'असम ट्रिब्यून' में प्रकाशित किया गया है। इस प्रकार के शीर्षक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। *(व्यवधान)* भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की समग्र जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गोस्वामी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नृपेन गोस्वामी : इस प्रकार के चावल को भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए और इस संबंध में जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। इस मामले में माननीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गोस्वामी जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से लाखों लोग गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार और ब्रजघाट जाया करते हैं। आज से लगभग तीन साल पहले वजीराबाद पुल के पास नदी के किनारे करीब सात करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई थी जिसमें यह तय हुआ था कि हम हरिद्वार की भांति यहां सूरघाट बनायेंगे। लगभग तीन साल पूरे होने के बाद भी अभी तक उसकी बाउंड्री तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना कब तक पूरी होगी, जिससे कि यहां की श्रद्धालु जनता को स्नान करने का लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

केरल राज्य में रेलगाड़ियों के यातायात के संबंध में रेलमंत्री द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। दक्षिण रेलवे मद्रास के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी द्वारा हाल ही में जारी किए गए परिपत्र के कारण रेल लाइनों के नजदीक यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस परिपत्र में सड़कों पर ताला रहित फाटक को बंद रखने और रेल मंत्रालय की ओर से विशेष स्वीकृति प्राप्त फाटकों को ही खोलने का निदेश दिया गया है। यह फाटक स्टेशन मास्टर द्वारा सड़क यातायात के लिए आवश्यक समझे जाने पर ही खोले जाएं। इस आदेश के परिणामस्वरूप रेलवे फाटक पर प्रतीक्षा करने वाले वाहनों को पैंतालिस से पचास मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतएव इसके कारण केरल राज्य में अत्यधिक असुविधा उत्पन्न हो रही है और अब लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से सुरक्षा संबंधी परिपत्र और आदेश की समीक्षा करने तथा पूर्व स्थिति बहाल करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक महीने पहले 8 और 9 जून को गुजरात में सौराष्ट्र के जिलों—जूनागढ़, पोरबन्दर, जामनगर, राजकोट और कच्छ, में विनाशकारी चक्रवाती तूफान आया था। उसका जो प्राथमिक सर्वेक्षण हुआ, उसमें बताया गया कि 1200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं, क्योंकि जब यह चक्रवात आया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ प्रैस रिपोर्टर्स भी वहां गए थे। एक एक्सपर्ट कमेटी भी गई थी। उन्होंने भी सर्वेक्षण करके बताया कि वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गुजरात सरकार की मांग है कि 500 करोड़ रुपये की सहायता उनको दी जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि नैशनल कैलेमिटी फंड से 500 करोड़ रुपये का गुजरात सरकार को प्रावधान किया जाए जिससे जो लोग उस चक्रवात से प्रभावित हुए हैं, उनको जल्द से जल्द सहायता दी जा सके।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि लगातार तीन दिन तक सूचना देने के बाद आज मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चैल, इलाहाबाद, कौसाम्बी, फतहपुर उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। हम वर्षों से मांग कर रहे हैं कि वहां पर बाई-पास की सुविधा हो, अतिक्रमण हटाया जाए और गंगा-यमुना दोनों पर ब्रिजेस बनाकर हाईवे ट्रैफिक उस पर डायवर्ट किया जाए ताकि पूरे इलाहाबाद, कौसाम्बी, फतहपुर जनपदों को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्ति मिले, पर्यावरण शुद्ध रहे और शहर का सौन्दर्यीकरण बना रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे राज्य में अतिरेक पानी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे माननीय सहयोगी यहां पानी की सप्लाई के लिए झगड़ रहे हैं लेकिन मेरी समस्या फालतू पानी से संबंधित है। मैं सरकार का ध्यान असम में बाढ़ की विनाशकारी स्थिति की ओर आकर्षित करता चाहता हूं। लगभग आधा असम इस समय बाढ़ की चपेट में है। धेमाजी, नालबारी, धुबरी, गोलपाड़ा, सोनितपुर, दारांग और कछार जिलों की स्थिति बहुत गंभीर और नाजुक है। हजारों गांव पानी में डूब चुके

हैं तथा बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। उनमें से अधिकांश ऊंची जगहों पर खुले आसमान के नीचे आश्रय ले रहे हैं। इनमें से कुछेक जिलों में बेसहारा लोगों को बचाने के लिए सिविल प्रशासन ने सेना की मदद ली है। हाल की बाढ़ में अनेक सड़कें बह गई हैं जिससे सड़क सम्पर्क टूट गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्से भी बाढ़ से घिरे हैं। कई पुश्तों और नहरों में दरारें पड़ गई हैं और बारिश के पानी से बहुत बड़े क्षेत्र में लहलहाती फसलें नष्ट हो गई हैं। असम की राज्य सरकार इन अभागे बाढ़-प्रभावित लोगों को समय पर राहत प्रदान करने में पूरी तरह से असफल रही है। सड़क और रेल सम्पर्क अस्त-व्यस्त हो जाने से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं दुर्लभ हो गई हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति का जायजा लेने को शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल भेजे तथा असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए केन्द्रीय सहायता और आवश्यक वस्तुएं तुरन्त उपलब्ध कराए।

मैं, आपके माध्यम से, सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह असम में बाढ़ की स्थिति तथा लोगों को इन बार-बार आने वाली आपदाओं से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक वक्तव्य दे।

अत: मैं सरकार से स्थिति का जायजा लेने और सदन में तत्संबंधी वक्तव्य देने का भी अनुरोध करता हूं।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, श्री घाटोवार ने बाढ़ का मुद्दा उठाया है। जैसाकि उन्होंने कहा है, पूरा असम बाढ़ की चपेट में है। जिन क्षेत्रों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है कई जगह पर पुश्तों में दरारें पड़ गई हैं। सरकार पहले ही उन पुश्तों की मरम्मत करने की योजनाएं प्रस्तुत कर चुकी है। आश्चर्यजनक रूप से, बेसहारा लोग पुश्तों तथा अन्य ऊंची जगहों पर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं लेकिन उन्हें राहत के रूप में एक औंस भी चावल नहीं दिया जा रहा है। उनमें से अधिकांश भूखों मर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार को निदेश दे।

बाढ़ के बाद महामारी की बारी आएगी। अत: मैं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध करता हूं कि वह बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाए और पुश्तों की मरम्मत करने के लिए फौरन धन मंजूर करे।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, मैं आपका तथा इस महान सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनावों के समय फोटो परिचय-पत्र लागू करने का निर्णय किया था। लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि जिस उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने इसे लागू किया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और जितनी इसकी प्रशंसा देश के शांति प्रिय लोगों द्वारा की गई थी उनती सफलता इसे नहीं मिली। जितना पैसा इस पर खर्च किया गया था, वह सब बेकार गया है। आम चुनावों के समय फोटो परिचय-पत्र को अनिवार्य बनाना होगा।

इस संबंध में सभी दलों की राय लेनी होगी क्योंकि इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लोग यह जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। कि यह महान सभा आम चुनावों के समय फोटो परिचय-पत्र लागू करने के संबंध में क्या निर्णय लेने जा रही है।

हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के हाथों में संसदीय लोकतंत्र निम्नतम धरातल तक पहुंच गया है। जिस तरह से वे चुनाव करवा रहे हैं और नकली मतदाता सूचियों को देखते हुए वहां संसदीय लोकतंत्र पूरी तरह से ढोंग बन चुका है। यह कम्युनिस्ट पार्टी केवल एक पार्टी के शासन में विश्वास करती है। इसलिए केवल यह फोटो परिचय-पत्र ही देश के संसदीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों की रक्षा कर सकता है। इसलिए, महोदय, फोटो परिचय-पत्र प्रणाली को अधिदेशात्मक बनाना होगा।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विगत पांच और छह जुलाई को कानपुर महानगर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक महानगर है, वहां इतनी भीषण मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे पूरे महानगर में पानी भर गया है। वहां की बस्तियां जैसे आवास विकास कालोनी, बर्रा, सर्वोदय नगर, काकादेव आदि सम्पूर्ण मौहल्लों में पानी भर गया है, बाजारों में पानी भर गया है, उससे दुकानदारों का जो माल रखा था, वह सब नष्ट हो गया है। वहां के तीन हजार परिवारों के घरों में इस समय एक फुट से पांच फुट तक पानी भरा हुआ है। वे अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। वहां की सारी स्थितियां बिल्कुल अस्त-व्यस्त हैं, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को 50 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करें, जिससे कानपुर महानगर में जो भीषण मूसलाधार वर्षा से जल-प्लावन हुआ है, उससे वहां के नागरिकों को राहत दी जा सके। धन्यवाद।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस बेरोजगारी की समस्या के बारे में दिया है, लेकिन आप दूसरा मामला उठा रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री जोगेन्द्र कवाड़े (चिमूर) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप यह मामला नहीं उठा सकते। आपको वही मामला उठाना होगा जिसका उल्लेख आपने अपने नोटिस में किया है।

[हिन्दी]

प्रो० जोगेन्द्र कवाड़े : ठीक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे नोट कीजिए, न कि उसे।

[हिन्दी]

प्रो० जोगेन्द्र कवाड़े : जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस मुद्दे पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत बेरोजगारों के लिए योजना बनाई है। अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश से बेरोजगारी नहीं हट रही है। हम इस सरकार से यह अपेक्षा करते हैं, यह अपील करते

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो० जोगेन्द्र कवाडे]

हैं कि जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिन्होंने एम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करा रखा है, लेकिन जिनको पांच साल होने के बाद भी एम्पलायमेंट एक्सचेंज से भी काल नहीं मिली हैं, ऐसे बेरोजगारों को सरकार को हर महीने कम से कम 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, अनएम्पलायमेंट एलाउंस देना चाहिए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं। मैं यह योजना जल्द से जल्द लागू करने की अपील करता हूं।

देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए बहुत सारी जो योजनाएं बन रही हैं, ये योजनाएं ठीक से लागू नहीं की जातीं। बैंक और दूसरी एजेंसियां भी ईमानदारी के साथ इन योजनाओं को लागू नहीं करतीं। बैंक के जरिये जिस प्रकार से स्वरोजगार के लिए हमारे बेरोजगारों को लोन दिया जाता है, उसमें भी उनको उचित सहयोग और सहायता नहीं दिया जाता, इसीलिए बेरोजगारों को कम से कम 1500 रुपया हर महीने का बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, यह हमारी मांग है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मार्ग हरिद्वार-ऋषिकेश-श्रीनगर गढ़वाल-बद्रीनाथ को राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाइवे बनाने की ओर आकृष्ट कर रहा हूं। यह महत्वपूर्ण सड़क है, आज बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका रखरखाव होता है। रक्षा के दृष्टिकोण से इस सड़क का महत्व है, इसलिए इसको बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन को दिया गया है।

लेकिन इसके अलावा इस मार्ग के ऊपर पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, विश्व से भी लाखों की संख्या में हर साल यात्री जाते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां सिर्फ धार्मिक पर्यटक, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब जो कि सिखों का धार्मिक स्थल है, ही नहीं आते, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी लोग यहां आते हैं। यहां पर एडवैंचर्स टूरिज्म, पर्वतारोहण और दुनिया के सबसे बढ़िया ट्रैकिंग मार्ग हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ के लिए हालिडे इन भी काफी हैं, जहां दुनियाभर से लोग आते हैं। यह सड़क बोर्डर रोड के तहत है। राष्ट्रीय मार्ग को जो सुविधाएं मिलती हैं, वह इसको नहीं मिल रही हैं। यहां भूतपूर्व सैनिक भी रहते हैं जो इस सड़क का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत सुंदर है। यहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने के लिए 1951 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया प्रपोजल यहां पड़ा है। मैं केन्द्रीय सरकार से और भूतल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी यह निर्णय लें और इस मार्ग को हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक नेशनल हाइवे बनाएं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मैं भी अपने को इसमें शामिल करता हूं। इसको लखनऊ तक कर देना चाहिए, क्योंकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। यह नेशनल हाइवे है। इसको नेशनल हाइवे नम्बर 24 से जोड़ा जाना चाहिए।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, रामचरित मानस को लिखकर युगों-युगों तक दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले महाकवि और संत गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर, जनपद छत्रपति साहू जी महाराज नगर, उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। वहां पर एक पुल की महती आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और उसके प्रधान मंत्री श्रद्धेय अटल जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस महान संत की स्मृति में यमुना नदी पर एक सेतु का निर्माण कराया जाए और उसका नाम तुलसी सेतु रखा जाए। इस सेतु के बनने से फतेहपुर, रायबरेली, कौसाम्बी और इलाहाबाद जनपद का चित्रकूट से, जो एक पवित्र धार्मिक और पर्यटक स्थल है, बुंदेलखंड से सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाएगा। इस कारण वहां का विकास भी होगा और लाखों बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए राजापुर पर यमुना नदी के किनारे तुलसी सेतु का निर्णय कराया जाए।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ आर्डर मैं शुरू से उठाना चाहता था। तीन महीने हो गए हैं, लेकिन हमें अभी क्वार्टर नहीं मिला। सीटों का डिवीजन नम्बर भी अलाट नहीं हुआ कि कौन सदस्य कहां बैठेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पी०आर० किन्डिया को बोलने की अनुमति दी है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० किन्डिया (शिलांग) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गत चार माह के दौरान पूर्वोत्तर की जनता में अलगाव उत्पन्न करने के लिए साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा अभूतपूर्व गतिविधियां आरम्भ की गईं और इसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक तनाव और कटुता उत्पन्न हो गई है। वे पूर्वोत्तर के ईसाई समुदाय और विशेष रूप से नागालैंड, मिजोरम और मेघालय राज्यों में ईसाई आदिवासी लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं।

महोदय, दिनांक 9 जुलाई, 1998 के 'द एशियन एज' में प्रकाशित समाचार मेरे वक्तव्य की पुष्टि करता है। इस समाचार में विश्व हिन्दू परिषद के संयोजक सचिव का श्री अरविन्द भट्टाचार्य का बयान प्रकाशित हुआ हैं। उन्होंने कहा कि :

> "हम पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दू मिशनरियों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं ताकि वे आदिवासी हिन्दुओं को ईसाई बनने के लिए बाध्य करने वाली ईसाई मिशनरियों के अभियान का मुकाबला कर सकें।"

महोदय, यह तो एक साम्प्रदायिक मुद्दा है। मेरा प्रश्न यह है कि हम किसी भी संगठन को धर्म के आधार पर समुदाय अथवा समाज को बांटने की अनुमति नहीं दे सकते। अब वे पूर्वोत्तर में विशेषकर नागालैंड, मिजोरम और मेघालय राज्यों में ईसाईयों को अपना निशाना बना रहे हैं।

यह घटना भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ही हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ ईसाई मिशनरियां उग्रवाद को उकसा रही हैं। ईसाई मिशनरियों के बारे में ये गंभीर आरोप हैं। मेरा यह कहना है कि हम एक धर्म निरपेक्ष समुदाय में रह रहे हैं। हम किसी भी संगठन को धर्म के आधार पर लड़ने नहीं दे सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द की भावना है। जातीय झड़पें हुई होंगी परन्तु विगत में कभी-भी पूर्वोत्तर समाज धर्म के आधार पर नहीं बंटा।

'एशियन एज' समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि केन्द्र में भा०ज०पा० के नेतृत्व में सरकार का गठन होने के बाद विश्व हिन्दू परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो नियंत्रण केन्द्र स्थापित करके इस क्षेत्र में अपने संगठनात्मक आधार को सुदृढ़ किया है। यह अत्यधिक गम्भीर मामला है मैं भारत सरकार से इस मुद्दे पर गौर करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सतनाम सिंह कैंथ (फिल्लौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन और सरकार का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। इस समस्या से लाखों लोगों के हित जुड़े हुए हैं। सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि यह क्षेत्र पत्थरों से भरा हुआ था। पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने पहाड़ियों को काट कर और अपने खून-पसीने से सींच कर इस क्षेत्र को हरा-भरा बनाया है, तब जाकर वह क्षेत्र फसल के लायक बना। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उधमसिंह नगर का कोई भी क्षेत्र उत्तराखण्ड में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में ही रहने दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.36 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.36 बजे पुनः समवेत हुई

[अनुवाद]

[**श्री वी० सत्यमूर्ति** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा है कि संचार मंत्री दो बजे आकर अपना वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति जी, यह कोई तरीका नहीं है। जब तीन बजे का समय इसके लिए निर्धारित हो गया है तो फिर क्यों ये बार-बार खड़े हो जाते हैं। हमें और भी काम हैं, ये पता नहीं क्यों समय बर्बाद करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा है कि संचार मंत्री दो बजे अपना वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : स्पीकर साहब ने तीन बजे का समय निर्धारित किया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय मंत्री 3 बजे क्यों आएंगे?

सभापति महोदय : माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने यह कहा है कि संचार मंत्री आएंगे और तीन बजे अपना वक्तव्य देंगे।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने माननीय अध्यक्ष को पहले ही सूचित कर दिया है कि संचार मंत्री 3 बजे आयेंगे।

श्री पी०सी० चाको (इदुक्की) : माननीय मंत्री 3 बजे क्यों आयेंगे?

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : चाको जी, जब तीन बजे का समय इसके लिए निर्धारित हो गया है तो आपको बार-बार यह सवाल नहीं उठाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों को यह सूचित करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष संचार मंत्री को सभा में आने का सन्देश भेज चुके हैं और वे लगभग 3 बजे अपराह्न को अपना वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 2.38 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) इंजीनियरिंग कालेजों को स्वायत्तता दिए जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय की पुनःसमीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : मध्य प्रदेश के समस्त इंजिनियरिंग कालेज व पालिटैक्निक कालेज के स्वायत्तशासी बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश शासन ने कर दी है। इस घोषणा के फलस्वरूप प्रदेश के समस्त इंजीनियरिंग व पालिटैक्निक कालेज के छात्रों व प्राध्यापकों के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

स्वायत्तशासी बनाने से छात्रों को पचास हजार से एक लाख रुपया सालाना फीस देनी पड़ेगी, जो मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्य के किसानों-मजदूरों व आम नागरिकों के गरीब छात्रों के लिए असंभव है। यह एक प्रकार से तकनीकी शिक्षा को पूंजीपतियों के हाथों बेचना है।

मध्य प्रदेश शासन की इस घोषणा से इंजीनियरिंग शिक्षा जगत में हड़कम्प व्याप्त है। प्रायः प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कालेजों में इसके विरोध में धरने जारी हैं। प्रदर्शन व आंदोलन कर मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपे गये हैं।

भारत सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर हस्तक्षेप कर मध्य प्रदेश सरकार से इंजीनियरिंग शिक्षा को पूर्णतः चलाने के लिए कहें।

(दो) बरेली होते हुए दिल्ली और लखनऊ के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, दिल्ली-लखनऊ के मध्य में मुरादाबाद व बरेली जनपद बहुत बड़े एक्सपोर्ट सैंटर हैं। पीतल के एक्सपोर्ट के लिए मुरादाबाद एवं काष्ट, जरी, जरदोजी, पतंग, मांजा, सुरमा और केन के लिए बरेली प्रसिद्ध हैं। यहां से करोड़ों रुपए का माल विदेशों को जाता है। विदेशी यात्रियों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। यहां हवाई अड्डा भी नहीं है और बरेली में अच्छे होटल भी नहीं हैं। इसलिए विदेशी यात्रियों, व्यापारियों के लिए प्रातः काल दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ वाया बरेली जाने के लिए तेज गति वाली शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली-लखनऊ वाया बरेली का चलाया जाना नितान्त आवश्यक है जिससे वे सायंकाल उक्त रेल गाड़ी से दिल्ली वापस आ सकें। शताब्दी रेल गाड़ी के प्रारम्भ किए जाने से रेलवे को राजस्व की प्राप्ति होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों, व्यापारियों को आवागमन की सुलभ सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि दिल्ली-लखनऊ वाया बरेली के लिए एक शताब्दी एक्सप्रेस शीघ्र चलाने हेतु ठोस एवं कारगर कदम उठाने का कष्ट करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश में उन्नाव और कानपुर के बीच गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव (उत्तर प्रदेश) तथा कानपुर के बीच गंगा नदी पर वर्षों पुराना पुल बना हुआ है। इसकी चौड़ाई कम होने के कारण दोनों ओर से आने जाने वाले हजारों लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। स्कूल छात्र, नौकरी पर जाने वाले लोग, इंटरव्यू देने जाने वाले लोग, गम्भीर रूप से घायल एवं गम्भीर बीमार रोगी इसमें फंस जाते हैं। रोगियों का समय पर उपचार नहीं होने के कारण जान भी चली जाती है इसी प्रकार छात्र परीक्षा केन्द्र में समय पर नहीं पहुंच पाते। इससे उनका एक साल बेकार हो जाता हैं। इंटरव्यू के लिए जाने वाले लोग नौकरी से वंचित हो जाते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उन्नाव और कानपुर के बीच गंगा नदी पर नया पुल बनाने के लिए शीघ्र स्वीकृति दी जाए जिससे हजारों लोगों को लाभ हो सके।

[अनुवाद]

(चार) कोलार जिले में सभी तालाबों से गाद निकालने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री के०एच० मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, कोलार जिला सूखा प्रवण क्षेत्र है। इस वर्ष भी वहां पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। भू-जल स्तर 600 फीट से नीचे चला गया है। इसके अलावा उपलब्ध जल में फ्लोराइड मिश्रित है जिसके कारण हड्डी का कैंसर, दांत की खराबी और अन्य बीमारियां होती हैं। वहां न तो नदी है और न ही कोई बांध है। चूंकि पूरे जिले में सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसानों को कई अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मेरे पूरे जिले में लगभग चार हज़ार तालाब हैं। परन्तु दुर्भाग्य से सभी तालाब सूखे पड़े हैं। पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। यहां के लोगों, विशेषकर गांवों और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए पेय जल की कमी भी एक प्रमुख समस्या बन गई है। कोलार, चित्रदुर्ग, टुमकुर, बंगलौर जैसे प्रभावित जिलों और कर्नाटक के ऐसे अन्य प्रभावित जिलों का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल कर्नाटक भेजा जाए। कोलार जिले में सभी तालाबों से गाद निकालने के मुद्दे कई बार केन्द्र के समक्ष उठा चुका हूं। इसके लिए वित्तीय सहायता विश्व बैंक और अन्य संगठनों से प्राप्त की जा सकती है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से कर्नाटक में विशेषकर कोलार जिले में सभी तालाबों से गाद निकालने के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि मेरे जिले के किसानों को परेशानी से बचाया जा सके।

(पांच) उड़ीसा के गजपति जिले में बैझाल नाला लघु सिंचाई परियोजना को वन संबंधी स्वीकृति शीघ्र दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयंती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदय, उड़ीसा में चलाई जाने वाली कई प्रस्तावित परियोजनाएं वन संबंधी स्वीकृति के लिए काफी लम्बे समय से लंबित पड़ी हैं। बैझाल नाला लघु सिंचाई परियोजना उनमें से एक है। यह परियोजना मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गजपति जिले में स्थित है। यह परियोजना पूरी हो जाने के बाद 810 हेक्टेयर में खरीफ की फसल और 618 हेक्टेयर में हल्की रबी की फसल की सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना के अंतर्गत 34.05 वर्ग किलोमीटर जल संग्रहण क्षेत्र होगा। प्रस्तावित परियोजना के आसपास के गांव वर्षा के जल पर निर्भर रहते हैं। और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है जहां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस परियोजना से इस क्षेत्र के स्थानीय लोगो को रोजगार प्राप्त होगा और वे वहां पर एक से अधिक फसल पैदा कर सकेंगे।

अतः मैं केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे बैझाल नाला लघु सिंचाई परियोजना को वन संबंधी स्वीकृति शीघ्र प्रदान करें ताकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसे क्रियान्वित किया जा सके।

(छह) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 1998-99 के लिए तत्काल धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, चूंकि कुछ जिलों के कलेक्टरों ने भारत सरकार को पूर्व वर्षों की व्यय संबंधी रिपोर्ट नहीं भेजी हैं इसलिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के लिए अबतक कुछ निर्वाचन क्षेत्रों हेतु धनराशि को जारी नहीं की गई है। इससे काफी असुविधा हो रही है। धनराशि को जारी करने के मामले में किया गया कोई विलम्ब विकास संबंधी कार्यों के आड़े आएगा और अन्ततः मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों के लिए व्यय संबंधी आंकड़ों को उपयुक्त रूप से संकलित करने में कठिनाई होगी।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस वित्तीय वर्ष के लिए तत्काल धनराशि जारी करे और बाद में कलक्टरों से रिपोर्ट मंगा ले।

(सात) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी के आधुनिकीकरण का उत्तरदायित्व भारतीय इस्पात प्राधिकरण को सौंपे जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (इस्को), बर्नपुर, पश्चिम बंगाल का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है।

वर्ष 1993 में, इस्को का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन इस संबंध में अब तक कोई भी कार्यवाई नहीं की गई है। पश्चिम बगांल के लोग इस्को का आधुनिकीकरण करने के बारे में सरकार के वर्तमान निर्णय को जानने के बारे में बहुत ही इच्छुक हैं। यह ज्ञात हुआ है कि कुछ विदेशी निवेशक भी इस परियोजना को अपने हाथ में लेने के बारे में रुचि ले रहे हैं। लेकिन हम यह मांग करते हैं कि भारत सरकार को हमारे देश के सुप्रतिष्ठित संगठन यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण को प्राथमिक परियोजना के रूप में यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।

(आठ) बांद्रा (पश्चिम रेलवे) और कुर्ला (मध्य रेलवे) के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बांद्रा रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। कुछ वर्ष पूर्व, बांद्रा रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) और कुरला रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इस संबंध में अपेक्षित तकनीकी और सम्भाव्यता संबंधी सर्वेक्षण भी किए गए थे और बजट संबंधी प्राक्कलन तैयार किए गए थे।

चूंकि प्रस्तावित रेल मार्ग एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कई झुग्गी झोंपड़ियां और पक्के भवन हैं, इसलिए रेलवे बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक वैकल्पिक रेल मार्ग का नक्शा तैयार करने के लिए बातचीत की गई। एक नए रेल मार्ग के बारे में सैद्धान्तिक रूप से पहले ही अनुमति दी जा चुकी है और मुम्बई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि जो रेलयात्री दादर जंक्शन होते हुए बांद्रा और कुरला के बीच यात्रा करते हैं, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में, उन्हें अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए दादर के एक सेक्शन पर रेलगाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है और दादर में ही दूसरे सेक्शन पर दूसरी गाड़ी पकड़नी होती है। यह बहुत ही कष्टदायक और जोखिमभरा है। रेलयात्रियों की समस्याओं के लिए एकमात्र हल बांद्रा और कुरला के बीच सीधे रेल मार्ग का निर्माण ही है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं अनुरोध करता हूं कि बांद्रा और कुरला के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन जिसके बारे में रेलवे बोर्ड और मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बीच पहली ही सहमति हो गई है, का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण किया जाए।

[हिन्दी]

(नौ) मुम्बई में नई जल निकास प्रणाली के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, मुम्बई शहर में बड़ी बारिश होने के बाद पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। हर एक रास्ते में पानी भर जाने से पूरा ट्रैफिक बंद हो जाता है। लेकिन ट्रेन बंद होने से लाखों लोगों को रात को घर पहुंचना कठिन हो जाता है। इसमें कुछ लोगों की जानें भी जाती हैं। एक करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले इस शहर में हर साल इस समस्या का सामना करना पड़ता है। ड्रेनेज सिस्टम का जब तक नवीनीकरण नहीं करते है। तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। मुम्बई शहर अपने भारत देश की आर्थिक राजधानी है। बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में भारत सरकार को मिलता है। लेकिन मुम्बई के विकास के लिये भारत सरकार की मदद नहीं मिलती है। यह समस्या हल करने के लिये भारत सरकार से मांग करते हैं कि 200 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की जाये।

अपराह्न 2.51 बजे

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगें (सामान्य)-1998-99*

कृषि मंत्रालय

सभापति महोदय : अब सभा कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 4 पर चर्चा और मतदान करेगी जिसके लिए पांच घंटे का समय आवंटित किया गया है।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्यायें लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा-पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 4 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1998-99 के लिए कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	26 मार्च 1998 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
	कृषि मंत्रालय				
1	कृषि	1201,26,00,000	6,38,00,000	3209,72,00,000	13,49,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	39,43,00,000	80,56,00,000	135,81,00,000	194,22,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	297,06,00,000	—	709,13,00,000	—
4.	पशु पालन और डेयरी कार्य विभाग	125,33,00,000	20,30,00,000	343,67,00,000	37,59,00,000

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र की अनिवार्यता, प्राथमिकता और परिता की रणनीति सामान्य स्थिति से हटकर है। यह अपने आप में एक विषय है जिस पर हमें गहरा चिन्तन करना होगा। परमाणु बम के परीक्षण से देश के सामने नयी चुनौतियां आई हैं और नयी चुनौतियों का सामना करना हम सबका धर्म है, फर्ज़ है और उसके लिए हम कटिबद्ध भी हैं। लेकिन सारी बातों को समझने के पश्चात् अपनी रणनीति बेहतर करने के लिए हमें सोचना होगा कि कौन से क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है और कहां हम ज्यादा ध्यान देकर उस क्षेत्र में पक्का काम करें।

मैं इस विवाद में नहीं जाता कि हमें यह काम करना चाहिए था या नहीं। वह बात हम छोड़ देते हैं। सवाल इस बात का है कि जो नयी स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं, क्योंकि कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसके कमजोर होने से देश कमजोर होता है और पेट का मसला सबसे बड़ा मसला है। संत कबीर कह गए हैं-

"न कुछ देखा नेम धर्म में, न कुछ देखा पोथी में।
कह कबीर सुनो भई साधो, जो कुछ देखा रोटी में।"

रोटी का मसला पहले है और 'भूखे भजन न होय गोपाला भी कहा गया है। सीधी बात यह है कि पेट कैसे भरे और किस प्रकार काम चले, इस बात पर हमें सोचना है। कृषि का विकास इस दृष्टि से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है कि हम किस प्रकार से अपना काम करते हैं और क्या हमारा दृष्टिकोण सही दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए मैं थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं।

मैं जानता हूं कि सोमपाल जी ने अभी मंत्रालय का भार संभाला है। इसलिए मैं उन पर दोषारोपण करने की स्थिति में नहीं हूं और न ही करना चाहता हूं। मैं सामान्य दृष्टि से देखना चाहता हूं कि हम किस प्रकार मिलकर देश के उत्थान में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। उस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने जिस धनराशि का आंवटन देश के लिए किया है, उसमें लिखा है कि हमने 58 प्रतिशत ज्यादा दिया है तो अच्छी बात है। ज्यादा देना ही आवश्यक था, लेकिन इस बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या की इस भयावह स्थिति का सामना हम कैसे करें जिससे आदमियों का दबाव बढ़ गया है, क्या उसमें हम यह काम कर पाएंगे? इसके लिए मैं कहना चाहता था कि यह किस प्रकार का मसला है जो हम हल करना चाहते हैं और क्या हम इसको पूरा कर सकेंगे।

कृषि की महत्ता तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ उसका आवंटन भी महत्वपूर्ण है। आज जो आंकड़े मेरे सामने उपस्थित हैं वे स्वयं सोमपाल जी और मैंने खुद मिलकर निकाले हैं। वे शायद ठीक हों, लेकिन मैं उनको दोहराना चाहता हूं कि यदि इस देश की आमदनी आठ रुपये है तो उसमें से सात रुपये 26 प्रतिशत लोगों के हिस्से में आते हैं और एक रुपया 74 प्रतिशत के हिस्से में आता है। यह एक बंदरबांट है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम इसे कैसे दूर करेंगे, इसका निराकरण कैसे करेंगे। इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। चूंकि स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और उस स्थिति को कैसे संभालें, इसके लिए आवश्यक है कि हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और सोचें कि इस प्रकार की बंदरबांट ठीक नहीं रहेगी। इसमें कुछ लोगों को उधर से मेरे ख्याल में अपच भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, अजीर्ण भी हो सकता है। लेकिन जो नहीं खायेंगे, वे भूख से तड़पेंगे और वे कुछ ऐसे बुरे कामों में लग जायेंगे कि उन्हें पचाने की क्षमता किसी में नहीं रहेगी। आज यही इस देश में हो रहा है। मैं जहां तक देखता हूं, जहां तक जाता हूं, गांव में जाकर देखो नये बच्चों की पीढ़ी आ रही है, सारे बच्चे पढ़ना-लिखना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं। सबको जीवनयापन का साधन चाहिए। लेकिन उनको आप ये सब कहां से देंगे। बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है, उनका हम क्या करेंगे, आप और हम मिलकर भी इसका निराकरण नहीं कर सकते। क्या आवश्यकता है, जितना पैसा हम गांवों में दे रहे हैं, क्या उससे स्कूल अच्छा चल सकता है, क्या सड़क अच्छी बन सकती है, क्या अस्पताल बन सकता है, क्या वहां पर नई चीजें उपलब्ध हो सकती है। ये सारी चीजें देखने की हैं। इसलिए मैं कहता

हूं कि हमें सोचना चाहिए कि जो इतना पैसा हम दे रहे हैं, उसको हमने दिखा दिया कि हम 58 परसेंट दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यह हमारी आशाओं को पूरा नहीं करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और जो आपने दिया है, उसको भी हमने देख लिया है कि किस प्रकार करना चाहिए। इस समय जो कृषि उत्पादन हो रहा है, उसको भी हमने कर लिया।

पिछले दिनों लोक सभा वाद-विवाद में हमने हिस्सा लिया था और देखा था कि हमने बाहर से गंदुम क्यों मंगाया, यह गेहूं किसलिए मंगाया गया? बरनाला जी ने कहा था कि सोचेंगे कि हम न मंगायें। मैंने भी बहुत लिखा था, आप लोगों ने भी कहा था कि मंगाने की आवश्यकता नहीं हैं। मेरे हिसाब से हमारी कृषि में गेहूं की कमी नहीं हैं। जिस वक्त मैंने कहा, उस वक्त 59 लाख टन गेहूं हमारे भंडार में था और यह कह रहे थे कि शायद कम होगा, लोगों को आंकड़े दिखाये थे, पता नहीं किस हिसाब से बनाये थे। साढ़े बारह मिलियन टन अनाज हमारे भंडार में इस बार प्रोक्योरमेंट के लिए आया है और हमारे पास गेहूं का भंडार 19 मिलियन टन हो गया है। फिर क्या आवश्यकता थी और जो आया वह गल गया। कांडला में 20 हजार टन गल्ला जो निकाला था वह तबाह हो गया, जो वहां पड़ा था, वह तबाह हो गया। वहां भी एफ.सी.आई. ने लिखा था कि हमारे पास भंडार की जगह नहीं है, फिर हमने क्यों मंगाया, किसलिए पैसा जाया किया गया। हमसे वायदा किया था कि हम इसकी सी.बी.आई. से इंक्वायरी करायेंगे, उस वायदे का क्या हुआ? क्या वह कहावत साबित हो गई 'वह वायदा ही क्या जो वफा हो गया', वह वायदा पूर्ण क्यों नहीं हुआ। मैं श्री राजवीर सिंह जी से कहूंगा कि आप बात करिये और इनको देने के लिए कहें, देने में देरी क्यों करते हैं?

श्री राजवीर सिंह (आंवला): वह जो वायदा है, वह निभाना पड़ेगा।

श्री बलराम जाखड़ : बहुत अच्छी बात है, कोई तो सज्जन आदमी निकला। दूसरी बात हम क्या करना चाहते हैं, हमने एक नई चीज देखी। इसमें वित्त मंत्री जी ने सिनेमा को उद्योग का दर्जा दिया है, लेकिन कृषि कहां गई? कृषि को उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मेरे ख्याल में काफी मैम्बर पहले भी इस पक्ष के थे, आज भी हैं।

श्री राजवीर सिंह : जब आपने कृषि नीति रखी थी, उस पर हम लोगों ने विचार किया था, जिसमें यह तय हुआ था कि कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं, उद्योग की सुविधा देंगे, यह आप ही ने तय किया था।

श्री बलराम जाखड़ : मुझे वहां तक आने तो दीजिए, आप पहले ही जम्प कर रहे हैं, बीच में छलांग लगाते हैं। मैं दर्जे की बात पर कह रहा था कि उस वक्त भी मैं उसको समानता देने के खिलाफ था और मेरा स्टैंड आज भी वही है, जो कल था।

अपराह्न 3.00 बजे

सुविधाओं की बात थी, मैंने कहा कि उनको दर्जा देने के बाद उन पर करों की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा कि मैंने जो विचार रखा था, वह कर-विहीन दर्जा था। कैपिटल गेन्स लगाने की बात आई थी, मैंने कहा था कि यह आप क्या कर रहे हैं, यह जमीन हमारी है, हम इसे बेचना नहीं चाहते, हम इससे दूर नहीं होना चाहते, इसे आप जबरदस्ती हमसे ऐक्वायर करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स लेंगे। इतना बड़ा अन्याय बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हैं, हम इसे कभी नहीं मानेंगे और वह इसमें दर्ज कर दिया गया था कि कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, वैल्थ टैक्स नहीं लगेगा, इन्कम टैक्स के कपड़े फाड़ने वाले भी किसानों के घरों में नहीं आएंगे। हमसे क्या लेना चाहते हैं। कोई कह देता है कि आप सूट पहनकर खड़े हैं। कम से कम किसी को तो सूट पहनने दो। सवाल यह पैदा होता है कि हमारे पास क्या है जिसके लिए आप इंकम टैक्स लगाना चाहते हैं। भारत में विशेषकर एक चीज हैं जहां सिर्फ ऐग्रीकल्चर लैंड पर सीलिंग लगाई गई है। यू.पी. में वह शायद साढ़े बारह एकड़ है, हमारे यहां साढ़े सत्रह एकड़ है। साढ़े सत्रह एकड़ में पचास साल में क्या हुआ, मुझे अंदाजा बताइए। तीन पीढ़ियां आ गईं और तीन पीढ़ियों में कितना बंटवारा हो गया, फ्रैगमैंटेशन ऑफ लैंड कितनी हो गई है। *(व्यवधान)* देखने की बात इतनी है कि आखिर हमारा क्या बनेगा, मेरे बच्चे कहां जाएंगे। तीन पीढ़ियों के बाद, साढ़े बारह एकड़, साढ़े सत्रह एकड़ वाले के पास एक-दो एकड़ बचेगी तो उसमें क्या हम कबड्डी खेलेंगे या मेरे बच्चे उसमें खेती करके कमाएंगे। वे लोग क्या करने जा रहे हैं, किस प्रकार की बात होगी, उस पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं। जब मैं अध्यक्ष के पर था, उस समय किसी ने कहा था। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं तीन बजे संचार मंत्री को एक वक्तव्य देना था।

सभापति महोदय : आप उन्हें अपना भाषण पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं। मंत्री महोदय यहां पर पहले ही उपस्थित हैं और वे यहीं पर ही रहेंगे। मंत्री महोदय अपना वक्तव्य माननीय सदस्य की बात पूरा होने के बाद दे सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री बसुदेव आचार्य : वक्तव्य देने में केवल पांच मिनट लगेंगे।

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपनी बात 15 मिनट में पूरी कर लेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : इतने कम समय में मैं अपनी बात कैसे पूरी कर पाऊंगा। मुझे और समय की जरूरत है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): महोदय, मुझे नहीं लगता कि श्री बलराम जाखड़ जी इतने कम समय में अपना भाषण पूरा कर सकेंगे। वह कल चर्चा आरंभ होने पर अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : ठीक है। मैं सोमवार को अपनी बात जारी रखूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।" (1)

कृषि के हित में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपतृण-नाशी रसायन के साथ "टर्मिनेटर सीड" की खरीद पर प्रतिबंध लगाने में असफलता। (24)

[श्री बसुदेव आचार्य]

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को तूफान में प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने में असफलता। (25)

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता। (26)

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छोटे और सीमान्त किसानों, जिनको चक्रवात के कारण भारी नुकसान हुआ है, को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में असफलता। (27)

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

देश के किसानों को उचित मूल्य पर अच्छे बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने में असफलता। (28)

"कि कृषि शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

गरीब किसानों को नि:शुल्क बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने में असफलता। (29)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

आलू के उत्पादन में आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए "आलू के सुधरी किस्में और संवर्धक बीजों का उत्पादन" के बारे में सामाजिक लेखापरीक्षा समिति के प्रतिवेदन पर विचार किये जाने में असफलता। (32)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

आलू बोर्ड की स्थापना किये जाने में असफलता। (33)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल में और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने में असफलता। (34)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल के किसानों की बेहतरी के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा हेतु अधिक धनराशि आवंटित किये जाने में असफलता। (35)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल में पान पत्ता अनुसंधान संस्थान की स्थापना किये जाने में असफलता। (36)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल में आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किये जाने में असफलता। (37)

"कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद केन्द्र स्थापित किये जाने में असफलता। (40)

अपराह्न 3.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

डाक कर्मचारियों की हड़ताल

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): सभापति महोदय, आज शून्यकाल के दौरान कुछ माननीय संसद सदस्यों ने डाक कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में अपनी बात रखी थी। उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मैं दोपहर बाद इस विषय पर वक्तव्य दूंगी। आपकी अनुमति से मैं वह वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहती हूं।

नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल इम्प्लाइज़ तथा फेडरेशन ऑफ पोस्टल आर्गनाइजेशन से संबद्ध यूनियनों ने दिनांक 9.7.98 के प्रात: 6 बजे से अपने 10 सूत्री मांगपत्र को मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। इन मांगों में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों पर न्यायमूर्ति तलवार समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों का कार्यान्वयन तथा उसकी सभी प्रतिकूल सिफारिशों को अस्वीकार करने, ग्रुप "डी" डाक कर्मचारियों को सेवा में प्रवेश के समय दिए जाने वाले वेतनमानों में सुधार, समयबद्ध एक पदोन्नति तथा बीसीआर ग्रेड, पोस्टमैन/मेलगार्डों/हैड मेल पियनों के सेवा में प्रवेश के समय के वेतनमानों को बढ़ाने, समयबद्ध एक पदोन्नति तथा बीसीआर ग्रेड, एलएसजी-॥ और एचएसजी-॥ के वेतनमान बढ़ाना, ड्राइवरों, वर्कशाप स्टाफ, आशुलिपिकों के वेतनमान बढ़ाना तथा बोनस फार्मूले को अंतिम रूप देना शामिल है।

अन्य मांगों में सभी अर्हताप्राप्त कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को, जो पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विशेष वेतन देना, डाक लेखा संवर्गों की पुन:संरचना, कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के वेतनमान बढ़ाना, अंशकालिक/नैमित्तिक भुगतान पर काम करने वाले कर्मचारियों/दिहाड़ी-मजदूरों को नियमित करना तथा नियमित कर्मचारियों के बराबर बोनस सहित लाभ प्रदान करना है।

यह देखा जा सकता है कि अधिकांश मांगें गत वर्ष पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के विविध पहलुओं पर कर्मचारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के साथ पूर्ण विचार-विमर्श किया था और इसके बाद इन सिफारिशों में पर्याप्त सुधार करके इन सिफारिशों को लागू किया था। ऐसे मुद्दों में, जो अनिर्णीत रह गए थे, एक मुद्दा डाक विभाग के पोस्टमैन और मेलगार्ड को बढ़ा हुआ वेतनमान देने से संबंधित था और यह मुद्दा 11 सितम्बर, 1997 को कर्मचारी पक्ष के साथ जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसमें शामिल था। इस मुद्दे को आज की सरकार ने प्रविष्टि स्तर पर 3500-4500 रुपये का बढ़ा हुआ प्रतिस्थापन वेतनमान देकर तथा पदोन्नति के दो क्रमिक चरणों में क्रमश: 3200-4900 रुपये तथा 4000-6000 रुपये का तदनुरूपी उच्चतर वेतनमान देकर हल कर दिया है। इससे पोस्टमैन/मेलगार्ड तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कांस्टेबलों के बीच समानता स्थापित हुई है। बसुदेव आचार्य जी, ई.डी. के बारे में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के संबंध में भी सरकार ने, न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों के विचाराधीन होने के कारण, 01.01.1996 से उनके मूल मासिक भत्ते में 3.25 गुना वृद्धि करने के आदेश 12 नवम्बर, 1997 को, जब आपकी सरकार थी, तब जारी किये थे। किन्तु स्टाफ फेडरेशनों के आग्रह पर ये आदेश आस्थगित रखे गये।

बोनस फार्मूले में संशोधन तथा न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित दो अन्य प्रमुख मुद्दों पर उच्च सरकारी स्तर पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। *(व्यवधान)* हां, मैं उस पर आती हूं। सरकार मांग-पत्र में उल्लिखित अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और अन्य सरकारी विभागों/संगठनों में कार्यरत सदृश कर्मचारियों पर इन मांगों का कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा, उसे ध्यान में रखते हुए इन मामलों में भी, अलग जो सात मांगें हैं, उनके बारे में निर्णय लिया जायेगा। इन मांगों के संबंध में सरकार की स्थिति से, कर्मचारी पक्ष को सरकारी स्तर पर हुई बैठकों तथा मेरे साथ हुई बैठकों में, पूर्णतया अवगत करा दिया था और मैंने स्वयं कर्मचारी पक्ष से यह अनुरोध किया था, मैं चाहूंगी कि आप गौर करें, मैंने स्वयं उनसे यह अनुरोध किया था कि सरकार के सकारात्मक रवैये को ध्यान में रखते हुए, वे इस मामले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की हड़बड़ी ने दिखायें।

सभापति जी, मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन ने अपने आपको हड़ताल से अलग रखा। आपकी यूनियन और अपनी यूनियन करके बात करनी है तो बात हो सकती है। अभी मैं इसीलिए यूनियनों का नाम ले रही हूं। अगर आपकी यूनियन और अपनी यूनियन करके बात होगी तो फिर चीज का संदर्भ बदल जायेगा, आप यह विचार कर लीजिए। भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन ने अपने आपको इससे अलग रखा था, लेकिन बाद में भी मेरी अपील को स्वीकार करते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण संघ ने, यह मेरा है कि आपका है, जो एम्पलाइज़ की एस.सी., एस.टी. फैडरेशन हैं, उन्होंने भी मेरी अपील को स्वीकार करते हुए, जो आज 10 तारीख से हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया था, उसको स्थगित करने का फैसला किया है। हड़ताल न तो जनहित में है और न ही विभाग या डाक कर्मचारियों के हित में है।

वैसे भी हड़ताल से संबंधित मुद्दे भारत सरकार के सुलह अधिकारियों के पास समाधान हेतु विचाराधीन हैं और सुलह-सफाई की कार्रवाई में सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष, दोनों की भाग ले रहे हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22(1) डाक विभाग जैसी जनोपयोगी सेवा में उस समय हड़ताल की अनुमति नहीं देती है, जब सुलह-सफाई चल रही हो।

समझौते की कार्यवाही के दौरान आप हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 में इस संबंध में स्पष्ट लिखा हुआ है।

सरकार अपनी ओर से देश में डाक सेवाओं को बनाए रखने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी और उसने इस संबंध में व्यापक प्रबंध किए हैं, लेकिन सरकार आशा करती है कि हड़ताली डाक कर्मचारी विवेक से काम लेंगे, और विशेष रूप से उस स्थिति में जब मैंने अनेक अवसरों पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के सरकार के दृढ़ निश्चय का तथा उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का और उन मांगों को न्यायोचित ढंग से हल करने का आश्वासन दिया है तो निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि वे विवेक से काम लेंगे। अत: यह आवश्यक है कि डाक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली डाक यूनियनें सरकार के प्रयासों को समझें और सूझ-बूझ तथा सहयोग का वातावरण कायम करें जिससे सभी मुद्दों का मैत्रीपूर्ण समाधान होने में मदद मिलेगी।

सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं एक बात और कहना चाहती हूं। मेरे जिन साथियों ने आज यहां इस बात को रखा है, बहुत वेदना से रखा है, उनकी जायज मांगों को संसद में स्वर देने की बात की है। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध उन साथियों से है कि वे अपने गुड-आफिसेज से, अपने सुप्रभाव का इस्तेमाल करें। जिस तरफ मैं बढ़ रही हूं, मैंने कल भी कर्मचारियों से बात करते हुए कहा कि इन दस मांगों में से तीन मांगें ऐसी हैं, जिन पर विभाग को निर्णय करना था। डाकखाने वाले जो पोस्टमैन और मेलगार्ड के.सी.पी.ओज़. के कांस्टेबल के साथ पैरिटी का मसला था, दूसरा बोनस वाला और तीसरा ई.डी. की मांग का है। इन तीनों पर केवल सहानुभूतिपूर्वक निर्णय ही नहीं, केवल विचार ही नहीं कर रही हूं, मैंने कहा था कि इन तीन चीजों पर आप मुझे सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ने दीजिए। मैं बताना चाहूंगी डाकखाने की जो पोस्टमैन और मेलगार्ड की पैरिटी थी, वह उस सरकार ने डिस्टर्ब की थी, जिसको आप और कांग्रेस समर्थन दे रही थी। वह पैरिटी डिस्टर्ब होने के बाद बहुत संघर्ष पोस्टमैन ने किया था। उन्होंने कहा कि यह पैरिटी बहाल कर दीजिए। लेकिन उस सरकार ने पोजीशन ले ली कि हमने कांस्टीट्यूट डिसीजन लेकर पैरिटी डिस्टर्ब की थी, हम आपकी यह समानता वापस बहाल नहीं करेंगे। मेरे आने के बाद, इस सरकार के आने के बाद हमने केवल विचार नहीं किया, केबिनेट से रिजेक्टेड निर्णय जो पिछली सरकार की केबिनेट ने रीजेक्ट किया था, कमेटी आन सेक्रेटेरीज ने रीजेक्ट किया था, उसको रिवर्ट कराकर इस सरकार ने पोस्टमैन को वही ग्रेड दिलाया, बल्कि सी.पी.ओ. कांस्टेबल के साथ डिस्टर्ब की हुई पैरिटी भी वापस लाए। फिर मैंने उनसे अपील की कि तीन चीजों में से एक चीज कर ही दी, अब तो मेरी क्रेडिबिलिटी समझ लो, बाकी चीजों को भी करने का मौका दो, लेकिन हड़ताल से एटमोशफियर विशिएट होगा, वह मत करो। मैं फिर कहना चाहती हूं कि आप वापस सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करिए। मैं आपको

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उन दो मांगों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक ढंग से विचार कर रही है। उन पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दो कदम आगे बढ़ने का माहौल तो दीजिए। अगर बीच में हड़ताल होती है तो व्यवधान पड़ता है। इसलिए इस अपील के साथ मैं बैठना चाहूंगी कि हमारे साथी उन्हें प्रिवेल अपोन करें और हड़ताल वापस कराएं और मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने मंत्री जी से वक्तव्य देने के लिए कहा था और अध्यक्ष के निर्देशानुसार संचार मत्री ने वक्तव्य दिया है। नियम 372 के अंतर्गत सदस्य और स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं। अत: आगे और स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, डाक सेवाएं पूरी तरह से ठप्प हो गई हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमें अन्य काम भी करना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बलराम जाखड़ कृषि पर चर्चा जारी रखें।

श्री के० करुणाकरन (तिरुअनन्तपुरम) : यह सामान्य स्थिति नहीं है। लोगों को कठिनाई हो रही है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा के नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, ऐसी परंपरा है। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को सभा की कार्यवाही चलाने में सहयोग करना चाहिए। इस मामले पर सभी दलों के सदस्यों ने दोपहर बाद शून्यकाल में विस्तार से चर्चा कर ली है। आपके अनुरोध से मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने आपकी सभी मांगों पर विस्तार से कहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कर्मचारियों की हड़ताल का समाधान केवल कर्मचारियों की एशोसिएशन के साथ किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस मामले का समाधान सभा में श्री बसुदेव आचार्य के साथ नहीं किया जा सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते थे, वह सब आप सुबह ही कह चुके हैं। अब नियम 372 के अंतर्गत आपको केवल उत्तर सुनना है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। संचार मंत्री के वक्तव्य में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे ज्यादा स्पष्टीकरण की मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : तलवार समिति की सिफारिशें कब कार्यान्वित की जाएंगी? *(व्यवधान)* सरकार इसके प्रति जरा भी गंभीर नहीं है। *(व्यवधान)* यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डाक सेवाएं पूरी तरह से ठप्प हो गई हैं। नब्बे प्रतिशत डाक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप वक्तव्य पढ़िए।

श्री रूपचन्द पाल : कृपया हमें स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : तलवार समिति सरकार ने गाठित की थी। इस समिति ने बहुत पहले अपनी रिपोर्ट दे दी हैं। *(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए०एस०वी०एम० (गढ़वाल) : तलवार समिति ने अपनी रिपोर्ट उस समय प्रस्तुत की थी जब आप सरकार में थे।

श्री वैको (शिवकाशी): इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय : सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के साथ इस मुद्दे को निपटाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं।

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : यहां पर मुद्दा यह नहीं है। *(व्यवधान)* कृपया आप हमें स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य में जो स्पष्टीकरण दिया गया है आप उससे अधिक स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसी परंपरा भी है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इन नियमों से बंधे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ऐसी परंपरा भी है। *(व्यवधान)* महोदय, इस बात के पूर्वोदाहरण हैं, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो देश के आम आदमी से संबंधित है, डाक सेवाएं पूरी तरह से ठप्प हो गई हैं, सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई है *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, सदस्यों को मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जानी चाहिए। *(व्यवधान)* सरकार स्पष्टीकरण देने से इतना क्यों डर रही है? *(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, सरकार ने इतने वर्षों तक कुछ नहीं किया। *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : महोदय, हाउस में किसान की बात हो रही थी। ... *(व्यवधान)* हाउस में किसान की बात न कही जाए इसलिए ये शोर मचा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह सरकार, सरकार विरोधी और जन-विरोधी है। ... *(व्यवधान)* यह दुराशयपूर्ण वक्तव्य है। ... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, सरकार का कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं है। ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, तलवार समिति की सिफारिशें स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि यह नियमों के अंतर्गत है तो सब ठीक हो जाएगा। सभी माननीय सदस्यों को सभा की कार्यवाही संचालित करने में पीठासीन अधिकारी को सहयोग देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, इसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ा है। *(व्यवधान)* यह सरकार जनविरोधी है। ... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। *(व्यवधान)* यह सरकार सो रही है। *(व्यवधान)* सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया और ये लोग उस समय खामोश रहे। बड़ी दयनीय स्थिति है। ... *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस (मुकन्दपुरम) : सरकार को तलवार समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ की टिप्पणी के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : श्री वैको, कृपया आप अपने मंत्री से कहें कि वे तलवार समिति की सिफारिशों को स्वीकार करें। ... (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, महत्वपूर्ण मुद्दों पर माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण पूछने की स्वीकृति दी जाती है। *(व्यवधान)* इसके पूर्व उदाहरण भी हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, यह किसी के लिए समर्थन जुटाने का स्थान नहीं है कृपया आप बैठिए। ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। देश में डाक व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है ... *(व्यवधान)*

श्री वैको : सरकार इस समस्या को सुलझाने के प्रति गम्भीर है ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शमिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आज इस सरकार की नीति के कारण देश के सारे लोगों के जनजीवन को क्षति पहुंच रही है इसलिए इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने में सक्षम नहीं है। इसके विरोध में हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 3.26 बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

(व्यवधान)

श्री के० करुणाकरण (तिरूअनंतपुरम) : सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रही है ... *(व्यवधान)* इसके विरोध में हम भी सदन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 3.27 बजे

इस समय श्री के. करुणाकरण और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति जी, वॉक-आऊट करना उनका अधिकार है, उसका प्रयोग वे कर सकते हैं लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि चाहे कांग्रेस हो, सी.पी.एम. हो, या जो पिछली सरकार में सहयोगी थे और कुछ इनमें से मिनिस्टर भी थे। इन्होंने पिछले डेढ़ साल में तो इस समस्या को हल नहीं किया और ये हमसे आशा करते हैं कि हम 100 दिन में इसे हल कर दें। मेरा कहना है कि इन्होंने पिछले डेढ़ साल में यह समस्या हल क्यों नहीं की? इसलिए केवल नाटक करना और जब मौका आए तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग जाना ठीक नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मदन लाल खुराना]

पिछले डेढ़ साल में इनके पास पूरे अधिकार थे, इनकी सरकार थी परन्तु इन्होंने समस्या हल नहीं की। अभी हमें केवल 100 दिन हुए हैं और ये वॉक-आउट कर गये हैं, मैं इनके इस कदम की निंदा करता हूं।

श्रीमती जयाबहन भरत कुमार ठक्कर (वडोदरा) : पोस्टल व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है वह इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने कुछ नहीं किया और पूरे वातावरण को विषाक्त कर दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विषय पर पहले ही सुबह काफी चर्चा हो चुकी है और मंत्री महोदय ने अपना व्याख्यात्मक वक्तव्य भी दे दिया है। इसलिए कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार अभी हम अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं कर पाये है। माननीय सदस्यों को सहयोग देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में स्पष्टीकरण मांगना अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : जाखड़ साहब, आपने वॉक-आउट कैसे कर दिया?

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर के लोगों को यह पता होना चाहिए कि कांग्रेस और सी.पी.आई. (एम) इकट्ठे कार्य कर रहे हैं।

श्री के० करुणाकरण : हमने सरकार से प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया था। *(व्यवधान)* यदि सरकार का यही रवैया रहा तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में गैर-सरकारी सदस्यों सम्बंधी विधायी कार्य पर चर्चा होगी।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 327 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.30½

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 171 में संशोधन)

श्री के०सी० कौंडय्या (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के०सी० कौंडय्या : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

[अनुवाद]

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 51(क) में संशोधन)

श्री के०सी० कौंडय्या (बेल्लारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के०सी० कौंडय्या : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31½ बजे

[अनुवाद]

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 150 क अंतःस्थापन)

श्री के०सी० कौंडय्या (बेल्लारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 10.7.1998 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 10.7.1998 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के०सी० कोंडय्या : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 80 में संशोधन)

श्री के०सी० कोंडय्या (बैल्लारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के०सी० कोंडय्या : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

(छह) पंजाब नगर निगम विधि*

(चण्डीगढ़ का विस्तार) संशोधन विधेयक
(अनुसूची में संशोधन)

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ का विस्तार) विधेयक, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ का विस्तार) विधेयक, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 10.7.1998 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

(सात) महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का उत्सादन विधेयक*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का उत्सादन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का उत्सादन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

[अनुवाद]

(आठ) भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भिक्षावृत्ति उत्सादन और उससे संसक्त अथवा उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भिक्षावृत्ति उत्सादन और उससे संसक्त अथवा उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

[अनुवाद]

(नौ) भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक*

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में लगे वृत्तिकों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में लगे वृत्तिकों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 10.7.1998 में प्रकाशित।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.35½ बजे

[अनुवाद]

(दस) महिला कल्याण विधेयक*

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु व्यापक उपाय करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु व्यापक उपाय करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

[अनुवाद]

(ग्यारह) यौन उत्पीड़न निवारण विधेयक*

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिला कर्मचारियों का उनके कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि महिला कर्मचारियों का उनके कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.36½ बजे

[अनुवाद]

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अध्याय पांच-क आदि का अंतःस्थापन)

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 10.7.1998 में प्रकाशित।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

[अनुवाद]

(तेरह) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक*

(पूरे नाम में संशोधन आदि)

श्री पी०एस० गढ़वी (कच्छ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 1975 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 1975 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी०एस० गढ़वी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37½ बजे

[हिन्दी]

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 51 क में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

[हिन्दी]

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 239 क क में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 10.7.1998 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38½ बजे

[हिन्दी]

(सोलह) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 3 में संशोधन)

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

[अनुवाद]

(सत्रह) बालक परिसंकटमय रोजगार उत्सादन विधेयक*

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालक परिसंकटमय रोजगार उत्सादन और उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बालक परिसंकटमय रोजगार उत्सादन और उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 10.7.1998 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.40 बजे

[अनुवाद]

(अठारह) आयकर (संशोधन) विधेयक**

(धारा 10 में संशोधन)

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : मुझे आयकर अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

[अनुवाद]

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक-*जारी*

(नए अनुच्छेद 51 ख का अन्तःस्थापन)

सभापति महोदय : अब हम श्री मोहन सिंह द्वारा 12 जून, 1998 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करें।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर अपने प्रिय मित्र और विपक्ष के उदार सदस्य श्री मोहन सिंह का इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद करता हूं ताकि इस राष्ट्र के नौजवान इस सम्माननीय सभा में अपने विचार प्रकट कर सकें। अब तक हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने भारत के इतिहास में हुई गलतियों को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया है। यहां ऐसे अनेक लोग और नेता हैं जो बिहार के बारे में बहुत चिंतित है। वे हमेशा कहते हैं कि मैं बिहार से हूं, बिहार में क्या हुआ है? नालन्दा विश्वविद्यालय एक समृद्ध विश्वविद्यालय है जिसमें प्राचीन काल से ही लोगों को सभी विषय व्यापक पैमाने पर पढ़ाए जाते रहे हैं। वही इतिहास है वहां ज्योतिष शास्त्र, औषधि, कृषि, भवन निर्माण और अन्य सभी चीजों से संबंधित कई पुस्तकें थीं। वहां ऐसी पुस्तक भी थीं जिनसे विश्व को इस देश की समृद्धि का पता चलता था। गौरी नालन्दा आया था। उसने अपने सैनिकों से पूछा कि पुस्तक में क्या था। उसने कहा कि पुस्तक में जो कुछ लिखा है, यदि वह पहले ही कुरआन में हो तो इस पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह पहले से ही कुरआन में है। यदि कोई बात जो इस पुस्तक में नहीं कही गई हैं तो यह सत्य नहीं है, इसलिए उसने अपने सैनिकों को उन पुस्तकों को नष्ट करने का आदेश दिया।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 10.7.1998 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[श्री सी०पी० राधाकृष्णन]

महोदय, हम इतिहास को यह नहीं भूल सकते कि आक्रमणकारियों ने इस देश की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अन्य सभी सम्पन्नताओं को सुनियोजित ढंग से नष्ट किया। इसलिए आप इतिहास को भुलाकर अथवा वास्तविक इतिहास का पता लगाकर शर्मिन्दा होंगे तो मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना कभी भी सम्भव नहीं होगा।

इस विधेयक पर मेरा निष्कर्ष यह है कि जातिवाद देश को कमजोर कर रहा है, लोग जाति के आधार पर बंट रहे हैं और यहां ऐसे शरारती ताकतें हैं जो हमेशा जातिवाद के पीछे ऐसी ताकतें होती हैं और वे देश को अनेक भागों में बाँटना चाहती हैं, इसी से देश को सबसे बड़ा खतरा है।

अत: मैं श्री मोहन सिंह जी जो एक समाजवादी और उदारवादी हैं, से जातिवाद को समाप्त कराने का अनुरोध करता हूं राजनैतिक लाभ की जांति के आधार पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम** (तंजावूर) : माननीय सभापति महोदय, जिस विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका ध्येय धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीतिक दलों की प्रथा समाप्त करने का है। इस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक का आशय भारत के संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 51 में एक नये खण्ड 51 ख को जोड़ना है। मैं इस चर्चा में भाग लेने में खुशी और गौरव अनुभव करता हूं। इस समय उस उचित मौके पर इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने माननीय सहयोगी श्री मोहन सिंह को बधाई देना उचित और अपना कर्त्तव्य मानता हूं।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने धर्म तथा अन्य बंधनों से ऊपर उठ कर एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। अब वे स्वतंत्रता सेनानी यह देखकर दुखी होंगे कि धर्म और जाति, विशेषरूप से चुनाव के दौरान, भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन आधारों पर चुनाव लड़े जाते हैं। मतदाताओं को इन आधारों पर सोचने के लिए लालच दिया जाता है। ऐसी भावनाओं का दोहन किया जाता है। ऐसी भावनाओं को अक्सर उकसाया जाता है। हमारे यहां इस समय ऐसी स्थिति चल रही है तथा यह केवल दुखद, निराशापूर्ण तथा दुखदायी है।

चाहे कोई भी उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल का हो, यदि वे चुनाव जीतना चाहते हैं तो वे आसानी से धार्मिक तथा जातीय भावनाओं की शरण लेते हैं। ऐसी भावनाओं को उकसाकर वे समझते हैं कि यह गरीब तथा अनपढ़ों को लुभाने का अंतिम तरीका है। वे सोचते हैं कि पिछड़े लोग, चाहे वे अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग या अत्यंत पिछड़े वर्ग के हों, उनके द्वारा बनाए गए जाल में फंस जाएँगे। इसलिए लोग धर्म का उपयोग करते हैं, इसी कारण वे धर्म का उपयोग करते हैं तथा वह भी तब जब वे स्वयं उस धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं हों। चुनाव जीतने की संकीर्ण मानसिकता से धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तब भी भावनाओं का सैलाब कट्टरवादिता या प्रतिबद्ध भावना के रूप में विद्यमान रहता है। यह हमारे सामाजिक अस्तित्व के आधार को प्रभावित करता है। ये परस्पर विरोधी हित अनपढ़ जन सामान्य तक पहुँचते हैं तथा वैमनस्य की भावना अगले चुनाव तक चलती है। हम समाधान खोजने में अपने आपको असहाय पाते हैं।

हमारा संविधान धर्म, धार्मिक प्रतीक तथा धार्मिक भावनाओं का चुनाव के दौरान उपयोग करने की मनाही करता है। इसे दाण्डिक अपराध नहीं बनाया गया हैं तथा ऐसे राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है इसे केवल नैतिक जिम्मेदारी के रूप में रखा गया है। अतएव यह किसी पर बाध्यकारी नहीं है।

आज हम बिल्कुल उल्टा पाते हैं। राजनीतिक दल अधूरे मन से संविधान में वर्णित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता जताते हैं। वे उनको सौंपी गई नैतिक जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अल्पावधि लाभ प्राप्त करने के लिए उनमें धर्म का खुलकर उपयोग नहीं तो छद्म रूप में उपयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए इस बात की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है कि ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाय जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा धर्म के किसी स्वरूप को उपयोग में लाने से रोके।

जन्म से तथा बड़े होने के क्रम में बच्चों में धार्मिक भावनाएँ नहीं होती हैं। उनमें आपस में भेदभाव नहीं होता है और न ही वे अपने आप को धार्मिक आधार पर या जातिगत आधार पर अलग करते हैं। वे जहां भी हों, स्कूल या किसी खेल के मैदान में वे अपने आयु वर्ग के आधार पर एकजुट होना चाहते हैं। इसके बीच कोई अन्य विचार उनके मन में नहीं आता है। जब वे बड़े होते हैं, वे दोस्ती करने लगते हैं, तभी लोगों का धर्म सामने आता है। तभी वे अपने आप को धर्म या जाति के आधार पर अलग कर लेते हैं। इस तरह बड़े होने पर ही वे अलग-अलग वर्गों में विभाजित होते हैं।

हमारे महान नेता जिन्होंने जातिवाद की बुराइयों को समाप्त करना चाहा चाहे वे दक्षिण से ई.वी.आर. पेरियार हों या स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महात्मा गाँधी हों, या डा० अम्बेडकर जिन्होंने जातिगत कट्टरपंथ को तोड़ने की कोशिश की या हमारे महान नेता पेसरिग्नार अन्ना हों, सब ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा लोगों को गरिमा, आत्म सम्मान, मानवता तथा मानव मूल्यों से जीवन बिताने की शिक्षा देने में व्यतीत किया। उन्होंने धर्म द्वारा प्रेरित जातिवाद की समाप्ति के लिए प्रयास किया जो अक्सर लोगों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के रास्ते में आता है।

यहां तक कि विवेकानन्द भारतीय मूल्यों को बचाने के लिए आगे आए। धर्म ने उन्हें जो दिया उसका निचोड़ उन्होंने निकाल लिया। साथ ही दूसरे धर्मों की अच्छाइयाँ भी वह अपने देश के लोगों के जीवन में मिलाना चाहते थे। लेकिन उन्हें गलत समझा गया और इसके लिए उनकी आलोचना की गई। उन्होंने मानवीय प्रयास में मानवतावादी मूल्यों पर जोर दिया। सभी उच्च आदर्शों के साथ मानवता को एकाकार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगा दिया तथा अपनी आलोचनाओं के बावजूद भी वह प्रयास करते रहे। यही कारण है कि उनके मिशन में धर्म धूमिल पड़ गया तथा मानवता प्रमुख हो गई।

महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती ने कहा है कि समाज में जातिवाद तथा जातिभेद नहीं हो सकते। उन्होंने कम उम्र तथा समझ सकने योग्य बच्चों

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पर यह प्रभाव डालना चाहा कि हमें जातिवादी प्रवृत्तियों से ऊपर उठना जरूरी है वह यहाँ तक कह गए कि जाति आधारित भेदभाव जिसके अनुसार उच्च जाति के व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, निम्न कुल का अपमान किया जाता है, को पाप बताया। किन्तु अब हम एक ऐसे युग में हैं जहां शिक्षक भी अपने छात्र में भेदभाव करते हैं। यदि बालक अपने शिक्षक की जाति का होता है तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है तथा दूसरों के प्रति भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार जब बालक तरुण होता है तभी उसमें इस बुराई के बीज बो दिए जाते हैं। इसलिए भारती दशन ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक यह कहने वाले लोग हैं कि समाज जाति पर आधारित है। यदि अभी तक जाति भेदभाव बरकरार रहता है तो हम कब प्रगति करेंगे? हमारा राष्ट्र कब समृद्ध होगा ?

अब किसे और क्या अलग रखना चाहिए? यह सिर्फ मनोवृत्ति ही है जो जातिवाद को बढ़ावा देती है तथा इसके उन्मूलन की आवश्यकता है। जो इसे बढ़ावा दे उन्हें अलग-थलग रखा जाय। धर्म कतिपय उच्च मूल्यों और आदर्शों की शिक्षा देने का माध्यम है। किन्तु दुर्भाग्यवश उसे विस्मृत कर दिया गया। हमें धार्मिक तथा जातिवादी विचारों से ऊपर उठना है। हमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर उच्च आदर्शों को अपनाना तथा बढ़ना चाहिए। हम उन राजनीतिक हस्तियों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं जो संकुचित राजनीतिक लाभ के लिए असंतोष के बीज बोते हैं। हम नहीं चाहते कि वे समाज को धर्म तथा जाति के आधार पर बांटें।

हम इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेकर प्रसन्न हैं। हम राजनीतिक दलों को एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करते हुए झंडे तथा प्रतीक चिह्नों के रंगों को चुनते हुए देखते हैं जिसका धार्मिक महत्व होता है। वे एक दूसरे से लोगों को लुभाने में मुकाबला करते हैं। उनका उद्देश्य किसी प्रकार से लोगों को आकृष्ट करना होता है। वे इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं कि लोग आहत न हों। छद्म रूप से इतने व्यवस्थित ढंग से गतिविधि की जाती हैं कि लोग अंत में बेवकूफ बनें।

कोई भी राजनीतिक दल इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि धार्मिक भावनाओं का छिपे रूप से उपयोग संसदीय चुनाव से पंचायत चुनाव तक राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। वे इस विचार का किसी प्रकार चुनाव जीतने के लिए उपयोग करते हैं। वे मतभेद पैदा करने के प्रभाव को नहीं समझते हैं। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर खुले दिल से विचार करना चाहिए। हम इससे इंकार नहीं कर सकते हैं कि हम दोषी हैं। आत्मबोध की भावना से हमें सतही वास्तविकता को समझना चाहिए। हम केवल कानून द्वारा परिवर्तन नहीं ला सकते है। हृद्य परिवर्तन आवश्यक है।

आज हम भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं सालगिरह मना रहे हैं। हमें यह सोचकर दुख होता है कि इस अवसर पर इस मुद्दे पर इतनी लंबी वार्ता करना आवश्यक हो गया है। 50 वर्षों के बाद भी हम इस देश में चौमुखी विकास नहीं कर पाए हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमने वास्तव में तरक्की की है। ऐसा कहना वास्तविकता को झुठलाना होगा।

उन सब ने जिन्होंने अपना जीवन इस देश को आजादी दिलाने में अर्पित कर दिया तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में लगे रहे वे धर्म तथा जाति पर आधारित सामाजिक विभेदों को समाप्त करना चाहते थे। हम उन महान आत्माओं की न्यूनतम अपेक्षाओं के प्रति अपने को अर्पित कर दें। धर्म और जाति से ऊपर उठकर उन उच्च आदर्शों पर अपने आप को अर्पित कर दें। प्रस्तावित कानून तथा ह्रदय परिवर्तन इस देश में सामंजस्य लाए।

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, यह जो बिल आदरणीय मोहन सिंह जी के द्वारा लाया गया है, इनकी मंशा इस बिल के प्रति बहुत साफ नहीं दिखती। ये साथ में बैठे हैं, इसके बाद भी मैं इनकी मंशा के बारे में चिन्ता प्रकट कर रहा हूं, इसलिए कि इनकी राजनीति वहीं से शुरू होती है, जिसको इस बिल में ये नकारने की बात करते हैं।

यह देश सनातन धर्म का देश है और आज तक इस देश में राज्य व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन यदि कोई करता है तो केवल राम राज्य की राजकीय व्यवस्था का वर्णन करता है। कोई भी राज्य व्यवस्था का वर्णन करता है। तो कहता है कि राज्य की व्यवस्था हो तो राम राज्य जैसी हो। राम राज्य की व्यवस्था उच्चतम व्यवस्था थी, महान व्यवस्था थी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। उस राज्य व्यवस्था का जो नेता था, उस राज्य व्यवस्था का जो नायक था, वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। उसके हम अनुयायी हैं। राम और कृष्ण के देश में हम उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उत्तर से दक्षिण तक देश को जोड़ने का काम करते हैं तो इस देश की सभ्यता और संस्कृति को योगीराज युधिष्ठिर पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का काम करते हैं।

राजनीति को धर्म से जोड़ने की बात करने से पहले धर्म की परिभाषा जानिये। धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति से नहीं जानी जाती। पूजा पद्धति इस देश में बहुत पहले से, आदि काल से भी अनेक तरह से पूजा पद्धति रही है और अनेक तरह की पूजा पद्धति के द्वारा लोग पूजा करते रहे है, लेकिन उसको धर्म के साथ जोड़ना सही नहीं है, वही धर्म की परिभाषा नहीं है। देश की आजादी के समय हमें देश को आजाद करना था तो हर भारत के नागरिक का यह धर्म था। आज हमारा धर्म है कि हम देश को विदेशी संस्कृतियों से, विदेशी सभ्यताओं से बचायें, यह हमारा धर्म है।

लेकिन मोहन सिंह जी जो बिल लाये हैं, इनके नेता लोग मुस्लिम देशों से पैसा ले आते हैं, मेरे पास प्रामाणिकता है कि मुस्लिम देशों से पैसा ले आते है, राजनीति करते हैं। उसी के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन इस सनातन धर्म के देश में जहां सबसे ज्यादा हिन्दू रहते हैं, मैं यह नहीं कहता कि हिन्दू रहते हैं तो मुसलमान नहीं रहने चाहिए, लेकिन सबसे उनका ज्यादा धावा बोलना उसी पर रहता है। इसलिए कि मुस्लिम भाईयों को गुमराह करके मुलायम सिंह के झंडे के नीचे खड़ा करना, मुस्लिम जो सबसे ज्यादा माफिया होगा, मुंबई का माफिया होगा, जो दूसरे देशों में मुसलमान होगा, दूसरे देशों से पैसा ले आयेगा, इनकी पार्टी का नेता हो जायेगा। किस आधार पर आप कहते हैं कि राजनीति के साथ धर्म को निकाल देना चाहिए, अगर पूजा पद्धति से उसको जोड़ा जाता है।

हम कहते हैं कि हमारी जीवन पद्धति हिन्दुत्व की जीवन पद्धति है। हिन्दुत्व का साम्प्रदायिकता से बोध नहीं होता, यह हमारी जीवन पद्धति है। जैसे गांव में किसान रहता है, कृषि किसान की जीवन पद्धति

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

है। हर हिन्दुस्तान के रहने वाले लोगों को उसी तरह हिन्दुत्व यहां की हमारी जीवन पद्धति है और उस जीवन पद्धति को साम्प्रदायिकता के नाम पर हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मोहन सिंह जी, जिस धर्म के नाम पर आप बखेड़ा खड़ा करना चाहते है, बखेड़ा मत खड़ा करो।

अपराह्न 4.00 बजे

इस देश में, सनातन धर्म के देश में जीवन पद्धति जीने के लिए है, उसके साथ ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बापू मोहन दास कर्मचंद गांधी ने जब देश की आजादी की लड़ाई शुरू की थी, तो उन्होंने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में हिन्दुत्व की शक्ति को जगाना होगा। बालगंगाधर तिलक ने भी जब उन्होंने गणेशोत्सव के अवसर पर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, तो आप जैसे ही महानुभावों ने उनको साम्प्रदायिक के नाम से सम्बोधित किया था और कहा था कि तिलक तो साम्प्रदायिक हैं। ऐसे लोगों को पीठासीन अधिकारी के माध्यम से भी कुछ सीख दी जानी चाहिए कि आप लोग धर्म की परिभाषा बदलने का प्रयास मत करिए। धर्म हमारी जीवन पद्धति में देश को आगे बढ़ाने का काम करता है और उसी धर्म के साथ राजनीति करनी चाहिए। यह राजनीति किसी मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, यह राजनीति किसी हिन्दू धर्म की पूजा-पद्धति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। आपको चिंता नहीं है कि दुनिया के दूसरे देशों से हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का षड्यंत्र हो रहा है। दूसरे देशों से यहां पैसा आ रहा है, जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो रही है। आप डा. लोहिया की, आचार्य नरेन्द्र देव की और पटवर्धन की बात करते हैं। आपके नेता मुलायम सिंह जी रोज लोहिया जी का नाम लेते हैं। लेकिन वे एक भी काम डा. लोहिया के अनुसार नहीं करते। आप किस तरह कहते हैं कि धर्म के साथ राजनीति को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपके नेता अली मियां के साथ बैठकर मुस्लिम राजनीति करेंगे और आप कहेंगे कि राजनीति को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपके नेता ईसाई मिशनरीज के इशारे पर काम करेंगे और आप कहते हैं कि राजनीति को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आपके नेता यह नहीं कहते कि शंकराचार्य से भी कोई बात करनी चाहिए। जब देश को एकता के रास्ते पर ले जाना है तो आपको शंकराचार्य से भी, अली मियां से भी और ईसाई मिशनरीज में काम करने वाले लोगों से भी भारत के हित में बात करनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि देश में राजनीति को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

जो धर्म खतरनाक संदेश देता है और अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करता हो, जो विदेशी कम्पनीज द्वारा संचालित होता हो, जो देश को स्वावलम्बी बनाने में रुकावट डालता हो, जो देश को सबल बनाने में रुकावट डालता हो, जो राजनीतिक क्षेत्र को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करता हो, राजनीति को गलत दिशा में मोड़ने का काम करता हो, जो सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित करता हो, जो हमारे देश के किसानों की स्वायत्तता को नष्ट करता हो, जो हमारे नौजवानों के पराक्रम और देश के पुरुषार्थ को नष्ट करता हो, उस धर्म को राजनीति के साथ नहीं रखना चाहिए। मैं सोचता हूं भाई मोहन सिंह जी आपके नेता वे सारे काम करते हैं और जो दो दिन पहले आप भाषण देते थे, मैं जानता था कि आप डा. लोहिया के अनुयायी है, लेकिन दो दिन पहले आपने कहा कि हमारे नेता मुलायम सिंह जी के क्षेत्र में उनके तीन नजदीकी लोग मार दिए गए। पहले मैं जानता था कि आप डा० लोहिया के अनुयायी हैं। लेकिन दो दिन से जान गया हूं कि मुलायम सिंह जी के अनुयायी हैं। मुलायम सिंह जी कभी डा. लोहिया के अनुयायी नहीं रहे हैं। मैं भी डा. लोहिया के कामों या बातों की कहीं न कहीं प्रशंसा करता हूं। वाणी की आजादी के नाम पर उनकी प्रशंसा नहीं करता, वे बुर्जुग थे, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। वाणी की आजादी का संदेश उन्होंने दिया था। राजनीति में अनुशासनहीनता की राह वहीं से खड़ी हुई।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : तो क्या आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता जूता-चप्पल में बदल जाती है इसलिए मैं उसके जरूर खिलाफ हूं। राजनीति अनुशासन के अंदर होनी चाहिए, मर्यादा के अंदर होनी चाहिए, पराक्रम में होनी चाहिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप कहते हैं कि वाणी की स्वतंत्रता के खिलाफ हूं, उसी का प्रयोग तो अभी कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : वाणी की आजादी लात, जूता-चप्पल नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : वाणी की आजादी अनुशासित होनी चाहिए और मैं कहीं अनुशासनहीन नहीं हूं। मैं आदरणीय मोहन सिंह जी को सभापति जी आपके माध्यम से ही सम्बोधित कर रहा हूं।

इसलिए, सभापति जी, मैं एक ही बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जिस राजनीति से धर्म को अलग करने की बात आप कह रहे हैं, जिस राजनीति से धार्मिक उन्माद फैलाने की बात आप कह रहे हैं, इसका जिक्र आप अपने नेता से करिए, जो दूसरे देश के लोगों के इशारे पर काम करके राजनीति को दूषित करने का प्रयास कर रहे है। आप डा. लोहिया के नेतृत्व को छोड़कर दो दिन पहले जिस नेता को स्वीकार कर रहे हैं, उस नेता के पास जाकर चिन्ता को व्यक्त करिए। जो इस देश में राजनीति को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अली मोहम्मद के इशारे पर, दाऊद के इशारे पर और ईसाई मिशनरी के इशारे पर, ऐसी राजनीति अगर होगी तो ऐसे राजनीतिक उन्माद को फैलाकर देश का भला होने वाला नहीं है।

इस चिन्ता को मैं आपके माध्यम से सदन में व्यक्त करना चाहता हूं। अगर आपने इस विधेयक में संशोधन करके प्रस्तुत किया होता, तो मैं इस विधेयक का अवश्य समर्थन करता।

[अनुवाद]

श्री पी०एस० गढ़वी (कच्छ) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह द्वारा लाए गए संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे संविधान के भाग चार क में मौलिक कर्त्तव्य दिए गए हैं। महोदय आप इसकी धारा 51 पढ़ें इसमें कहा गया है :

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ..."

यह भारत के नागरिक के कर्त्तव्य से संबंधित अध्याय है।

महोदय, विधेयक के पृष्ठ एक पर यह उल्लिखित है :

"चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के कर्तव्य"

अब, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट अधिनियमों में प्रावधान है। आप अनुच्छेद 51 क पढ़े इसमें लिखा है :

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ..."

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें,

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

अत: इसमें इसका प्रावधान है। महोदय, मैं आपका ध्यान जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया गया है। धारा 3 में लिखा है :

"किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई।"

महोदय, इस संबंध में प्रावधान हैं। अत: माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मोहन सिंह जी द्वारा जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसको वास्तव में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी जो फन्डामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संविधान को धारा 51 (बी) जोड़ने का आग्रह किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आग्रह करने की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार का विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारा संविधान इस के बारे में स्पष्ट उल्लेख करता है कि हमारी ड्यूटीज अलग हैं और हमारे राइट्स अलग हैं। हमारे कर्तव्यों और अधिकारों की अलग-अलग व्याख्या की गई है। जहां तक धर्म का संबंध है, धर्म और राजनीति को अलग करने का प्रश्न है कुछ व्यक्ति निश्चित रूप से धर्म और राजनीति को अलग करने की बात ठीक है, किन्तु हमारे यहां व्यवस्था है परन्तु जिस आशंका से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी व्यवस्था जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके अंदर स्पष्ट व्याख्या की गई है कि निर्वाचन में खड़े होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को किन-किन बातों का पालन करना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन से कदाचरण हैं उसमें स्पष्टत: पारिभाषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर अपना मत नहीं मांग सकेगा। मैं उद्धृत करना चाहता हूं

"किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई।"

इसमें जो आब्जेक्ट्स एण्ड रिजंस बताए गए हैं, उसमें जो कहा गया है–

[अनुवाद]

"यह देखा गया है कि कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार धर्म के नाम पर अथवा धार्मिक भावनाएं उकसाकर वोट मांगते हैं। ऐसी प्रवृत्ति जारी रही, तो समाज पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: संविधान में संशोधन कर ऐसे प्रयासों को रोकना आवश्यक है।"

[हिन्दी]

विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य हैं और बहुत पुराने सदस्य हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी इन्होंने जो कहा है, इस प्रकार की बातें कई बार चुनाव में सामने आती हैं लेकिन इनका उपाय भी है। हम निर्वाचन की याचिकाओं को लेकर जाते हैं और उनका निर्वाचन याचिकाओं का हाईकोर्ट में या उसकी जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार के कई निर्वाचन निरस्त भी हुए हैं-/ जब किसी अभ्यर्थी द्वारा धार्मिक आधार पर, किसी भावना के आधार पर या जातिगत आधार पर वोट लेने का प्रयास किया गया है तो वह निर्वाचन निरस्त भी हुए हैं, लेकिन उसके लिए व्यवस्था है। अत: पृथक से इसके बारे में संवैधानिक व्यवस्था करना या ड्यूटीज के अंदर इसको इनसर्ट करना ठीक नहीं है क्योंकि ड्यूटी एक सामाजिक कर्तव्य है। फिर भी इसमें जो व्याख्या की गई है उसमें ड्यूटी और अधिकार अलग-अलग किए गए हैं और वे पूरे समाज की दृष्टि से किए गए हैं। यह एक अलग प्रश्न है कि एक व्यक्ति को और क्या करना चाहिए, समाज में व्यक्ति भी निहित है फिर भी उसके लिए स्पष्टत: पारिभाषित किया गया है। ऐसी दशा में मैं कहना चाहूंगा, जैसे यहां पर मोहन सिंह जी ने कहा है :-

[अनुवाद]

"इसे प्रत्येक राजनीतिक दल का मौलिक कर्तव्य बनाने हेतु तदनुसार प्रस्तावित किया गया है।"

[हिन्दी]

संविधान के अंदर पोलिटीकल पार्टी की ही अलग व्याख्या की गई है। कर्तव्य और अधिकार अलग हैं कर्तव्य में एक प्रकार से पूरे समाज या सारे समूह को लिया गया है, एक इनडिविजुअल राजनैतिक पार्टी को नहीं लिया गया है। इसमें पार्टी शब्द है ही नहीं। इसलिए आपने जो (51ए) के साथ और (51बी) जोड़ने को कहा, मेरा मन है कि (51ए) के साथ (51बी) को संबद्ध करना ठीक नहीं लगता। मैं समझता हूं कि इसको एक बार देखने का प्रयत्न करेंगे- आप "प्रत्येक राजनीतिक दल का मौलिक कर्तव्य" कहते हैं किन्तु संविधान में जो कहा गया है वह पोलिटीकल पार्टी के बारे में नहीं कहा गया है बल्कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति या समाज के बारे में कहा गया है। इसलिए मै समझता हूं कि इस प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

[अनुवाद]

"... ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्म के नाम पर वे किसी चुनाव में वोट नहीं मांगें ...।"

[हिन्दी]

यह कर ही नहीं सकता है। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार का विधेयक क्यों लाया गया है, जब यह कर ही नहीं सकता है और इस प्रकार के हमारे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है, उसके बारे में जब हमारे निर्वाचन निरस्त होते हैं, फिर नया कोई संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं धर्म की परिभाषा में नहीं जाना चाहता। धर्म एक व्यापक शब्द है। उसे रिलीजन के रूप में नहीं देखना चाहिए।

मैं मोहन सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे यहां इस प्रकार के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के तहत हम निश्चित रूप से कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति जी, इंसान को इंसान से जलाना मेरा काम नहीं है, इंसान को इंसान से मिलाना मेरा काम है। धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाना मेरा काम नहीं है, सभी धर्मों के लोगों को आगे बढ़ाना मेरा काम है। हम भी कुछ कम नहीं हैं, इस सरकार में कुछ दम नहीं है, मंदिर में अब राम ही नहीं है ... *(व्यवधान)* इस सरकार का अब कुछ काम ही नहीं है।

सभापति जी, हमारे मोहन सिंह जी जो बिल इस सदन में लाए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। राजनीति में धर्म नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे देश का जो संविधान हैं उसमें सभी लोगों को समान न्याय देने की बात कहीं गयी है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्ध हो, सभी लोगों को समान न्याय देने की बात कही गयी है। लेकिन जब हम राजनीति में धर्म लाने की बात करते हैं वही गलत हो जाता है, हमें उसे बाजू में रखना चाहिए। हम बुद्ध धर्म को मानते हैं लेकिन हमारा मत है कि बुद्ध को हमें राजनीति में नहीं लाना चाहिए। इसी तरह राम को या पैगम्बर को भी राजनीति में नही लाना चाहिए। सबके धर्म अपने-अपने हैं, भावनाएं अपनी-अपनी हैं। किसकी पूजा आपको करनी है, यह आपका व्यक्तिगत मामला है, वह अलग बात है। मगर धर्म जब राजनीति में आता है तो विवाद ज्यादा बढ़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि मोहन सिंह जी जो बिल लाए हैं वह बहुत अच्छा बिल है और इस सदन के सभी सदस्यों को उस बिल को मान्यता देनी चाहिए। ऐसे बिलों का विरोध करने की परम्परा हमको तोड़ देनी चाहिए।

हम सभी देश को मजबूत बनाने के लिए यहां आए हैं। इसलिए देश को मजबूत बनाने के लिए हमें राजनीति से धर्म को निकालना बहुत जरूरी है। इस संबंध में हम सभी लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से मोहन सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने बिल को वापस न लें।

अपराह्न 4.19 बजे

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

अगर हमें अपने देश को मजबूत बनाना है तो हमें राजनीति से धर्म को अलग करना होगा। अगर विश्व हिंदू परिषद को राम का कार्य करना है, किसी को बाबरी मस्जिद का कार्य करना है, बुद्ध के लिए किसी को कार्य करना है तो करे, लेकिन राजनीति में धर्म को न लाए। राजनीतिज्ञ ही लोगों को भड़काने का ज्यादा काम करते हैं, इसलिए अयोध्या के बारे में मेरा कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट को जब मुस्लिम मानने के लिए तैयार हैं तो हिंदुओं को भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानना पड़ेगा।

माननीय अटल जी ने और सरकार ने भी कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट नहीं आता तब तक वहां राम मंदिर नहीं बनेगा, जिसकी बात कुछ लोग कर रहे हैं।

हम फैजाबाद के डी.एस.पी., भारतीय सेना और सरकार से यह मांग करते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट नहीं आता, तब तक उस जगह की वे रक्षा करें। यह फैजाबाद के डी.एस.पी. की जिम्मेदारी है। वह डिस्प्यूटिड जगह है। इसकी रक्षा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। वहां कल्याण सिंह जी का आदेश नहीं चलेगा और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। वहां होम मिनिस्टर के आदेश की भी आवश्यकता नहीं है। उस जगह की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी कानूनी तौर पर वहां की पुलिस की है। पुलिस को उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर देश को मजबूत बनाना है तो हमें आपस के झगड़े खत्म करने चाहिए। मैं राम मंदिर का विरोधी नहीं हूं। वह अयोध्या में दूसरी जगह बन सकता है। मेरा नाम भी राम है। कहने का मतलब यह है कि विवाद ... को खत्म करने के संबंध में विचार करने की जरूरत है। हम लोग राजनीति में जरूर हैं लेकिन हम सोशल विचारधारा को भी मानते हैं। आप हैं या नहीं, मुझे मालूम नहीं?

[अनुवाद]

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : क्या आप जानते हैं कि ये राजनीतिक दल वहाँ भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कि शिलान्यास का पहला पत्थर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति द्वारा रखा गया था। ... *(व्यवधान)* वह आपकी बात मान रहे हैं। अतएव शिलान्यास का पहला पत्थर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति द्वारा रखा गया था। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल वहाँ भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इस तथ्य पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : आपका दूसरा सवाल है कि विरोध क्यों हो रहा है? 15 अगस्त, 1947 को अगर वहां मंदिर था तो वहां मंदिर होना चाहिए। अगर कोई इस मंदिर को तोड़ता है तो उसका विरोध करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर नेशनल इंटीग्रिटी मजबूत करनी है, सैकुलरिज्म को मजबूत बनाना है तो इस पर सोचना होगा। उसका शेडयूल्ड कास्ट के लोगों ने फाउंडेशन रखा था, इसलिए विरोध हो रहा है, यह जो सवाल है ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम० मास्टर मथान (नीलगिरि) : आप यह कह रहे हैं कि 15 अगस्त, 1947 से यथा स्थिति बनाए रखी जाए। वर्ष 1950 में सोमनाथ मंदिर का पूर्णरूपेण जीर्णोद्धार किया गया था। विख्यात सरदार

वल्लभभाई पटेल ने मंदिर का निर्माण क्यों शुरू किया था। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया था। इसलिए 15 अगस्त, 1947 को आधार वर्ष नहीं माना जा सकता।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : हम जब उधर आएंगे तो रिप्लाई देंगे। हमें रिप्लाई देने की आदत नहीं है। *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : वह सपना ही रहेगा।

श्री रामदास आठवले : सत्ता से परिवर्तन आता है, ऐसा हम नहीं मानते। हम राम मंदिर बनाने के विरोधी नहीं हैं। हम सब मिलकर अयोध्या में उसे बनाएं। हम उसके लिए जगह देंगे। *(व्यवधान)* हम उसके लिए पैसा जमा करेंगे। हम राम मंदिर दूसरी जगह बनाएंगे।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : आप दूसरी जगह देने की बजाय दिल में राम के लिए जगह बनाएं।

श्री रामदास आठवले : मेरा नाम ही राम है। मुझे दिल में राम को रखने की जरूरत नहीं है। हमारे मुंह और बगल में राम और भीम हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान के अनुसार सब को न्याय दिया। अनटैचेबिल्टी के नाम पर काफी तकलीफ होने पर भी उन्होंने हिन्दू धर्म को हटाने की बात नहीं की।

बाबा साहेब अम्बेडकर को अनटैचेबिल्टी का अनुभव हुआ क्योंकि उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला था। इसलिये हम लोगों ने धर्मान्तरण किया। मेरे कहने का मतलब है कि यह सब झगड़े को खत्म करने के लिये हम सभी लोगों का प्रयत्न बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है इस हाउस में सभी लोग इस झगड़े को मिटाने के लिये विचार करेंगे आप लोग इस बात का आग्रह छोड़ दें कि राम मन्दिर केवल वहीं बनाना है। आप लोगों ने अपना एजेंडा स्किप कर दिया है लेकिन आर.एस.एस. के लोग या कोई दूसरे लोग इस प्रकार की बात करेंगे कि राम मंदिर उधर ही बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट के खिलाफ होगा। सरकार की तरफ से प्रीवेंटिव एक्शन होना बहुत जरूरी है, इस पर विचार होना चाहिये। मैं तो यही समझ रहा हूं कि आप लोगों ने राम मंदिर की बात छोड़ दी है। यह अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप लोग हमारे पास आ रहे हैं। धर्म को राजनीति में नहीं आना चाहिये। इस बिल के जरिये आप हमारे और नजदीक आ रहे हैं। थोड़ा और नजदीक आ जायेंगे तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय, इन्होंने जो नेशनल एजेंडा स्वीकार किया है, उस पर आपको मजबूती से रहना चाहिये। माननीय अटल जी का नेशनल एजेंडा है लेकिन राम जेठमलानी का हिडन एजेंडा है। अटल जी के बारे में यह राय है कि वे अच्छे आदमी हैं। उन्होंने नेशनल एजेंडा अच्छा बनाया है। फिर भी कुछ लोग उकसाने का काम कर रहे हैं। यह बात चलने वाली नहीं है। आपकी सरकार को आये साढ़े तीन महीने हुए हैं। यदि आप थोड़े दिन और टिकना चाहते हो तो इस हाउस में यह अनाउंस करना पड़ेगा कि वहां पर राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। कर दीजिये अनाउंस।

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, श्री रामदास जी ने श्री मोहन सिंह के बिल की तो हालत खराब कर दी है कि कहां तक चले गये?

श्री रामदास आठवले : मैंने बिल का इंट्रोडक्शन नहीं किया था। मैंने तो बिल का सपोर्ट करते हुए आपकी सरकार की ऐसी-तैसी करने का प्रयत्न किया है।

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, 'ऐसी-तैसी' शब्द असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकाल दीजिये।

श्री रामदास आठवले : यह मैंने नहीं कहा, आपने बोला है।

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, इन्होंने कहा है। आप इस शब्द को हटा दीजिये। आप रिकार्ड देख लीजिये।

सभापति महोदय : अनपार्लियामेंटरी है तो निकाल दिया जायेगा।

श्री रामदास आठवले : मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं सभी दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म को राजनीति से हटाने का प्रयत्न कीजिये। यदि धर्म इसमें आ जायेगा तो देश के साथ धोखा होगा। इसलिऐ धर्म को राजनीति से हटाओ, जातिवाद को मिटाओ, इस तरह की हमारी मांग है। श्री मोहन सिंह जी ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : चेयरमैन साहब, मुझे इस बिल पर बोलने का कोई मूड नहीं था मुझे इस बात की खुशी है कि प्राईवेट मैम्बर्स बिल के मौके पर इतने साथी यहां इस ऐवान में मौजूद हैं। मैंने 8वीं लोकसभा में कोरम की मांग करते हुए सैशन को समाप्त करवाया था क्योंकि पी.एम.बी. पर ज्यादा गौर करने के लिए हमारे साथी तवज्जह नहीं देते हैं। मैं यहां गुजरा तो आप लोगों का भाषण सुना, मुझे ख्याल आ गया कि मैं भी 2-4 बातें बताऊं। यहां पर जब डा. पाण्डेय बता रहे थे कि इस बिल की जरूरत नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं भी इस बिल पर बोलूं। इसलिए इस बिल की बहुत जरूरत है। इसकी वजह यह है कि जब कानून हमारे पास है लेकिन उसका उल्लंघन करने वाले बहुत से लोग हैं।

इसके जो प्रोविजन हैं, हमारे रामदास जी ने जब तकरीर शुरू की तो मेरा दिल और लग गया। मैंने सोचा दो-चार मिनट इसमें शिरकत करूं और इस बिल को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं कि धारा 51 बी में जो कहना चाहते हैं, इसके हर लफ्ज से मेरा इत्तेफाक है। यह कहना चाहते हैं कि हर शख्स की यह ड्यूटी है, हर पोलिटिकल पार्टी का, यह फर्ज है कि वह ऐसे आदमी को टिकट न दें और यह बोलने की इजाजत न दें कि धर्म का ज़िक्र करके, मजहब का नाम लेकर, मज़हब का वास्ता देकर वह वोट जमा करें और किसी तरह से वह किसी रियासत की असेम्बली में या इस मुअष्जिज ऐवान का मेम्बर हो सके, धर्म का वास्ता देकर।

मेरा ख्याल है कि यह बिल बड़ा मुख्तसर है। मैंने इसके औबजैक्ट्स देखे, वह भी मुख्तसर हैं। लेकिन कभी-कभी बहुत बड़ी बात किसी लहमे में कही जाती है। पहले तो मुझे शक गुज़रा कि यह बिल बुलाने वाले इस तरफ से हैं तो वह हिदायत के रास्ते पर हैं जैसा रामदास जी कह रहे थे, लेकिन एक बार यहां हुआ, बनातवाला जी यहां बिल लाए तो उस वक्त की सरकार को कनवर्ट करना पड़ा क्योंकि उनकी सहमति हो गई और आज के दिन जिस तरह से रामदास जी ने कहा और भी करेंगे, इस बिल का अच्छी तरह से समर्थन हो रहा है। मुझे

[प्रो० सैफुद्दीन सोज़]

ख्याल है कि अगर बी.जे.पी. इसकी तरफ पलटकर आ जाए तो जैसा हम सबको विश्वास है कि भारत अब भी महान है और भविष्य में भी, मुस्तकबिल में पूरे विश्व में अपना मुकाम पा लेगा, जैसा जवाहर लाल नेहरू जी ने ख्वाब देखा था। उस समय जवाहर लाल नेहरू ने शायद यहीं से बोला था। उन्होंने कहा कि अगले जमाने में अमरीका हो सकता है, चीन हो सकता है? हिन्दुस्तान हो सकता है। बाकी जो देश बड़े बनने हैं या सेक्यूरिटि काउंसिल में हैं या यू.एन. में जगह पाई है, लेकिन भारत का महान होना भारत के अंदर एक शक्ति है, उसी वजह से होगा। यह विचारधारा अगर एक हो जाए और हम फैसला करें कि मजहब और सियासत में इसको न लाएं और सियासत को सियासी उसूलों के मुताबिक करें तो यह बिल उसकी तरफ एक अहम कदम है और इसलिए मेरी अपील होगी बाईं ओर बैठने वाले लोगों से कि मेहरबानी करके वे इसको छोटा बिल न समझें। एक बड़े इंसान ने यह बिल पेश किया है, लेकिन इसका दायरा ज्यादा नहीं है। लेकिन जो बात कही गई है, वह हिन्दुस्तान को महान देश बनाने की तरफ एक जबर्दस्त संकेत है। इसलिए मैं अपने बाईं ओर बैठने वालों से अपील करता हूं कि वह इसका समर्थन करें और यह पास तो नहीं हो सकता, इस वक्त न हो, लेकिन एक रेजॉल्यूशन आ सकता है जो आपके माध्यम से सरकार को जाए कि इस उसूल पर आप बिल लाइए हम आपका समर्थन करेंगे और सियासत और मजहब का दायरा अलग-अलग कर देंगे ताकि मजहब के नाम पर किसी शख्स को इजाजत नहीं होगी, किसी पार्टी को इजाजत नहीं होगी कि वह किसी ऐवान में लोगों की तर्जुमानी करे।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولا) : چیرمین صاحب، مجھے اس بل پر بولنے کا کوئی موڈ نہیں تھا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پرایویٹ ممبرس بل کے موقع پر اتنے ساتھی یہاں ایوان میں موجود ہیں۔ میں نے آٹھویں لوک سبھا میں کورم کی مانگ کرتے ہوئے سیشن کو سایت کروایا تھا کیونکہ پی۔ایم۔ بل پر زیادہ غور کرنے کے لئے ہمارے ساتھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ میں یہاں گزرا تو آپ لوگوں کا بھاشن سنا۔ مجھے خیال آیا کہ میں بھی دو چار باتیں بتاؤں۔ یہاں پر ڈاکٹر پانڈے بتا رہے تھے کہ اس بل کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس بل پر بولوں۔ اس لئے اس بل کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قانون ہمارے پاس ہے لیکن اس کی خلافت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ اس کے جو پروویژن ہیں، ہمارے رام داس جی نے جب تقریر شروع کی تو میرا دل اور لگ گیا۔ میں نے سوچا دو چار منٹ اس میں شرکت کروں اور اس بل کو میں اس لئے سپورٹ کرتا ہوں کہ دفعہ 51 B میں جو کہنا چاہتے ہیں اس کے ہر لفظ سے میرا اتفاق ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص کی یہ ڈیوٹی ہے۔ ہر پالیٹکل پارٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے آدمی کو ٹکٹ نہ دے اور یہ بولنے کی اجازت نہ دے کہ دھرم کا ذکر کر کے، مذہب کا نام لیکر، مذہب کا واسطہ دیکر وہ ووٹ جمع کریں اور کسی طرح سے وہ کسی ریاست کی اسمبلی میں یا اس معزز ایوان کا ممبر ہو سکے، دھرم کا واسطہ دیکر۔

میرا خیال ہے کہ یہ بل بڑا مختصر ہے۔ میں نے اس کے اوبجیکٹس دیکھے، وہ بھی مختصر ہیں۔ لیکن کبھی کبھی بہت بڑی بات کسی لہر میں کہی جاتی ہے۔ پہلے تو مجھے شک گزرا کہ یہ بل بلانے والے اس طرف سے ہیں تو وہ ہدایت کے راستے پر ہیں جیسا رام داس جی کہہ رہے تھے۔ لیکن ایک بار یہ ہوا، بھارت والا جی یہاں پر بل لائے تو اس وقت کی سرکار کو کنورٹ کرنا پڑا کیونکہ ان کی سمجھتی ہو گئی اور آج کے دن جس طرح سے رام داس جی نے کہا اور، اور بھی کہیں گے۔ اس بل کا اچھی طرح سے سمرتھن ہو رہا ہے۔ مجھے خیال ہے کہ اگر بی۔جے۔پی۔ اس طرف پلٹ کر آ جائے تو جیسا ہم سب کو وشواس ہے کہ بھارت اب بھی مہان ہے اور مستقبل میں بھی، مستقبل میں پوری دنیا میں اپنا مقام پالیگا، جیسا جواہر لال نہرو جی نے خواب دیکھا تھا۔ اس وقت جواہر لال نہرو جی نے شاید یہیں سے بولا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگلے زمانے میں امریکہ ہو سکتا ہے، چین ہو سکتا ہے، ہندوستان ہو سکتا ہے۔ باقی جو دیش بڑے بننے ہیں یا سکیورٹی کاؤنسل میں ہیں یا یو۔این۔ میں جگہ پائی ہے، لیکن بھارت کا مہان ہونا بھارت کے اندر ایک شکتی ہے، اسی وجہ سے ہوگا۔ یہ وچاردھارا اگر ایک ہو جائے اور ہم فیصلہ کریں کہ مذہب اور سیاست میں اس کو نہ لائیں اور سیاست کو سیاسی اصولوں کے مطابق کریں تو یہ بل اس کی طرف ایک اہم قدم ہے اور اسی لئے میری اپیل ہوگی بائیں طرف بیٹھنے والے لوگوں سے مہربانی کر کے اس کو چھوٹا بل نہ سمجھیں۔ ایک بڑے انسان نے یہ بل پیش کیا ہے، لیکن اس کا دائرہ زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جو بات کہی گئی ہے، وہ ہندوستان کو مہان دیش بنانے کی طرف ایک زبردست سنکیت ہے۔ اس لئے میں اپنی بائیں طرف بیٹھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کا سمرتھن کریں اور یہ پاس تو نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت نہ ہو، لیکن ایک ریزولیوشن آ سکتا ہے۔ جو آپ کے مادھیم سے سرکار کو جائیگا کہ اس اصول پر آپ بل لائیں۔ ہم آپ کا سمرتھن کریں گے اور سیاست اور مذہب کا دائرہ الگ۔الگ کر دینگے تاکہ مذہب کے نام پر کسی شخص کو اجازت نہیں ہوگی، کسی پارٹی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی ایوان میں لوگوں کی ترجمانی نہ کرے۔ شکریہ۔

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : माननीय सभापति जी, हमारे पुराने मित्र माननीय मोहन सिंह जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, मैं नहीं समझता कि इसकी क्या आवश्यकता थी। उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कही है। मैं उन्हें डा. लोहिया की बात याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि वह डा. लोहिया को मुझसे कम नहीं समझते। अगर धर्म और राजनीति का समन्वय नहीं होगा तो राजनीति कलही हो जाएगी और धर्म पाखंड हो जाएगा। और धर्म पाखंडी हो जायेगा और जो हालात आज हैं, उसमें धर्म और राजनीति को अलग करने की बात और कोई सामान्य ज्ञान वाला आदमी करता तो मैं समझ सकता था, लेकिन मोहन सिंह जी धर्म और राजनीति की इस व्याख्या को मुझसे बेहतर समझते है। क्योंकि डा. लोहिया ने ही लिखा था- 'जो अल्पकालिक राजनीति हैं वह दीर्घकालिक धर्म है और जो अल्पकालिक धर्म है वह दीर्घकाल की राजनीति है।' जो छद्म धर्म- निरपेक्षतावादी लोग हैं, जो धर्मरिपेक्षता को नहीं समझते *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मंदिर-मस्जिद के झगड़े धर्म हैं या अधर्म हैं, यह बताइये।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : मैं उस पर आ रहा हूं, मैं रघुवंश प्रसाद जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने खड़े होकर कम से कम यह नहीं कहा कि डा. लोहिया ने यह लिखा ही नहीं है। मैं मंदिर और मस्जिद के सवाल पर भी आता हूं। यह देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस देश के मूलभूत तत्वों को ही नकारने पर तुले हुए हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं मंदिर चलेगा हिंदू धर्म के अनुसार, मस्जिद चलेगी इस्लाम धर्म के अनुसार, गिरजाघर चलेगा बाइबिल के अनुसार, लेकिन यह देश न मनुस्मृति से चलेगा, न शरीयत से चलेगा, न बाइबिल से चलेगा, यह देश भारत के संविधान से चलेगा और जो लोग भारत के संविधान के अनुसार एक कानून की बात करते हैं, उन्हें लोग साम्प्रदायिक कहते है जब डा. लोहिया कामन सिविल कोड की बात करते थे, तो भी उनकी आलोचना होती थी। उनकी सभाओं में उनके ऊपर पत्थर तक फेंके गये। आज जब हम लोग इसी बात को कहते हैं, तो डा. लोहिया के अनुयायी कहने वाले लोग भी हमारी आलोचना करते हैं। कुछ लोग जो अलग अलग सम्प्रदायों के लिए अलग-अलग कानून बनाने की बात करते हैं, वे अपने को कहते तो धर्मनिरपेक्ष हैं, परन्तु आचरण से वे घोर संकीर्णतावादी हैं और संविधान विरोधी आचरण कर रहे है। कोई साम्प्रदायिक विद्वेष न फैलाये, कोई जातिगत विद्वेष न फैलाये, कोई फिरकापरस्ती न फैलाये, इस बात की व्यवस्था भारत के संविधान में पीपुल्स रिप्रेजेंटिटिव एक्ट में पहले से ही है। मैं नहीं समझता कि अगर यह संशोधन हो जायेगा तो जिनको कानून तोड़ना है, जो पहले तोड़ते थे, बाद में नहीं तोड़ेंगे। मेरा यह कहना है कि देश को बिना वजह के सवाल पर उलझाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं श्री मोहन जी से कहना चाहूंगा कि यह संविधान संशोधन विधेयक वापस लें और भारत की बेहतरी के लिए और भारत के विकास के लिए धर्म और राजनीति में समन्वय करें, क्योंकि धर्म की परिभाषा तैत्तरीय उपनिषद में लिखी है- "यतोअभ्युदय निःश्रेयस् सिद्धिः स धर्मः" मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो, वह धर्म है। धर्म कोई पूजा-पद्धति की चीज नहीं है। गलती यह हो जाती है कि धर्म का अंग्रेजी रूपांतरण रिलीजन कर देते है। धर्म और रिलीजन में आकाश-पाताल का अंतर है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मोहन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने इस संविधान संशोधन विधेयक को वापस लें। इसका इतना महत्व था कि इस सवाल पर बहस हो जाए, मुझे भी बात करने का मौका मिल गया।

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): माननीय सभापति जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं माननीय मोहन सिंह जी द्वारा लाये गये इस विधेयक का समर्थन करता हूं। चूंकि आज इसकी बहुत आवश्यकता है। यह कहा जा सकता है, अभी हमारे मित्रगण बोल रहे थे कि धर्मनिरपेक्षतावादी यह देश विभिन्न जातियों और धर्मों का बना है। इसके संविधान के बनाते समय इसका ख्याल किया गया था कि विभिन्न जातियों और धर्मों से बने हुए इस देश में ऐसा संविधान बने जो सभी धर्मों के लोगों को लेकर चले। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संविधान इस देश में लागू किया गया। देश की आजादी के पहले ही हमारा संविधान बनने के पूर्व ही इस बात का जिक्र आया कि हिंदुस्तान जो विभिन्न जातियों और धर्मों का देश है, यहां किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के धर्मस्थल को नष्ट करने का तथा किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने से रोकने का अधिकार नहीं होगा।

जिस देश में इस तरह का निराला संविधान हो, हमारे मित्रगण कह रहे हैं कि इस बिल की आवश्यकता नहीं थी। हम मानते हैं कि धर्मनिर्पेक्ष देश हिन्दुस्तान में जो संविधान बना, वह सर्वोपरि है, उस संविधान में इस तरह का बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन आज इसकी आवश्यकता पड़ गई है। आवश्यकता क्यों पड़ी? सम्मानित सदस्य जानते हैं, हमारी आस्था कि मंदिर में पूजा करेंगे या मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, यह प्रत्येक इंसान के ऊपर निर्भर करता है और यह हमारी संविधान व्यवस्था के चलते है। यदि हम इसे आस्था से जोड़ देंगे तो संविधान नष्ट हो जाएगा। आज मंदिर और मस्जिद के नाम पर जिस तरह का खूनखराबा हो रहा है, जाति-जाति, वर्ग-वर्ग को लड़ाया जा रहा है, वह इस बात का द्योतक है। इसलिए आदरणीय मोहन सिंह जी ने जो धर्म को राजनीति से अलग करने की बात कही है, वह बहुत आवश्यक है हम इस बात का पुरजोर समर्थन करते है और अपने सम्मानित सदस्यों से भी निवेदन करते हैं कि यदि देश को समृद्धिशाली देखना चाहते हैं, धर्म से ऊपर देखना चाहते हैं तो इसका समर्थन करें। आज हम बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित होते जा रहे हैं, आजादी के पचास वर्षों बाद भी हमको मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है, हम धर्म में, जाति में पड़े हैं और इससे देश कभी विकसित नहीं होगा। इसलिए हम उधर बैठे हुए सदस्यों से निवेदन करना चाहेंगे कि श्री मोहन सिंह द्वारा लाए गए इस विधेयक का समर्थन करें। यह कुर्सी आज है कल नहीं रहेगी, हम, आप भी नहीं रहेंगे? यह संसार परिवर्तनशील है लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं। इस पर भी गौर करना पड़ेगा।

अंत में एक बार फिर हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर तीन घंटे का समय था। वह समय पूरा हो रहा है और अभी कुछ माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। यदि सदन स्वीकृति दे तो इस पर कुछ और समय बढ़ाया जाए। आज साढ़े पांच बजे तक का दिन है इसलिए इसे साढ़े पांच बजे तक बढ़ा दिया जाएगा।

कई माननीय सदस्य : इस पर और समय बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : सदन की स्वीकृति से इसका समय साढ़े पांच बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, इस बिल में एक बात कही गई है कि हम चुनाव में किसी रिलीजन के नाम पर वोट न मांगें, इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में की जाए। मैं समझता हूं कि संविधान में यह व्यवस्था पहले से है। आप जिस सिम्बल के नीचे बैठे हुए है, वह अशोक का सिम्बल है और शायद इतिहास इस बात का गवाह है कि यदि हिन्दुस्तान में कोई धर्म के आधार पर राज चला है तो वह अशोक का राज है। अशोक के सिम्बल को हमने अपना नेशनल सिम्बल माना है जिसका मतलब बहुत साफ है कि हम पहले से ही इस बात के ऊपर अटल हैं, हमारी सोच बिल्कुल साफ है। यहां बार-बार अम्बेडकर जी का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने भी संविधान में यह बात बिल्कुल साफ की हुई है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, राईट्स को यदि आप देखेंगे तो उनमें यह बहुत क्लीयर है कि चुनाव में कहीं भी रिलीजन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। गड़बड़ी वहीं होती है, जैसा मेरे साथी ने कहा कि धर्म और रिलीजन को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक आप इस बात के लिए दुहाई देकर सारे देश की राजनीति चलाते रहे, मुसलमान को यह कहना कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, हिन्दू को, जहां जरूरत पड़े, वहां इस्तेमाल कर देना, धीरे-धीरे छद्म राष्ट्रवाद को नंगा किया गया और देश के सारे राजनैतिक ढांचे ने भी पलटा खाया तो ये सब तकलीफें शुरू हो गईं।

मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि जैसा एक तरफ मेरे भाई ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना चाहिए और दूसरी तरफ अपना संदेश भी दे दिया कि मस्जिद तो वहीं बननी चाहिए, मंदिर किसी दूसरी जगह पर बना लीजिए। फिर क्यों कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की प्रतीक्षा करो। मैं समझता हूं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की प्रतीक्षा करने की बात करते हैं तो बेसीकली आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : मैंने यह बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट जिस तरह मुस्लिम समाज स्वीकारने के लिए तैयार है, उसी तरह हिन्दू समाज को भी स्वीकारना चाहिए और जिस जगह पर पहले मस्जिद थी, 15 अगस्त, 1947 को जहां मंदिर था, वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद थी, वहां मस्जिद रहेगी।

श्री चमन लाल गुप्त : सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला गया है। यही फैसला करने के लिए तो गया है कि वहां पहले क्या था। इसलिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेंगे, जबकि माननीय अटल जी ने बात बड़ी स्पष्ट कर दी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, वह लागू होगा, हमें कम से कम उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके पहले ही अगर हम अपना दर्शन देना शुरू कर देंगे, चिन्ता व्यक्त करना शुरू करेंगे तो बात नहीं बनेगी।

मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस बिल की कोई खास जरूरत ही नहीं है। इस बिल की जो मंशा है, वह पहले से संविधान के अंदर व्यक्त है। जैसा आपने स्वयं कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के यह डिसीजंस हो चुके हैं, एक दो नहीं, कई डिसीजंस हुए हैं, जिसके अन्दर जिसने भी रिलीजन का इस्तेमाल किया है, उसके चुनाव रद्द घोषित किये गये हैं। यह बेसिक चीज हमारे संविधान के अंदर आलरेडी है। इसके बाद फिर इसको लाना या इसकी बात करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। हमारा संविधान इस बात की पूरी गारण्टी देता है कि कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को न जगाये। परन्तु इतना जरूर है कि जो अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, उनके ऊपर, उसकी श्रद्धा के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति ठेस पहुंचाने की कोशिश न करे। कोई आदमी जाकर मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई आदमी मंदिर में जाकर राम नाम ले, पूजा करे, इसमें किसी को एक दूसरे की वर्किंग के अंदर इण्टरफियर करने की जरूरत नहीं है।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। इस बिल को हम वापस लें और संविधान की सही मायने में जो मंशा है, उसके ऊपर हम सब चलने का दृढ़ निश्चय करें। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने जो बिल सदन में रखा है, वह भारत के संविधान में और संशोधन करने वाला विधेयक है, धारा 51 में उपभाग 'बी' जोड़ने वाला विधेयक है। मैं उसका पुरजोर समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे देश के पूर्व राजनेताओं ने, जिसमें डा. भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेना हम भूल नहीं सकते, उन्होंने संविधान की संरचना करते वक्त इस बात पर विशेष ध्यान दिया था कि पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संरचना हो और सब को बराबर अधिकार मिलें।

आज कुछ ऐसी राजनैतिक पार्टियां हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कभी हमें धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में भाईचारा, साम्प्रदायिक सौहार्द, आपसी प्रेम, मोहब्बत बनी रहे, यही हम लोगों की मंशा होनी चाहिए। ऐसा न हो कि भारत की एकता को उससे चुनौती मिले। खासकर एक नारा, जैसा कि हमारे धर्मों में कहा गया है, ''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माकश्चित दुखभाग्भवेत।" इस नारे के साथ ही हम भारतवर्ष को मजबूत कर सकते हैं और एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं।

हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन आज फर्ज और कर्तव्य की ओर हम बिल्कुल नहीं देखते, जबकि हमें अधिकार के साथ फर्ज और कर्तव्य को भी देखना पड़ेगा। धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, यह मेरी व्यक्तिगत और सब की मंशा होनी चाहिए। पंचशील विचार, सर्वधर्म, समभाव का नारा देने वाले भारत में धर्म अपनी जगह पर रहे, राजनीति अपनी जगह पर रहे, इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि यहां जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबकी एक ही मंशा होनी चाहिए कि कभी राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इससे हमारे राष्ट्र और लोकतंत्र को खतरा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बिल का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती) : माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस गैर सरकारी बिल पर बोलने का मौका प्रदान किया है। हर चीज का अपना धर्म होता है। पानी का धर्म बहना है और उसे रोकेंगे या इकट्ठा करेंगे तो उसमें गलन

होने लगती है और सड़न पैदा हो जाती है तथा पानी में बदबू आ जाती है। लेकिन यदि पानी बहता रहता है तो उसकी पवित्रता बनी रहती है, क्योंकि उसका धर्म ही बहना है। इसी तरह आग का धर्म जलना है। आग जलेगी ही जलेगी, लेकिन आग जलनी बंद कर दें तो निश्चितरूप से आग को आग नहीं कहेंगे। उसी तरह राजनीति का भी अपना धर्म है। सदाचार से, सद्भाव से राष्ट्र की सेवा करना, यह राजनीति का धर्म है। राजनीति में और धर्म में विभेद पैदा करने की मानसिकता रखने वाले लोग ही तमाम प्रकार से राजनीति को धर्म से मिलाने का काम करने से और कदाचार करने से भी नहीं चूकते हैं। यदि उनके मन में धर्म का जरा सा भी भय होता तो जो भ्रष्टाचार और लूट-खसोट हो रही है, वह नहीं होती। राजनीति करने वाले लोग अपना धर्म भूल गए हैं, ऐसी ही मानसिकता के कारण राजनीति को लोग अब अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। यह जो बिल है, निश्चित रूप से ऐसी ही मानसिकता का पक्ष लिए हुए है। यहां पर चर्चा के समय राम नाम की भी बात की गई। मैं मोहन सिंह जी को जानता हूं। उनके नाम के साथ भी यदि विचार किया जाए तो धर्म जुड़ा हुआ है। मोह-न, यानी मोह न करने वाला, ऐसा मोहन, उसको कृष्ण और कन्हैया भी कहा गया है। कृष्ण भी हिन्दुओं के धार्मिक देवता हुए हैं। कृष्ण जन्म भूमि का उद्धार करने की बात समय-समय पर हुआ करती है। मोहन सिंह जी का भी संबंध यदि गम्भीरता से विचार किया जाए तो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इस बिल को प्रस्तुत किया है और पास करना है, तो उनको भी अपने नाम में परिवर्तन करने की बात सोचनी होगी। रामदास अठावले जी हैं, उनके नाम के साथ राम का नाम जुड़ा हुआ है। मेरा नाम श्रीराम है। मैं चुनाव लड़ता हूं तो गांव के लोग जय श्रीराम के नाम से मेरा स्वागत करते हैं। यह बिल पास होता है तो मुझे भी स्वयं के नाम के साथ कुछ अन्य नाम का शुभारम्भ करने की बात सोचनी पड़ेगी। इसलिए जहां तक राम का प्रश्न है, राम को अनायास ही लोक सभा में घसीटा जाता है। राम जन्म भूमि की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल नहीं करके, उससे इतर काम करना शुरू किया तो विपक्ष में बैठे हुए लोग राम जन्म भूमि और राम मंदिर के नाम को बराबर घसीटते रहते हैं। राम इस देश के राष्ट्र नायक हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। इस देश की संस्कृति और सभ्यता से उनका अद्भुत लगाव है। राम का नाम निकाल दीजिए तो इस देश की सभ्यता और संस्कृति पर हमें विचार करना होगा। वे इस देश की जीवन शैली हैं। भाई, मां-बाप, गुरु आदि के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह राम के आदर्श जीवन से ही हमें पता चलता है।

राम राज्य की कल्पना करने वाले गांधी, राम को ही अपना अराध्य देवता मानकर इस देश में राम राज्य लाने की बात सोचते थे। आज गांधी के सपनों का भारत बनाने की कल्पना करने वाले लोगों को साम्प्रदायिकता के नाम पर घसीटा जाता है और कठघरे में खड़ा करने की बात की जाती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राम इस देश की आदर्शशैली है। भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए, यह हमें राम के जीवन से मिल सकती है। यह कोई ईसा-मसीह या अन्य देवी देवता, जो विदेशी हैं, उनके माध्यम से इस देश की संस्कृति का कल्याण नहीं हो सकता है राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए राम के मंदिर का निर्माण अपने राष्ट्र के मंदिर का निर्माण करना हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह बिल पूरी तरह से अधार्मिक है। इस धारा का समावेश संविधान में पहले से ही है। चुनाव की व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है। इसलिए इस बिल का औचित्य और उपयोगिता नहीं बनती है। इस प्रकार का बिल आने से गलत धारणा पैदा होगी और वैसे भी लोगों में तो पहले से ही अधार्मिकता बढ़ती जा रही है और निरंकुश होकर राजनीतिक लोग कदाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। इसलिए राजनीति का भी धर्म होना चाहिए और उसी धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग इस देश को नई दिशा देकर, राम राज्य की कल्पना को साकार करने में लग सकते हैं।

यही निवेदन करते हुए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (मछलीपतनम) : सभापति महोदय, गैर-सरकारी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय संसद सदस्य श्री मोहन सिंह की प्रशंसा करता हूं जो कि न सिर्फ उनके लिए अपितु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने इस विधेयक को पूरी तरह से पढ़ा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश का होने तथा संभवत: धर्म के नाम पर किए जा रहे विनाश को देखते हुए उन्हें आगे आना था तथा यह विधेयक प्रस्तुत करना था जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश पर प्रवृत्त होता है।

इस लोकतांत्रिक देश में सदैव यह महसूस किया जाता रहा है कि कोई भी योग्य व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट मांगने का कभी सोच भी नहीं सकता। केवल डरपोक, अयोग्य और जनता तथा देश की सेवा करने में स्वयं की योग्यता पर विश्वास न रखने वाले व्यक्ति ही केवल धर्म या जाति के नाम पर वोट मांग सकते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकना होगा भले ही हम किसी भी पार्टी में हों।

कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि धर्म के नाम पर हमें कुछ वोट मिलें। किंतु ऐसा करके हम राष्ट्र तथा जनता का व्यापक नुकसान पहुंचा कर स्वयं को ही धोखा देते हैं। श्री मोहन सिंह, देश में हाल की तथा खासकर चुनाव के समय की प्रवृत्तियों को देखते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती, यदि आपने इसमें धर्म के साथ जाति शब्द को भी जोड़ दिया होता। किसी व्यक्ति ने धर्म का प्रयोग किया हो या जाति का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथा हाल में धर्म की अपेक्षा विशेषकर जाति के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है।

मैं इस विषय में केवल आपकी सहभागिता चाहता हूं। श्री मोहन सिंह ने केवल धर्म के नाम पर वोट मांगने पर रोक लगाने का उल्लेख किया है। महोदय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यदि राष्ट्रीय नेता रथ यात्रा के नाम पर पूरे देश का दौरा करें तथा किसी देश में धर्म या समुदाय के लोगों से यह मांग करें या अपेक्षा करें कि वे आगे आएं तथा धर्म के नाम पर नारे लगाएं तो इसका क्या प्रभाव होगा? एक संसद सदस्य के रूप में, एक विधान सभा सदस्य के रूप में वह एक चुनाव क्षेत्र के लिए वोट मांगने की सीमा में आ सकते हैं। किंतु यदि एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही तरीका अपनाता है, तो क्या इससे राष्ट्रको हानि नहीं पहुँचती हैं? इससे एक चुनाव क्षेत्र में होने वाली हानि से कहीं अधिक हानि होगी। हमें वैध रूप से, नैतिक रूप से अपनी अंतरात्मा को उत्तर देना चाहिए तथा सदन में एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हम लोग प्रतिज्ञा भी करते रहे हैं।

[श्री के०एस० राव]

अपराह्न 5.00 बजे

इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि हमें विश्वास नहीं है। जैसा कि संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमसे यह उम्मीद करता है, हम मौखिक रूप से शपथ लेते हैं किंतु हम इसे हृदय में आत्मसात् नहीं करते हैं। मैं यह नहीं जानता कि मैं यहां ऐसा कह सकता हूं या नहीं किंतु हममें से कई राष्ट्र की अपेक्षा अपनी अंतरात्मा को अधिक धोखा दे रहे हैं। हम यहां शपथ ले रहे है किन्तु जैसे ही हम सदन से बाहर जाते हैं उन सभी चीजों को करते हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए।

यह परिवर्तन श्री मोहन सिंह या दूसरे दस संसद सदस्यों या किसी एक पार्टी द्वारा नहीं लाया जा सकता हैं। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सभी नेता तथा सभी पार्टियां एक साथ बैठकर—चाहे संविधान में यह प्रावधान हैं अथवा नहीं इस बात से ऊपर उठ कर आम सहमति से यह निर्णय नहीं लेतीं कि चाहे संसदीय चुनाव हो या विधान सभा के चुनाव अथवा नगर निगमों के चुनाव यदि कोई व्यक्ति धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगता है तो ऐसे व्यक्ति पर सभी पार्टियों द्वारा चुनाव लड़ने पर तत्काल पाबंदी लगा दी जाए। यदि हम ऐसे लोगों तथा ऐसी प्रवृत्तियों को रोक सके तो श्री मोहन सिंह को इस तरीके से इस प्रकार का गैर सरकारी सदस्य विधेयक लाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।

संसद में विगत कई दशकों से इस मुद्दे पर चर्चा होती रही हैं। इसके बारे में हम सभी चर्चा कर रहे हैं किंतु इस संबंध में हम लोगों में से कोई भी वास्तविक कार्यवाई नहीं कर रहा है। मैं एक बार फिर श्री मोहन सिंह की इस विधेयक को प्रस्तुत करने की भावना की प्रशंसा करता हूं जो कि हम सब की भावना से जुड़ी हुई हैं। आइये, हम सब एक साथ यह सुनिश्चित करें कि ये सभी बातें केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं अपितु निष्ठापूर्ण प्रयासों तथा सच्ची भावना से क्रियान्वित हों।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : माननीय सभापति महोदय, आपने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मोहन सिंह जी राजनीति को धर्म से अलग करने के लिए जो बिल लाए हैं यह वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। हिन्दुस्तान में धर्म की परम्पराएं और राजनीति की परम्पराएं आज की नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुरानी है। हिन्दुस्तान के इतिहास में लोकतंत्र ने समय-समय पर अपनी अभिव्यक्ति की है और हमने देखा है कि जब भी कभी हिन्दुस्तान में लोकतंत्र इतिहास में रहा हैं और राजतंत्र रहा हैं तो उसके मूल्यों में अंतर रहा है। निश्चित रूप से जिस धर्म की बात की जा रही हैं उस धर्म ने राजतंत्र को सम्बोधित किया हैं और उसको रास्ता दिखाया है, क्योंकि उसमें कम से कम जनअभिव्यक्ति हुआ करती थी। लोकतांत्रिक मूल्यों की जब बात आती हैं तो हमें देखना पड़ता है कि धर्म और राजनीति अपना एक अलग-अलग दायरा रखे, जिससे धर्म राजनीति पर न लदे और राजनीति धर्म पर न लदे।

महोदय, हर राजनीति का अपना एक धर्म होता है। जो राजनीति लोकतंत्र से बनती है उसका धर्म लोकमत है, लोकहित है और लोक की व्यवस्था है। इतिहास के एक अंश को चश्मे की तरह देखने से हम समाज का भला नहीं कर सकते, यकीनन हमारे जो साथी हिन्दुस्तान के बहुत बड़े इतिहास के एक अंश को चश्मे की तरह देख रहे हैं और धर्म को राजनीति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको यह नहीं पता लगा कि डॉगमा जो वितण्डा है और धर्म में क्या अंतर होता है। जब-जब डॉगमा ने रूल किया है तब-तब हम सभी ने देखा है, इतिहास ने देखा है कि डॉगमा कभी भी जनहित और लोकहित का बायस नहीं बन सका। निश्चित रूप से उसमें विसंगतियां और अत्याचार पैदा हुए हैं। आज की तारीख में जब राजनीति और धर्म के नाम पर बहस चल रही है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से एक नस्ली संघर्ष की रचना करके राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है और उससे समाज में विसंगतियां पैदा हो रही हैं और कमजोरी आ रही है।

महोदय, हमारा जो 50 वर्षों का लोकतंत्र है, इतनी बड़ी आबादी है, उसका जो लक्ष्य है, हित हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। हमारा जो संविधान है और हमारे इस लोकतंत्र का धर्म धर्मनिरपेक्षता है, जनकल्याण हैं और लोकतांत्रिक शक्तियों की बेहबूदी हैं, उनकी बढ़ोत्तरी है। जब भी कभी समाज में संघर्ष की रचना की जाती है और उसके माध्यम से राजनीति पर नियंत्रण करने का प्रयास होता हैं तो निश्चित हैं कि उसके साथ कुछ परिस्थितियां फॉलो करती है और आज उन परिस्थितियों ने जिस हिन्दुस्तान की रचना की है वह हम सब के सामने है।

मैं इस अवसर पर अधिक नहीं कहना चाहता। हम इस सदन के अंदर बैठकर जो हमारी लोकतांत्रिक शक्तियों के प्रति प्रतिबद्धताएं हैं उनसे नहीं बच सकते हैं। उन प्रतिबद्धताओं को हमें दोहराना होगा और उन्हें आगे लाकर ही चलना होगा। हमें यह निश्चित करना होगा कि धर्म का जो डॉग्मैटिक स्वरूप है वह राजनीति को प्रभावित न करे, जिससे जनता की भावनाएं सुरक्षित रहें।

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू) : सभापति महोदय, भारत में जो सैक्यूलर शब्द है इसका ट्रांसलेशन धर्म निरपेक्ष न करके जाति-पंथ है निरपेक्ष हो जाए तो मेरा ख्याल है कि भारत के सारे लोगों के मन-मस्तिष्क में जो शंका है वह मिट जाए। जाति-पंथ के आधार पर तो राजनीति चलाना उचित नहीं है लेकिन धर्म-विहीन राजनीति राक्षसी हो जाएगी। धर्म ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बड़ा व्यापक हैं। मानव मात्र का कर्म धर्म माना जाता है। गृहस्थ में गृहस्थ धर्म है, समाज में एक अंग के तौर पर सामाजिक धर्म है और राष्ट्र के हित में जो है वह राष्ट्र-धर्म है। लेकिन उनमें भी एक विरोधाभास दिखाई देता हैं। लेकिन धर्म एक व्यापक शब्द हैं जिसकी परिभाषा थोड़े शब्दों में नहीं हो सकती हैं। मेरा कहना हैं कि जाति-पंथ निरपेक्ष राजनीति होनी चाहिए। इसलिए भारत में अपना संविधान जाति पंथ निरपेक्ष बनाया। भारत का जनजीवन और इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि यहां जाति और पंथ के नाम पर कभी भेद-भाव करके नहीं देखा गया। मानव को मानव समझा गया। मेरा कहना यह हैं कि यह जो आज प्रस्ताव आया हैं तथा हमारा संविधान भी जाति-पंथ निरपेक्ष है, इसलिए हमारे चुनाव में जो व्यवस्था की गयी हैं और उसमें यह लिखा गया है कि जाति-पंथ के नाम पर कोई आदमी वोट नहीं मांग सकता। लेकिन फिर भी यह बात आई हैं तो एक शंका मेरे मन में खड़ी होती है कि हम जाति-पंथ के नाम पर वोट न मांगे, लेकिन अगर कोई हमारी राजनैतिक संस्था ही ऐसी है जो जाति पंथ के नाम पर ही है और वोट मांगती है तो उनको वोट मांगने का अधिकार कैसे मिल गया और जीत कर वे यहां संसद में कैसे पहुंचे? इसके बारे में हमें विस्तार से बताया जाए। पंथ के

नाम पर हम वोट नहीं मांगते तो जो पंथ के नाम पर ही राजनैतिक संस्थाएं हैं उनको यहां कैसे प्रवेश मिला? जब हम कहते हैं कि आपने रथ निकाला और पंथ निरपेक्ष आप नहीं रहे तो जिन संस्थाओं के नाम पंथ निरपेक्ष नहीं हैं और जो हैं ही जाति और पंथ के नाम पर उन पर आक्षेप क्यों नहीं हुआ? यह बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाक्को (इदुक्की) : इस परिचर्चा में भाग लेना मेरे लिए प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है। श्री मोहन सिंह ने न केवल इस सदन के समक्ष बल्कि इस देश की जनता के विवेक के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रखा है जिसका सभी राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर उल्लंघन किया जाता है और जिसे उनके द्वारा अक्सर स्वीकार भी किया जाता है। इसे आदर्श माना जाता है किंतु अधिकतर इसका उल्लंघन ही किया जाता है। धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं का वोट प्राप्त करने और दलगत हितसाधन के लिए अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। यहां संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। यदि इसे अनिवार्य बना दिया जाता तो भी मैं इसका स्वागत ही करता जैसे अभी करता हूं।

संविधान के भाग 4 (क) में एक अनुच्छेद है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का यह देखने का कर्तव्य बनाने के लिए कि धर्म या धार्मिक प्रतीकों या भावनाओं को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए न उकसाया जाय, श्री मोहन सिंह ने अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत एक और खण्ड अर्थात 51 ख शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इसका उल्लेख है और तदनुसार इसे प्रत्येक राजनीतिक दल और उम्मीदवार का मौलिक कर्तव्य बनाने का प्रस्ताव हैं। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत इस कर्तव्य के उल्लंघन पर दण्ड नहीं दिया जाता। संविधान की ऐसी व्यवस्था द्वारा राजनीतिक दल और उम्मीदवार नैतिक रूप से बाध्य हो जाएँगे। किंतु मैं यह नहीं कहता कि राजनीतिक दल इस नैतिक कठिनाई या समस्या का सामना कर रहे हैं। सम्भवत: यह भाग्य की विडम्बना ही है कि हमारी स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में इस देश पर उस पार्टी की सत्ता है जो मूलत: धर्म और धार्मिक भावनाओं पर आधारित है।

श्री के.एस. राव ने यहाँ रथ यात्रा के बारे में उल्लेख किया है। धर्म पर आधारित किसी भी प्रकार का प्रचार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और इस देश के किसी चुनाव कानून के अनुसार उल्लंघन है। लेकिन राजनीतिक दलों के हित साधन के लिए यही उल्लंघन खुले तौर पर हो रहा है। हर चुनाव से पहले पार्टी के उच्चस्थ नेतागण जो प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर शोभायमान होने वाले हों, पूरे देश की रथ यात्रा पर निकलते हैं। वे अपने राजनीतिक हित साधन के लिए धार्मिक भावनाओं को उकसाते हैं। यह हमारी आँखों के आगे ही हो रहा है और कई लोग इस पर आपत्ति इसलिए नहीं करते कि दुर्भाग्यवश हमें यह समझा दिया गया हैं कि हम सब लाचार हैं। अत: इसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एक कर्तव्य बनाने हेतु शामिल किया जा रहा है। जब कहीं उल्लंघन हो और दोषी व्यक्ति को किसी कानून के तहत दण्डित न किया जाए तो तब कानून को निष्प्रभावी ही माना जाएगा।

मैं श्री मोहन सिंह की सद्भावना की कद्र करता हूँ। उनकी सोच हमेशा स्पष्ट रहती है। सम्भवत: वे अकेले योद्धा हैं। इस व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है। हमने यह देखा है। मुझे पिछली लोक सभा में भी मोहन सिंह जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्णरूपेण विपदकारी और कठोर परिस्थितियों में शांत और संतुलित रहते हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मेरी कामना है कि इसे संविधान में एक अनिवार्य प्रावधान बना दिया जाए ताकि जब भी उल्लंघन हो, कानून द्वारा दण्ड दिया जाए। वरना हम इस देश में सब राजनीतिक दलों से उस प्रकार के उच्च स्तर नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा नहीं कर सकते।

आज हमारे सामने एक बड़ा विवाद मंदिर और उस पर संघपरिवार के रवैये का है। मैं किसी पार्टी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं, आपके साथ कई अच्छे लोग हैं और सत्ताधारी पार्टी में कई मंजे हुए लोग हैं जो सम्भवत: सत्ताधारी दल के अतिवादी दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो पार्टी के ऐसे आदेशों को भी मजबूरी में मानते हैं जो सत्ताधारी दल के संयत लोगों को भी स्वीकार्य नहीं हैं। लेकिन महोदय, हमें ऐसा लगता है कि इस देश ने आजादी की लड़ाई के दौरान इस समस्या का सामना किया है। उसी समस्या का सामना आज हम और उग्र रूप में कर रहे हैं। यह देश 15 अगस्त, 1947 को धर्मतंत्रात्मक राज्य के आधार पर विभाजित हुआ था। उस समय देश को विभाजित करने वाले वर्ग के लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया था। वह कटु अनुभव हमारे हृदय और हमारी आँखों में विद्यमान है, हमने समझा कि देश का एक अच्छा खासा भाग अलग कर दिया गया और सिर को देह से परे रख दिया गया। आँसुओं के साथ हमने मन में निश्चय किया कि बाकी बचा एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। अब धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषाएं दी जा रही हैं। मैं उनकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। धर्मनिरपेक्षता धर्म को नकारना नहीं है। वह भारतीय धर्मनिरपेक्षता नहीं है। यदि कोई मेरा भी विरोध करता है तो मैं उससे बहस के लिए तैयार हूं।

महोदय, भारत में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है *सर्व धर्म समभाव*। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। कोई भी धर्म का उपयोग कर सकता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी अपने राजनीतिक हित साधन के लिए धर्म का उपयोग कर सकता है। कटु वास्तविकता, दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रिय तथ्य यह है कि इस देश का 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। उसी से हमें प्रेरित होना चाहिए और वही यह बताए कि हमें इस खतरनाक अस्त्र को किसी भी राजनीतिक दल के हित के लिए और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

आज जो दल सत्ताधारी हैं वही कल विपक्ष बन सकता हैं। आज भी इस संविधान (संशोधन) विधेयक के बिना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक प्रचार के उपयोग और चुनावी संभावनाओं के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अपराध माना जाता है। ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि कोयम्बटूर में श्री राधाकृष्णन का अभियान मुख्यत: धार्मिक आधार पर था।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं श्री पी.सी. चाक्को से केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। श्री चाक्को ने हमें बताया कि देश 1947 में धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि देश को धर्म के आधार पर किसने विभाजित किया? मुस्लिम लीग ने या कांग्रेस ने? मुस्लिम लीग ही थी जिसने 1947 में धार्मिक आधार पर देश को विभाजित किया था। हम इसके विरोधी हैं। कोयम्बटूर में मेरा अभियान भी देश के धार्मिक आधार पर विभाजन के विरुद्ध था। हम उस धर्म मार्ग को वापस पाना चाहते हैं जिससे विमुख हो गए हैं। इतना ही।

श्री पी०सी० चाक्को : महोदय, मेरी कामना है कि श्री राधाकृष्णन जैसे युवा व्यक्तियों को इतिहास की कुछ अधिक समझ हो, चाहे यह हिंदू कट्टरवाद अथवा मुस्लिम कट्टरवाद हैं। यह समान रूप से आपत्तिजनक है। यदि श्री राधाकृष्णन जैसे युवा इस पर आपत्ति नहीं व्यक्त कर सकें तो इस देश का कोई भविष्य नहीं हैं। मैं यह श्री राधाकृष्णन से जानना चाहता हूं वे इस बार कोयम्बटूर से कतिपय सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का कर विजयी रहे हैं। इन्हें इसका प्रतिफल अगली बार भुगतना पड़ सकता है••*(व्यवधान)*

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूं।

सभापति महोदय : हमारे पास सीमित समय है, कृपया इस प्रकार की चर्चा न करें।

श्री सी०पी० राधाकृष्णन : महोदय, मेरी विजय इसलिए हुई है क्योंकि लोगों ने मेरे लिए बलिदान किया है। स्कूल जाने वाले बच्चों, एक माँ और उसके बच्चे सहित, मेरे साठ समर्थक घटनास्थल पर मारे गए—क्यों मारे गए? यह देश में मुस्लिम कट्टरवाद के तुष्टीकरण के कारण हुआ।

सभापति महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी०सी० चाक्को : ठीक है, महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा हूं।

हम समझते हैं कि यदि देश के किसी विशेष भाग में सांप्रदायिक झगड़े और सांप्रदायिक तनाव अथवा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तथा इससे उस स्थान के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आता है और मैं कह रहा हूं कि श्री राधाकृष्णन इसी स्थिति का परिणाम हैं। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। श्री राधाकृष्णन का अपना विचार हो सकता है। उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है। वे इसी प्रकार अपना विचार व्यक्त कर सकते है। लेकिन महोदय, एक चुनाव क्षेत्र जिसका अपना राजनीतिक चरित्र है के विरुद्ध इस बार लोगों की इच्छा अथवा निर्णय आया क्योंकि वहां कोई बात हुई तथा श्री राधाकृष्णन को प्राप्त हुआ लाभ वहां हुए सांप्रदायिक नरसंहार का कुल परिणाम है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं।

मैं एक ऐसे स्थान से आता हूं जहां न सिर्फ हिन्दू कट्टरवाद बल्कि कई अन्य सांप्रदायिक कट्टरवाद अपना-अपना खेल खेल रहे हैं। हमने इन सभी चीजों का विरोध करने हेतु एक युवा आंदोलन शुरू किया था। आप मुझपर आरोप लगा सकते हैं। मैं इसे पूरी पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि हमने विगत में सांप्रदायिक वर्गों एवं सांप्रदायिक दलों को चुनाव में उतारा। शायद यहां एक ऐसी ही स्थिति है, श्री राधाकृष्णन श्री मोहन सिंह को नहीं जानते होंगे कि जब उनके जैसा व्यक्ति यह कह रहा हो तो हमें इसे खुले दिमाग से समझना चाहिए। न तो यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और न ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि अब शायद यहां ऐसी स्थिति है जिसपर राजनीतिक दलों को आत्म दर्शन करना चाहिए। प्रतिदिन जो कुछ भी घट रहा है तथा हम जो कुछ भी दे रहे हैं वह यह कि हम चुनाव दर चुनाव होने वाले इस घृणित अपराध के अभिन्न अंग बन गए हैं। यदि किसी समय हम इन त्रुटियों को ठीक करने पर विचार नहीं कर सके तो आने वाली पीढ़ियों को इसका मूल्य चुकाना होगा।

अगली बार कई अन्य चुनाव क्षेत्रों में कोयम्बटूर के समान घटनाएं घट सकती हैं। कोयम्बटूर में जो हुआ, आप शायद इसका विरोध करेंगे, उसकी अन्य जगहों पर पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस देश के राजनीतिक दलों अथवा किसी नेता पर दबाव का शायद असर नहीं पड़े। हम एक ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जिसपर कई प्रकार की शक्तियों का अत्यधिक दबाव हैं और शायद हमारा नैतिक दबाव काफी हद तक तटस्थ होता हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां मंदिर-मस्जिद मुद्दे पर प्रतिदिन लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई से हमारे मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है तथा हम नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम समाज पर पड़ने वाले इस प्रकार के दबाव के समक्ष आसानी से टूट रहे है।

अत: सरकार इस प्रकार के किसी गैर सरकारी सदस्य के विधेयक से शायद प्रभावित नहीं होने वाली है। इसे प्रतिष्ठित अथवा इसी प्रकार का मुद्दा नहीं समझा जा रहा है। हमारे युवा सक्रिय विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं। वस्तुत: वे उस दल से संबंधित हैं। बस। वे हमारे साथ इससे अधिक समय तक रहे हैं। कल भी उनका दल हमारे साथ होगा। अत: कोई समस्या नहीं है। मैं समझता हूं कि कुछ स्पष्ट सोच बनायी जानी चाहिए। सरकार की तरफ से ही कतिपय कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब एक आम सहमति बन रही है।

मुझे अत्यंत खुशी है कि भा.ज.पा. के कई सदस्य श्री मोहन सिंह द्वारा की जा रही सिफारिशों पर अपना सकारात्मक योगदान कर रहे थे। यदि भा.ज.पा. के सदस्य इस स्तर तक आ सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इस देश का कोई भविष्य है। यह इसलिए कि महोदय मैं जो कुछ हो रहा है और यहां मैंने जो कुछ सुना है उसमें अत्यंत भिन्नता है। अत: मैं समझता हूं कि किसी न किसी समय प्रत्येक व्यक्ति की कोई संतुलित सोच होती है। शायद यहां हम लोगों की सोच में कोई परिवर्तन कर सकें। यहां हम एक विचार प्रकट कर रहे है। श्री मोहन सिंह ने विचार विषय दिया है। हमें इस पूरे देश के बारे में सोचना हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस पूरे देश के बारे में सोचना होगा। अब यह सिर्फ एक सिफारिश के रूप में कही जा रही है। यह राजनीतिक दलों के कर्तव्य के रूप में कहा जा हैं और उनके उम्मीदवार अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से नहीं निभा रहे है।

यदि हम देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित चुनाव याचिकाओं को देखें तो गत आम चुनाव में 50 प्रतिशत से अधिक मामले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित थे। ये मामले धर्म तथा धार्मिक चिह्न के उपयोग के संबंध में चुनाव संहिता का उल्लंघन किए जाने से संबंधित हैं। इसका अर्थ है कि यह रोजमर्रा की बात हो गई है। इसे नियमित रूप से किए जाने के कारण यह नित्य काम करने का तरीका हो गया है। अत: यहां एक भिन्न स्थिति है। मेरा सुझाव है। कि यदि दूसरे पक्ष की भावना ठीक है तो हम एक ऐसे विधान जो वैधानिक अनिवार्य तथा कानून के तहत दंडनीय होगा को तैयार करने में सहमत क्यों नहीं होगे। जहां कहीं भी तथा जब-जब ऐसा हो तो हम किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार को अयोग्य ठहरा सकते हैं। यदि इस सदन में सभी पक्षों से व्यक्त किए गए विचार सत्य है। तो हम और कठोर कदम उठाए जाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं ताकि इस प्रकार का कृत्य करने वाले किसी भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सके। इन सबों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए राजनीतिक दलों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। हमें इसपर सहमति करनी चाहिए। ठीक हैं कुछ न होने से कुछ होना अच्छा है।

प्रतिदिन यह सांप्रदायिक प्रचार सांप्रदायिक भाषणों तथा इसी प्रकार की बातों से दूषित हो रहा है। यहां कम से कम इस प्रकार का विचार कि यह देश तथा समाज के हित में नहीं है तथा कि हम सबों को इससे बचना चाहिए सम्बन्धी बातें इस संकल्प में कही गई हैं। मैं इस विधेयक का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। यदि हम इस देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां किसी प्रकार का समझौता कर सकें तो इस कानून को और कठोर बनाया जा सकता है। इसे स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह वर्ष हमारे स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती है। हमें विगत में क्या हुआ उसे कम से कम भूलना चाहिए। हमारे लिए यह एक अवसर है कि हम और अधिक उज्जवल भविष्य तैयार करें तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य दें। जैसाकि श्री के.एस. राव ने कहा है कि शायद जात-पात और धर्म हमें प्रभावित कर रहे हैं। जात-पात का एक अन्य खतरा भी है। यह इसलिए है कि जात-पात और धर्म आज की भारतीय राजनीति को बुरी तरह प्रभावित कर रहा हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जात-पात का प्रचार कर राजनीतिक लाभ प्राप्त कर रही हैं।

यह लोगों द्वारा इस अत्यधिक अस्वीकार्य परिस्थिति को न मानने की दिशा में हमारे प्रयासों की एक अलग कड़ी है। अत: मैं श्री मोहन सिंह को बधाई देते हुए उनके द्वारा लाए गए इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मोहन सिंह जी जो बिल लाये हैं, सही मायनों में जो हमारे देश का नेतृत्व वर्ग है, शुतुरमुर्ग की तरह कुछ पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह शुतुरमुर्ग खतरा आने पर अपनी गरदन रेत में धंसाकर समझता है कि खतरा टल गया। सच्चाई यह है कि इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था।

सन् 1947 में देश के नेताओं ने स्वीकार किया था कि एक पार्ट हिन्दू के लिए होगा और एक पार्ट मुसलमान के लिए होगा। क्या यह धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं था? आज देश में वे पार्टियां, जिनका नाम भी धर्म से जुड़ा हुआ है, जिनके नाम से ही लगता है कि ये किसी विशेष वर्ग की पार्टी हैं, चल रही हैं चाहे वह मुस्लिम लीग हो, चाहे मुस्लिम मजलिस हो। *(व्यवधान)* कहीं भी पूछ लें, यह कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का नाम किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय के साथ जुड़ा हुआ हैं ... *(व्यवधान)* जो व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक नहीं हो सकता, वह कभी भी इस देश का भला नहीं कर सकता, इस देश की जनता का भला नहीं कर सकता। राजनीति का धर्म जनसेवा हैं और हर धर्म का कहना भी जनसेवा हैं। व्यक्ति चाहे मुस्लिम धर्म का मानने वाला हो, ईसाई, बौद्ध, सिख हो, यदि वह अपने धर्म के हिसाब से चलेगा। धर्म के नियमों को मानेगा तो निश्चित रूप से राजनीति में आकर भी पाप से डरेगा, पुण्य की ओर चलेगा। जब वह पुण्य की आर चलेगा तो निश्चित रूप से जनसेवा में लगेगा। जनसेवा ही राजनीति का धर्म है, जनसेवा किए बिना राजनीति का उद्देश्य पूरा नहीं होता। श्री मोहन सिंह ने कहा है कि धर्म के नाम पर वोट न मांगें। यह बात सही है, इससे सभी सहमत हैं। लेकिन धार्मिक होना अलग बात है और धर्म को राजनीति से जोड़ना अलग बात है। इस देश के हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं आपका ध्यान हरियाणा की कुछ नर्सों की शोचनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि पांच सप्ताह से हड़ताल पर हैं। उनमें से लगभग 2000 नर्से स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आई हैं। वे धरने पर हैं। उन पर पुलिस ने बड़ी बेरहमी से लाठी चार्ज किया और लगभग 2 दर्जन नर्सें घायल हुई। उनमें से बहुत सी पुलिस हिरासत में हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी समस्याओं पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये और उनकी रिहाई की जाये।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य और जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय संसद सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अपने अमूल्य सुझाव दिए और कहा कि किसी भी राजनीतिक दलों को धर्म अथवा जाति के आधार पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। पिछले 50 वर्षों के दौरान देश में सफलतापूर्वक चुनाव हुए हैं और जिससे देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक आधार मिला है। अनुभव के आधार पर हमारे मित्र श्री मोहन सिंह संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक लाये हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस विधेयक पर साढ़े पांच बजे तक का समय बढ़ाया गया था लेकिन अभी मंत्री महोदय को उत्तर देना है और मोहन सिंह जी को भी बोलना है, इसलिए जब तक दोनों का उत्तर होगा, तब तक के लिए इसका समय बढ़ाया जाता है।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मेरी गुजारिश है कि मुझे एक मिनट का समय दिया जाए ताकि मैं अपना बिल मूव कर सकूं।

[جی ایم بنات والا (پونانی): جناب چیئرمین صاحب، میری گزارش ہے کہ مجھے ایک منٹ کا وقت دیا جائے تاکہ میں اپنا بل موو کر سکوں۔]

[अनुवाद]

डा० एम० तम्बी दुरई : अधिकांश माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर देश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मैं उनका अति आभारी हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए।

परन्तु अधिकांश राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में सफलता प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। यही उनका लक्ष्य हैं। यहां तक कि जब उम्मीदवार अपना नामांकन पक्ष भरने जाते हैं तो वे मन्दिरों में पूजा करने जाया करते है। तत्पश्चात वे अपना नामांकन पत्र जमा करते हैं। ऐसा भी होता है। वे अपनी सफलता के लिए प्रार्थना भी करते हैं। जैसा कि ऐसा हो रहा है। जातिवाद भी एक मुख्य तत्व है जिसकी चुनावों में एक महती भूमिका है यह तो व्यावहारिक रूप में सभी जगह हो रहा है अगर आप दक्षिण भारत का मामला देखें और विशेषकर तमिलनाडु में और अन्य राज्यों में द्रविड़ आन्दोलन के कारण जातिवाद और सम्प्रदायवाद में कुछ सीमा तक कमी हो रही है। यदि आप हमारे नाम भी देखेंगे तो उनके साथ हमारे उपनाम नहीं हैं। इसका सृजन विशेषकर तमिलनाडु और अन्य राज्यों में हुआ हैं। उदाहरण

[डा. एम. तम्बी दुरई]

के तौर पर तमिलनाडु जिसमें पांडिचेरी और केरल के कुछ भाग भी शामिल हैं वहां से निर्वाचित 40 सदस्यों के नामों के साथ कोई जातिसूचक उपनाम नहीं लगा हुआ है। तथापि, मोहन सिंह के नाम के साथ सिंह उपनाम लगा हुआ है मैं नहीं जानता कि यह क्या प्रदर्शित करता है। इसलिए अभी भी जातिवाद फैला हुआ है। जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका उपनाम उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। इसलिए वे ऐसा प्रयास करते हैं कि उन्हें ही वोट मिलें।

हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। इस विषय में हम भी कुछ ऐस ही सोच रहे हैं। परंतु जो कुछ भी हो रहा है वह कुछ भिन्न है। नाम तो भिन्न हैं चौधरी और यादव जैसे उपनाम उत्तर भारत में फैले हुए हैं परंतु दक्षिण भारत में यह रूप कुछ सामान्य रूप में हैं इस तरह से नहीं है विशेषकर तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में। लोगों के नामों के पीछे कदाचित उपनाम नहीं हैं। हमारे द्वारा वहां चलाऐ गए अभियान का ही यह प्रभाव है। और अधिकांश लोग अपनी जाति का प्रदर्शन नहीं करते है, परन्तु आजकल व्यावहारिक तौर पर सभी कुछ परिवर्तित हो रहा है। यहां तक कि जब राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों का चयन किया जाता है तो उन्हीं लोगों का चयन किया जाता है जिस जाति अथवा समुदाय का वहां पर वर्चस्व हो। इसलिए वैसे ही लोग खड़े किए जाते हैं। यह तो फैशन सा बन गया है। (व्यवधान) अत: श्री मोहन सिंह इस तरह का गैर सरकारी विधेयक लाने के लिए आमादा हुए *(व्यवधान)*

मैं नई पीढ़ी के बारे में बात कर रहा हूं। यदि आप छोटे लोगों को देखें तो तमिलनाडु में इस तरह उपनाम नहीं मिलेंगे। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं। तथापि, अधिकांश मामलों में उनका उपनाम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यदि आप वर्तमान लोक सभा के 40 सदस्यों के नामों को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हमारे राजनीतिक आन्दोलन का यह प्रभाव है कि हमारे उम्मीदवार अपने लाभ के लिए अपनी जाति उपजाति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह एक मामला है जो मैं सम्मानीय सदन को बता रहा हूं। यह कुछ ही भागों में नहीं हो रहा है और जो कि कुछ समय बाद सामने आ जायेगा।

श्री मोहन सिंह संविधान में संशोधन विधेयक, नये अनुच्छेद 51 ख का अंत:स्थापन ला रहे हैं और यह प्रत्येक राजनीतिक दल और उम्मीदवारों का मौलिक कर्तव्य है कि वे किसी भी चुनाव में धर्म के नाम पर अथवा लोगों की धार्मिक भावनाओं का उद्धरण देकर लोगों से वोट न मांगें।

उनका इरादा नेक हैं और हम उसकी सराहना करते हैं। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूँ। हमारे पूर्वजों ने संविधान की प्रति स्थापना अच्छे इरादों के साथ की थी। उन्होंने इस तरह के धार्मिक कट्टरवाद अथवा जातिवाद की भावनाओं को दूर करने के लिए संविधान में सभी तरह के प्रावधान किए थे। यही उनके इरादे थे। वे देश में धर्मनिरपेक्षता लाना चाहते थे। परंतु समय के साथ-साथ हमने संविधान में भी परिवर्तन किए। सन् 1976 में हमने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया। वास्तव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है परंतु इसके पश्चात हमरा संविधान मजबूत हुआ।

अभी भी बहुत सारे प्रावधान हैं अस्तित्व में जो कि इसे कार्यान्वित करने में मदद करेंगे जैसा कि श्री मोहन सिंह चाहते हैं। जैसा कि वे चाहते हैं कि उम्मीदवारों को चुनावों में इसका पालन करना चाहिए। उसके लिए हमारे संविधान में इतने प्रावधान उपलब्ध हैं। चुनाव आयोग ने भी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु आदर्श संहिता बना रखी है। इसलिए इसके प्रावधान पहले से ही हैं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3) के अंतर्गत किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, मूलवंश, सम्प्रदाय या भाषा अथवा किसी धार्मिक प्रतीक को उपयोग करके अथवा तत्संबंधी अपील करके अथवा राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज अथवा राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग तथा तत्संबंधी अपील करके उस व्यक्ति के पक्ष में अथवा उसके विपक्ष में मतदान करने की अपील करना, जिससे कि उस उम्मीदवार की चुनाव संबंधी सम्भावना में वृद्धि हो अथवा किसी अन्य उम्मीदवार की चुनाव संबंधी सम्भावना पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रभावित हो, एक भ्रष्ट आचरण है। अत: इस प्रकार का प्रावधान पहले ही किया गया है।

इसके अलावा धारा 123 (3क) के अंतर्गत किसी उम्मीदवार अथवा उसके एजेंट अथवा उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति अथवा उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावनाओं को बढ़ाने अथवा किसी अन्य उम्मीदवार के निर्वाचन को पूर्वाग्रहपूर्वक प्रभावित करने के लिए नियुक्त उनके चुनाव एजेंट द्वारा धर्म, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में शत्रुता अथवा वैमनस्य की भावना से फैलाना अथवा फैलाने की कोशिश करना भी भ्रष्ट आचरण समझा जायेगा। ऐसे भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 क के अंतर्गत छ: वर्ष तक की अवधि के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है। निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को भी उनके द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनौती दी जा सकती है देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (ख)

यदि कोई व्यक्ति द्वारा भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, वंश, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर शत्रुता अथवा वैमनस्य की भावना फैलाता है अथवा फैलाने का प्रयास करता है तो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के अंतर्गत कैद की सजा हो सकती है। जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है अथवा जुर्माना अथवा दोनों की ही सजा हो सकती है।

विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्म स्थान आवास, भाषा आदि के नाम पर शत्रुता को बढ़ावा देने और सौहार्द को बनाये रखने के संबंध में पूर्वाग्रह पूर्वक कार्य करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 क के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतएव यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव में सफलता प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दलों का दुरुपयोग न किया जाये संविधान में पहले ही उपबंध किए गए हैं। परंतु चाहे जो भी हो माननीय सदस्यों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस संबंध में सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने के बारे में पहले ही निर्णय ले लिया है और हम चुनाव सुधार के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर निश्चित रूप से विचार करते हुए इस पर एक व्यापक विधेयक लायेंगे। इस संबंध में हम सभी दलों के नेताओं की बैठक आमंत्रित कर चुके हैं और श्री इंद्रजीत गुप्त की

अध्यक्षता में एक समिति भी गठित कर दी गई है। यह समिति चुनाव सुधार के संबंध में कई पहलुओं पर सिफारिश करने वाली है। उस समय हम मेरे मित्र श्री मोहन सिंह द्वारा कही गई बातों पर निश्चित रूप से गौर करेंगे।

अतएव मैं श्री मोहन सिंह से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। हम निश्चित रूप से उनकी इच्छाओं को कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। इस विधेयक में अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी अंतर्विष्ट किया जायेगा जिसे हम शीघ्र ही पुरःस्थापित करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : महोदय, मंत्री जी ने अयोध्या के बारे में कुछ नहीं कहा।

[अनुवाद]

डा० एम० तम्बी दुरई : अयोध्या इससे किसी भी तरह नहीं जुड़ा है। (व्यवधान)

श्री पी०सी० चाको : माननीय मंत्री आश्वासन भी दे सकते हैं।

डा० एम० तम्बी दुरई : मैं विधि मंत्री के रूप में मंदिर बनाने के बारे में आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

श्री पी०सी० चाको : सरकार की ओर से कोई भी आश्वासन दे सकता है।

डा० एम० तम्बी दुरई : विधि मंत्री के रूप में चुनाव सुधार के बारे में व्यापक विधेयक ला सकता हूं। आप जिन बातों को चाहते हैं उनको विधेयक में शामिल किया जा सकता है। मैं बस यही आश्वासन दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं सभी पक्षों के माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि मेरे इस विधेयक को उन्होंने काफी महत्वपूर्ण मानकर बहुत ही रुचिपूर्वक इसकी बहस में हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छे सुझाव, बहुत ही अच्छी भावनाओं का इजहार, सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने किया है। माननीय मंत्री जी सहित लगभग सभी सदस्यों ने, जिस नेक भावना और नेक इरादे से यह विधेयक इस सदन में लाया गया था, उस नेक-नीयती की उन्होंने प्रशंसा की है। मुझे इस बात की खुशी है कि 12वीं लोकसभा का यह पहला गैर-सरकारी विधेयक है, जिस पर काफी समय तक हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आदरणीय सदन का समय अब अपनी बात को लम्बा करके लेना नहीं चाहता हूं। क्योंकि इसके सभी पक्षों को सभी माननीय सदस्यों ने सामने रखा है। हमारे पास ऐसे कानून पहले से ही हैं कि चुनाव के मौके पर जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, जो राजनीति और समाज के असल मुद्दे हैं, जिसको राजनीति को निश्चित करना है, उन मुद्दों को झुठलाकर और भावनाओं को भड़काकर वोट लेने की प्रवृत्ति पर काबू पाया जाए। हमारे देश की समस्याओं में आज निरन्तर वृद्धि हो रही है और उन समस्याओं का निराकरण राजनीति के माध्यम से हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे एक प्रमुख कारण यही है कि जो शार्ट साइटेड स्लोगन्स हैं, उनको लेकर आसान पगडन्डी से राजनीतिक माहौल के आरूढ़ होने की जो नई प्रवृत्ति पैदा हुई, उसकी वजह से राजनीति देश की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए और देश के एजेंडे का यह भी एक मुद्दा है, जो की असल मुद्दा है और उन मुद्दों को ही हम राजनीति का विषय समझें और धर्म को निजी अपनी आस्था का सवाल समझें। इन दोनों का एक दूसरे में हस्तक्षेप न हो। यही मेरी भावना थी। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात का पूरा आश्वासन दिया है कि जब भारत सरकार और इस देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल आपस में बैठकर एक मुकम्मिल चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक बृहद् परिवर्तन का एक विधेयक इस सदन में लाने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में इस सदन में इनके दिए हुए आश्वासन पर मुझे पूरा विश्वास है और मैं यकीन इस बात में करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने भावनाओं को व्यक्त किया है, उन भावनाओं को भी शामिल किया जाएगा। जो कमेटी बनाई गई है और उसके जो सुझाव होंगे, उस कमेटी में विचार करते समय इस विधेयक पर इस सदन में जो चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं, इन विचारों को भी संज्ञान में रखेंगे। इस आशा के साथ यदि आप मुझे आदेश दें और इस सदन की अनुमति हो, तो मैं इनके आश्वासन पर पूरा यकीन करते हुए अपने इस विधेयक को वापिस लेने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं इस विधेयक को वापिस लेता हूं।

अपराह्न 5.47 बजे

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 15, में संशोधन आदि)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण अब सभा संविधान (संशोधन) विधेयक, 1998 (अनुच्छेद 15, में संशोधन) आदि से संबंधित विधेयक को लेगी। इससे पूर्व कि मैं इस विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करने हेतु श्री जी.एम. बनातवाला का नाम पुकारूं, हमें इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए समय निर्धारित करना होगा। क्या इसके लिए दो घंटे का समय पर्याप्त रहेगा?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

[श्री जी०एम० बनातवाला]

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।"

सभापति, महोदय समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उद्दिष्ट किसी भी नीति में आरक्षण एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। आरक्षण की इस प्रथा का, विशेषकर दक्षिण में एक लम्बा इतिहास है। हमने आरक्षण के इस मसले पर अनेक बार चर्चा की हैं। अभी कल ही में हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जारी रखने के विषय में अपनी चिन्ता जाहिर की थी क्योंकि इस बारे में कतिपय अस्पष्ट उद्घोषणाएं की जा चुकी हैं। और इसलिए कल सभा को आश्वासन देकर यह ठीक ही किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में कोई कमी करने या उसे समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

इसी प्रकार हम महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर भी उद्वेलित हैं और उस प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि समाज के एक भाग की उपेक्षा कर केवल दूसरे भाग पर ही विचार करके सामाजिक न्याय की नीति को पंगु नहीं बनाया जाना चाहिए और आरक्षण का लाभ अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं और पुरुषों दोनों, को मिलना चाहिए। तथापि, मैं इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम इन सब मुद्दों पर बाद में विचार करने जा रहे हैं।

मेरा यह विशेष विधेयक कुछ अन्य मुद्दों से संबधित है। जो विधेयक मैंने यहां प्रस्तुत किया है, मुझे विश्वास है कि वह अखंडनीय और अविवादास्पद होगा।

महोदय, आरक्षण की हमारी यह नीति समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने का एक माध्यम है। जैसाकि मैंने कहा है कि आरक्षण के संबंध में, विशेष रूप से दक्षिण में हमारा एक लम्बा इतिहास रहा हैं। दक्षिण, विशेष रूप से तमिलनाडु ने सामाजिक न्याय के संवर्धन हेतु एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में आरक्षण के क्षेत्र में अगुवाई की है। ये आरक्षण है : उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण तथा सेवाओं में पदों और नियुक्तियों के मामले में आरक्षण।

सभापति महोदय, अब कतिपय न्यायिक निर्णयों ने कुछ कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। ये कठिनाइयां ऐसे स्वरूप की हैं कि इससे सामाजिक न्याय की नीति दुर्बल और कमजोर पड़ जाती है।

मेरे विधेयक का उद्देश्य न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न इन कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना तथा हमारे सामाजिक न्याय की नीति की रक्षा करना है जिसके लिए वैधानिक कार्यवाही और संविधान में संशोधन की आवश्यकता है।

मैं, प्रारम्भ में, न्यायिक निर्णयों के कारण पैदा हुई कठिनाइयों के बारे में संक्षेप में बोलना चाहूंगा। सबसे पहले, इन्दिरा साहने और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, ए.आई.आर. 1993, एस.सी. 477 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत कुल आरक्षण की सीमा तय कर दी है जिससे वह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने कतिपय प्रतिबंध लगा दिए हैं कि आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से अधिक न हो। न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न हुई पहली कठिनाई यह है।

इस मसले पर दूसरी कठिनाई यह उत्पन्न हुई है कि कतिपय वर्ग आरक्षण की परिसीमा से बाहर होंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रोजगार के कतिपय क्षेत्र जैसे औषध, अध्यापन, इत्यादि आरक्षण की परिसीमा से बाहर होंगे। यह केवल 50 प्रतिशत के प्रतिबंध का प्रश्न नहीं है अपितु यह आरक्षण से रोजगार के कतिपय क्षेत्रों को बाहर रखने का भी प्रश्न है।

न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न एक तीसरी कठिनाई भी है। दुर्भाग्यवश, न्यायपालिका ने 'क्रीमी लेयर' के बारे में बहुत अस्पष्ट और भ्रामक अवधारणा अपनाई है और न्यायपालिका ने कहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों में तथाकथित 'क्रीमी लेयर' को आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए।

मेरा विधेयक इन तीनों कठिनाइयों को दूर करने तक सीमित है और इसके कुछ समाधान मेरे विधेयक में दिए गए हैं। सबसे पहले, जैसाकि मैंने कहा है, यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, विधान मंडलों और संसद की सीमाओं पर अतिक्रमण है कि न्यायिक निर्णयों से आरक्षण के दायरे को सीमित कर दिया गया है।

तमिलनाडु के मामले में, जैसा कि मैंने कहा है, हमारा एक लम्बा इतिहास है। आरक्षण के क्षेत्र में वे अग्रणी रहे हैं और वहां पर 69 प्रतिशत तक आरक्षण उपलब्ध है तथा उसमें कोई कठिनाई भी नहीं हैं। लेकिन न्यायिक निर्णयों से कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। तमिलनाडु के मामले में विशेष रूप से कठिनाई पैदा हो गई है।

मैं समझता हूं कि लगभग प्रत्येक दल इस समस्या के प्रति सचेत है और लगभग हर पार्टी जिसमें सरकार और उसमें शामिल लोग भी हैं, ने कहा है कि आरक्षण के दायरे की रक्षा की जाएगी। मैं इसके लिए उन सबका तथा वर्तमान सरकार का भी आभारी हूं। सरकार के पास उनका अपना तैयार किया हुआ 'शासन का राष्ट्रीय एजेंडा' है। अब मैं इस पर नहीं बोलूंगा कि यह राष्ट्रीय एजेंडा किस चीज के बारे में है क्योंकि वह मेरी राय में विषय से हटना होगा। लेकिन शासन का राष्ट्रीय एजेंडा आश्वस्त करता है कि राज्य में आरक्षण के दायरे की रक्षा की जाएगी।

ये आश्वासन हमें बार-बार दिए जा रहे हैं लेकिन मुझे कार्यवाही का कोई संकेत नजर नहीं आता है। न्यायिक निर्णय सुनाए जाने के दिन से आज तक कार्यवाही के कोई संकेत नहीं दिखें हैं। जो भी कार्यवाही की गई वह तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई है जिसके अंतर्गत तमिलनाडु विधान सभा ने तमिलनाडु के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों, सेवाओं में, पदों और नियुक्तियों में राज्य अधिनियम, 1973 के अंतर्गत आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। इस अधिनियम को तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू किया गया था ताकि आरक्षण के दायरे को सीमित करने वाले न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न बाधाओं अथवा कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

सभापति महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला, आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं। अभी मुझे एक घोषणा करनी है।

श्री जी०एम० बनातवाला : आप घोषणा कर सकते हैं।

अपराह्न 5.56 बजे

सभा के कार्य के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय और विभिन्न दलों के नेताओं और वर्गों और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों के साथ आज हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

(एक) कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में सोमवार, 13 जुलाई, 1998 को अपराह्न 12 बजे से सायं 8 बजे तक आगे और चर्चा की जायेगी और मतदान कराया जाएगा।

(दो) विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में मंगलवार 14 जुलाई, 1998 को अपराह्न 12 बजे से सायं 5 बजे तक चर्चा की जायेगी और मतदान कराया जायेगा तथा प्रधान मंत्री सायं 5 बजे चर्चा का उत्तर देंगे।

(तीन) अनुदान मांगों से संबधित सभी बकाया मामलों के निपटान हेतु आवश्यक सभी प्रश्नों पर मंगलवार 14 जुलाई, 1998 को सायं 6 बजे मतदान कराया जायेगा; और

(चार) उक्त मंत्रालयों की मांगों से संबंधित चर्चा पर और अधिक सदस्यों द्वारा भाग लिए जाने का अवसर देने हेतु सोमवार 13 जुलाई और मंगलवार 14 जुलाई, को 'शून्यकाल' नहीं होगा।

जैसा कि पहले ही निर्णय लिया गया है सभा की बैठक वित्त विधेयक, 1998 के पारित किए जाने तक प्रतिदिन भोजनकाल के दौरान और सायं 8 बजे तक चलेगी।

अब सभा की बैठक सोमवार, 13 जुलाई 1998 को 11 बजे पुन: समवेत होने तक स्थगित होती है।

अपराह्न 5.59 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 13 जुलाई, 1998/22 आषाढ़, 1920 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।